VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
द्वितीय वर्ष
(डिप्लोमा कोर्स)
सेमेस्टर-IV

समाजशास्त्र

भारत में सामाजिक समस्याएँ और विकास के मुद्दे

SYLLABUS

UNIT-I

Deviance : Concept & Meaning, Definition. Crime and Juvenile Delinquency White Collar crime.

UNIT-II

Corruption in Public life, Cyber Crime, Drug Addiction, Suicide, Terrorism.

UNIT-III

Structural Problems : Poverty, Caste Inequality, Problems : Religious, Ethnic and Regional, Minorities, Backward Classes and Dalits.

UNIT-IV

Familial Problems : Dowry, Domestic Violence, Divorce, Intra and Inter Generational Conflict, Problem of Elderly.

UNIT-V

Concept of Development, Economic Vs Social Development, Human Development.

UNIT-VI

Theories of Development : Smelser, Lerner, Rostow. Under Development Dependency : Centre Periphery (Frank), Uneven Development (Samir Amin); Globalization and Development Society.

UNIT-VII

Issues of Development : Agrarian Crisis, Human Resource Development & Skilled Unemployment.

UNIT-VIII

Ecology and Development : Development and Displacement, Rehabilitation and Resettlement Policy, Sustainable development, Global Warming and Climate Change.

TOUCH n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH 'n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : विचलन : अवधारणा एवं अर्थ ...3
UNIT-II : सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार ...26
UNIT-III : संरचनात्मक समस्याएँ ...52
UNIT-IV : पारिवारिक समस्याएँ ...87
UNIT-V : विकास की अवधारणा ...106
UNIT-VI : विकास के सिद्धांत ...119
UNIT-VII : विकास के मुद्दे ...134
UNIT-VIII : पारिस्थितिकी और विकास ...148

UNIT-I

विचलन : अवधारणा एवं अर्थ
Deviance : Concept and Meaning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शास्त्रीय सिद्धान्त क्या है?
What is Classical Theory?

उत्तर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 18वीं सदी के अन्त में हुआ। इसके प्रमुख समर्थकों में बैकारिया, बेन्थम और फ्यूअरबेक थे। ये सिद्धान्तवादी सुखवादी दर्शन से प्रभावित थे। इस दर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे मिलने वाले सुख व दुख का हिसाब लगाता है और वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिलता है। एक अपराधी भी अपराध इसलिए करता है कि उसे अपराध करने पर दुख की तुलना में सुख अधिक मिलता है।
इस सिद्धान्त को सर्वप्रथम इटली के अपराधशास्त्री बैकारिया ने प्रस्तुत किया। अपराध के प्रति उनकी धारणा के मूल आधार ये थे—

1. अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख।
2. अपराध करते समय व्यक्ति दु:ख की तुलना में सुख का अधिक अनुभव करता है।
3. अपराध का अर्थ है समाज को हानि पहुँचाना और क्षति की मात्रा ही अपराध की मात्रा निर्धारित करती है।

प्र.2. परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Probation?

उत्तर परिवीक्षा में अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह परिवीक्षा की अवधि में अपना आचरण उत्तम रखेगा।
सदरलैण्ड के अनुसार, "परिवीक्षा दण्डनीय ठहराए गए अपराधी की उस समय की अवस्था है जिसमें अपराधी की सजा को मुअत्तिल करा दिया गया है और जिसमें अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त के साथ अपराधी को स्वतन्त्रता दे दी जाती है। इसके साथ ही राज्य अपने व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने में सहायता देने का प्रयास करता है।"

प्र.3. पैरोल से क्या आशय है?
What is meant by Parole?

उत्तर पैरोल पर उन अपराधियों को छोड़ा जाता है जिन्हें लम्बी अवधि की सजा मिली हो और उसका कुछ भाग वे काट चुके हों। सजा काटने के दौरान यदि अपराधी का आचरण अच्छा रहता है तो अधिकारी की सिफारिश पर उसे शेष सजा से मुक्ति मिल जाती है। पैरोल की परिभाषा करते हुए **इलियट** लिखते हैं, "पैरोल अपराधी के कारागार या सुधारालय से उसकी समयावधि से पूर्व ही मुक्ति को कहते हैं, ऐसा पैरोल अधिकारी की सिफारिश पर होता है।"

प्र.4. परिवीक्षा व पैरोल में अंतर बताइए।
Differentiate between probation and parole.

उत्तर परिवीक्षा व पैरोल में निम्नलिखित अन्तर हैं—

1. परिवीक्षा पर प्रथम अपराधी को छोड़ा जाता है जबकि पैरोल में अपराधी को सजा का कुछ भाग काटना पड़ता है।
2. परिवीक्षा में दण्ड नहीं दिया जाता है जबकि पैरोल में दण्ड दिया जाता है।

TOUCH 'n PASS

3. परिवीक्षा न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है जबकि पैरोल एक प्रशासकीय इकाई द्वारा।
4. परिवीक्षा में दण्ड की भावना कम व सुधार की भावना अधिक होती है जबकि पैरोल में दण्ड का तत्त्व प्रमुख रूप से पाया जाता है।

प्र.5. जघन्य अपराध क्या है?

What is Heinous Crime?

उत्तर हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, राजद्रोह आदि गम्भीर अपराध हैं जिनके लिए राज्य मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास आदि के रूप में कठोर दण्ड की व्यवस्था करता है। टैपन और जेम्स स्टीफेन ने सदरलैण्ड के इस वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं माना है क्योंकि—(i) एक ही अपराध एक देश में साधारण हो सकता है जबकि दूसरे देश में जघन्य। (ii) साधारण अपराधों के परिणाम कभी-कभी गम्भीर हो सकते हैं। (iii) यह वर्गीकरण ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भयंकर और क्रूर है तथा उसका सुधार सम्भव नहीं है।

प्र.6. भारत में कितने प्रकार के अपराध माने गए हैं?

How many types of crimes are considered in India?

उत्तर भारत में तीन प्रकार के अपराध माने गए हैं—

1. भारतीय दण्ड विधान (Indian Penal Code) द्वारा दण्डनीय अपराध जैसे हत्या, मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, सार्वजनिक अशान्ति पैदा करना, मान-हानि, विश्वासघात, धोखा, आदि।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) द्वारा दण्डनीय अपराध जैसे दुर्व्यवहार करना और शान्ति भंग करना।
3. ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वारा दण्डनीय हैं जैसे उन राज्यों में शराब पीना, जहाँ पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी गयी है, अपराध है जबकि अन्य राज्यों में नहीं।

प्र.7. सामाजिक विचलन को परिभाषित कीजिए।

Define Social Deviation.

उत्तर **क्लिनार्ड** के अनुसार, "विपथता मानदण्डों से विचलन जिन्हें सहन किया जाता है या जिसने केवल हल्के अनानुमोदन को उकसाया समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से छोटी चिन्ता का विषय है। केवल वे स्थितियाँ जिनमें व्यवहार एक अनानुमोदित दिशा में है और पर्याप्त मात्रा में समुदाय की सहिष्णुता को बढ़ाने में है, विपथित व्यवहार का गठन करती हैं।"

प्र.8. विपथन प्रकारों की प्रमुख श्रेणी कौन-सी हैं?

What are the major categories of Aberration Types?

उत्तर विपथन प्रकारों की प्रमुख श्रेणी हैं—

1. **विपथित नशा दुरुपयोग**—नशे की दो मुख्य श्रेणियाँ जो उपयोग की जाती हैं वह अफीमयुक्त मादक द्रव्य (हेरोइन) और विभ्रामक (मैरिजुआना) हैं तथा इसके अतिरिक्त अवसादक, उत्तेजक और विलायक हैं।
2. पीना और एल्कोहल का प्रयोग।
3. काम सम्बन्धी विपथन।
4. कुछ आपराधिक व्यवहार; जैसे—व्यवसायियों और सेवावर्ग द्वारा छिपे हुए अपराध, आर्थिक ट्रस्टों द्वारा गबन, आत्महत्या, मानसिक बीमारी, आदि।

प्र.9. विचलन सापेक्ष है, असापेक्ष नहीं। स्पष्ट कीजिए।

Deviation is relative, not absolute. Clarify.

उत्तर विचलन के अर्थ को उन प्रत्याशाओं एवं परम्परीय प्रतिबंधों के सन्दर्भ में समझा जा सकता है जो विशिष्टकाल में विशिष्ट स्थानों पर व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। समाजों में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ सामाजिक

TOUCH 'n' PASS

आदर्श-नियम भी बदल जाते हैं। जो किसी समय असहनीय समझा जाता है, वह अन्य समय में आदर्श-नियम बन जाता है। इस प्रकार, स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियों में गत कुछ दशकों में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। पहले, स्त्रियों को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, परन्तु आज वे कार्यालयों में कार्य करती हैं तथा क्लब में मनोरंजन करती हैं। इस प्रकार जिसे कुछ समय पूर्व विचलित व्यवहार समझा जाता था, वह आज व्यवहार का स्वीकृत मान बन गया है।

प्र.10. जेल व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the Jail System.

उत्तर जेल एक ऐसा स्थान है जहाँ अपराधी को समाज से पृथक् रखा जाता है और उसमें अपराध के प्रति पश्चात्ताप की भावना पैदा की जाती है। उसे यह महसूस करने का अवसर प्रदान किया जाता है कि जिस समाज को उसने हानि पहुँचाई है, उसके नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अपराधियों को जेल में रखकर उनमें सुधार किया जाता है तथा समाज ऐसे व्यक्तियों को उनकी त्रुटि के कारण कहीं समाप्त न कर दे, इसलिए उनकी रक्षा भी की जाती है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अपराध तथा श्वेतवसन अपराध में अन्तर बताइए।
Differentiate between Crime and White Collar Crime.

उत्तर

अपराध तथा श्वेतवसन अपराध में अन्तर
(Differences between Crime and White Collar Crime)

यद्यपि अपराध और श्वेतवसन अपराध वयस्क अपराध की श्रेणी में ही आते हैं फिर भी दोनों की प्रकृति एवं मनोवृत्ति में निम्नांकित अन्तर हैं—

1. श्वेतवसन अपराध का सम्बन्ध समाज के उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग से है, जबकि अपराध उच्च या निम्न किसी भी वर्ग के सदस्य द्वारा किया जा सकता है।
2. श्वेतवसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, ऐसे अपराधों का मुख्य उद्देश्य धन एवं भौतिक सुख-साधन कमाना होता है, जबकि अपराध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और कई अन्य कारणों से किए जा सकते हैं।
3. श्वेतवसन अपराध में अपराधी प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़ा हुआ नहीं होता, जबकि अपराध में व्यक्ति का अपराधी क्रिया से सीधा सम्बन्ध होता है।
4. श्वेतवसन अपराधी के प्रति समाज में तिरस्कार की भावना नहीं पायी जाती क्योंकि वह समाज से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता, जबकि अपराधी को समाज के द्वारा तिरस्कार की नजर से देखा जाता है।
5. अपराध की अपेक्षा श्वेतवसन अपराध नियोजित एवं संगठित तरीकों से किए जाते हैं।
6. अपराधी को पकड़ना और दण्ड देना सरल है, जबकि श्वेतवसन अपराधी के प्रभावशाली, प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न होने के कारण उसे पकड़ना व दण्ड देना कठिन है।
7. श्वेतवसन अपराधी गोपनीय होते हैं जिनकी जानकारी सामान्यत: जनता को नहीं हो पाती, जबकि अपराध में गोपनीयता समाप्त हो जाती है।
8. श्वेतवसन अपराध आधुनिक, जटिल, औद्योगिक एवं नगरीकृत समाजों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि अपराध आदिम और आधुनिक सभी प्रकार के समाजों में पाए जाते हैं।

प्र.2. श्वेतवसन अपराध के दुष्परिणाम बताइए।
State the evil effects of White Collar Crime.

उत्तर

श्वेतवसन अपराध के दुष्परिणाम
(Evil Effects of White Collar Crime)

सदरलैण्ड कहते हैं कि श्वेतवसन अपराध के कारण आर्थिक हानि की तुलना में समाज को सामाजिक हानि अधिक होती है और सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। श्वेतवसन अपराध से उत्पन्न प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम अग्र प्रकार हैं—

TOUCH 'n PASS

1. समाज में अनैतिकता, विश्वासहीनता एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।
2. समाज में नियमहीनता बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं आदर्शों की मनमाने ढंग से व्याख्या करता है और अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उल्टे-सीधे तर्क भी प्रस्तुत करता है।
3. श्वेतवसन अपराध समाज में असन्तोष को बढ़ावा देता है। फलस्वरूप लोग अनुशासनहीन एवं संघर्षशील हो जाते हैं। उनमें यह मनोवृत्ति घर कर जाती है कि समाज में सच्चा न्याय प्राप्त करना कठिन है और उच्चवर्ग एवं धनवान व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले सभी गुनाह माफ हैं।
4. श्वेतवसन अपराध के कारण लोगों में मानसिक असन्तोष, निराशा एवं तनाव पैदा होते हैं।
5. लोगों की कर्त्तव्यहीनता एवं दायित्वहीनता की भावना में वृद्धि होती है।
6. चूँकि श्वेतवसन अपराधी कानून को तोड़-मरोड़कर अपने पक्ष में प्रस्तुत कराने में समर्थ होते हैं, अतः उन्हें दण्ड नहीं भुगतना पड़ता। फलस्वरूप दण्ड, कानून एवं न्याय से लोगों का विश्वास उठ जाता है और कानूनी अव्यवस्था फैलती है।
7. श्वेतवसन अपराध के कारण सामाजिक असुरक्षा पनपती है। जब समाज के नेता एवं संरक्षक कहे जाने वाले व्यक्ति ही अपराधी कार्यों में लगे होते हैं तो अन्य लोगों में असुरक्षा के भाव पैदा होते हैं।
8. श्वेतवसन अपराध के कारण अर्थव्यवस्था विघटित हो जाती है। बेईमान एवं अपराधी लोग सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि ईमानदार व्यक्तियों के लिए भरण-पोषण भी कठिन होता है। यही कारण है कि श्वेतवसन अपराध चोरी एवं डकैती से भी अधिक हानिकारक है। ऐसे अपराधी सारे देश को आर्थिक हानि पहुँचाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो जाती है।
9. श्वेतवसन अपराध के कारण नयी पीढ़ी में अपराध की ओर झुकाव बढ़ता है।
10. श्वेतवसन अपराध के कारण समाज व्यवस्था, सुरक्षा, प्रगति एवं विकास खतरे में पड़ जाते हैं।
11. श्वेतवसन अपराध सामाजिक संस्थाओं के मूलभूत मूल्यों पर आक्रमण है।

प्र.3. श्वेतवसन अपराध रोकने के लिए सुझाव दीजिए।
Give suggestions to prevent White Collar Crime.

उत्तर

श्वेतवसन अपराध को रोकने हेतु सुझाव
(Suggestions to Prevent White Collar Crime)

अब तक श्वेतवसन अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी एवं अन्य प्रकार के प्रयत्न नहीं हुए हैं। इन अपराधों से उत्पन्न दोषों की गम्भीरता को देखते हुए इनके निराकरण के लिए निम्नांकित उपाय अपनाए जाने चाहिए—

1. राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों की छानबीन के लिए जाँच आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
2. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोध समिति की स्थापना की जाए।
3. इस प्रकार की समितियों से सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जनता अपना समर्थन एवं सहयोग दे और वे श्वेतवसन अपराधियों के काले कारनामे सरकार के समक्ष लायें।
4. सरकार द्वारा शक्तिशील गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाए।
5. सामाजिक विभेदीकरण को सरकारी प्रयत्नों एवं सामाजिक सुधार द्वारा समाप्त किया जाए।
6. समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, दरिद्रता एवं पूँजी के केन्द्रीकरण को समाप्त किया जाए।
7. श्वेतवसन अपराधियों को भी सामान्य कानून के तहत ही दण्डित किया जाए और अपराध के अनुसार कठोर दण्ड दिया जाए।
8. न्यायाधीशों द्वारा श्वेतवसन अपराधियों के प्रति बरती जाने वाली नरमी एवं ढिलाई का गुप्तचर ध्यान रखें एवं सरकार को इसकी सूचना दें।
9. श्वेतवसन अपराधियों में कर्त्तव्यपरायणता, सदाचार, ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जाए एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित की जाए।

TOUCH 'n' PASS

10. श्वेतवसन अपराधियों को उनके कार्यों से उत्पन्न हानि को बताया जाए ताकि उनके स्वयं के मन में ऐसे कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए।
11. श्वेतवसन अपराधियों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत की जाए।

प्र.4. बाल-अपराध से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Juvenile Delinquency?

उत्तर

बाल-अपराध : परिभाषा और अर्थ
(Juvenile Delinquency : Definition and Meaning)

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज-विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल-अपराध कहते हैं। इंग्लैण्ड के न्यायवेत्ताओं ने अपराध के सम्बन्ध में एक कहावत को जन्म दिया जिसके अनुसार—किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसका अपराधी इरादा था। एक अन्य कहावत के अनुसार, जब तक कोई व्यक्ति चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक कानून यह नहीं मानेगा कि उसने अपराधी इरादे से व्यवहार किया। जब तक बच्चे में अच्छे-बुरे के बीच भेद करने की भावना नहीं आ जाती, उसके द्वारा किया गया समाज-विरोधी कार्य अपराध नहीं कहलाएगा। बाल-अपराध का निर्धारण करने में आयु भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। भिन्न-भिन्न देशों में बाल-अपराधियों के लिए अलग-अलग आयु निर्धारित की गयी है। अधिकांश देशों में 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानून व समाज विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इस समय तक बालक में अच्छे-बुरे के भेद की समझ उत्पन्न नहीं होती है। बाल-अपराध की अधिकतम आयु 18 से लेकर 20 वर्ष तक है। इसके बाद की आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया गया समाज-विरोधी कार्य युवा अपराध में गिना जाता है। किन्तु समाजशास्त्री आयु को अधिक महत्त्व नहीं देते क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। अत: कुछ विद्वान, बालक द्वारा प्रकट व्यवहार की प्रवृत्ति को बाल-अपराध के लिए आधार मानते हैं; जैसे—आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता-पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, वेश्याओं, जुआखोरों एवं चरित्रहीन व्यक्तियों से सम्पर्क रखना, आदि। किन्तु जब तक कोई अन्य वैध तरीका सर्व-सम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल-अपराध का निर्धारक आधार माना जाएगा। **सेठना** के अनुसार, "बाल-अपराध के अन्तर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जोकि सम्बन्धित स्थान के कानून (जो उस समय लागू हो) के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अन्दर आते हों।"

सिरिल बर्ट के अनुसार, "तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर दिखायी दें कि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है या की जानी चाहिए।"

न्यूमेयर के अनुसार, "एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज-विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है।"

प्रो० शेल्डन के अनुसार, "बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गम्भीर अपराध करना ही बाल अपराध है।"

के० फ्राइडलैण्डर के अनुसार, "बाल-अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती हो।"

गिलिन एवं **गिलिन** के अनुसार, "समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल-अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।"

प्र.5. अपराध और बाल-अपराध में अन्तर बताइए।
Differentiate between Crime and Juvenile Delinquency.

उत्तर

अपराध और बाल-अपराध में अन्तर
(Differences between Crime and Delinquency)

बाल-अपराध और अपराध दोनों में ही समाज और राज्य के प्रचलित नियमों का ही उल्लंघन होता है, फिर भी इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं—

1. **आयु भेद**—बाल-अपराध कम आयु के बालकों (अधिकांशत: 7 वर्ष से लेकर लड़कों के लिए 16 वर्ष तक और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तक) द्वारा किया जाता है जबकि अपराध युवा व्यक्ति (अधिकांशत: 21 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति) द्वारा।

2. **पृष्ठभूमि में भेद**—बाल-अपराध युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। बाल-अपराधी ही आगे चलकर अपराधी बनते हैं।
3. **समझ का भेद**—बाल-अपराधी कोमल मस्तिष्क के कारण अपराध की गम्भीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पाते जबकि युवा-अपराधी अपराध के परिणामों को भली-भाँति समझते हैं।
4. **सुधार के आधार पर भेद**—बाल-अपराधी का सुधार सरल एवं सम्भव है क्योंकि बच्चे के अपरिपक्व मस्तिष्क को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है जबकि युवा अपराध में सुधार की सम्भावना कम होती है।
5. **दण्ड में भेद**—बाल-अपराधी को दण्ड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है जबकि अपराधी को उसके अपराध की प्रकृति के अनुसार दण्ड दिया जाता है।
6. **कारण भेद**—बाल-अपराधी में अपराध के कारणों को ढूँढ़ना सरल है क्योंकि उसने अपराधी कार्य प्रारम्भ ही किया होता है जबकि युवा अपराधी के अपराध के कारणों का पता लगाना अपेक्षतया कठिन कार्य है क्योंकि उसके पीछे एक लम्बा इतिहास होता है।
7. बाल-अपराधियों एवं युवा-अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति, प्रकार और मात्रा में भी अन्तर होता है।
8. **प्रशिक्षण में भेद**—कभी-कभी युवा-अपराधी संगठित अपराध या व्यावसायिक अपराध में बाल-अपराधियों का सहारा लेते हैं। इस तरह से युवा अपराधी बाल-अपराधियों को प्रशिक्षण देते हैं जबकि सामान्यत: कोई भी युवा अपराधी बाल-अपराधी से अपराध का प्रशिक्षण नहीं लेता।
9. **उपयोगिता में भेद**—कोहन की मान्यता है कि बाल-अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है अर्थात् बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता वरन् अज्ञानता के कारण भी करता है; जैसे—बच्चे द्वारा किसी कक्षा के छात्र की पुस्तक चुराकर फाड़ देना। इस कार्य में उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है।
10. **उद्देश्यों में भेद**—कई बच्चों द्वारा हँसी-मजाक या द्वेष के कारण ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं; जैसे—पत्थर फेंकने पर किसी के चोट लगना या किसी वस्तु का टूट जाना, जबकि अपराध में संगठित एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है।
11. **प्रभाव में अन्तर**—बाल-अपराध अधिकांशत: वैयक्तिक विघटन का सूचक है जबकि अपराध से सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

प्र.6. अपराध के लक्षण बताइए।
State Characteristics of Crime.

उत्तर

अपराध के लक्षण
(Characteristics of Crime)

जिरोम हाल ने उन विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर किसी मानवीय व्यवहार को अपराध घोषित किया जाता है। वे निम्न प्रकार हैं—

1. **हानि** (Harm)—अपराधी क्रिया का बाह्य परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो। इस प्रकार अपराध में समाज को नुकसान होता है।
2. **क्रिया** (Action)—जब कोई व्यक्ति अपराधी क्रिया न करे और अपराध करने का केवल मन में विचार ही रखे, तब इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध के लिए सोच लेना ही पर्याप्त नहीं वरन् इरादे या विचार का क्रिया के रूप में बाह्य प्रकाशन भी आवश्यक है।
3. **कानून के द्वारा निषेध** (Prohibited by Law)—कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस देश का कानून उसे अवैधानिक घोषित न करे। अत: कई बार एक कार्य समाज की दृष्टि से असामाजिक होते हुए भी, यदि कानून ने उसे स्वीकार किया है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक दृष्टि से साधारणत: अनुचित माना जाता है किन्तु कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है। इसलिए जब तक देश के प्रचलित कानून ही किसी समाज-विरोधी कार्य को अपराध घोषित न करें, तब तक हम उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते।

TOUCH 'n' PASS

4. **अपराधी उद्देश्य** (Criminal Intention)—अपराध निर्धारण में अपराधी उद्देश्य एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। जान-बूझकर इरादतन किया हुआ कानून-विरोधी कार्य अपराध है। अनजाने में बिना इरादे के या भूल से किए हुए कार्य को हम अपराध तो मानते हैं किन्तु उतना गम्भीर नहीं जितना कि पूर्व इरादे से किए गए कार्य को। दण्ड निर्धारित करते समय न्यायाधीश इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अपराधी द्वारा अपराध जान-बूझकर किया गया है या परिस्थितिवश अथवा अनजाने में।
5. **उद्देश्य और व्यवहार में सह-सम्बन्ध** (Co-relation between Intention and Behaviour)—अपराध के लिए अपराधी उद्देश्य के साथ ही क्रिया का होना भी आवश्यक है। उद्देश्य-विहीन क्रिया या क्रिया-विहीन उद्देश्य अपराध नहीं होगा। दोनों का प्रकाशन साथ-साथ होना चाहिए।
6. **व्यवहार और हानि में सह-सम्बन्ध** (Co-relation between Behaviour and Harm)—हानि और व्यक्ति का व्यवहार भी सह-सम्बन्धित होना चाहिए। हत्या अपराध है किन्तु जब तक हत्यारे का पता नहीं चले अपराध का निर्धारण नहीं होगा। अत: हानि और व्यवहार दोनों ज्ञात होने पर ही अपराध का पता लगाया जा सकता है।
7. **दण्ड** (Punishment)—अपराध करने पर राज्य या समाज अपराधी को दण्ड देता है। यह दण्ड शारीरिक कष्ट या जुर्माना आदि के रूप में हो सकता है। दण्ड के भय से ही कानून का पालन होता है। बिना दण्ड के कानून खाली नाम है। बिना शक्ति के कानून ऐसी आग है जो न जलाती है और न रोशनी ही देती है।

प्र.7. भौगोलिक सिद्धान्त पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on Geographical Theory.

उत्तर

भौगोलिक सिद्धान्त
(Geographical Theory)

इस सिद्धान्त से सम्बन्धित अभिमत का प्रचलन 18वीं सदी से 20वीं सदी तक रहा है। भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक पर्यावरण, भूमि की रचना, वर्षा, तापमान, जलवायु, आदि को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इसके प्रमुख समर्थकों में क्वेटलेट, ग्वेरी, मॉण्टेस्क्यू, डेक्स्टर, लैकेसन, कोहन और क्रोपोटकिन आदि हैं।

फ्रांस के **क्वेटलेट** और **ग्वेरी** ने अपराध का ताप सम्बन्धी सिद्धान्त (Thermic Law of Crime) दिया। उन्होंने कहा कि गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और सर्दियों में सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं। उपजाऊ भूमि, अनुकूल वर्षा एवं प्राकृतिक साधनों की अधिकता होने पर अपराध कम होंगे और इनके विपरीत परिस्थितियों में अपराध अधिक होंगे। उनकी मान्यता थी कि भौगोलिक पर्यावरण मानव व्यवहार को भी प्रभावित करता है।

फ्रांस के **मॉण्टेस्क्यू** ने अपनी पुस्तक **'कानून की आत्मा'** *(Spirit of Laws)* में लिखा है कि "ज्यों-त्यों हम भूमध्य रेखा के पास जाते हैं, अपराध बढ़ते जाते हैं। ध्रुवों की ओर शराब पीकर किए जाने वाले अपराधों की संख्या अधिक है।" **डेक्स्टर** (Dexter) ने मौसमी तत्त्वों; जैसे—तापक्रम, नमी वायुमण्डल का दबाव आदि के आधार पर अपराधी प्रवृत्ति का अध्ययन किया और कहा कि आर्द्रता के बढ़ने पर हिंसा के अपराध घटते हैं। वायु के दबाव के साथ हिंसा के अपराध बढ़ते हैं। गर्मियों में लड़ाई-झगड़े व आक्रमण के अपराध अधिक होते हैं तथा वर्षाकाल में हिंसात्मक अपराध कम होते हैं। **लैकेसन** ने अपराध सम्बन्धी एक कैलेण्डर बनाया और यह दर्शाया कि किस महीने में कौन-से अपराध होते हैं। लोम्ब्रोसो ने कहा कि समतल भूमि में अपराध कम और घाटियों में पहाड़ की चोटियों पर अधिक होते हैं।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव मानव स्वभाव पर पड़ता है, किन्तु पर्यावरण और अपराध का सीधा सम्बन्ध नहीं है। यदि भौगोलिक कारक ही अपराध के लिए उत्तरदायी है तो क्या कारण है कि एक ही प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण के रहने पर एक व्यक्ति अपराध करता है और दूसरा नहीं। साथ ही इस सिद्धान्त में सामाजिक कारकों की उपेक्षा की गयी है।

TOUCH 'n PASS

प्र.8. अपराधी कौन होते हैं? स्पष्ट कीजिए।
Who are Criminals? Clarify.

उत्तर

अपराधी कौन?
(Who is a Criminal?)

सामान्य रूप से अपराधी उसे माना जाता है जो समाज के नियमों की अवहेलना करता है, अनैतिक और धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तथा राज्य के नियमों के विरुद्ध आचरण करता है। इलियट और मैरिल कहते हैं, "तकनीकी तौर पर अपराधी वह है जो दण्डनीय दुर्व्यवहार करे।" टैफ्ट भी ऐसे व्यक्ति को अपराधी मानते हैं जिसने कानून निषिद्ध व्यवहार किया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अपराधी मानसिक रूप से अयोग्य और भावात्मक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति है, परिस्थितियों के साथ उसका सामंजस्य नहीं हुआ है तथा उसमें सांस्कृतिक तथा नैतिक शिक्षा का अभाव है। कानूनी रूप से हम उसी व्यक्ति को अपराधी कहते हैं जिसको न्यायालय ने दोषी ठहराया है और दण्ड की आज्ञा दी है। सामाजिक दृष्टि से हर कानून के उल्लंघनकर्ता को अपराधी नहीं माना जाता। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी सत्ता को हटाने हेतु विविध गतिविधियाँ—सत्याग्रह एवं आन्दोलन आदि अपराध थे, किन्तु हम सामाजिक दृष्टि से उनको अपराध नहीं कह सकते।

अपराधियों के अध्ययनों में अपराधी की कानूनी परिभाषा ही स्वीकार की गयी है। इस सन्दर्भ में एक समस्या यह है कि कोई भी कानून यह घोषित नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति कितने समय तक अपराधी कहलाएगा? क्या केवल अपराध करने के दौरान या दण्ड पाने की अवधि तक या आजीवन?

टैफ्ट ने एक व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए कुछ आधारों का उल्लेख किया है जो निम्नवत् हैं—

1. **उपयुक्त आयु** (Competent Age)—किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पूर्व उसकी आयु का भी ध्यान रखा जाता है। इंग्लैण्ड के कानून के अनुसार यह आयु 7 वर्ष है। अमेरिका में व्यक्ति की आयु और उसकी लम्बाई एवं शारीरिक बनावट देखकर ही उसे अपराधी घोषित किया जाता है। सामान्यत: किसी भी देश में 6 या 7 वर्ष से कम की आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य अपराध नहीं माना जाता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस आयु तक बच्चे में अपराधी भावना का उदय नहीं हो पाता, वह अच्छाई और बुराई में अन्तर नहीं कर पाता। अत: इस भावना के उदय के बाद ही किसी को अपराधी कहा जा सकता है।
2. **स्वेच्छ क्रिया** (Voluntary Act)—किसी भी व्यक्ति को अपराधी उसी समय माना जाएगा जब उसने अपनी इच्छा से कानून विरोधी कार्य किया हो, न कि किसी दबाव के कारण। एक व्यक्ति रात्रि को ताला बनाने वाले को घर से उठा ले जाता है और उसे किसी के यहाँ तिजोरी खोलने को कहता है और ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। ऐसी स्थिति में वह यदि तिजोरी का ताला खोलता है तो उसका यह कार्य अपराध नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ उसे अपराध के लिए बाध्य किया गया है। किन्तु दबाव का निश्चय भी न्यायालय ही करता है।
3. **अपराधी इरादा** (Criminal Intent)—अपराध का कार्य व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर अपराधी इरादे से किया जाना चाहिए यद्यपि लापरवाही और कानून के प्रति अनभिज्ञता क्षमा-योग्य नहीं है।
4. **अपराध कानूनी रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना चाहिए** (Crime must be classed legally as an act injurious to the State)—अपराध से राज्य को हानि होनी चाहिए। व्यक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता वरन् उसे दुष्कृति (Tort) कहा जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कानूनी दृष्टि से अपराधी वह है जिसने इच्छापूर्वक बुरी नीयत से ऐसे कार्य किए हों जो दण्डनीय हैं।

प्र.9. भारत में श्वेतवसन अपराध के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए।
Describe the different forms of White Collar Crime in India.

उत्तर

श्वेतवसन अपराध के विभिन्न स्वरूप
(Different Forms of White Collar Crime)

विभिन्न प्रकार के श्वेतवसन अपराधों को सुविधा की दृष्टि से हम निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं—

1. **जालसाजी** (Fraud)—सदरलैण्ड ने इसे श्वेतवसन अपराध में प्रमुख माना है। बैंकों में चेक पर दूसरों के गलत हस्ताक्षर करके रुपया उठा लेना, बीमा कम्पनियों से गलत क्लेम द्वारा रुपया ले लेना, नकली दस्तावेज बनाकर रुपया

TOUCH 'n' PASS

कमाना, जाली खाते तैयार करना, जाली पासपोर्ट तैयार करना, नकली दवाइयाँ बनाना, जाली फर्मों के नाम परमिट एवं कोटा आवंटित करवाना, अनाथालयों, मन्दिरों एवं मठों के निर्माण के नाम पर चन्दा एकत्रित करना तथा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता प्राप्त करना और उसका दुरुपयोग करना जालसाजी एवं फरेब के ही उदाहरण हैं।

2. **रिश्वत** (Bribe)—वर्तमान में सभी क्षेत्रों में रिश्वत का बोलबाला है। पटवारी, ट्रैफिक इन्सपेक्टर, ओवरसीयर, इन्जीनियर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कर विभाग के कर्मचारियों, आदि के द्वारा रिश्वत ली जाती है। कई बार रिश्वत पैसों के रूप में न दी जाकर वस्तुओं के रूप में भी दी जाती है जिसे 'भेंट' कहकर पुकारा जाता है।
3. **चोरबाजारी एवं मुनाफाखोरी** (Black-marketing and Profiteering)—व्यापारियों द्वारा युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के समय माल जमा कर लिया जाता है और उसे ऊँची कीमतों पर चोरी-छिपे बेचा जाता है। इसी प्रकार से मकान, जमीन एवं दुकान, आदि को अधिक कीमत में बेचकर कम की रजिस्ट्री कराके आयकर की चोरी एवं काले धन में बढ़ोतरी की जाती है।
4. **तस्करी** (Smuggling)—जिन वस्तुओं का विदेशों में सरकार द्वारा आयात-निर्यात बन्द कर दिया जाता है, कई लोग ऐसी वस्तुओं को विदेशों से मँगाने एवं विदेशों में भेजने का कार्य चोरी-छिपे रूप से करते हैं और प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। इन लोगों का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों से होता है। इस प्रकार के कार्यों में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनेता, उच्चाधिकारी एवं पूँजीपति लगे होते हैं।
5. **विश्वासघात एवं षड्यन्त्र** (Betrayal and Conspiracy)—सरकारी अधिकारियों द्वारा गुप्त भेदों को बता देना, राजनीतिक हत्याएँ करना, झूठी गवाहियाँ देना, कुछ प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी की चोरी करना, अस्पतालों में बच्चे बदलना, कमीशन प्राप्त कर वस्तुएँ बेच देना, रजिस्टर में गलत प्रविष्टियाँ भरकर घाटा दिखाना, आदि सभी विश्वासघात एवं धोखेबाजी के उदाहरण हैं। इन कार्यों में समाज के अनेक उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति लगे होते हैं।
6. **पद का दुरुपयोग** (Abuse of Power)—कई राजकीय एवं गैर-राजकीय अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। वे पैसा लेकर सरकार के गुप्त भेदों को बता देते हैं या रिश्वत देने वाले के पक्ष में निर्णय कर देते हैं। चुनाव के समय भ्रष्ट तरीके अपनाना, इच्छानुसार लोगों को कोटा या परमिट वितरित करना, झूठे प्रमाण-पत्र देना, आदि श्वेतवसन अपराध के उदाहरण हैं।
7. **गुप्त व्यवहार** (Secret Activities)—कई व्यक्ति गुप्त रूप से श्वेतवसन अपराधों में लगे होते हैं; जैसे—मद्यनिषेध के क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा शराब की पूर्ति करना, क्लब के बहाने जुए का संचालन करना और वेश्यालय चलाना, ऑफिस से फाइलें गायब कराना, आदि।

स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराध का स्वरूप बड़ा व्यापक है और शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, सरकार, न्यायालय, उद्योग, आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के श्वेतवसन अपराध होते हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अपराध के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए।
Explain the various factors of Crime.

उत्तर

अपराध के विभिन्न कारक
(Various Factors of Crime)

अपराध किसी एक कारक के परिणामस्वरूप घटित नहीं होता वरन् अनेक कारकों की अन्त:क्रिया के फलस्वरूप घटित होता है। प्राकृतिक दशाएँ, शारीरिक एवं मानसिक दोष, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ सम्मिलित रूप में अथवा पृथक् रूप में अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। हम भौगोलिक कारकों का पहले उल्लेख कर चुके हैं। अन्य कारकों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है—

I. शारीरिक कारक (Physical Factors)

लोम्ब्रोसो ने अपराध के लिए शारीरिक कारकों को उत्तरदायी ठहराया। कुछ विद्वानों ने एण्डोक्राइन ग्रन्थियों के असन्तुलित कार्य को अपराध के लिए उत्तरदायी माना।

TOUCH 'n' PASS

1. **पैतृकता** (Heredity)—कई विद्वानों ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि अपराधी माता-पिता की सन्तानें भी अपराधी थीं। गोरिंग ने सन् 1913 में 3,000 अपराधियों का अध्ययन करके पाया कि माता-पिता से दूर रहने पर भी उनकी सन्तानों ने वही अपराध किए जो उनके माता-पिता ने किए थे। कई विद्वानों ने प्रसिद्ध और कुख्यात परिवारों का अध्ययन वंशानुक्रमण के आधार पर किया। **विनशिप** ने एडवर्ड परिवार का अध्ययन करके बताया कि इसके कोई पूर्वज अपराधी नहीं थे। अत: इसके वंशजों ने भी अपराध नहीं किए थे। **डुग्डेल व इसाब्रुक** ने ज्यूक परिवार का और **गोडार्ड** ने सन् 1912 में काली कैक परिवारों का अध्ययन करके पता लगाया कि उनके सभी वंशज अपराधी थे। अपराध का वंशानुक्रमण से सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिए **लैंग, फ्रीमैन, न्यूमैन** और **हलजिंगर** ने भी समान और असमान जुड़वाँ बच्चों के अध्ययन किए। सभी ने अपराध के लिए वंशानुक्रमण को उत्तरदायी ठहराया है किन्तु अपराध को हम वंशानुक्रमण का ही परिणाम नहीं मान सकते। सामाजिक परिस्थितियाँ भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।
2. **शारीरिक अयोग्यता** (Physical Disability)—कुछ विद्वानों ने शारीरिक स्थिति को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। **राल्फ बाने** ने यह बताया कि अपराध और शारीरिक कुरूपता के बीच सम्बन्ध है क्योंकि इससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है जिसकी क्षतिपूर्ति वे अपराध द्वारा करते हैं। साधारणत: यह माना जाता है कि छोटा कद, विकृत त्वचा, मुड़े हुए हाथ और पाँव, बड़े कान, कमजोर दृष्टि, अधिक मोटापा तथा बड़ा सिर उन लोगों में गम्भीर व्यक्तित्व सम्बन्धी अथवा संवेगात्मक कठिनाइयाँ पैदा करते हैं जो कि इनसे ग्रसित होते हैं। उनमें क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप वे अपराध करते हैं।
3. **बीमारी** (Disease)—अधिक समय तक बीमार रहने से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन व निराशा पैदा हो जाती है जोकि आगे चलकर अपराध को जन्म देती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक शक्ति, कमजोरी, शरीर का अत्यधिक विकास और अविकसित अंग आदि उसमें हीन भावना के लिए उत्तरदायी है। यह हीन भावना ही व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर करती है।
4. **आयु** (Age)—अपराध एवं आयु में भी सह-सम्बन्ध पाया जाता है। सामान्यत: 20 से 24 वर्ष की आयु में ही अपराध अधिक किए जाते हैं, बचपन एवं वृद्धावस्था में कम। इंग्लैण्ड में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक अपराध 12 से 15 वर्ष की आयु में तथा स्त्रियों द्वारा 16 से 17 वर्ष की आयु में किए जाते हैं। इसकी तुलना में अमेरिका में 18 से 24 वर्ष की आयु में अपराध अधिक हुए हैं। अपराध की प्रकृति के साथ-साथ अपराधियों की आयु में भी अन्तर पाया जाता है। हत्या एवं डकैती युवा लोगों द्वारा अधिक की जाती है, बच्चों द्वारा छोटे-मोटे झगड़ें एवं चोरियाँ तथा वृद्धों द्वारा यौन सम्बन्धी अपराध अधिक किए जाते हैं। आयु का सम्बन्ध शारीरिक विकास से है। पूर्ण विकसित व्यक्ति ऐसे अपराध अधिक करता है जिनमें शारीरिक शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है।
5. **अन्त:स्रावी ग्रन्थियाँ** (Endocrine Glands)—हमारे शरीर में कुछ ग्रन्थियाँ ऐसी हैं जो विशिष्ट प्रकार के रसों का स्राव करती हैं। यदि यह स्राव आवश्यकता से कम या अधिक होता है तो इसका प्रभाव शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है, व्यक्ति में संवेग की मात्रा इसी से तय होती है। संवेग अपराध के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, यदि यौन ग्रन्थियों से रस स्राव अधिक होता है तो व्यक्ति में कामोत्तेजना बढ़ती है और व्यक्ति यौन सम्बन्धी अपराध करता है।

II. मानसिक कारक (Psychological Factors)

मानसिक कारक भी अपराध के लिए उत्तरदायी हैं—

1. **मन्द बुद्धि** (Retardant)—जो व्यक्ति मन्द बुद्धि के होते हैं वे उचित व अनुचित व्यवहार में भेद नहीं कर पाते हैं। कई बार व्यक्ति की शारीरिक आयु तो अधिक होती है किन्तु मानसिक आयु कम होती है, वे न्यूरोटिक साइकोपैथिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपराध के लिए प्रेरित होते हैं।
2. **भावात्मक अस्थिरता** (Emotional Instability)—अत्यधिक भावुक होने पर व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और व्याकुलता पैदा होती है जिससे परिणामस्वरूप वह अपराध करता है। हीनता की भावना भी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। भय भी व्यक्ति में अपराधी भावना उत्पन्न करता है। मानसिक तनाव और संघर्ष भी व्यक्ति में असामाजिक व्यवहार उत्पन्न करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

III. पारिवारिक दशाएँ (Family Conditions)

परिवार ही समाज की मौलिक इकाई है। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, पलता है और बड़ा होता है। परिवार ही बच्चे का समाजीकरण करता है, उस पर नियन्त्रण रखता है, उसमें प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, त्याग, देशभक्ति आदि गुणों को जाग्रत करता है। परिवार समाज का केन्द्रक एवं मानवता का पोषण करने वाली नर्सरी है। अत: परिवार के सदस्य एवं पर्यावरण ही यह तय करते हैं कि बच्चा अपराधी होगा या देश का योग्य नागरिक। घर एवं परिवार की विभिन्न दशाएँ ही अपराध का निर्धारण करती हैं। अपराध एवं परिवार का सम्बन्ध हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं—

1. **असन्तुलित परिवार** (Imbalanced Family)—जब परिवार के सदस्यों के कार्यों में कोई ताल-मेल एवं सन्तुलन न हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। सन्तुलित परिवार ही सन्तुलित व्यक्तित्व को जन्म देता है। असन्तुलन होने पर पारिवारिक तनाव, संघर्ष, परित्याग एवं अशान्ति पैदा होती है। व्यक्ति परेशानी से बचने के लिए घर से भागना चाहता है और घर से बाहर स्वच्छन्द होने पर अपराधी कार्यों में लग सकता है।
2. **टूटे परिवार** (Broken Family)—टूटे परिवार भी अपराध को जन्म देते हैं। परिवार दो प्रकार से टूट सकते हैं—(i) भौतिक रूप से—जब परिवार में संरक्षक, माता-पिता, पति-पत्नी आदि में से किसी की मृत्यु हो जाए। (ii) मानसिक रूप से—जब साथ-साथ रहते हुए भी माता-पिता या परिवार के सदस्यों में परस्पर तनाव एवं संघर्ष की स्थिति बनी रहे। दोनों ही अवस्थाओं का व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तलाक-शुदा व्यक्ति एवं पारिवारिक जीवन में दु:खी व्यक्ति अपराध अधिक करते हैं।
3. **अपराधी परिवार** (Criminal Family)—जिन परिवारों में लोग अपराधी कार्यों से ही जीवन-यापन करते हैं या जिसके अधिकांश सदस्य, माता-पिता, भाई-बहन, आदि अनैतिक कार्यों में लगे होते हैं, ऐसे परिवार में बच्चों को अपराध की प्रेरणा मिलती है, वे बिगड़ जाते हैं तथा अपराध में संलग्न हो जाते हैं।
4. **अनैतिक परिवार** (Immoral Family)—जिन परिवारों में नैतिकता को महत्त्व नहीं दिया जाता; जिनमें चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शराबवृत्ति, वेश्यावृत्ति, नियमहीनता, रिश्वत आदि को बढ़ावा दिया जाता है, उनमें भी अपराधों की बहुलता होती है।

IV. आर्थिक परिस्थितियाँ (Economic Conditions)

अपराध एवं आर्थिक परिस्थितियों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत में अधिकांश अपराध आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही किए जाते हैं। वे आर्थिक परिस्थितियाँ जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, निम्न प्रकार हैं—

1. **निर्धनता** (Poverty) —गरीबी अपराध का सबसे बड़ा कारण है। गरीब होने पर व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह समाज के प्रति कटुभाव पैदा कर लेता है और बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध करता है। **फोर्नासारी डी वर्सी** ने अपने इटली के अध्ययन में यह पाया कि लगभग 85 प्रतिशत अपराधी गरीब वर्ग के थे। बोंजर, साइरिल बर्ट, टैपन आदि ने अपने अध्ययन में निर्धनता को अपराध के लिए उत्तरदायी पाया। ऑगबर्न, काल्डवेल तथा शॉह एवं मैके के अध्ययन भी निर्धनता एवं अपराध में सह-सम्बन्ध प्रकट करते हैं।
2. **आर्थिक संकट** (Economic Crisis)—आर्थिक संकट के समय महँगाई बढ़ जाती है, उद्योग-धन्धे ठप्प हो जाते हैं और लोगों के पास जीवन-यापन के साधन नहीं रहते। ऐसी स्थिति में अपराध की दर में वृद्धि हो जाती है। जब 1929-32 में विश्वव्यापी मन्दी आयी थी तो सभी देशों में विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गयी थी।
3. **बेकारी** (Unemployment)—बेकार व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है। उसके जीवन में निराशा घर करती जाती है, वह चिन्तित रहने लगता है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है। इन स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए बेकार व्यक्ति अपराधी कार्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारम्भ कर देता है।
4. **आर्थिक प्रतियोगिता** (Economic Competition)—आर्थिक प्रतियोगिता आज के युग की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है। परिणामस्वरूप गला-काट प्रतियोगिता होती है। वैधानिक एवं गैर-वैधानिक

TOUCH 'n' PASS

तरीकों से व्यक्ति सफल व्यवसायी बनना चाहता है और इसी दौरान वह कई कानूनों का उल्लंघन भी करता है। आज मिलावटी वस्तुएँ बिकने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा ही है।

5. **अकाल** (Famine)—बाढ़, भूचाल, अकाल आदि की दशा में भी व्यक्ति के हाथ से जीवन-यापन के साधन छिन जाते हैं, वह बेसहारा हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेता है।

V. न्याय एवं पुलिस व्यवस्था (Justice and Police System)

वर्तमान में न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन और महँगा कार्य है। राजनीतिक दल जब अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो अन्य लोगों में भी अपराध की प्रवृत्ति पनपती है। पुलिस भी अपराधियों की रोकथाम में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाती, वरन् कई बार तो पुलिस की अपरोक्ष स्वीकृति से ही अपराध होते हैं। जेलों का अनुपयुक्त वातावरण भी कच्चे अपराधी को दक्ष अपराधी बना देता है।

VI. औद्योगीकरण (Industrialisation)

मशीनों के द्वारा उत्पादन ने औद्योगीकरण को जन्म दिया। औद्योगीकरण ने हमारे परम्परागत सामाजिक जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिए। इसके कारण बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ, लोगों में गतिशीलता बढ़ी, जाति का नियन्त्रण शिथिल हुआ, संयुक्त परिवार टूटे, सामुदायिक जीवन का ह्रास हुआ। मिल-मालिकों एवं मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ा, आये दिन हड़ताल, तोड़फोड, घेराव, तालाबन्दी और आगजनी जैसे सामूहिक अपराध होने लगे। औद्योगिक केन्द्रों में वेश्यावृत्ति, जुआखोरी एवं शराब-वृत्ति में वृद्धि हुई है। धन का महत्त्व बढ़ जाने के कारण हर व्यक्ति लालच के कारण अनैतिक तरीकों से भी धन कमाना चाहता है। धन का असमान वितरण बढ़ा, गरीब अधिक गरीब एवं अमीर अधिक अमीर बने तथा पूँजीपति मजदूरों का शोषण करने लगे। मशीन के कारण अधिक उत्पादन होने से जब बाजार में माल भर जाता है तो मन्दी आती है, आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, कारखाने बन्द करने पड़ते हैं, बेकारी बढ़ती है, रोजी-रोटी के लिए घर के सभी सदस्य काम पर जाने लगते हैं। परिणामस्वरूप उनमें स्वच्छन्दता पैदा हो जाती है तथा यौन अनाचार बढ़ता है। गन्दी औद्योगिक बस्तियाँ एवं भीड़भाड़-युक्त वातावरण अपराध के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

VII. नगरीकरण (Urbanisation)

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण परस्पर सम्बन्धित प्रक्रियाएँ हैं। इसलिए जो परिस्थितियाँ औद्योगीकरण के कारण अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, लगभग वे ही परिस्थितियाँ नगरीकरण में मौजूद हैं। नगरों में संयुक्त परिवार का विघटन पाया जाता है, वहाँ पर आवास सुविधाओं का अभाव है, नवीनता का आकर्षण एवं फैशन नगरीय जीवन की विशेषताएँ हैं। व्यापारिक मनोरंजन, स्त्री-पुरुषों के अनुपात में अन्तर, स्त्रियों को मिलने वाली स्वतन्त्रता, नैतिकता के बदलते प्रतिमान, आदि सभी नगरीय जीवन में अपराध को जन्म देने में सहायक हैं।

VIII. धर्म (Religion)

जहाँ एक तरफ धर्म लोगों में एकीकरण एवं संगठन पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगों को भी जन्म देता है। धार्मिक कट्टरता खूनखराबा कराती है। भारत में हिन्दू-मुसलमानों के बीच अनेक बार संघर्ष हुए हैं। 1978 एवं 1979 में हुए अलीगढ़ के दंगों, अप्रैल, 1979 में हुए जमशेदपुर के दंगों, 1980 में मुरादाबाद व 1981 में बिहारशरीफ के तथा 2001-02 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों की रक्त-रंजित यादें अभी ताजा ही हैं।

प्र.2. अपराध की समाजशास्त्रीय एवं कानूनी अवधारणा पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the Sociological and Legal Concept of Crime.

उत्तर

अपराध : एक समाजशास्त्रीय अवधारणा
(Crime : A Sociological Concept)

अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या अति प्राचीन है। सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी हैं, अपराध कहे जाते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या में अपराध की परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती हैं। यह व्याख्या अपराध के परिणामों

TOUCH 'n PASS

पर जोर नहीं देती। इसलिए इसका सम्बन्ध दण्ड के बजाए सुधार से अधिक है जबकि अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दण्ड से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अनेक विद्वानों ने अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है।

बार्नस एवं **टीटर्स** लिखते हैं, "अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसको समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो तथा ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दण्डित करने और रोकथाम करने के लिए एक निश्चयात्मक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता हो।"

इलियट और **मैरिल** के अनुसार, "समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसके लिए समूह दण्ड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

मॉवरर के अनुसार, "अपराध को सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन (Violation of Social Norms) मानते हैं।"

काल्डवेल के अनुसार, "अपराध किसी निश्चित स्थान व समय पर संगठित समाज-सम्मत मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है।"

क्लिनार्ड के अनुसार, "अपराध को सामाजिक नियमों (मानदण्डों) से विचलन (Deviation from Social Norms) मानते हैं।"

डॉ० हैकरवाल ने अपराध के सामाजिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, "सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उन मानव सम्बन्धों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार करता है।"

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में अपराध को समाज-विरोधी व्यवहार के रूप में व्यक्त किया गया है।

किसी व्यवहार को सामाजिक दृष्टि से अपराध ठहराने के लिए **सदरलैण्ड** तीन बातों को आवश्यक मानते हैं—(i) एक मूल्य (value) जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्त्वपूर्ण माना जाता हो, (ii) इस समूह में एक-दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक या कम विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो, (iii) एक सुस्पष्ट या उचित दण्ड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्यों का अनादर करने वालों पर लागू करें।

टाफ्ट ने सामाजिक दृष्टि से अपराध में दो बातों को सम्मिलित किया है—

1. सामाजिक दृष्टि से वे कार्य अपराध हैं जिन्हें करने की समाज द्वारा मनाही है। ऐसे कार्य समाज द्वारा पाप, अनैतिक, दुराचार एवं परम्पराओं को तोड़ने वाले समझे जाते हैं। समाज द्वारा निषिद्ध कार्यों को करने वाले को समाज अनौपचारिक रूप से दण्ड देता है; जैसे—उसका अपमान करना, मजाक उड़ाना, सामाजिक बहिष्कार करना, आदि। यही नहीं, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। अपराध की गम्भीरता का मूल्यांकन अपराधी क्रिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है।
2. सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति के भूतकाल के कार्यों की अपेक्षा भविष्य के कार्यों से अधिक सम्बन्धित है, कानून व्यक्ति को उसकी भूतकाल की अपराधी क्रियाओं के लिए अधिक दण्ड देता है—उसमें बदले की भावना दिखायी देती है, जबकि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो भविष्य में समाज के लिए हानिप्रद हो सकती है। **टाफ्ट** के ही शब्दों में, "सामाजिक दृष्टिकोण से दण्ड का उद्देश्य हिसाब को बराबर करना नहीं है और न ही अपराधी से बदला लेना है, अपितु इस सम्बन्ध में निश्चित होना है कि वह अपने अपराधों को दोहरायेगा नहीं। दण्ड को तभी व्यवहार में लाया जाएगा जबकि पुनरावृत्ति को रोकने का वही एकमात्र रास्ता हो या जब यह आशा हो कि दण्ड दूसरे को अपराध करने से रोकेगा।"

सामाजिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध के निम्नांकित पक्ष हैं—

1. अपराध मानवीय सम्बन्धों में बाधा पैदा करता है।
2. अपराध का निर्धारण प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर होता है। वे कार्य जो सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों को तोड़ते हैं अपराध समझे जाते हैं।
3. अपराध समाज व्यवस्था एवं एकता के लिए खतरनाक समझा जाता है।
4. वह कार्य अपराध है जिसके प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया हो, समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट किया जाता हो।
5. अपराध के लिए समाज द्वारा दण्ड की व्यवस्था की जाती है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार दोहराए नहीं जाएँ।

स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति-रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। नियमों के पालन से समाज सुचारु रूप से चलता है और स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है एवं उसके हितों की पूर्ति होती है। समाज में विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति होते हैं। अत:

TOUCH 'n PASS

व्यक्तिगत स्वार्थ-पूर्ति एवं रुचियों की भिन्नता के कारण जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अपराध पनपता है। समाज ऐसे व्यक्तियों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है, यद्यपि प्रत्येक असामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सन्तान द्वारा माता-पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन या ऊँची जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर बीड़ी-सिगरेट पीना उतना गम्भीर अपराध नहीं कहा जा सकता जितना कि अपनी जाति के बाहर विवाह करना। अत: कुछ प्रकार के सामाजिक व्यवहार तो समाज सहन कर लेता है, कुछ के लिए हल्की निन्दा या आलोचना करता है किन्तु कुछ के लिए जुर्माना और कठोर दण्ड की व्यवस्था भी करता है।

अपराध : एक कानूनी अवधारणा
(Crime : A Legal Concept)

कानूनी दृष्टि से अपराध की व्याख्या अपेक्षाकृत देर से विकसित हुई। इस व्याख्या के अनुसार, वे सारे कार्य जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराधी संहिता (Criminal Code) या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हों, अपराध कहलाएँगे। अपराध की कानूनी व्याख्या अपराध के परिणाम और दण्ड पर अधिक जोर देती है। वर्तमान समय के समाजों में अपराध की वैधानिक व्याख्या ही स्वीकार की जाती है। यही नहीं, बल्कि अपराधशास्त्र में शोध कार्य के लिए वैधानिक परिभाषा ही स्वीकार की गयी है। कानूनी दृष्टि से अपराध की परिभाषा इस प्रकार है—

टैफ्ट के अनुसार, "वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दण्डनीय है।"

सेठना ने लिखा है, "अपराध वह कार्य या त्रुटि है, जिसके लिए कानून दण्ड देता है।"

मॉवरर का कहना है, "अपराध वह कार्य है जिससे कानून का उल्लंघन होता है।"

वीवर के अनुसार, "अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषिद्ध व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है।"

लैंडिस एण्ड **लैंडिस** के अनुसार, "अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए दण्ड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है।"

हैकरवाल के अनुसार, "कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है।"

गिलिन और **गिलिन** का मत है, "कानून के दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है।"

टैपन के अनुसार, "अपराध अपराधी कानून के उल्लंघन का इरादतन कार्य है जो बिना औचित्य अथवा प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है।"

ब्लैकस्टोन के अनुसार, "किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन से सम्बन्धित व्यवहार ही अपराध है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल वे ही कार्य या व्यवहार अपराध माने जाएँगे जो किसी देश के प्रचलित कानूनों के विपरीत हों। कानून का निर्माण सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। कानूनी दृष्टि से अपराध ऐसा कार्य है जिससे सम्पूर्ण समाज या समुदाय को हानि होती है न कि व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति को हानि पहुँचाना 'टॉर्ट' कहलाता है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को दण्डित करे जिसने कानून का उल्लंघन कर समाज को हानि पहुँचायी है। देश की न्याय-व्यवस्था ही यह तय करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। कानून का उल्लंघन करने पर भी यदि न्यायालय किसी को निर्दोष घोषित करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराध निर्धारण करते समय न्यायालय अपराध के उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है और दण्ड निर्धारण में भी यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। अपराध की कानूनी अवधारणा का सम्बन्ध प्रमुख छ: बातों से है—

1. अपराध किसी भी समाज में एक समय विशेष में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है। अपराध में समय एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। एक समय में जो कार्य अपराध कहलाता है, वहीं दूसरे समय में अपराध नहीं भी हो सकता है। शराबबन्दी लागू होने से पूर्व शराब पीना अपराध नहीं था किन्तु जिन राज्यों में नशाबन्दी हो गयी है, वहाँ अब शराब पीना अपराध है।
2. अपराध का निर्धारण न्यायालय करता है। किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है तो न्यायालय ही यह देखता है कि व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है या नहीं। न्यायालय अपराध निर्धारण करने के लिए प्रमाणों को देखता है तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों की सुनवाई करता है।

TOUCH 'n' PASS

3. अपराध में अपराधी इरादा होना आवश्यक है। अपराध ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति सामान्यत: जान-बूझकर समाज को हानि पहुँचाने के इरादे से करता है। अनजाने में अथवा भूल से किया गया कार्य उतना गम्भीर अपराध नहीं माना जाता जितना कि पूर्व इरादे से किया गया कार्य।
4. अपराध करने का विचार ही अपराध नहीं है वरन् इसमें व्यक्ति द्वारा कानून-विरोधी व्यवहार प्रकट करनी भी आवश्यक है क्योंकि प्रकट क्रिया को ही कानूनी या गैर-कानूनी ठहराया जा सकता है।
5. अपराध का सम्बन्ध दण्ड से भी है। अपराधी के लिए राज्य दण्ड की व्यवस्था करता है। जिस कार्य के लिए दण्ड नहीं दिया जाता, उसे राज्य कानून विरोधी या समाज के लिए हानिप्रद नहीं मानता।
6. अपराध का सम्बन्ध सामूहिक हित एवं कल्याण से भी है। जो कार्य समूह कल्याण को ठेस पहुँचाते हैं, राज्य उन्हें कानूनन अपराध घोषित करता है।

हेल्सबरी, सेठना एवं अन्य अपराधशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं में उपर्युक्त तथ्यों को सम्मिलित किया है। **हेल्सबरी** लिखते हैं, "अपराध एक अवैधानिक त्रुटि है जो जनता के विरुद्ध है और जिसके लिए अभियुक्त को कानूनी दण्ड दिया जाता है।" **सेठना** भी इन्हीं पक्षों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, "अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दण्डनीय है, इनका सम्बन्ध चाहे पाप से हो अथवा नहीं।"

यहाँ हमने अपराध की सामाजिक और कानूनी अवधारणा का उल्लेख किया है। कई बार सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से किसी एक ही कार्य को अपराध माना जाता है। किन्तु कई बार इन दृष्टिकोणों में टकराव पाया जाता है। मृत्युभोज सामाजिक दृष्टि से अपराध नहीं है किन्तु कानूनन अपराध है।

प्र.3. अपराधों की रोकथाम हेतु कुछ सुझाव दीजिए।
Give some suggestions for crime prevention.

उत्तर

अपराधों की रोकथाम हेतु कुछ सुझाव
(Some Suggestions for Crime Prevention)

अपराध निरोध के लिए दण्ड, जेल, परिवीक्षा एवं पैरोल तथा उत्तर-संरक्षण सेवाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव निम्न प्रकार से दिए जा सकते हैं—

1. **पूर्व-बाल अपराधियों की खोज**—एक अंग्रेजी कहावत है 'बुराई को जन्मते ही कुचल दो' (Nip the evil in the bud)। हमें भी ऐसे बच्चों को खोजना होगा जिनके आगे चलकर अपराधी बनने की सम्भावना है। उनको पहले ही ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँ कि वे आगे चलकर अपराधी नहीं बनें। ऐसे बच्चे आवारागर्दी करने वाले भगोड़े प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें हम गन्दी बस्तियों में ढूँढ सकते हैं। कहा जाता है, 'इलाज से बीमारी की रोकथाम अच्छी है' (Prevention is better than cure)। इसलिए पूर्व-बाल अपराधियों को सुधार कर ही हम अपराध को रोक सकते हैं।
2. **मार्ग-दर्शन**—अपराधियों को जेल में इस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान किया जाए कि वे जेल से छूटने के बाद अपराध नहीं करें। अपराधियों पर अनुसन्धान किए जाने चाहिए और अपराध के सही कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगा कर उन्हें पूरा करने के कार्यक्रम बनाए जाएँ। परिवार एवं स्कूल से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखे जाएँ तथा अभिभावकों को उनके दायित्वों का ज्ञान कराया जाए।
3. **समितियों का निर्माण**—ऐसी सामुदायिक एवं पड़ोस समितियों का निर्माण किया जाए जो समुदाय की उन परिस्थितियों का पता लगाएँ जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।
4. **परिवार का पुनर्गठन**—अपराधी व्यक्ति विघटित एवं टूटे परिवारों से आते हैं। अत: ऐसे उपाय अपनाए जाएँ जिससे परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग एवं नियन्त्रण में वृद्धि हो तथा पारिवारिक तनाव, संघर्ष एवं विघटन की समाप्ति हो।
5. **स्वस्थ मनोरंजन**—वर्तमान युग का अस्वस्थ एवं व्यापारिक मनोरंजन भी अपराध को जन्म देता है। भद्दे, भौंड़े तथा नग्न व अर्द्ध-नग्न चित्र, अपराध से परिपूर्ण फिल्में, जासूसी उपन्यास एवं सस्ता साहित्य, नाच घर, नाइट क्लब, कैबरे आदि सभी व्यक्ति के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। इन सभी पर कठोर कानूनी पाबन्दी लगाई जानी चाहिए।

TOUCH 'n PASS

6. **स्वस्थ निवास**—गन्दी बस्तियाँ एवं भीड़-भाड़ युक्त मकान भी अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। अत: सरकार को पर्याप्त मात्रा में नियोजित बस्तियों का निर्माण करना चाहिए तथा मकान बनाने के लिए ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
7. स्कूलों के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षण-संस्थाओं में ही मानवता ढलती है एवं व्यक्ति में नैतिकता की भावनाएँ पनपती हैं। यहीं व्यक्ति के चरित्र का गठन होता है।
8. **जेल की दशाएँ सुधारी जाएँ**—उनमें चिकित्सा सेवा, स्वस्थ वातावरण एवं निवास की उचित व्यवस्था की जाए तथा अपराधियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए।
9. अपराधियों को सुधारने के लिए मन:चिकित्सकों एवं समाजशास्त्रियों की सहायता ली जाए ताकि वे भविष्य में अपराधों की पुनरावृत्ति न करें।
10. दण्ड का निर्धारण अपराध की परिस्थितियों को देखकर किया जाए।
11. भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए अलग-अलग प्रकार के बन्दी गृह हों; जैसे—प्रथम अपराधी को आदतन अपराधी के साथ रखने से उसके बिगड़ने के अधिक अवसर रहते हैं।
12. जनमत में परिवर्तन कर ऐसी प्रवृत्तियों का बहिष्कार किया जाए जो समाज-विरोधी कार्यों को जन्म देती हों।
13. अपराधियों को ऋण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी जाएँ ताकि वे अपना व्यवसाय चला सकें और अपराधी कार्यों से मुक्ति पा सकें।
14. जेल में अपराधियों को काम दिया जाए एवं उससे प्राप्त धन में से आधा भाग उनके परिवार वालों को दिया जाए ताकि उनके आश्रितों का भरण-पोषण होता रहे।
15. न्याय न केवल सस्ता हो बल्कि साथ ही उसे शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
16. अपराधी जनजातियों के सुधार के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न किए जाएँ।
17. समाज में व्याप्त बेकारी एवं गरीबी की समस्या का शीघ्र उन्मूलन किया जाए क्योंकि निर्धनता ही प्रमुखत: अपराधों की जड़ है।

प्र.4. भारत में बाल-अपराध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

Throw light on characteristics of Juvenile Delinquency in India.

उत्तर

भारत में बाल-अपराध
(Juvenile Delinquency in India)

भारत में बाल-अपराध सम्बन्धी आँकड़ों में अनेक कमियाँ हैं। कई बार बाल-अपराधियों के अपराध पुलिस में दर्ज नहीं कराए जाते। समाज के समृद्ध एवं धनी लोगों के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों का भी साधारणत: उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें आवश्यक संरक्षण प्राप्त है, जबकि गरीबों के बच्चों को छोटे-छोटे अपराधों के लिए दण्डित किया जाता है। बाल-अपराधों के अनुपयुक्त आँकड़ों के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में अरुचि, उनका अनुपयुक्त प्रशिक्षण, अक्षमता एवं जनता द्वारा सहयोग का अभाव भी उत्तरदायी है। अत: जितने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, बाल-अपराध की संख्या साधारणत: उनसे कई गुना अधिक होती है। प्रतिवर्ष भारत में करीब 80 से 90 हजार तक बाल-अपराधियों को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, जो कि बाल-अपराधियों की वास्तविक संख्या से काफी कम है। भारत में बाल-अपराध की निम्नांकित विशेषताएँ हैं—

1. भारत में जितने बाल-अपराध प्रतिवर्ष किए जाते हैं इनमें से मुश्किल से 2 प्रतिशत ही पुलिस एवं न्यायालय के ध्यान में आते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 16,500 बच्चे प्रतिवर्ष विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत पकड़े जाते हैं।
2. भारत में प्रतिवर्ष 50 हजार बाल-अपराध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के अन्तर्गत और 85 हजार स्थानीय और विशिष्ट कानूनों के अन्तर्गत किए जाते हैं।
3. गाँवों की तुलना में बाल-अपराध शहरों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में भी बड़े-बड़े शहर; जैसे—दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, चण्डीगढ़, कानपुर आदि में बाल-अपराध अधिक होते हैं। भारत के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 23 नगरों में 1994 में 1,362 बाल-अपराध दर्ज किए गए। शहरों में बाल-अपराध अधिक होने के कई कारण हैं; जैसे—वहाँ जब माता एवं पिता दोनों ही काम पर चले जाते हैं तो घर में बच्चों पर नियन्त्रण रखने वाला कोई नहीं होता, वे

TOUCH 'n' PASS

आवारागर्दी करने लगते हैं। शहरों में बच्चों से वेश्यावृत्ति में सहायता पहुँचाने, भीख माँगने आदि का कार्य भी करवाया जाता है। शहर का भीड़-भाड़ युक्त वातावरण, गन्दी बस्तियाँ, अश्लील एवं अपराधी चलचित्र, अति सम्पन्नता के प्रति आक्रोश, बेकारी एवं नितान्त गरीबी आदि बाल-अपराध को प्रोत्साहित करते हैं।

4. लड़कों में लड़कियों की तुलना में बाल-अपराध अधिक पाए जाते हैं। इस अन्तर का कारण यह है कि भारतीय समाज में लड़कियों पर परिवार का नियन्त्रण अधिक होता है। लड़कों में शारीरिक शक्ति की अधिकता, मुक्त वातावरण में रहने तथा बाह्य जीवन में भाग लेने के कारण अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। नवीन आँकड़े यह बताते हैं कि बाल-अपराध की प्रवृत्ति पिछले 10 वर्षों में लड़कों की तुलना में लड़कियों में दुगुनी रही है। जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है उनमें चोरी, शराबवृत्ति एवं जुआ खेलने से सम्बन्धित अपराध अधिक हैं।
5. सर्वाधिक बाल-अपराध महाराष्ट्र में (27.9%) और उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब व राजस्थान में होते हैं। सबसे कम बाल-अपराध केरल में होते हैं।
6. भारत में अधिकतर बाल-अपराधों में आर्थिक प्रकृति के अपराध; जैसे—चोरी, सेंधमारी, झगड़े-फसाद, हत्या एवं राहजनी आदि होते हैं। 1995 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों (9,766) में से सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे—चोरी 29.0%, सेंधमारी 13.2%, लूटमार 0.8% और डकैती 0.6%। इसका कारण यहाँ की गरीबी और परिवार की छिन्न-भिन्न अवस्था, गन्दी बस्तियाँ, अकाल, बाढ़, बेकारी आदि हैं। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक किए जाते हैं जबकि लड़कियों द्वारा यौन सम्बन्धी अपराध। इनके अतिरिक्त अपहरण, धोखाधड़ी, जुआ, शराबवृत्ति, आबकारी एवं रेलवे नियमों से सम्बन्धित बाल-अपराध भी किए जाते हैं।
7. बाल-अपराधी व्यक्तिगत रूप से अपराध कम करते हैं। वे किसी अपराधी गिरोह के साथ मिलकर ही अपराध करते हैं। यह गिरोह उन्हें प्रशिक्षण देता एवं संरक्षण प्रदान करता है।
8. अधिकांश बाल-अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु में ही किए जाते हैं (लगभग 81%)। यह आयु स्कूल छोड़ने की है। इस समय पौरुष आता है और साहसी प्रवृत्ति पैदा होती है तथा बालक नियन्त्रण को तोड़कर मुक्त रहना चाहता है। इसीलिए इस आयु में अपराध अधिक किए जाते हैं। 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु समूह के 9% तथा 16 से 18 वर्ष की आयु समूह के 10% बाल-अपराधी पाए गए।
9. शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित बालकों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं। भारत में पकड़े जाने वाले बाल-अपराधियों में औसत रूप से 42% अशिक्षित, 52% प्राथमिक, माध्यमिक एवं सेकण्डरी तक शिक्षित होते हैं।
10. कुल बाल-अपराधियों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पाए गए।
11. भारत में लगभग 81% बाल-अपराधी पहली बार अपराध करने वाले होते हैं और केवल 10% ही बार-बार अपराध करने वाले। पिछले दशक में अपराध करने वालों में से 87% नए बाल-अपराधी थे।
12. भारत में अधिकांश बाल-अपराध मित्रों, आदि के द्वारा समूह बनाकर किए जाते हैं जिन्हें बड़े समूहों का नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर वे अकेले रहकर ही अपराध करना उचित मानते हैं।
13. लगभग 64% बाल-अपराधी अपराध के समय अपने माता-पिता के साथ ही रहते पाए गए तथा 23% अपने संरक्षकों के साथ रह रहे थे और 13% परिवार-विहीन थे। इन आँकड़ों से बाल-अपराध में परिवार का महत्त्व स्पष्ट होता है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 1995 में 18,793 बाल अपराधी थे। न्यायालय में भेजे गए इन सभी मामलों में से 26% को सलाह या चेतावनी देकर उनके घर भेज दिया गया, 6.1% को विशेष गृहों में भेजा गया। 17.7% को परिवीक्षा पर छोड़ा गया, 4.0% को अर्थ-दण्ड दिया गया तथा 9.4% को छोड़ दिया गया करीब 36.8% मामले विचाराधीन पड़े रहे।

प्र.5. श्वेतवसन अपराध से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

What do you understand by White Collar Crime? Mention its Characteristics.

उत्तर

श्वेतवसन अपराध की परिभाषा एवं अर्थ
(Definition and Meaning of White Collar Crime)

अमेरिकन अपराधशास्त्री सदरलैण्ड ने अपने अध्ययन में अपराधियों को प्रमुखतः दो भागों में बाँटा—एक, निम्नवर्गीय अपराधी जो गरीब एवं निम्न वर्ग के होते हैं और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते हैं। दूसरे, सफेदपोश अपराधी जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के होते हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन-सम्पन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते एवं दण्ड से बच जाते हैं।

श्वेतवसन अपराध की परिभाषा करते हुए **सदरलैण्ड** लिखते हैं, "श्वेतवसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक प्रस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है।" सदरलैण्ड की इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट हैं—(i) श्वेतवसन अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, (ii) ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं; जैसे—डॉक्टर भ्रूण हत्या करने में सहायता करें या प्राध्यापक पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न-पत्र बताने का कार्य करें तो वह श्वेतवसन अपराध कहलाएगा।

बार्न्स तथा **टीटर्स** ने श्वेतवसन अपराध को 'शंकास्पद आचार नीति वाले व्यापारिक सौदे' कहा है।

क्लीनार्ड श्वेतवसन अपराध की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, "कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यत: व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों, जैसे समूहों में उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में पाया जाता है।"

फ्रैंक हाटुंग के अनुसार, "श्वेतवसन अपराध व्यापार से सम्बन्धित कानून का वह उल्लंघन है जो एक कम्पनी, कारखाने, फर्म एवं उसके एजेण्टों द्वारा फर्म के लिए व्यापार चलाने हेतु किया जाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर श्वेतवसन अपराध की कुछ विशेषताएँ प्रकट होती हैं जिन्हें हम यहाँ स्पष्ट करेंगे—

श्वेतवसन अपराध की विशेषताएँ
(Characteristics of White Collar Crime)

सदरलैण्ड ने श्वेतवसन अपराध की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है—

1. श्वेतवसन अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. इस प्रकार का अपराध अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है।
3. इस प्रकार के अपराधी चूँकि सामर्थ्यवान होते हैं, अत: कानून तोड़ने पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती है और ये समाज में ऊँचा सिर करके चलते हैं।
4. इस प्रकार के अपराधी अपने ऊँचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों एवं कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानूनों के पारित होने का विरोध करते हैं जो उनके हितों के प्रतिकूल हों।
5. श्वेतवसन अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज-सेवा एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना सम्पर्क रखते हैं, उन्हें चन्दा देते हैं जिससे कि ये संस्थाएँ उनके गुणगान करें और उनके विरुद्ध प्रचार न करें।
6. श्वेतवसन अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे सम्पर्क रखते हैं, उन्हें भेंट देते रहते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें।
7. श्वेतवसन अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा उनके द्वारा पहुँचायी गयी हानि कई भागों में बँट जाती है।
8. जब कभी श्वेतवसन अपराधियों को न्यायालय में लाना आवश्यक हो जाता है तो इन्हें फौजदारी के स्थान पर दीवानी अदालतों में लाया जाता है जहाँ ये जुर्माना देकर छूट जाते हैं।
9. श्वेतवसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना होता है।
10. श्वेतवसन अपराध विघटित समाज में ही नहीं, वरन् सामान्य एवं विविध मूल्यों वाले समाजों एवं उप-समूहों में भी पाए जाते हैं।
11. श्वेतवसन अपराध विश्वासघात पर आधारित है। **सदरलैण्ड** कहते हैं कि श्वेतवसन अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अनपढ़, गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास का साहूकार नाजायज फायदा उठाते हैं।
12. श्वेतवसन अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित हैं। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों से सम्पर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं।
13. सामान्यत: जनता द्वारा श्वेतवसन अपराध को अपराध नहीं माना जाता क्योंकि ऐसे अपराधों के प्रति अपराधियों एवं जनता की मनोवृत्ति साधारण अपराधों से भिन्न होती है।

TOUCH 'n' PASS

14. इस प्रकार के अपराध मुख्यत: चिकित्सकों, कानूनवेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों एवं उद्योगपतियों आदि के द्वारा किए जाते हैं।
15. श्वेतवसन अपराध परोक्ष रूप से बुद्धिमानीपूर्वक किए जाते हैं, अत: इनका पता लगाना कठिन होता है।

प्र.6. श्वेतवसन अपराध के कारकों का उल्लेख कीजिए।

Mention the factors underlying White Collar Crime.

उत्तर

श्वेतवसन अपराध के कारक
(Factors Underlying White Collar Crime)

श्वेतवसन अपराध के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। **सदरलैण्ड** की मान्यता है कि लोगों की कानून के प्रति अनभिज्ञता, लापरवाही एवं अपराधियों के प्रति कानूनी कार्यवाही का अभाव तथा लोगों का सरल स्वभाव, आदि श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देते हैं। इनके अतिरिक्त कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ भी सामूहिक रूप से इस प्रकार के अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं। श्वेतवसन अपराध के कुछ महत्त्वपूर्ण कारक निम्न प्रकार हैं—

1. **लापरवाही** (Carelessness)—कई लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वे बिना दस्तावेजों को पढ़े ही हस्ताक्षर कर देते हैं। उन्हें इकरारनामे की सामान्य बातें समझा दी जाती हैं और मूल बातें रह जाती हैं जो उनके लिए बाद में हानिप्रद सिद्ध होती हैं।
2. **कानून के प्रति अनभिज्ञता** (Ignorance towards Law)—वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के कानूनों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि अनपढ़ एवं साधारण व्यक्ति तो क्या शिक्षित लोग भी कई कानूनों को नहीं जानते। इनका लाभ श्वेतवसन अपराधियों को मिलता है। उदाहरण के लिए, खानों या कारखानों में चोट लग जाने पर हर्जाना सम्बन्धी बने कानूनों का ज्ञान श्रमिकों को नहीं होने से इसका लाभ उद्योगपतियों को मिलता है। चन्दा एकत्रित करने, बोगस कम्पनियाँ खोल कर शेयर वितरित करने तथा झूठा दिवाला घोषित करने आदि से सम्बन्धित कानूनों का लोगों को साधारणत: ज्ञान नहीं होता है जिसका उच्च वर्ग के अपराधी नाजायज लाभ उठाते हैं।
3. **आकर्षक विज्ञापन** (Attractive Advertisement)—आजकल लोग अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इतने आकर्षक ढंग से करते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनके जाल में फँस जाते हैं और वे ठग लिए जाते हैं।
4. **कानूनों की अपर्याप्तता** (Insufficient Law)—कानूनों की अस्पष्टता, दोहरे अर्थ एवं कमियाँ भी श्वेतवसन अपराधियों को दण्ड से बचा लेते हैं। कानून की अपर्याप्तता एवं अस्पष्टता के कारण ही करों में चोरी, रिश्वत एवं अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। श्वेतवसनधारी न्यायाधीश एवं वकीलों को बड़ी धनराशि देकर कानून एवं न्याय का पलड़ा अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें अपराध करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है।
5. **क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की निष्क्रियता** (Inactiveness of Victims)—जो व्यक्ति श्वेतवसन अपराध के कारण ठगे जाते हैं या क्षति उठाते हैं वे कानूनी झंझटों से बचने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते। अधिकांश लोग कानून की लम्बी प्रक्रिया, न्याय प्राप्त होने में देरी एवं धन खर्च करने में असमर्थ होने के कारण भी कानूनी उलझन में नहीं उलझना चाहते। इसका लाभ भी श्वेतवसन अपराधी उठाते हैं और वे अपराध करने में नहीं हिचकिचाते।
6. **व्यापार की जटिलता** (Complexity of Trade)—औद्योगीकरण एवं विशेषीकरण के कारण व्यापार एवं वाणिज्य की प्रकृति इतनी जटिल हो गयी है कि उसे विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। अत: श्वेतवसन व्यापारियों एवं अपराधियों द्वारा लोगों को सरलतापूर्वक ठग लिया जाता है।
7. **पूँजीवादी वर्ग संरचना** (Captalist Class Structure)—सदरलैण्ड ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिस समाज में लोगों में वर्ग चेतना एवं सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूकता पायी जाती है, वहाँ लोग अधिकाधिक अपने व्यवसाय के द्वारा धनोपार्जन में लगे होते हैं ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें। पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपति एवं उद्योगपति श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं और अधिकाधिक धन कमाते हैं। वे वैध और अवैध तरीकों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उच्च वर्ग निम्नवर्ग को प्रतियोगिता में परास्त करना चाहता है। दोनों ही वर्ग आर्थिक प्रतिस्पर्धा में अनैतिक साधनों, झूठे विज्ञापनों, घूस, चोरबाजारी,

TOUCH 'n' PASS

जालसाजी आदि का सहारा लेते हैं। इस दौरान अनेक प्रकार के श्वेतवसन अपराध पनपते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में पायी जाने वाली वर्ग प्रतिस्पर्धा भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है।

8. **भौतिकवादी मनोवृत्तियाँ** (Materialistic Attitudes)—वर्तमान समय में लोगों में भौतिकवादी मनोवृत्ति बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति येन-केन प्रकारेण धन कमाकर अधिकाधिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन भी इस आधार पर किया जाता है कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है? आज अधिकतर व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य शारीरिक एवं ऐन्द्रिय सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना ही रह गया है जिन्हें जुटाने के लिए समाज-विरोधी एवं अपराधी विधियों का सहारा तक भी लिया जाता है।
9. **आर्थिक असमानता** (Economic Inequality)—औद्योगीकरण एवं मशीनीकरण ने समाज में आर्थिक विषमता पैदा की है। एक तरफ उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण रखने वाले पूँजीपति हैं तो दूसरी तरफ श्रम बेचकर जीवनयापन करने वाले गरीब श्रमिक और इन दोनों के बीच में है—मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग वाले दूसरे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा करने के लिए वे मनमाने एवं कानून विरोधी तरीके अपनाते हैं। लोग समाज के आर्थिक हितों को ध्यान में नहीं रखते और स्वार्थसिद्धि के लिए जालसाजी, झूठी विज्ञापनबाजी, फरेब, चोरबाजारी आदि के द्वारा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
10. **राजनीतिक कारक** (Political Factors)—राजनीतिक अस्थिरता भी श्वेतवसन अपराध को जन्म देती है। राजनीति आज एक पेशा बन गयी है। अनेक राजनेता, मन्त्रीगण एवं प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए तस्करों, चोरों, डाकुओं, स्मगलरों आदि को शरण देते हैं। उनका सम्बन्ध पूँजीपतियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोहों से होता है। पकड़े जाने पर राजनेता अपराधियों को छुड़ाने में मदद करते हैं और समय आने पर वे स्वयं भी अपराधियों का सहयोग लेते हैं। राजनीतिक उथल-पुथल के समय भी कानून व्यवस्था शिथिल हो जाती है। इसका लाभ सम्पन्न व्यक्ति उठाते हैं और गलत तरीकों द्वारा धनोपार्जन करते हैं।
11. **दोषपूर्ण कानूनी व्यवस्था** (Defective Legal System)—व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को नियन्त्रित करने वाले कानून इतने निष्क्रिय एवं दोषपूर्ण हैं कि वे अर्थव्यवस्था के संचालन एवं नियमन में सहयोग प्रदान नहीं करते। कई बार आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले अनेक अपराधों की तो जानकारी तक भी नहीं हो सकती। फिर दण्ड व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। दण्ड के अभाव ने भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा दिया है।
12. **सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य** (Socio-cultural Values)—श्वेतवसन अपराध का सम्बन्ध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों से भी है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और उसमें परिवर्तन नहीं चाहता। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के भय से परम्परागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, दहेज देना परम्परागत सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से अच्छा माना गया है, इसे जुटाने के लिए व्यक्ति गलत साधनों द्वारा धन कमाता है और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इसी प्रकार से भारत में धर्म का अधिक महत्त्व है। पूँजीपति लोग एक तरफ दान देकर एवं मन्दिर बनवाकर समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सामाजिक मूल्य ही ऐसे हैं कि उनसे श्वेतवसन अपराधियों को अपराध करने को बढ़ावा मिलता है।
13. **संगठित अपराध** (Organised Crime)—वर्तमान समय में अपराधी-कार्यों में लिप्त बड़े-बड़े संगठन पाए जाते हैं जिनमें कई राजनेता, व्यापारी, उच्चाधिकारी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति तक फँस जाते हैं। जब सभी उच्च अधिकारी घूस लेते हों तो ईमानदार व्यक्ति उनमें टिक नहीं सकता। जब भी किसी बेईमान व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो अपराधी लोग संगठित होकर उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार के कार्यों से श्वेतवसन अपराधियों को और अधिक अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है।
14. **प्राथमिक नियन्त्रण का अभाव** (Lack of Primary Control)—किसी भी प्रकार के अपराध को बढ़ावा देने में नियन्त्रण का अभाव प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में परिवार, पड़ोस, मित्रों, नातेदारों, जाति-सदस्यों एवं ग्राम समुदाय के लोगों का अपने सदस्यों पर अनौपचारिक नियन्त्रण शिथिल हुआ है, लोगों में स्वतन्त्रता एवं मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नैतिकता, ईमानदारी तथा सच्चरित्रता का ह्रास हुआ है, धर्म एवं ईश्वर में आस्था कम हुई है, परम्पराओं, प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों की पकड़ शिथिल हुई है। परिणामस्वरूप श्वेतवसन अपराधों में वृद्धि हुई है।

TOUCH 'n' PASS

15. **गोपनीयता** (Secrecy)—श्वेतवसन अपराधों में वृद्धि का एक कारण इस प्रकार के अपराधों का पता न लगा पाना है। ठगे जाने वाले लोगों के बारे में दूसरे लोगों को पता ही नहीं चलता है तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी हानि उठाने के बाद उस घटना को लोगों द्वारा मजाक उड़ाने के भय से किसी से नहीं कहता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वेतवसन अपराधियों को अपराध करते रहने हेतु प्रोत्साहन मिलता है।
16. **सामाजिक विघटन** (Social Disorganisation)—सामाजिक विघटन की स्थिति भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देती है। ऐसी स्थिति में पुराने मूल्य टूटने लगते हैं। प्रथाएँ, परम्पराएँ एवं रूढ़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं, सामाजिक नियन्त्रण शिथिल पड़ जाता है तथा सामाजिक संगठन छिन्न-भिन्न होने लगता है। विघटन से ग्रसित समाज में फरेब, गबन, चोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी आदि पनपने लगते हैं।

स्पष्ट है कि श्वेतवसन अपराध को जन्म देने के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किस सदी के अन्त में हुआ?
(a) 19वीं (b) 17वीं (c) 18वीं (d) 16वीं
उत्तर (c) 18वीं

प्र.2. शास्त्रीय सिद्धान्त को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
(a) इलियट ने (b) बैकारिया ने (c) क्लिनार्ड ने (d) सदरलैण्ड ने
उत्तर (b) बैकारिया ने

प्र.3. अपराधी को समाज से पृथक रखा जाता है—
(a) घर में (b) पार्क में (c) जेल में (d) विदेश में
उत्तर (c) जेल में

प्र.4. भारत में कितने प्रकार के अपराध माने गये हैं?
(a) दो (b) तीन (c) चार (d) पाँच
उत्तर (b) तीन

प्र.5. समाज के उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग से सम्बन्धित अपराध है—
(a) मनोवैज्ञानिक (b) राजनीतिक (c) श्वेतवसन (d) कोई नहीं
उत्तर (c) श्वेतवसन

प्र.6. बाल-अपराध की अधिकतम आयु होती है—
(a) 10 से 12 वर्ष (b) 18 से 20 वर्ष (c) 20 से 30 वर्ष (d) 25 से 35 वर्ष
उत्तर (b) 18 से 20 वर्ष

प्र.7. बाल-अपराध किया जाता है—
(a) युवाओं द्वारा (b) बालकों द्वारा (c) स्त्रियों द्वारा (d) कोई नहीं
उत्तर (b) बालकों द्वारा

प्र.8. बाल-अपराधी को दण्ड के स्थान पर भेजा जाता है—
(a) जेल में (b) अनाथालयों में (c) सुधारालयों में (d) विद्यालयों में
उत्तर (c) सुधारालयों में

प्र.9. 'कोहन' के अनुसार किस में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है?
(a) युवा अपराधी (b) बाल-अपराधी (c) नेता अपराधी (d) साइबर अपराधी
उत्तर (b) बाल-अपराधी

TOUCH 'n' PASS

प्र.10. अपराध का लक्षण नहीं है—
(a) हँसना (b) दण्ड
(c) हानि (d) कानून के द्वारा निषेध
उत्तर (a) हँसना

प्र.11. अपराध का ताप सम्बन्धी सिद्धान्त किसने दिया?
(a) डेक्स्टर ने (b) क्वेटलेट और ग्वेरी ने
(c) मॉण्टेस्क्यू ने (d) लैकेसन ने
उत्तर (b) क्वेटलेट और ग्वेरी ने

प्र.12. रिश्वत किसका स्वरूप है?
(a) बाल अपराध का (b) श्वेतवसन का (c) राजनीति का (d) कोई नहीं
उत्तर (b) श्वेतवसन का

प्र.13. अपराध का कारक नहीं है—
(a) आयु (b) बीमारी (c) पैतृकता (d) व्यायाम
उत्तर (d) व्यायाम

प्र.14. ''अपराध को सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन मानते है''—
(a) मॉवरर (b) काल्डवेल (c) क्लिनार्ड (d) इलियट
उत्तर (a) मॉवरर

प्र.15. कानून के दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है, किसने कहा—
(a) टैपन ने (b) हैकरवाल ने (c) वीवर ने (d) सेठना ने
उत्तर (b) हैकरवाल ने

प्र.16. 'अपराधशास्त्र के सिद्धान्त' पुस्तक के लेखक हैं—
(a) सदरलैण्ड (b) मॉवरर (c) वीवर (d) हैकरवाल
उत्तर (a) सदरलैण्ड

प्र.17. श्वेतवसन अपराध का कारक नहीं है—
(a) लापरवाही (b) आर्थिक असमानता (c) व्यापार की जटिलता (d) कानून के प्रति ज्ञान
उत्तर (d) कानून के प्रति ज्ञान

प्र.18. अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त करना कहलाता है—
(a) परीक्षा (b) समीक्षा (c) परिवीक्षा (d) परिवर्तन
उत्तर (c) परिवीक्षा

प्र.19. अपराधी के कारागार या सुधारालय से उसकी समयावधि से पूर्व मुक्ति को कहते हैं—
(a) परिवीक्षा (b) पैरोल (c) रिहाई (d) स्वतन्त्रता
उत्तर (b) पैरोल

प्र.20. किसके अनुसार, बालक द्वारा एक सामान्य परीक्षा से भी अधिक गम्भीर अपराध करना ही बाल अपराध है?
(a) प्रो० शेल्डन (b) सिरिल बर्ट (c) सेठना (d) न्यूमेयर
उत्तर (a) प्रो० शेल्डन

प्र.21. बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(a) नई दिल्ली (b) मुम्बई (c) बंगलुरु (d) उत्तराखण्ड
उत्तर (a) नई दिल्ली

TOUCH 'n' PASS

प्र.22. आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था?
(a) सरदार स्वर्ण सिंह समिति (b) जस्टिस वर्मा कमेटी
(c) जस्टिस हिदायतुल्ला कमेटी (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) जस्टिस वर्मा कमेटी

प्र.23. किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम-2000 को प्रतिस्थापित किया?
(a) किशोर न्याय विधेयक, 2015 (b) किशोर न्याय विधेयक, 2018
(c) किशोर न्याय विधेयक, 2005 (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) किशोर न्याय विधेयक, 2015

प्र.24. शास्त्रीय सिद्धान्त के समर्थक नहीं थे—
(a) बेन्थम (b) फ्यूअरबेक (c) एच०जे० लास्की (d) बैकारिया
उत्तर (c) एच०जे० लास्की

प्र.25. अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख का सिद्धान्त प्रस्तुत किया—
(a) बैकारिया ने (b) फ्यूअरबेक ने (c) सदरलैण्ड ने (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) बैकारिया ने

प्र.26. अपराधी के कारागार से समयावधि से पूर्व मुक्ति को कहते हैं—
(a) जेल (b) परिवीक्षा (c) पैरोल (d) अशान्ति पैदा करना
उत्तर (c) पैरोल

प्र.27. जघन्य अपराध है—
(a) मारपीट (b) धोखा (c) बलात्कार (d) मान-हानि
उत्तर (c) बलात्कार

प्र.28. किस अपराधी के प्रति समाज में तिरस्कार की भावना नहीं पायी जाती है?
(a) बाल अपराधी (b) श्वेतवसन अपराधी (c) युवा अपराधी (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) श्वेतवसन अपराधी

प्र.29. अन्तर्जातीय विवाह किस दृष्टिकोण से अपराध नहीं है?
(a) सामाजिक (b) धार्मिक (c) कानूनी (d) पारिवारिक
उत्तर (c) कानूनी

प्र.30. जान-बूझकर इरादतन किया हुआ कानून-विरोधी कार्य है—
(a) सदाचार (b) अपराध (c) धर्म (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) अपराध

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-II

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार
Corruption in Public Life

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भ्रष्टाचार की कोई पाँच विशेषताएँ बताइए।
State any five characteristics of corruption.

उत्तर भ्रष्टाचार की पाँच विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. भ्रष्टाचार में स्वार्थपूर्ति के लिए लघु मार्ग (short cut) अपनाया जाता है।
2. इसमें नकद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है।
3. इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात व योग्य के प्रति अन्याय होता है। इससे अन्ततः समाज को हानि होती है।
4. यह लेन-देन के सिद्धान्त पर आधारित है।
5. भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी है।

प्र.2. मादक द्रव्य व्यसन की कोई चार विशेषताएँ लिखिए।
Write any four characteristics of drug.

उत्तर मादक द्रव्य व्यसन की चार विशेषताएँ हैं—

1. इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती है जिसे वह हर सम्भव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।
2. इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।
3. मादक पदार्थों के प्रभावों पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है।
4. इसका व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

प्र.3. चरस के उपयोग से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by uses of Charas?

उत्तर चरस का उपयोग भी भारत में जनसाधारण द्वारा होता रहा है। चरस का पेड़ मध्य एशिया में पाया जाता है। इसके पत्तों और फूलों का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में चरस का प्रयोग बहुत होता था। भारत में चरस सिक्यांग व यार्कलैण्ड से आयात होता था, किन्तु अब इसके प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिए जाने से चरस पीने वाले लोग गांजा पीने लगे हैं।

प्र.4. कोकीन से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Cocaine?

उत्तर कोकीन का प्रयोग उच्च वर्ग के लोगों, जमींदारों, मुस्लिम नवाबों एवं बादशाहों द्वारा किया जाता रहा है। कोकीन, कोकी नामक पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसका आयात 1890 से हुआ। इसका प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारत में ही रहा है। दाँत के दर्द व अन्य रोगों के लिए भी कोकीन का प्रयोग दवा के रूप में होता रहा है।

TOUCH n' PASS

प्र.5. नशीली दवाओं के सेवन के दो प्रमुख कारणों को लिखिए।
Write two main causes of drug abuse.

उत्तर नशीली दवाओं के सेवन के दो प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं—

1. **मनोवैज्ञानिक कारण**—तनाव से मुक्ति, उदासी को दूर करने, जिज्ञासा को शान्त करने, ऊब से मुक्ति पाने, ऊँची-ऊँची उड़ाने भरने, साहस जुटाने एवं अनुभव को गहन करने के लिए मादक दवाओं का प्रयोग किया जाता है।
2. **मानसिक विकार**—ऐसा माना जाता है कि मादक दवाओं का प्रयोग करने वाले अधिकांश व्यक्ति अशान्त एवं अस्थिर चित्त वाले होते हैं। लोग चिन्ता से मुक्ति पाने एवं व्यक्तित्व की कमियों को छुपाने के लिए मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। एक बार आदत पड़ने पर उसे छुड़ाना कठिन होता है। व्यक्तिगत एवं मानसिक कमी वाले व्यक्ति को साइकोन्यूरोटिक कहते हैं।
3. **उपचार**—कई लोग मादक वस्तुओं का प्रयोग शारीरिक तथा मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए करते हैं, किन्तु लम्बे समय तक इनके प्रयोग के कारण रोग-मुक्त होने पर भी वे इन्हें छोड़ नहीं पाते।

प्र.6. आत्महत्या को परिभाषित कीजिए।
Define suicide.

उत्तर फ्रायड आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। मानव के व्यवहार में प्रेम एवं घृणा दोनों होते हैं, किन्तु जब घृणा की भावना प्रबल होती है तो वह आत्महत्या कर बैठता है। मैनिन्जर का मत है कि व्यक्ति में हत्या एवं मारे जाने की भावना होती है। दूसरों की हत्या के बजाए जब वह स्वयं को ही मारने की सोचता है तो वह आत्महत्या कर लेता है।

प्र.7. आत्महत्या को रोकने के उपाय बताइए।
Suggest ways to prevent suicide.

उत्तर आत्महत्या को रोकने के उपाय निम्न प्रकार हैं—

1. समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर किया जाए तथा व्यक्ति को निर्धनता एवं बेकारी से छुटकारा दिलाया जाए।
2. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का मानसिक विश्लेषण कर उसकी मानसिक चिकित्सा की जाए।
3. उन वैयक्तिक एवं पारिवारिक समस्याओं का निराकरण किया जाए जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं।
4. जो धार्मिक रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ आत्महत्या पर जोर देती हैं, उन्हें समाप्त किया जाए।
5. पर्यावरण सम्बन्धी दोषों को दूर किया जाए।

प्र.8. भ्रष्टाचार रोकने के कोई पाँच सुझाव दीजिए।
Give any five suggestions to prevent corruption.

उत्तर भ्रष्टाचार रोकने के पाँच सुझाव निम्न प्रकार हैं—

1. सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्वत्र एक-सी आचार-संहिता बनायी जाए।
2. संविधान की उन धाराओं को बदला जाए जो अनुशासन की कार्यवाही में बाधक हैं।
3. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजनाबद्ध रूप से सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाएँ।
4. भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सभी नियमों में उचित संशोधन किए जाएँ।
5. लाइसेंस और परमिट की स्वीकृति किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य होने पर ही दी जाए एवं दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
6. लालफीताशाही को समाप्त किया जाए।
7. नागरिकों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि किन अधिकारियों की शिकायतें किसके पास करनी चाहिए।

प्र.9. भारत में भ्रष्टाचार के कोई तीन कारण लिखिए।
Write any three reasons for corruption in India.

उत्तर भारत में भ्रष्टाचार के तीन कारण निम्न प्रकार हैं—

1. राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार
2. प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के दोष
3. सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र

TOUCH 'n PASS

प्र.10. साइबर अपराध से क्या आशय है?
What is meant by cyber crime?

उत्तर साइबर अपराध वह अपराध है, जिसमें कम्प्यूटर तथा उससे जुड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह अपराध इन्टरनेट के माध्यम से किया जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एवं व्यसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
Explain the meaning of drug abuse and addiction.

उत्तर

मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एवं व्यसन का अर्थ
(Meaning of Drug Abuse and Addiction)

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं व्यसन का अर्थ समझने से पूर्व मादक द्रव्य किसे कहते हैं, यह ज्ञात होना आवश्यक है। मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें 'संवेदन मंदक औषधि' (Narcotic Drugs) भी कहा जाता है। अंग्रेजी के 'ड्रग्स' शब्द का अर्थ 'औषधि' है जो चिकित्सक द्वारा रोगी को रोग निवारण हेतु दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'ड्रग्स' या औषधि एक ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल को प्रभावित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण (habit formation) पदार्थ के लिए 'ड्रग्स' या 'मादक द्रव्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मन:स्थिति, स्नायुमण्डल, शरीर के कार्य, अनुभवजन्यता व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जिसमें दुरुपयोग की क्षमता होती है। अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग, मादक पदार्थों का दुष्प्रयोग (drug abuse) कहलाता है जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है। इसके अन्तर्गत गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, धूम्रपान, एल०एस०डी० का सेवन, मार्फीन का इन्जेक्शन लेना, स्मैक एवं शराब पीना, आदि सम्मिलित हैं। इन्हें "बुलन्द द्रुतगति पर होना" (High on Speed), "आमोद यात्रा" (Trip) एवं "आनन्दोत्कम्प" (Getting Kicks) भी कहा जाता है।

मादक द्रव्य व्यसन शब्द का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता (Physical dependence)। शारीरिक निर्भरता से तात्पर्य है कि मादक पदार्थों के निरन्तर प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर को दर्द, बेचैनी और रुग्णता महसूस होती है। दूसरे शब्दों में, "मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती है। यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है तो शरीर संचालन में बाधा पैदा होती है। व्यसन में मनोवैज्ञानिक निर्भरता पाई जाती है जिसे 'आदी होना' (habituation) भी कहा जाता है।

इस प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ है शरीर का मादक पदार्थों के विषैले प्रभावों (Toxic effect) पर इतना आश्रित हो जाना कि उसके बिना वह नहीं रह पाता है।

प्र.2. मादक पदार्थों के प्रकार बताइए।
State the types of drugs.

उत्तर

मादक पदार्थों के प्रकार
(Types of Drugs)

मादक पदार्थों के प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार हैं—

1. **उत्तेजक मादक पदार्थ** (Stimulant Drugs)—कोकीन, एम्फीटामाइन, मैथेड्रीन-डेक्सीड्रीन और कैफीन आदि उत्तेजक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये निद्रा को दूर करते हैं, उदासी को भगाते हैं, स्नायुमण्डल को क्रियाशील करते हैं तथा शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये पदार्थ थकान को कम करते हैं और शरीर में स्फूर्ति लाते हैं।
2. **निश्चेतक मादक पदार्थ** (Narcotic Drugs)—अफीम, भांग, चरस, बारबिच्युरेट्स आदि निश्चेतक मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये सामान्यत: अफीम के ही अलग-अलग रूप हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को निद्रा-सी आती है, उदासी और चिन्ता दूर हो जाती है और व्यक्ति खुश नजर आता है।

TOUCH 'n' PASS

3. **अवसादक मादक पदार्थ** (Depressants)—इन पदार्थों के अन्तर्गत बारबिच्युरेट्स (नेम्बुटाल, सिकोनाल, सेनोरिल, सोडियम एमिटाल आदि) आते हैं। ये शान्तिदायक या पीड़ाशामक मादक पदार्थ कहलाते हैं। इनसे व्यक्ति का केन्द्रीय स्नायुमण्डल इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि वह अपने को अशक्त-सा अनुभव करता है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है।
4. **भ्रान्ति जनक या मायिक मादक पदार्थ** (Hallucinogens)—इन पदार्थों में एल०एस०डी० मुख्य है। यह एक ऐसा शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से व्यक्ति दिन में स्वप्न देखता है तथा वास्तविकता से दूर भागता है।

इन पदार्थों के अतिरिक्त शराब तथा निकोटीन भी मादक पदार्थों के अन्तर्गत आते हैं। इनका प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। शराब का प्रयोग लोग थकान को दूर करने और मन की उदासी को मिटाने के लिए करते हैं। कुछ लोग उत्साह, उमंग और उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करते हैं। शराब के सेवन से हृदय रोग की सम्भावना बढ़ जाती है।

प्र.3. मद्यपान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on alcoholism.

उत्तर

मद्यपान
(Alcoholism)

भारत में ही नहीं वरन् विश्व के सभी देशों में नशीली वस्तुओं पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और यह सभी सरकारों के लिए आय का प्रमुख साधन है। शराब का प्रयोग मानव संस्कृति से पिछले तीस हजार वर्षों से जुड़ा हुआ है। आर्य लोग सोमरस का पान करते थे। 8वीं और 9वीं सदी में नशीली वस्तुओं का निर्माण फैशन के रूप में किया जाता था। मुगल काल और उसके बाद 16वीं सदी तक धनाढ्य व्यक्ति शराब और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वर्तमान में शराब का प्रयोग सामाजिक एवं धार्मिक क्रीड़ात्मक उत्सव, त्योहारों, अतिथि-सत्कार, मित्र की विदाई, विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए शुभ कामना प्रकट करने के लिए, जहाज का नामकरण करने, सौदा तय होने, नये वर्ष को मनाने, सम्पत्ति मिलने, आदि अवसरों पर किया जाता है। डॉक्टर भी दवा के रूप में मद्यपान सुझाते रहे हैं। मद्यपान का उद्देश्य सिपाहियों में उत्साह एवं जोश भरना तथा राजाओं, भद्र पुरुषों तथा नर्तकों में प्रसन्नता एवं कार्यक्षमता पैदा करना और लम्बे समय की थकान को दूर करना रहा है। शराब कवियों, कलाकारों, चित्रकारों एवं लेखकों का भी मनपसन्द विषय रहा है।

एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में प्रतिदिन शराब का प्रयोग नियन्त्रित रूप से किया जाता है तो वह एक बुराई नहीं, किन्तु इसका अनियन्त्रित प्रयोग वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न करता है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भारत में भी शराब पीना एक फैशन हो गया है। अन्य बुराइयों की तरह शराब का जहर भी भारतीय समाज की रगों में घुलता जा रहा है। शराब-निर्माण में प्रयुक्त औद्योगिक स्प्रिट की बढ़ती खपत के कारण रबड़, प्लास्टिक एवं औषधि उद्योग पिछड़ गए हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन 80 लाख गैलन से भी अधिक शराब पी जाती है जिस पर लगभग ₹ 8 अरब प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। इस ओर कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएँ भी काफी संख्या में आकर्षित हैं।

भारत में 10 से 15 प्रतिशत व्यक्ति शराब का प्रयोग करते हैं। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो कभी-कभी और हल्की शराब पीते हैं।

प्र.4. मद्यपान निवारण के उपाय बताइए।
State the measures to get rid of alcoholism.

उत्तर

मद्यपान निवारण के उपाय
(Measures to Get Rid of Alcoholism)

शराबबन्दी को कारगर रूप से लागू करने के लिए दो प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं—(i) जो लोग नहीं पीते हैं उनमें पीने की प्रवृत्ति पैदा न हो, इस प्रकार के उपाय किए जाएँ। (ii) जो लोग शराब पी रहे हैं उन्हें छुड़वाया जाए।

शराबबन्दी के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—

1. शराबियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
2. शराबियों की आर्थिक दशा सुधारी जाए।
3. बेकारी की समस्या को हल किया जाए। प्रो० ब्रूनो ने अपने अध्ययन में बताया कि इंग्लैण्ड में पुनर्वास और रोजगार के अवसरों के बढ़ने से औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों में पीने की आदत कम हुई है।

TOUCH 'n PASS

4. स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए। शिक्षा द्वारा लोगों को शराब की बुराइयों से परिचित कराया जाए। सामान्य शिक्षा के लिए फिल्मों, पोस्टर एवं भाषणों आदि का उपयोग किया जाए। लोगों को शराब के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जाए।
5. लोगों को पर्याप्त मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाए।
6. जो अधिक मात्रा में पीते हैं उनकी आधुनिक, वैज्ञानिक और मानसिक चिकित्सा करके उन्हें रोका जाए।
7. कानून द्वारा पूर्ण नशाबन्दी कर दी जाए और उसका कठोरता से पालन किया जाए।
8. लोगों को निवास की उचित सुविधाएँ दी जाएँ। राष्ट्रीय आय का उपयुक्त वितरण किया जाए तथा व्यक्तियों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
9. लोगों को नैतिक आधार पर शराब न पीने और शराब छोड़ने को कहा जाए। धर्म गुरु, समाज सुधारक, शिक्षक और राजनेता इस ओर सफल प्रयास कर सकते हैं।
10. शराब की माँग पर रोक लगा दी जाए और ऐसी कठिनाइयाँ पैदा की जाएँ कि सरलता से शराब प्राप्त न की जा सके।
11. जिन होटलों एवं रेस्तरां में शराब दी जाती है, उन पर इस सम्बन्ध में नियन्त्रण लगाया जाए।
12. उच्च समझे जाने वाले लोगों में जहाँ शराब एक फैशन बन गयी है, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार किया जाए जिनमें शराब पिलायी जाती है।
13. नशा निषेध विभाग में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो स्वयं शराब नहीं पीते हों।
14. शराब पीने वालों को वाहन चलाने के लाइसेंस न दिए जाएँ।
15. शराब की बिक्री पर रोक लगायी जाए, शराब की दुकानें खोलने का समय घटाया जाए एवं शराब की ओर आकर्षित करने वाले विज्ञापनों, पोस्टरों आदि पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

प्र.5. आत्महत्या की परिभाषा एवं प्रकृति बताइए।
State the definition and nature of suicide.

उत्तर

आत्महत्या की परिभाषा एवं प्रकृति
(Definition and Nature of Suicide)

'आत्महत्या' जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त करना है। इसके लिए अनेक सामाजिक, मानसिक एवं अन्य परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की विभिन्न परिभाषाएँ इस प्रकार से हैं—

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, "आत्महत्या स्वेच्छापूर्वक और जान-बूझकर की जाने वाली आत्महनन की क्रिया है।"

रूथ कैवन के अनुसार, "आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया है।"

दुर्खीम के अनुसार, "आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है जिसके भावी परिणाम (मृत्यु) को वह जानता है।"

इलियट व मैरिल का मत है कि "आत्महत्या व्यक्ति के विघटन का दु:खद तथा अपरिवर्तनशील अन्तिम परिणाम है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोणों में होने वाले उन क्रमिक परिवर्तनों का अन्तिम स्तर है जिनमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति अगाध प्रेम के स्थान पर जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है।"

मॉवरर आत्महत्या को वैयक्तिक विघटन के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने की इच्छा रखता है। साथ ही वह दूसरों का ध्यान, सहानुभूति तथा उन पर नियन्त्रण भी प्राप्त करना चाहता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर आत्महत्या के निम्न पक्ष प्रकट होते हैं—

1. आत्महत्या में स्वयं व्यक्ति ही अपने आप को मारता है। वह इस कार्य में दूसरों की सहायता नहीं लेता।
2. आत्महत्या व्यक्ति द्वारा अपने आपको जान-बूझकर इरादतन रूप से मारने की क्रिया है। अनजाने में जहर खा लेने, पागलपन या भूल से दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाने को आत्महत्या नहीं कहेंगे।
3. आत्महत्या में व्यक्ति अपनी क्रियाओं के प्रति जागरूक होता है अर्थात् वह स्वयं यह जानता है कि वह क्या करने जा रहा है और उसके क्या परिणाम होंगे।

TOUCH 'n' PASS

4. आत्महत्या के लिए व्यक्ति स्वयं ही प्रयास करता है, वही उस विधि का चयन करता है जिसका वह आत्महत्या के लिए प्रयोग करेगा। कई बार व्यक्ति योजनाबद्ध रूप से आत्महत्या करता है।
5. आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का प्रतीक है।
6. आत्महत्या सामाजिक विघटन का भी प्रतीक है।
7. कभी-कभी आत्महत्या गैर-सामाजिक कारणों का भी परिणाम होती है।

स्पष्ट है कि आत्महत्या एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से इरादतन रूप से अपने आपको समाप्त करता है।

प्र.6. आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
Mention the types of suicide.

उत्तर

आत्महत्या के प्रकार
(Types of Suicide)

दुर्खीम ने तीन प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है—अहंवादी, परार्थवादी एवं अस्वाभाविक।

1. **अहंवादी आत्महत्या** (Egoistic Suicide)—जब व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक सम्बन्ध इतने ढीले होते हैं कि व्यक्ति अपने को समूह से उखड़ा हुआ महसूस करता है, समाज के सभी लोग इतने व्यस्त होते हैं कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, तब वह समझता है कि संसार में उसका कोई नहीं है, सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और कोई भी प्रेम एवं सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला नहीं है। इस स्थिति में वह ऊब जाता है, अपमान महसूस करता है, उसके अहम् को ठेस लगती है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आधुनिक युग में इसी प्रकार की आत्महत्याएँ अधिक होती हैं क्योंकि आज सामाजिक नियन्त्रण में शिथिलता एवं सामाजिक विघटन अधिक पाया है।
2. **परार्थवादी आत्महत्या** (Altruistic Suicide)—यह आत्महत्या अहंवादी के विपरीत है। इसमें व्यक्ति एवं समूह में घनिष्ठता एवं एकीकरण पाया जाता है। 'मैं' के स्थान पर 'हम' की भावना प्रबल होने व कठोर सामाजिक नियन्त्रण होने पर व्यक्ति समूह के लिए अपने प्राण त्याग देता है। ऐसी स्थिति में समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या आदिम समाज में अधिक पायी जाती है जहाँ गहन सामाजिक एकीकरण पाया जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति अपने कर्त्तव्य एवं नैतिकता से प्रेरित होता है। जौहर, सती प्रथा, सैनिक द्वारा देश हित में की जाने वाली आत्महत्या, आदि इसी श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार की आत्महत्या मनोवैज्ञानिक आधार पर ही नहीं, वरन् नैतिक आधार पर भी होती है। नैतिक आधार में व्यक्ति यह महसूस करता है कि समूह के कल्याण के लिए उसका बलिदान आवश्यक है। इससे उसकी तथा उसके समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक रूप में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ऐसा करने में अपूर्व आनन्द महसूस करता है, वह सोचता है कि समाज के प्रति उसने अपने दायित्व एवं कर्त्तव्य को श्रेष्ठ ढंग से निभाया है।
3. **अस्वाभाविक आत्महत्या** (Anomic Suicide)—इस प्रकार की आत्महत्या का कारण समाज में असन्तुलन पैदा होने पर व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन बिगड़ जाना है। उदाहरण के लिए, व्यापार में मन्दी आने, मुद्रा-स्फीति बढ़ने, लॉटरी खुलने, दिवालिया हो जाने अथवा भारी लाभ होने की स्थिति में व्यक्ति का सन्तुलित जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इन सभी अप्रत्याशित एवं आकस्मिक घटनाओं से अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है। अत्यधिक खुशी एवं आकस्मिक कष्ट से व्यक्ति तनाव एवं अशान्ति महसूस करता है और आत्महत्या कर बैठता है।

प्र.7. आतंकवाद क्या है?
What is terrorism?

उत्तर

आतंकवाद क्या है?
(What is Terrorism?)

कुछ वर्षों पहले आतंक उत्पन्न करना डाकुओं और लुटेरों की पहचान थी। यह वर्ग समाज द्वारा बहिष्कृत समझा जाता था, किन्तु वर्तमान सन्दर्भ में यह एक जीवन-दर्शन और मान्य आन्दोलन के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। ऐतिहासिक दृष्टि से आतंकवाद व्यापक असन्तोष, विद्रोह-भावना तथा अनुशासनहीनता की अभिव्यक्ति है। व्यावहारिक रूप में, वह राजनीतिक स्वार्थपरता की सिद्धि के लिए अमोघ अस्त्र बन गया है। राजनीतिक छल-कपट की मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत गहरे तक समाई हुई हैं तथा अर्थवादिता के पिशाच ने जल सिंचन द्वारा उसको पल्लवित किया है। हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट, आगजनी, रास्ता जाम,

TOUCH 'n PASS

आदि उसके विभिन्न रूप हैं। अपनी बात मनवाने के लिए अथवा मनमानी करने के लिए आतंकवाद हमारी जीवन पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। उसके मूल में राजनीति प्रेरित धर्मान्धता है, जो वोट की राजनीति द्वारा निर्मित है।
बृहद् हिन्दी कोश में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का अवलम्बन।"
एडवान्स लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करण्ट इंग्लिश में आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है।"
लॉगमैन मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, "शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय को एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है।"
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक विरोध प्रकट करने अथवा अपनी माँगों को मनवाने के लिए हिंसा एवं भय का प्रयोग करना ही आतंकवाद है।

प्र.8. भारत में भ्रष्टाचार का कोई एक प्रमुख क्षेत्र बताइए।
State any one major scope of corruption in India.

उत्तर

भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार (क्षेत्र)
(Types or Scope of Corruption in India)

भारत में भ्रष्टाचार के निम्न प्रकार हैं—

1. **राजनीतिक भ्रष्टाचार**—राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने एवं पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। चुनाव के लिए ये उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से चन्दा लेते हैं और बदले में उन्हें परमिट, राजनीतिक संरक्षण, वस्तुओं का संग्रह करने एवं मूल्य वृद्धि की छूट देते हैं। सरकारी कर्मचारियों के चयन, स्थानान्तरण, अपदस्थ करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठेके प्राप्त करने एवं सरकारी विभागों में अपने माल को ही बेचने के लिए राजनेताओं को भारी रकम रिश्वत के रूप में दी जाती है। दल-बदल एवं भाई-भतीजावाद भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं।
   कई सरकारी अधिकारी परमिट देने, ठेके देने, पदों पर चयन करने व स्थानान्तरण करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कई बार ईमानदार पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट लोग तरह-तरह से परेशान करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार पाया जाता है; जैसे—पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेना, जाली मतदान, पैसा एवं शराब का वितरण कर मत बटोरना, मतदान के समय मारपीट एवं पुलिस के सहयोग से लोगों को डराना-धमकाना आदि।
2. **व्यापार में भ्रष्टाचार**—इसके अन्तर्गत हम अनेक भ्रष्ट तरीके देख सकते हैं; जैसे—मिलावट करना, अनुचित लाभ कमाना, वस्तुओं का संग्रह करना, मूल्य-वृद्धि, चोरी-छिपे माल बेचना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना तथा कालाबाजारी करना, आय छिपाना, टैक्स की चोरी करना, झूठी एवं फर्जी फर्मों के नाम परमिट प्राप्त करना आदि। ये सारे कार्य व्यापारी लोग राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकीय अधिकारियों के सहयोग से ही कर पाते हैं। शेयर घोटाला इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

प्र.9. नक्सलवादी एवं उल्फा आतंकवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on Naxalism and ULFA terrorism.

उत्तर

नक्सलवादी आतंकवाद
(Naxalite Terrorism)

नक्सली आतंकवाद का जन्म सन् 1967 में पश्चिम बंगाल में हुआ। 1969 में चीन के उकसाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने इसे बढ़ावा दिया जिससे कि भारत कमजोर हो सके। नक्सलवादी नेता चारु मजूमदार ने चाइना के माओ को अपना नेता घोषित किया। पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी आन्दोलन फैलकर बिहार पहुँचा जिसका उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों के लिए लड़ना था। इस आन्दोलन में कई जमींदार, साहूकार एवं पुलिस अधिकारी मारे गए कई लूट व हिंसा की घटनाएँ हुईं, किन्तु इसमें अपराधियों के सम्मिलित होने से यह आन्दोलन वहाँ अधिक नहीं चल पाया। यह आन्दोलन 1972 में बिहार से आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा में फैला। इन राज्यों में स्थिति भयावह हो गई। शोषित गरीब एवं जनजातीय लोगों ने जमींदारों साहूकारों एवं शोषितों से अपनी रक्षा के लिए नक्सलवाद का सहारा लिया। नक्सलवाद की समस्या को सरकार विशुद्ध रूप से कानून एवं व्यवस्था की समस्या मानती है।

TOUCH 'n' PASS

उल्फा उग्रवाद
(ULFA Terrorism)

1980 और बाद के वर्षों में असम में उग्रवाद का जन्म हुआ। असम के लोगों की माँग है कि असम में जो गैर-असमी लोग रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जाए और मतदाता सूची से उनके नाम काटे जाएँ। फरवरी, 1983 के चुनाव में इस आन्दोलन में 5 हजार लोग मारे गए। 1986 में असम गणपरिषद् (AGP) सत्ता में आई। किन्तु इसमें दरार पड़ गई और दो उग्रवादी संगठन पनपे United Minorities Front (UMF) तथा United Liberation Front of Assam (ULFA)। अखिल बोडो छात्र संगठन (ABSU) ने पृथक् राज्य की माँग की तथा हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कीं। उल्फा ने हत्या, लूट एवं अपहरण की कार्यवाहियाँ की और कई असमी एवं गैर-असमी लोगों को उसका शिकार होना पड़ा। आज भी बोडो एवं उल्फा उग्रवाद चल रहा है और हिंसा, हत्या तथा लूट की घटनाएँ लगातार घटित हो रही हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध के कारण एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए।
What is cyber crime? Discuss the causes of cyber crime and cyber criminal.

उत्तर

साइबर अपराध
(Cyber Crime)

साइबर अपराध वह अपराध है, जिसमें कम्प्यूटर तथा उससे जुड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह अपराध इन्टरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का दुरुपयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में, साइबर अपराध वह आपराधिक कृत्य है, जो कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध में संगीत फिल्मों की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के बैंक खातों में गड़बड़ी करना, कम्प्यूटर हैकिंग, कम्प्यूटर में वायरस डालकर उसकी मेमोरी नष्ट करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी (चोरी के सॉफ्टवेयर), छद्म नाम से वेबसाइट बनाना, कम्पनियों के व्यापारिक आँकड़े चुराना, 'पीडोफीलिया' (बच्चों से सेक्स), इंटरनेट से जुआ खेलना, नेट हैकिंग करना आदि प्रकार के अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं।

पवन दुग्गल, जो कि साइबर कानूनों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने साइबर अपराध के मुख्यत: तीन प्रकार बताए हैं, जो निम्न हैं—

1. व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, 2. सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध,
3. सभी प्रकार की सम्पत्ति (Property) के विरुद्ध साइबर अपराध।

1. **व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध**—इस प्रकार के अपराध में वे सभी प्रकार के अपराध आते हैं, जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं; जैसे—बच्चों की अश्लील साइट बनाना (Child Ponography)। वेबसाइट हैकिंग करना, कम्प्यूटर में वायरस डालना इत्यादि।
2. **सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध**—इसमें साइबर आतंकवाद शामिल है, आतंकवादी संगठनों के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर आतंकवादी गतिविधियाँ करना, सरकारी वेबसाइट हैक करना, इत्यादि आते हैं।
3. **सभी प्रकार की सम्पत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध**—एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी की व्यापारिक जानकारी चुराना, दूसरों के बैंक खाते से रकम निकाल लेना, सभी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति में इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी करना आदि इस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आते हैं।

साइबर अपराध के कारण
(Causes of Cyber Crime)

साइबर अपराध होने के कई कारण हैं। इनमें से मुख्य निम्न हैं—

1. **कम जगह में अधिक तथ्यों को संकलित करने की क्षमता**—कम्प्यूटर में बहुत ही कम जगह में अधिक तथ्यों को संकलन करने की क्षमता होती है। इस कारण अपराधी कम्प्यूटर का उपयोग कर अपराध घटित करते हैं। कम्प्यूटर की सूचना को मिटाना व बनाना आसान होता है।

TOUCH 'n PASS

2. **आसान पहुँच**—कम्प्यूटर के डाटा तक पहुँचना बहुत आसान है। इस कारण साइबर अपराधी तकनीक के जरिए कम्प्यूटर के सिस्टम में घुस जाते हैं तथा अपराध होते हैं।
3. **लापरवाही**—लापरवाही के कारण भी साइबर अपराध होते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम की सुरक्षा में लापरवाही इस प्रकार के अपराध को जन्म देती है। कम्प्यूटर के पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को बता देना या कम्प्यूटर खुला छोड़ देना इस प्रकार की लापरवाही साइबर अपराध को जन्म देती है।
4. **असन्तुष्ट कर्मचारी**—किसी भी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी जो अपने मालिक से किसी कारणवश असन्तुष्ट होते हैं, बदला लेने के लिए सामान्यत: कम्प्यूटर के सिस्टम में गड़बड़ी करते हैं तथा इन्टरनेट के माध्यम से अपने मालिक को परेशान करने के लिए कई तरह के साइबर अपराध करते हैं।

साइबर अपराधी
(Cyber Criminal)

साइबर अपराधियों में अनेक समूह हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है—

1. **बच्चे और किशोर (6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच)**—6 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे द्वारा किए गए साइबर अपराध सामान्य तरह के होते हैं। इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। इस तरह के अपराधों में अश्लील फिल्में देखना, दूसरों का सामान चोरी करना इत्यादि आते हैं।
2. **संगठित हैकर्स**—संगठित हैकर्स में वे अपराधी आते हैं, जो एक साथ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से किसी वेबसाइट को हैंग कर देते हैं तथा उसे वायरस के द्वारा नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे पाकिस्तान संगठित हैकर्स के रूप में पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान के हैकर्स अधिकतर भारत सरकार की वेबसाइटों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैंग कर देते हैं तथा उसमें से जानकारियों को चुराते हैं। इसके अलावा नासा की वेबसाइटों को भी इन हैकर्स द्वारा हैंग कर दिया जाता है।
3. **पेशेवर हैकर्स**—इस प्रकार के हैकर्स पैसों के लिए काम करते हैं तथा ये हैकर्स ज्यादातर प्रतिद्वंद्वियों की साइट हैंग करते हैं और उसमें से विश्वसनीय एवं बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह के अपराध कम्पनियों व व्यापारिक घरानों के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण किए जाते हैं।

प्र.2. भारत में बढ़ते आतंकवाद के कारण बताइए।
State the reasons for increasing terrorism in India.

उत्तर

आतंकवाद के कारण
(Causes of Terrorism)

आतंकवाद के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं—

1. **क्षेत्रवाद** (Regionalism)—क्षेत्रवाद की संकुचित भावना के कारण ही देश का विभाजन हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के रूप में हुआ और आजादी के बाद भी इसी भावना के कारण देश के विभिन्न भागों से पृथक्करण की आवाज उठी। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्र की भावात्मक एवं राजनीतिक एकता की छवि धूमिल कर दी और समय-समय पर देश को तनाव एवं संघर्षों से जूझना पड़ा है। एक क्षेत्र के लोगों ने दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया है जैसा कि दुश्मन राष्ट्र के प्रति किया जाता है। क्षेत्रवाद की भावना ने राष्ट्रीयता की जड़ें खोखली कर दीं और देश के सम्मुख अनेक आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। एक क्षेत्र के लोगों ने भाषा, आर्थिक विकास एवं संकीर्ण राजनीतिक हितों को लेकर आन्दोलन छेड़े और क्षेत्रीयता की भावना को राष्ट्रीय भावना से भी ऊँचा स्थान दिया। क्षेत्रवाद की इसी संकुचित भावना ने देश में आतंकवाद को पनपने में सहयोग दिया है।
2. **भाषावाद** (Linguism)—भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न बोलियाँ एवं भाषाएँ बोली जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 1,650 है। इनमें से 15 भाषाएँ तो समृद्ध हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी, कश्मीरी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ आदि हैं। भारत में कभी भी सम्पूर्ण देश की एक भाषा नहीं रही है। भाषायी क्षेत्र ने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है और एक भाषा वालों ने अपने सम्बन्ध अपने भाषायी क्षेत्र तक ही सीमित रखे हैं। भाषा ने सामाजिक एवं शैक्षणिक जगत में कई समस्याएँ खड़ी की हैं, लोगों में पारस्परिक वैमनस्य पैदा

TOUCH 'n PASS

किया है। इसके कारण दंगे, झगड़े, तोड़-फोड़ तथा आगजनी की घटनाएँ घटी हैं। भाषा के विवाद ने पृथकतावादी प्रकृति तेज करने में आग में घी का काम किया है। इसी ने आतंकवाद को पनपने में सहयोग दिया है।

3. **साम्प्रदायिकता** (Communalism)—भारत में साम्प्रदायिक तनावों एवं दंगों में वे तनाव गम्भीर और महत्त्वपूर्ण समस्याएँ पैदा करते रहे जो हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच हुए। हिन्दू मुसलमानों को और मुसलमान हिन्दुओं को शंका की दृष्टि से देखते रहे, दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे रहे, दोनों ने एक-दूसरे से रक्त-रंजित होलियाँ खेलीं। साम्प्रदायिकता के कारण ही 1947 में देश के टुकड़े हुए और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी अनेक स्थानों पर उपद्रव एवं दंगे हुए। अलीगढ़, राँची, मेरठ, कोलकाता, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद, बिहारशरीफ, जलगाँव एवं जमशेदपुर के दंगों की रक्त-रंजित यादें अभी ताजा ही हैं। इसी साम्प्रदायिकता ने देश में आतंकवाद फैलाने में सक्रिय भूमिका निभायी है।
4. **जातिवाद** (Casteism)—जातिवाद वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्त्व नहीं देकर अपने जाति-हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आन्तरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। आज विभिन्न जातियाँ जातीय संगठनों के निर्माण में लगी हुई हैं, अपनी जाति के लोगों को हर कीमत पर सब प्रकार की सुख-सुविधाएँ पहुँचा रही हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय अहित ही क्यों न हो। जातिवाद ने ही सामाजिक तनाव एवं जातीय संघर्षों को जन्म दिया है तथा साथ ही आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया है।
5. **धार्मिक पूर्वाग्रह** (Religious Prejudices)—भारत में अनेक धर्मों का प्रचलन रहा है, किन्तु कभी-कभी छोटे-छोटे स्वार्थों को लेकर विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच तनाव और संघर्ष हुए हैं, अधिकांशत: हिन्दुओं और मुसलमानों में। हिन्दु एवं मुस्लिम धर्म में टकराव उस समय प्रारम्भ हुआ जब मुसलमान आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जबरन मुसलमान बनाया। इस प्रकार धार्मिक पूर्वाग्रहों ने भी विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच फूट, तनाव और मतभेद पैदा किया और आतंकवाद को पनपाया।
6. **उग्रपंथी विचार एवं हिंसात्मक गतिविधियाँ** (Extremist Ideas and Violent Activities)—कई ऐसे दल और संगठन हैं जो हिंसा में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया है। नक्सलवादियों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और अन्य प्रान्तों में तोड़-फोड़ और मारकाट की। फासिस्ट और माओवादी विचारधारा के समर्थकों ने भी समय-समय पर हिंसा की घटनाएँ की हैं। आनन्द मार्ग के प्रणेता प्रभात सरकार उर्फ आनन्द मूर्ति का विचार है कि प्रजातन्त्र भीड़तन्त्र या मूर्खतन्त्र है। वे प्रजातन्त्र के स्थान पर एकतन्त्र में विश्वास करते हैं तथा इससे मुक्ति के लिए रक्त-क्रान्ति को आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी और तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्वों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है।
7. **अत्यधिक आर्थिक विषमता** (Extreme Economic Disparity)—दिनोंदिन बढ़ती महँगाई, बेकारी और गरीब-अमीर के बीच बढ़ती खाई ने भी लोगों के बीच विद्रोह की भावना पैदा की है। देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग कालाबाजारी, स्मगलिंग, मुनाफाखोरी, मिलावट और संग्रह करके सम्पन्न बन रहे हैं। **प्रो० एम०वी० माथुर** का मत है कि ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में होने वाली घटनाओं के पीछे साम्प्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद का हाथ है, किन्तु इसके मूल में विकास की कमी और उपलब्ध साधनों का उचित वितरण न होना है। इस आर्थिक विषमता ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। अत्यधिक आर्थिक विषमता विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या-द्वेष, अशान्ति और संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में आतंकवाद फैलता है।
8. **राष्ट्रीय जागृति** (National Awakening)—इसकी कमी ने भी विघटनकारी तत्त्वों को खुलकर खेलने का अवसर दिया है और उन्होंने देश में आतंकवाद को पनपाने में सहयोग दिया है।
9. **राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट** (Decline in National Character)—इसने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है।
10. स्वार्थपूर्ण नेतृत्व और राजनीतिक अवसरवादिता ने भी राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वैयक्तिक और दलीय हितों को महत्त्व देकर लोगों में फूट, तनाव और संघर्ष को जन्म दिया है। राजनीतिक दल धर्म, भाषा और जाति के नाम पर चुनाव जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वे प्रादेशिक एवं क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं को पनपाते और विघटनकारी तत्त्वों से अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सांठ-गांठ करते हैं। इससे भी आतंकवाद पनपता है।
11. राज्य और केन्द्रों के तनावपूर्ण सम्बन्धों ने भी एकता की भावना को ठेस पहुँचाई है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है।

TOUCH 'n PASS

12. छात्र असन्तोष ने भी विभिन्न आन्दोलनों को जन्म दिया है और इन आन्दोलनों में छात्रों ने तोड़-फोड़ और हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया है। इससे भी आतंकवाद पनपा है।
13. पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान ने घिनौनी भूमिका निभायी है। वह आतंकवादियों को अपने यहाँ हथियार चलाने व तोड़-फोड़ करने का प्रशिक्षण दे रहा है तथा उन्हें आर्थिक सहायता और हथियार, हथगोले, कारतूस, बम आदि भी दे रहा है। समूचे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पिछले पचास वर्षों से पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कारगिल में आतंकवाद के सहारे ही पाकिस्तान ने युद्ध की स्थिति पैदा कर दी जिसमें जन-धन की काफी हानि हुई।
14. अलगाववादियों एवं पृथकतावादियों के भारत को खण्डित करने के मनसूबों ने भी देश के कई भागों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। ऐसा करके वे राजनीतिक लाभ उठाना तथा शासन करने की अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं।

प्र.3. आतंकवाद की समस्या को हल करने हेतु रचनात्मक सुझाव दीजिए।
Give constructive suggestions to solve the problem of terrorism.

उत्तर

आतंकवाद की समस्या को हल करने के उपाय : कुछ सुझाव
(Solutions to Get Rid of Terrorism : Some Suggestions)

आतंकवाद की समस्या का समाधान नितान्त आवश्यक है। इसके अभाव में देश की एकता एवं अखण्डता कायम नहीं रह सकती और न ही लूटपाट, हत्या, आगजनी, बलात्कार, अपहरण एवं डकैती की घटनाएँ रोकी जा सकती हैं। कश्मीर, असम, पंजाब और देश के अन्य भागों में आतंकवाद के कारणों में भिन्नता है, अत: उनके समाधान में भी सामान्य उपायों के अतिरिक्त कुछ उपाय ऐसे भी अपनाने होंगे जो उस क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी हों। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1985 में टाडा एक्ट (Terrorists and Disruptive Activities Prevention Act (TADA)) बनाया जिसके अन्तर्गत आतंकवादियों के लिए पृथक् से न्यायालय की स्थापना की गई है तथा आरोपित लोगों को उनके सामान्य अधिकारों से वंचित किया गया है। टाडा कानून के लिए कई आलोचनाएँ की जाती हैं; जैसे—इसका दुष्प्रयोग अल्पसंख्यकों के लिए किया जाता है, पुलिस अधिकारी भी इसका दुष्प्रयोग करते रहे हैं तथा इसके अन्तर्गत मुकदमे लम्बे समय तक चलते रहते हैं। विभिन्न आलोचनाओं के कारण यह कानून मई, 1995 में समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हम निम्नांकित उपायों (सुझावों) का सहारा ले सकते हैं—

1. आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस, गुप्तचर विभाग, सेना एवं सुरक्षा बलों की सहायता से आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाया जाए तथा उन्हें नष्ट कर दिया जाए और जो व्यक्ति इन गतिविधियों में लिप्त पाए जाएँ, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए। किन्तु साथ ही यह ध्यान रहे कि निर्दोष लोगों पर कोई अत्याचार न हो।
2. आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में नये प्राण फूंकने होंगे, उसका कायाकल्प करना होगा जिससे कि वह पुलिस कार्यवाही के साथ-साथ चल सके। पुलिस कार्यवाही अकेले अपने बलबूते पर आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकती है। आतंकवाद की कोई भी समस्या का समाधान कश्मीरियों एवं सिक्खों के बीच से ही शुरू होना चाहिए। उन्हें समझाया जाना चाहिए ताकि वे गुमराह करने वालों के खिलाफ बड़ी संख्या में खड़े हो सकें और भटके लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जानी चाहिए।
3. उग्रपंथियों के भारत विरोधी एवं दुष्प्रचार को विफल करने के लिए नरम पंथियों का सहारा लिया जाए तथा उन्हें क्षेत्र में भेजकर लोगों को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाए।
4. आतंकवादियों से निपटने के लिए तथा आत्मरक्षा के लिए गाँव वालों को सरकार द्वारा हथियारों का वितरण किया जाए तथा प्रत्येक गाँव में एक ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जाए तो आतंकवादियों से अपनी रक्षा कर सके क्योंकि सरकार और पुलिस ही हर व्यक्ति को हर क्षण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। आतंकवाद का साया इतना बढ़ गया है कि यह कोई भी नहीं जानता कि कब किस पर यह गाज गिरेगी।
5. पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव-लोंगोवाल समझौते को सही मन से सरकार लागू करे।
6. नवम्बर, 1984 में श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद हुए दिल्ली दंगों की जाँच करने वाले रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और हत्या तथा लूट-पाट के दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

TOUCH 'n' PASS

7. जिन लोगों को हिंसा, लूट-पाट, बलात्कार एवं आतंकवाद में लिप्त होने के आरोप में जेल में बन्द किया गया है, उन पर मुकदमे शीघ्र प्रारम्भ किए जाएँ और जो लोग निर्दोष पाए जाएँ, उन्हें जेल से मुक्त किया जाए।
8. पंजाब एवं कश्मीर के लोगों को हथियार जमा कराने का अल्टीमेटम दिया जाए और स्वेच्छा से ऐसा नहीं करने पर उन्हें कठोर कारावास की सजा दी जाए।
9. पाकिस्तान से लगने वाली कश्मीर व पंजाब की सीमा को सील कर दिया जाए, सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाई जाए और आने-जाने के लिए कुछ ही रास्ते निश्चित किए जाएँ और उन पर रखवाली बढ़ा दी जाए। सीमा से लगी एक किलोमीटर चौड़ी सुरक्षा पट्टी बना दी जाए। उस इलाके में जिनके खेत पड़ें, उन्हें विशेष पहचान-पत्र दिए जाएँ।
10. देश के सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से पंजाब और कश्मीर की समस्या का समाधान किया जाए। इस हेतु एक सर्वदलीय समिति गठित की जाए। सभी दलों की सामान्य सहमति से आतंकवाद को समाप्त करने में मदद मिलेगी और भय तथा आतंक के स्थान पर सहयोग और सौहार्द का वातावरण तैयार होगा।
11. आतंकवाद का एक कारण नवयुवकों में बढ़ती बेरोजगारी भी है। इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग खोले जाएँ जिनमें बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया जाए। मुर्गीपालन, डिब्बा बन्द खाने का सामान तैयार करने, कश्मीर में फलोद्यान एवं फलों को पैक कर अन्यत्र भेजने तथा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाए।
12. मुठभेड़ के नाम पर हत्याओं का जो आरोप सुरक्षा बलों पर लगाया जाता है, उनकी न्यायिक जाँच करायी जाए। इसका लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर यह पड़ेगा कि उनका सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। अकारण मारे गए लोगों के घर वालों और विशेष रूप से नवम्बर, 1984 के दंगों से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार से कश्मीर एवं पंजाब से भागकर आए शरणार्थियों के आवास, खाने-पीने एवं रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाए।
13. पंजाब में सिक्खों और हिन्दुओं को मिलाकर तथा कश्मीर में मुसलमान और हिन्दुओं को मिलाकर स्वयं सेवी नागरिक दस्ते बनाए जाएँ जिनमें विभिन्न दलों के लोगों को भी शामिल किया जाए। ये दस्ते गाँव-गाँव घूमें और रागियों और ज्ञानियों के तथा पाकिस्तान के प्रशिक्षण प्राप्त कर आए लोगों के दुष्प्रचार का जवाब दे सकें जहाँ कहीं भी रागियों व ज्ञानियों को उग्रवाद, हिंसा और देशद्रोह की भावनाएँ भड़काते हुए पाया जाए तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाए और कस्बों में ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जो हिन्दू व सिक्ख डर से राज्य को छोड़कर चले गए हैं, वे पुन: अपने घरों को लौट सकें।
14. अकाली गुट और शिरोमणि कमेटी बेगुनाहों की हत्या न करने की अपील जारी करें और हत्याओं की निन्दा भी करें। वे धार्मिक-स्थलों का दुरुपयोग नहीं होने देने और गुरुद्वारों से राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ नहीं चलने देने की घोषणा भी करें और कहें कि ऐसा होने पर हम सभी मिलजुलकर इसका मुकाबला करेंगे।
15. लेखों, नाटकों, कविताओं, गीत और गजलों के माध्यम से जिन्हें पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टी०वी० आदि के द्वारा जनता तक पहुँचाया जाए। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पारस्परिक भाईचारा, हिन्दू-सिक्ख एकता व हिन्दू-मुस्लिम एकता को सुदृढ़ किया जाए, लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा पाकिस्तान और शत्रु देशों के मनसूबों से अवगत कराया जाए। लोगों को यह बताया जाए कि यदि देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, यदि देश ही टुकड़े-टुकड़े हो गया तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा। अत: भाषा, धर्म, क्षेत्र, जातीय हितों से पहले राष्ट्रहित है।

प्र.4. कश्मीर में आतंकवाद पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on terrorism in Kashmir.

उत्तर

कश्मीर में आतंकवाद (Terrorism in Kashmir)

पंजाब की भाँति कश्मीर भी पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। मुगल बादशाहों ने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग की संज्ञा दी थी। फलों व फूलों से लदी हरी-भरी कश्मीर की सुन्दर वादियाँ वर्तमान में आतंकवाद की चपेट में हैं। वहाँ बम विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनायी देती हैं। जहाँ कभी नदियों की कलकल करती आवाजें और पक्षियों की चहचहाट और सिकारों में सैलानियों के प्रेम गीत सुनायी देते थे, वे सब अब वीरान पड़े हैं और शान्त व हसीन कश्मीर घाटी आतंक की ज्वाला में धधक रही है। पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित एवं हथियारबन्द, लड़ाकू, उपद्रवकारी एवं विघटनकारी तत्त्वों ने कश्मीर घाटी में तनाव,

भय और अशान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। प्रशासकों एवं सरकार के लिए उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी है। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में भारत विरोधी माहौल पैदा कर दिया है जो कभी भी भारत-पाकिस्तान युद्ध के रूप में बदल सकता है।

कश्मीर समस्या का प्रारम्भ भारत की स्वतन्त्रता से होता है। 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो विभिन्न रियासतों को यह छूट दे दी थी कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें और चाहें तो पाकिस्तान के साथ। तत्कालीन कश्मीर के महाराज ने अपनी रियासत को भारत में विलय की स्वीकृति दी। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उसका कुछ भाग अपने कब्जे में कर लिया जो अब 'आजाद कश्मीर' के नाम से जाना जाता है। भारत के पास जो कश्मीर है उसके बारे में वहाँ के निवासियों में तीन प्रकार के मत हैं—कुछ लोग यह मानते हैं कि भारत में कश्मीर का पूर्ण विलय हो चुका है और यह भारत का अभिन्न अंग है। कुछ अन्य लोग इसे पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं जबकि तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो दोनों ही कश्मीर को मिलाकर एक स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते हैं। वर्तमान में कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद अन्तिम दो प्रकार के लोगों की ही देन है।

कश्मीर में लगभग 30 ऐसे संगठन हैं जो तोड़-फोड़ और उग्रवादी कार्यवाहियों में संलग्न हैं। इनमें जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा, अल्ला टाइगर्स, हिज्ब-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल उमर मुजाहिद्दीन, इस्लामी स्टूडेण्ट्स लीग, अल फतह, अल मकबूल मुजाहिद्दीन, दुख्तराने मिल्लत आदि प्रमुख हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा (J.K.L.F.) प्रमुख है जिसकी स्थापना 1965 में पाक अधिकृत कश्मीर में पाक गुप्तचर एजेंसियों की मदद से हुई थी। कश्मीर में बने ये सभी संगठन अलगाववादी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही अपनी गतिविधियाँ तेज की हैं। इन्हें पाकिस्तान और विदेशों में रह रहे कश्मीरियों ने आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता दी है।

हिज्ब-ए-इस्लामी संगठन ने कश्मीर में पेम्फ्लेट बँटवाए जिसमें स्त्रियों के लिए कई निर्देश दिए गए; जैसे—उन्हें पर्दा रखने, पारदर्शी वस्त्र न पहनने, टी०वी० और सिनेमा न देखने की हिदायतें दीं। दर्जियों से कहा गया है कि वे इस्लाम विरोधी पोशाकें न सियें, शराब की दुकानों को भी बन्द करने के निर्देश दिए गए। अल्ला टाइगर्स ऐसा संगठन है जो वीडियो, ब्यूटी पार्लर तथा मयखानों को उड़ाने का काम करता है। कई संगठन तो ऐसे हैं जिनके पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, किन्तु ये सभी आजादी की बात करते हैं और हथियारों की भाषा बोलते हैं।

तनाव के कारण—देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, किन्तु कश्मीर में जिस प्रकार का आतंकवादी माहौल पिछले कई वर्षों में पैदा हुआ, वैसा पहले कभी नहीं रहा। इसके कारणों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

सम्पूर्ण कश्मीर में राज्य प्रशासन अयोग्य, अप्रभावी और भ्रष्ट रहा है। हाल की घटनाओं को नजदीक से देखने वालों का मत है कि कश्मीर की वर्तमान दुर्दशा के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार की गलत नीतियाँ उत्तरदायी हैं। राजनीतिक कुप्रशासन और आर्थिक उपेक्षा ने लोगों में असन्तोष उत्पन्न किया है। लोगों के हितों की बार-बार उपेक्षा की गई है, अत: प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया से भी लोगों का विश्वास उठ गया है।

आजादी से लेकर अब तक कश्मीर में आर्थिक विकास की गति बहुत मन्द रही है। इसका एक कारण यह भी है कि राष्ट्र के आर्थिक स्रोतों में कश्मीर का योगदान बहुत कम और अपर्याप्त है। फलस्वरूप वहाँ औद्योगिक विकास नहीं के बराबर हुआ। एक दशक पूर्व स्वीकृत अनेक परियोजनाएँ धनाभाव के कारण या तो प्रारम्भ ही नहीं हुईं या बन्द कर दी गईं।

प्रकृति के विशाल स्रोतों के बावजूद कश्मीर में जल और बिजली का अभाव है। शिक्षा का प्रसार तो हुआ है, किन्तु शिक्षित युवकों के लिए रोजगार का अभाव है। वर्तमान में वहाँ चार हजार इंजीनियर और दो से तीन लाख अन्य व्यक्ति बेकार हैं। पर्यटन उद्योग जिसने देश को विदेशी मुद्रा अच्छी मात्रा में अर्जित करके दी है, वह भी यहाँ पिछड़ा हुआ है। अमृतसर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, किन्तु कश्मीर में नहीं। उपर्युक्त अभावों ने कश्मीर में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले लोगों को स्थिति का फायदा उठाने में मदद की है। वर्तमान में अनेक ऐसे उग्रवादी हैं जो आधुनिकतम हथियारों से लैस तथा उन्हें चलाने में प्रशिक्षित हैं जो कश्मीर घाटी को घेरे हुए हैं। उग्रवादियों एवं आतंकवादियों के हौसले इतने बुलन्द हो गए कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के गृह मन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ० रूबिया का 8 दिसम्बर, 1989 को अपहरण कर लिया और बदले में जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के 5 आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त रखी। 13 दिसम्बर, 1989 को पाँचों आतंकवादियों को छोड़ने पर ही रूबिया को मुक्त किया गया। इस घटना से आतंकवादियों का हौंसला और बढ़ा तथा उन्होंने फिर कश्मीर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर, एच०एम०टी० के महाप्रबन्धक एच०एल० खेड़ा का अपहरण कर लिया और उसके बदले कुछ आतंकवादियों को मुक्त करने की बात कही। सरकार ने आतंकवादियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने वाइस चान्सलर एवं खेड़ा की हत्या कर दी। इसी प्रकार से कश्मीर के सर्वोच्च धार्मिक नेता मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूख की भी हत्या कर दी गई। कश्मीर में हत्या, आगजनी, विस्फोट

और आतंक का सिलसिला जारी है और कम होने के बजाए दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। माहौल पूरी तरह से बगावत का है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया के बदले जब पाँच आतंकवादियों को छोड़ा गया तो लोग जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के झण्डे लेकर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। वैसे भी आए दिन कश्मीर में पाकिस्तान के झण्डे फहराये जाते हैं तथा पाकिस्तान जिन्दाबाद और हिन्दुस्तान विरोधी नारे लगाए जाते हैं। जनवरी, 1998 में एक गाँव के 23 पण्डितों को आतंकवादियों ने मार दिया।

कश्मीर में राजनीतिक मुख्य धारा जैसी चीज लगभग गायब है। यहाँ तक कि जो लोग पहले राज्य प्रशासन से सहानुभूति रखते थे वे अब उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं। सब कुछ उग्रवादियों की योजना के मुताबिक चल रहा है। सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों को 'काबिज फौज' कहा जाता है। खुले रूप में 'आजाद कश्मीर' की माँग की जा रही है। राष्ट्रीय ध्वज जलाते हुए या भड़काने वाले नारे लगाने वालों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी तारीफ होती है और जो पुलिस की गोली के शिकार होते हैं, उन्हें शहीद कहा जाता है। श्रीनगर के आस-पास की करीब-करीब सभी कब्रगाहों में कम-से-कम एक नयी कब्र जरूर है जहाँ किसी 'शहीद' को दफनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के घोषणा-पत्र में अपने उद्देश्य इस प्रकार प्रसारित किए गए हैं—

1. जम्मू-कश्मीर की पूरी आजादी।
2. इस्लामी जम्हूरियत।
3. कुरान तथा सुन्नाह के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा।
4. इस्लामी समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था।
5. गुटनिरपेक्ष विदेश नीति।

ये सब कहने भर की बातें नहीं हैं। उग्रवादियों के फरमान पूरी तरह सुने और माने जाते हैं। घाटी में शराब की सभी दुकानें और बार बन्द हो गए हैं। लोक सभा चुनावों का बहिष्कार काफी हद तक सफल रहा। कश्यप-ऋषि का तपस्या स्थल, जहाँगीर का जन्नत धांय-धांय जल रहा है। सरकारी इमारतें बन्द पड़ी हैं, उन पर 'हिन्दुस्तानी कुत्ते भाग जाओ' शब्द लिखे पड़े हैं। जिन्दा रहने के लिए हिन्दू स्त्रियों ने अपनी सुहाग बिन्दियाँ हटा दी हैं, उन्हें बुरका पहनकर बाहर जाना पड़ता है। घड़ियों को पाकिस्तानी समय के अनुसार चलाया जा रहा है। उन्हें सीधे हाथ पर लगाना पड़ता है। श्रीनगर, बारामूला, जाल, पुलवामा, अनन्तनाग कुपवाड़ा, हण्डवारा एवं बादीपुर से व्यापारी, होटल वाले, पेन्शनर, बैंकों के नौकर भाग रहे हैं। सारी शक्ति सिमटकर आतंकवादियों के हाथों में केन्द्रित हो गई है। घाटी के हिन्दू करीब-करीब पलायन कर चुके हैं बिना इस बात की चिन्ता किए कि उनके मकानों, दुकानों, होटलों, व्यवसाय, सेब के बगीचों, आदि का क्या होगा?

आतंकवादियों की दहशत व फरमान के कारण न कोई हिन्दू जायदाद बेच सकता है और न कोई खरीददार खरीद ही सकता है। 90 हजार कश्मीरी पण्डित और 50 हजार के करीब अन्य लोग जम्मू की तरफ से पलायन कर चुके हैं। शरणार्थी कहते हैं कि उनकी हिम्मत उस समय टूटी जब दूरदर्शन और आकाशवाणी ने आतंकवादियों के आदेशानुसार 'असलाम बालेकुम' कहना प्रारम्भ कर दिया। उनके हुक्म से कई स्थानों पर शुक्रवार की छुट्टी प्रारम्भ कर दी गई है। पंजाब व कश्मीर में आतंकवाद में अन्तर है। कश्मीर का आतंकवाद धर्म और घृणा पर आधारित है।

आतंकवाद के बढ़ते कदम अब सभी सीमाओं को पार कर गए हैं। स्कूल, कॉलेज, बैंक, कारखाने एवं जीवन बीमा निगम सभी ठप्प पड़े हैं। स्थिति की गम्भीरता का अहसास एच०एल० खेड़ा, मुशीर उल हक, मीर मुस्तफा, स्वामी केशवनाथ, टीकालाल तपन टिक्कू, एन०के० गूज, पी०एन० भट्ट एवं मीरवाइज की नृशंस हत्या एवं वहाँ से आए शरणार्थियों की करुण कहानी से होता है। डेढ़ लाख हिन्दुओं के कश्मीर से पलायन एवं नृशंस हत्याओं ने शान्तिप्रिय नागरिकों को झकझोर दिया है। राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय झण्डे का अपमान रुका नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं जब अलगाववादियों ने कोई हत्या न की हो।

कश्मीर में स्थिति को बिगाड़ने और वर्तमान हालात पैदा करने के लिए हमारे राजनेताओं की अदूरदर्शिता भी उत्तरदायी है जिन्होंने संविधान में धारा 370 जोड़कर जम्मू-कश्मीर राज्य को एक पृथक् दर्जा दिया। इस धारा के तहत कोई अन्य भारतीय कश्मीर में जाकर स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता और न ही वहाँ भूमि या अन्य सम्पत्ति खरीद सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर शेष भारत से अलग-थलग पड़ा रहा और देश के उद्यमियों को वहाँ विभिन्न उद्योग स्थापित करने का अवसर नहीं मिला और राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रह गया जिसने वहाँ बेकारी एवं गरीबी की समस्या को जन्म दिया जो कि आतंकवाद का एक मुख्य कारण है। अतः इसकी समाप्ति वर्तमान सन्दर्भ में अत्यन्त आवश्यक है।

TOUCH 'n' PASS

कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रशासन को कड़ा, चुस्त और अधिक योग्य बनाया जाए, लोगों को न्याय के लिए आश्वस्त किया जाए, जिन लोगों पर शक हो उन्हें हटाया जाए। केन्द्र द्वारा कठोर कदम उठाना आवश्यक है। स्वच्छ ईमानदार एवं निष्पक्ष प्रशासन ही अधिकांश कश्मीरियों का हृदय जीत सकता है। किन्तु कश्मीरियों की सहभागिता के अभाव में किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध ही है। सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना होगा। कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को रोकना होगा। सीमा को सील किया जाए जिससे कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी कश्मीर में प्रवेश न पा सकें। इस सब क्रिया में समय लगेगा। ज्वलन्त समस्या शान्ति स्थापित करने तथा लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की है।
अस्पतालों, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों को प्रतिदिन खोलना आवश्यक है उसके लिए चाहे कितनी ही सुरक्षा की व्यवस्था क्यों न करनी पड़े। यदि स्थानीय जनता साथ नहीं देती है तो भारत के अन्य हिस्सों से तबादले पर या नयी भरती पर काम करने वालों को वहाँ लाना होगा। वे लोग जो भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखते, इनकी सरकारी सहायता बन्द करनी होगी एवं नौकरी से बर्खास्त करना होगा।

प्र.5. आत्महत्या के विभिन्न सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the various theories of suicide.

उत्तर

आत्महत्या के सिद्धान्त
(Theories of Suicide)

व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। उनमें से हम यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करेंगे—

केवन का सिद्धान्त (Cavan's Theory)

रूथ केवन ने अपनी पुस्तक **'सुसाइड'** *(Suicide)* में आत्महत्या का विस्तृत एवं वैज्ञानिक ढंग से उल्लेख किया है। उन्होंने आत्महत्या के लिए पाँच प्रकार के आन्तरिक संकटों (Internal crisis) को उत्तरदायी माना है। ये आन्तरिक संकट जीवन संरचना (Life structure) में अस्त-व्यस्तता व वैयक्तिक विघटन के सूचक हैं। पाँचों आन्तरिक संकट इस प्रकार से हैं—

1. **अज्ञात इच्छा** (Unknown Desire)—कई बार व्यक्ति अपने जीवन में घुटन एवं ऊब महसूस करता है। उसे जीवन एवं संसार नीरस लगने लगता है। ऐसा उस समय होता है जब उसकी अज्ञात इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। न उसे सुख की स्थिति अच्छी लगती है न दु:ख की। ऐसी मानसिक स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।
2. **परिचित इच्छा** (Known Desire)—कई बार व्यक्ति मकान, स्त्री, प्रेमिका, सन्तान, सम्पत्ति, नौकरी, प्रतिष्ठा एवं भौतिक सुख, आदि को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट करता है। इन्हें अपने जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक मान लेता है और इनके अभाव में उसे जीवन नीरस लगने लगता है। जब वह इन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे जीवन ही व्यर्थ नजर आता है तब वह ऐसे जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है।
3. **विशेष इच्छा** (Special Wish)—कभी-कभी व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति एवं स्थिति विशेष को पाने की लालसा प्रकट करता है। उस विशेष इच्छा की पूर्ति न होने पर वह अपने आपको समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी विशिष्ट प्रेमिका से विवाह करना चाहता है। ऐसा न होने पर वह आत्महत्या कर लेता है।
4. **मानसिक संघर्ष** (Mental Struggle)—कई बार व्यक्ति के सामने दो विकल्पों में से एक के चयन करने की समस्या पैदा हो जाती है। वह यह तय नहीं कर पाता कि किसे त्यागे व किसे रखे। इस मानसिक उलझन व संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने से भिन्न जाति की लड़की जिससे कि वह प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है, किन्तु माता-पिता उसे इस अन्तर्जातीय विवाह की स्वीकृति नहीं देते। वह माता-पिता एवं अपनी प्रेमिका में से किसे त्यागे, इस मानसिक संघर्ष में फंस जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है।
5. **बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना** (Life disturbed by external conditions)—कई बार बाह्य परिस्थितियाँ जो व्यक्ति के नियन्त्रण से परे होती हैं, भी व्यक्ति में ऐसा आन्तरिक संकट पैदा कर देती हैं कि वह तिलमिला जाता है, वह अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के लिए, युद्ध,

TOUCH 'n' PASS

अकाल, तलाक, लम्बी बीमारी, असाध्य रोग, असफलता, प्रियतम का विछोह, आदि की स्थिति उत्पन्न होने पर वह अपने आपको पीड़ित महसूस करता है। वह आत्महत्या द्वारा इनसे छुटकारा पा लेता है।

इस प्रकार रूथ केवन ने विभिन्न प्रकार की इच्छाओं द्वारा उत्पन्न आन्तरिक संकट को ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना है।

मैनिन्जर का सिद्धान्त (Theory of Menninger)

मैनिन्जर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएँ होती हैं, एक जीने की व दूसरी मरने की। मनुष्य के जीवन में इन दोनों इच्छाओं का संघर्ष चलता है। जब मरने की इच्छा जीने की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेती है तब वह घातक कदम उठाता है और अपने प्राणों का अन्त कर देता है। तब जीवन पर मृत्यु की विजय होती है, किन्तु कभी-कभी मृत्यु की इच्छा कम तीव्र होती है और वह जीवन की इच्छा पर कुछ अंशों में ही विजय प्राप्त कर पाता है। तब वह धीरे-धीरे एवं दु:खद तरीके से अपना अन्त करता है, जैसे वह खूब शराब पीने लगता है अथवा छोटी-मोटी दुर्घटना में अपना बलिदान कर देता है।

मैनिन्जर कहते हैं कि आत्महत्या मृत्यु का एक जटिल स्वरूप है जिसमें प्रमुख तीन बातें पायी जाती हैं—(1) मारने की इच्छा, (2) मारे जाने की इच्छा, (3) मरने की इच्छा। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में सर्वप्रथम हत्या करने या मारने की इच्छा होती है। इस इच्छा का प्रयोग वह दूसरों पर या स्वयं पर कर सकता है। इसके बाद वह इस इच्छा को दूसरों के बजाए स्वयं पर ही केन्द्रित करता है। आत्महत्या करने वालों में वास्तव में मरने की इच्छा होना भी जरूरी है। कई बार व्यक्ति में मारे जाने की इच्छा तो प्रबल होती है, किन्तु मरने की इच्छा कमजोर होती है। तब वह आत्महत्या के लिए कदम उठा लेने के बाद पुन: जीवित रहने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जहर खाने के बाद व्यक्ति भागकर डॉक्टर के पास जाता है और अपने प्राणों की भीख माँगता है। इस प्रकार सफल आत्महत्या के लिए मारने एवं मरने की इच्छाएँ प्रबल होनी चाहिए।

दुर्खीम का सिद्धान्त (Durkheim's Theory)

दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति *'Le Suicide'* में आत्महत्या से सम्बन्धित अपने वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए हैं। वे आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। उन्होंने आत्महत्या से सम्बन्धित अन्य सिद्धान्तों को अस्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि वंशानुक्रमण, भौगोलिक परिस्थितियाँ, मानसिक कारण, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता, बीमारी, प्रजाति, आदि के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करना उचित नहीं है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अत: इसके कारणों की व्याख्या व्यक्ति में नहीं, वरन् समाज एवं समूह में ढूँढ़ी जानी चाहिए। यही कारण है कि आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष लगभग समान रहती है। दुर्खीम ने विभिन्न देशों से प्राप्त आत्महत्या के आँकड़ों का विशद् विश्लेषण कर निम्नांकित प्रमुख निष्कर्ष दिए—

1. आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष एक-सी रहती है।
2. सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है।
3. गाँवों की अपेक्षा शहरों में आत्महत्या अधिक होती है।
4. स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं।
5. कम आयु की अपेक्षा अधिक आयु वाले अधिक आत्महत्या करते हैं।
6. आम जनता की अपेक्षा सैनिक लोग अधिक आत्महत्या करते हैं।
7. कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेण्ट धर्म को मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक है।
8. विवाहित व्यक्ति की तुलना में अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर एवं परित्यक्त अधिक आत्महत्या करते हैं।
9. विवाहितों में भी सन्तानवान की तुलना में सन्तानहीन अधिक आत्महत्या करते हैं।

इस प्रकार से दुर्खीम ने आत्महत्या का सम्बन्ध ऋतुकाल, लिंग, आयु, स्थान, व्यवसाय, धर्म, विवाह एवं परिवार से जोड़ा है। दुर्खीम की मान्यता है कि व्यक्ति पर समूह अथवा समाज का स्वस्थ एवं अस्वस्थ दो प्रकार का दबाव होता है। मानव की अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक आवश्यकताएँ हैं जिन्हें वह दूसरों के सहयोग से ही पूरा करता है। ये आवश्यकताएँ ही सभी मनुष्यों को एकता के सूत्र में पिरोती हैं। सभी पर प्रत्येक का दबाव होता है कि वे एक रहते हुए परस्पर एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें। यही समाज का स्वस्थ दबाव है, किन्तु कई बार व्यक्ति के जीवन पर समूह का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जब व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, वह अकेला है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है, कहीं से भी उसे प्यार-स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती है। तब वह निराश हो जाता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। यही समाज का अस्वस्थ दबाव है। कई बार व्यक्ति समाज में अपने व्यक्तित्व को इतना घुला देता है कि उसमें व समाज में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता है। समाज उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।

समाज से अत्यधिक लगाव एवं समाज से अत्यधिक पृथक्ता दोनों ही दशाओं में व्यक्ति आत्महत्या करता है। विवाहित की तुलना में अविवाहित, विधुर, विधवा एवं परित्यक्त द्वारा आत्महत्या इसलिए ही अधिक की जाती हैं कि विवाहित व्यक्ति का जीवन परिवार के स्नेह एवं प्रेम के वातावरण से सराबोर होता है, परिवार के सभी व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। परिवार एवं विवाह के अभाव की स्थिति में अकेलापन व्यक्ति को जीवन से उबा देता है। कैथोलिक धर्म में प्रोटेस्टेण्ट की अपेक्षा कम आत्महत्या होने के कारण हैं, कैथोलिक धर्म समूहवादी है, जबकि प्रोटेस्टेण्ट व्यक्तिवादी। प्रोटेस्टेण्ट धर्म में वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया जाता है जहाँ व्यक्ति ही अपने बारे में निर्णय लेता है। गाँवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्या का भी यही कारण है।

प्र.6. आत्महत्या के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
Mention the main causes of suicide.

उत्तर

आत्महत्या के प्रमुख कारण
(Main Causes of Suicide)

आत्महत्या से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों का हमने यहाँ उल्लेख किया जो इसके कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। आत्महत्या के लिए अनेक सामाजिक, वैयक्तिक, पारिवारिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामुदायिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। भारत जैसे देश में आत्महत्या के प्रमुख कारण गरीबी, बेकारी, शारीरिक व्याधि, प्रेम में असफलता, धार्मिक प्रथाएँ एवं रीति-रिवाज, राजनीतिक उथल-पुथल, पारिवारिक संघर्ष, जाति से बहिष्कार, मानसिक तनाव, उद्वेग, आदि हैं। यहाँ गाँवों की तुलना में शहरों में तथा स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में एवं बूढ़े तथा बच्चों की तुलना में युवा लोगों में आत्महत्या की दर ऊँची है। आत्महत्या के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं—

I. वैयक्तिक कारक (Individual Factors)

कई विद्वान आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना मानते हैं, अत: वे इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोषों को उत्तरदायी मानते हैं। प्रमुख वैयक्तिक कारक इस प्रकार हैं—

1. **शारीरिक दोष**—शारीरिक दृष्टि से पायी जाने वाली कमियाँ जैसे लूला-लंगड़ा होना, अपंग, बहरा या अन्धा होना, हकलाना या कुरूपता, आदि व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा करती हैं और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।
2. **शारीरिक व्याधियाँ**—भयंकर शारीरिक व्याधियाँ जैसे कुष्ठ रोग, क्षय, कैंसर, लम्बी बीमारी, कष्टप्रद रोग एवं गुप्तांगों की बीमारियाँ, आदि भी व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रेरित करती हैं।
3. **मानसिक विकार**—कई प्रकार के मानसिक तनाव एवं विकार जैसे चिन्ता, अत्यधिक भय, स्नायु तनाव, मानसिक अस्थिरता, हीनभावना, निराशा, भावुकता, क्रोध एवं समर्पणशीलता, आदि भी व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रोत्साहित करते हैं।
4. **वैयक्तिक व्यसन**—जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लग जाता है तो उसका सन्तुलित जीवन बिगड़ जाता है और पुन: अनुकूलन न कर पाने की स्थिति में वह आत्महत्या करके जीवन से मुक्ति पा लेता है। अत्यधिक कामवासना होने, अपराधी क्रियाओं में लगे होने, खूब शराब पीने, जुआ खेलने एवं वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति इसी कारण से आत्महत्या कर बैठते हैं।

II. पारिवारिक कारक (Familial Factors)

जब व्यक्ति का पारिवारिक जीवन संघर्षमय एवं तनावपूर्ण होता है तो परिवार का व्यक्ति पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की शान्ति एवं सुरक्षा भंग हो जाती है, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और ऐसा परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देता है। वे पारिवारिक परिस्थितियाँ जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं, इस प्रकार हैं—

1. **टूटे परिवार**—आत्महत्या की दर उन लोगों में अधिक होती है, जो टूटे परिवारों से आते हैं। माता-पिता की मृत्यु हो जाना, पति-पत्नी का परित्याग एवं तलाक होने अथवा उनमें अनबन होने, आदि की स्थिति में व्यक्ति पर सामाजिक नियन्त्रण शिथिल हो जाता है। व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और आत्महत्या कर बैठता है। यही कारण है कि विधवा, विधुर, परित्यक्त एवं तलाकशुदा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं।
2. **पारिवारिक कलह**—जब परिवार के सदस्य परस्पर संघर्षरत होते हैं तो इसका अन्य सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पति-पत्नी, भाई-भाई, माता-पिता, सास-बहू, आदि में कलह होने पर परिवार का नियन्त्रण एवं अनुशासन समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन के कलह से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।

TOUCH 'n PASS

3. **दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य**—पति-पत्नी में से कोई भी एक-दूसरे से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाने की स्थिति में मानसिक तनाव, घृणा, क्रूरता, क्रोध, आदि से ग्रस्त रहता है जिससे आत्महत्या करके छुटकारा प्राप्त किया जाता है।
4. **रोमांस**—प्रेम एवं रोमांस में असफल होने अथवा जिस व्यक्ति को वह अत्यधिक प्यार करता है और किसी कारण उससे विवाह करने में असफल हो जाता है या प्रेमी-प्रेमिका में से कोई एक-दूसरे के प्रति विश्वासघात कर देता है तब भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है।
5. **दुर्व्यवहार**—सौतेली माँ का बच्चों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, सास का बहू के प्रति दुर्व्यवहार, पति द्वारा पत्नी के साथ मार-पीट करने, उसके भरण-पोषण का इन्तजाम न करने और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने, आदि की स्थितियाँ भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं।

III. सामाजिक कारक (Social Factors)

दुर्खीम आत्महत्या को एक सामाजिक घटना मानते हैं और वे इसके लिए सामाजिक कारकों को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। समाज में विघटन एवं समस्याओं की वृद्धि होने पर आत्महत्या की दर में भी वृद्धि होती है। आत्महत्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख सामाजिक कारक इस प्रकार से हैं—

1. **दोषपूर्ण समाजीकरण**—समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही एक व्यक्ति समाज की क्रियाशील इकाई बनता है। व्यक्ति का समाजीकरण करने वाली अनेक सामाजिक संस्थाएँ हैं जिनमें परिवार, पड़ोस, क्लब, मित्र मण्डली, शिक्षण संस्थाएँ, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ, मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्थाएँ, आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में इन संस्थाओं में अनेक विकार उत्पन्न हो गए हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति का समाजीकरण उचित ढंग से नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में तनाव, निराशा, असहिष्णुता, अत्यधिक भावुकता एवं क्रोध घर कर जाते हैं। जब जीवन में थोड़ी-सी भी निराशा या दिशाहीनता आती है तो अपर्याप्त समाजीकरण व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है।
2. **सामाजिक कुरीतियाँ**—भारत में दहेज, मृत्युभोज, विधवा विवाह का अभाव, आदि कुरीतियाँ आत्महत्या को जन्म देती हैं। जब एक पिता अपनी लाड़ली बेटी के लिए दहेज जुटाने में असमर्थ होता है और अपनी लड़की का विवाह नहीं कर पाता है तो मानसिक चिन्ता से ग्रस्त हो जाता है जिससे मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। कई लड़कियों को उनके सुसराल में अधिकाधिक दहेज लाने के लिए तंग किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तब भी वे आत्महत्या कर लेती हैं, कई विधवा स्त्रियाँ पुनर्विवाह के अभाव में अनैतिक यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं और यदि वे गर्भवती हो जाती हैं तो बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती हैं।
3. **पद की हानि**—जब किसी व्यक्ति का दिवाला निकल जाता है या उसको पद से हटा दिया जाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा घट जाती है, उसके सम्मान को ठेस लगती है, वह आत्मग्लानि एवं हीन भावना से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेता है। व्यापारिक उतार-चढ़ाव, आर्थिक मन्दी एवं राजनीतिक उथल-पुथल के समय आत्महत्या की दर इसी कारण से बढ़ जाती है।
4. **सामाजिक विघटन**—जब किसी समाज में सामाजिक समस्याओं की अधिकता के कारण विघटन बढ़ जाता है तब भी आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। विशेष रूप से युद्ध के समय सामाजिक एवं सामुदायिक विघटन अधिक पाया जाता है, पारिवारिक एवं वैयक्तिक विघटन बढ़ जाता है, सामाजिक नियन्त्रण शिथिल हो जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ये सभी दशाएँ आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं।

IV. आर्थिक कारक (Economic Factors)

विभिन्न प्रकार की आर्थिक विषमताएँ एवं परिस्थितियाँ भी आत्महत्या को जन्म देती हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

1. **निर्धनता**—यद्यपि आत्महत्या एवं निर्धनता का प्रत्यक्ष रूप से तो सकारात्मक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ये दोनों सम्बन्धित हैं। निर्धन व्यक्ति अपने बच्चों, परिवार एवं आश्रितों की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता है। गरीबी के कारण उसे अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, वह हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाता है और कई बार मानसिक तनाव एवं संघर्ष भी पैदा हो जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब व्यक्ति के लिए असह्य हो जाती हैं तो वह आत्महत्या कर लेता है।
2. **बेकारी**—भारत में बेकारी की भी भीषण समस्या है। लम्बे समय तक प्रयास करने पर भी कोई रोजगार नहीं मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति अपने आपको अपमानित महसूस करता है। धन के अभाव में वह अपनी इच्छाएँ एवं आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाता, परिवारजनों एवं आश्रितों का भरण-पोषण नहीं कर पा सकने के लिए वह अपने आपको दोषी समझने

TOUCH 'n PASS

लगता है, वह अपने आपको दूसरों पर भार मानने लगता है। जब वह अपने को सभी कष्टों का मूल समझने लगता है तब इन स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है।

3. **विषम आर्थिक परिस्थितियाँ**—जब व्यक्ति को अपने जीवन में विषम आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वह उनका मुकाबला करने या अनुकूलन करने में असमर्थ होता है तब भी आत्महत्या कर लेता है। महँगाई बढ़ जाने, व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव आने, आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार, रिश्वत, मानव की आर्थिक विफलता, आदि की स्थिति में व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है।

V. धार्मिक कारक (Religious Factors)

आत्महत्या के लिए धार्मिक विश्वास, प्रथाएँ, पाप एवं पुण्य की भावना एवं स्वर्ग और नरक के विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं। प्रमुख तौर पर धार्मिक रूढ़ियाँ, पापी होने की भावना एवं धार्मिक स्वीकृति आत्महत्या को प्रोत्साहित करती हैं जिन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं—

1. **धार्मिक रूढ़ियाँ**—धर्म में इस प्रकार की रूढ़ियाँ, प्रथाएँ एवं विश्वास पाये जाते हैं जो सामाजिक विचलन को बर्दाश्त नहीं करते। सती प्रथा के कारण ही कई स्त्रियाँ पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ अपने को भी चिता में डाल देती थीं। धार्मिक कर्म-काण्डों एवं बलि के लिए भी व्यक्ति आत्महत्या करते रहे हैं।
2. **पातक की भावना**—आत्महत्या का धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस धर्म में संकीर्णता एवं कट्टरता अधिक होती है वह धर्म पाप की भावना को तनिक भी सहन नहीं कर सकता और उसके अनुयायी पाप एवं ईश्वरीय प्रकोप से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं।
3. **धार्मिक स्वीकृति**—हिन्दू, इस्लाम व कैथोलिक धर्मों में आत्महत्या को पाप माना गया और आत्महत्या से बचने का आदेश दिया गया है। दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्ट धर्म में व्यक्ति को स्वतन्त्रता अधिक है। वह समूहवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर जोर देता है, नियन्त्रण का अभाव होने के कारण ही प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनुयायी अन्य धर्मावलम्बियों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं।

VI. भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

भौगोलिक कारकों का आत्महत्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो नहीं है, किन्तु वे व्यक्ति में संवेग, मानसिक तनाव, आदि को जन्म देते हैं जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। बाढ़, भूकम्प, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूमि की अनुत्पादकता एवं मौसम का दुष्प्रभाव लोगों के संगठित एवं सुव्यवस्थित जीवन को नष्ट कर देते हैं, यह असन्तुलन आत्महत्याओं को बढ़ाने में योग देता है।

VII. नगरीकरण (Urbanisation)

सोरोकिन एवं **जिमरमैन** ने आत्महत्या के लिए नगरीकरण को उत्तरदायी माना है। नगरों में व्यक्तिवादी भावना की अधिकता एवं सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। नगर अकेलेपन में वृद्धि करते हैं। नगरों की गन्दी बस्तियाँ, दूषित वातावरण एवं अकेलापन आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। **दुर्खीम** की मान्यता, है कि गाँवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्याएँ अधिक होती हैं।

VIII. पारिस्थितिशास्त्रीय दशाएँ (Ecological Conditions)

रूथ केवन ने शिकागो के अपने अध्ययन में यह पाया कि व्यापारिक केन्द्रों में जहाँ गृहविहीन लोग रहते हैं और गन्दे होटल हैं, जनसंख्या की गतिशीलता अधिक है तथा व्यावसायिक बुराइयाँ ज्यादा हैं, वहाँ आत्महत्या अधिक होती है।

IX. व्यवसाय (Occupation)

कई बार व्यवसाय की प्रकृति भी आत्महत्या की दर तय करती है। **फैरिस** ने इंग्लैण्ड में सराय एवं होटल व्यवसाय में लगे लोगों में तथा **लुण्डन** ने अमेरिका में सेना में तथा बुद्धिजीवियों में आत्महत्या की ऊँची दर का उल्लेख किया है। पत्रकारिता, साहित्य रचना, वैज्ञानिक गतिशीलता वाले व्यवसायों में कृषि करने वालों की तुलना में आत्महत्या अधिक पायी जाती है।

X. मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors)

आत्महत्या के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक कारक जैसे अत्यधिक क्रोध, भावुकता, मानसिक, बीमारियाँ, चिन्ता, उन्माद, मानसिक दुर्बलता, संवेगात्मकता, कुण्ठा, निराशा एवं अत्यधिक संवेदनशीलता, आदि उत्तरदायी हैं।

TOUCH 'n PASS

इन सभी कारकों के अतिरिक्त युद्ध, मद्यपान, परीक्षा में असफलता, स्थान परिवर्तन, आदि भी आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। युद्ध के समय सैनिकों एवं नागरिकों द्वारा साधारण दिनों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या की जाती हैं। शराब पीने वाले न पीने वालों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। प्रेम में असफलता एवं परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी आत्महत्या की जाती है। स्पष्ट है कि आत्महत्या एक जटिल तथ्य है जिसके लिए कई परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं।

प्र.7. मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभावों का उल्लेख कीजिए।
Mention the evil effects of drug abuse.

उत्तर

मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभाव
(Evil Effects of Drug Abuse)

मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक क्षमता घट जाती है दुर्बलता पैदा होती है एवं अनेक रोग उत्पन्न होते हैं व्यक्ति, परिवार एवं समाज का विघटन होता है। अपराध की प्रवृत्ति पैदा होती है। यौन स्वच्छन्दता उत्पन्न होती है। अपराधों की वृद्धि, पुलिस, प्रशासन और व्यवस्था की समस्याएँ खड़ी होती हैं। मादक-द्रव्य नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर तनावों से क्षणिक मुक्ति तो दिलाते हैं, किन्तु आगे चलकर नशे के आदी होने पर व्यसनी शीघ्र ही मौत के मुँह में चले जाते हैं। व्यसनी व्यक्ति का शरीर निष्क्रिय एवं कमजोर हो जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन गरीबी के लिए भी उत्तरदायी है। हम यहाँ मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों का उल्लेख करेंगे—

1. **शारीरिक प्रभाव** (Physical Effects)—लम्बे समय तक अधिक मात्रा में नशीली दवाएँ पीने पर गैस बनने, जिगर सम्बन्धी बीमारी, नाड़ियों से सम्बन्धित खराबी, गठिया, पेलेग्रा नामक त्वचा रोग, बेहोशी, आदि बीमारियाँ पनपती हैं। इनके प्रयोग से मस्तिष्क के तन्तु निर्जीव हो जाते हैं। अधिक संख्या में तन्तुओं के नष्ट हो जाने से चक्कर आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की रोगों के कीटाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसकी जीवन आशा कम हो जाती है। इन दवाओं के प्रयोग से कैंसर पनपता है, गठिया, चर्म रोग, हृदय रोग, अपच, आँख के रोग, अपस्मार, श्वास कष्ट, क्षय, डिप्थीरिया, आदि रोग भी पनपते हैं।
2. **मानसिक बीमारी** (Mental Disease)—नशीली दवाओं के सेवन से व्यक्ति में मानसिक दक्षता की कमी हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और स्नायु-तन्तु नष्ट हो जाते हैं इससे मनुष्य की भावात्मक एवं बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है। वह गन्दी एवं उत्तेजक भाषा का प्रयोग करता है तथा अत्यधिक क्रोधी हो जाता है। इनके विष से तीव्र सनकीपन, मूर्छा, पागलपन, मिरगी, नाड़ी की सूजन, पक्षाघात, आदि रोग पैदा होते हैं। मानसिक दुर्बलता, चित्त विभ्रम, सन्देह, उत्तेजना, स्मृति नाश, मैनिया एवं मनोविकृति, आदि रोग इनके सेवन से पनपते हैं।
3. **दुर्व्यवहार** (Misconduct)—नशीली दवाओं का सम्बन्ध अपराध, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, चोरी, आदि गैर-कानूनी व्यवहारों से जोड़ा जाता है। इनके कारण, कानूनों को लागू करने की समस्या पैदा होती है। यह बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृत्ति, आदि के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रकार नशीले पदार्थ सामाजिक संगठन के लिए एवं व्यवहार प्रतिमानों को लागू करने में कठिनाई पैदा करते हैं।
4. **दुर्घटना** (Accident)—कई लोगों का विश्वास है कि नशीली दवाएँ दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुखत: औद्योगिक एवं यातायात सम्बन्धी दुर्घटनाओं के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। इन दवाओं के सेवन से नींद एवं बेहोशी आती है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है।
5. **कार्यक्षमता** (Efficiency)—नशीले पदार्थ औद्योगिक क्षमता, उत्पादन, अनुपस्थिति, दुर्घटना, आदि को प्रभावित करते हैं। अत: कई देशों ने इनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बनाएँ हैं।
6. **वैयक्तिक विघटन** (Personal Disorganization)—नशीले पदार्थ वैयक्तिक विघटन का संकेत और कारण दोनों हैं। ये संकेत इस रूप में हैं कि अधिकांश नशेबाज बीमार और मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं। जब उन्होंने पहली बार इनका सेवन प्रारम्भ किया था, उसी समय से उनकी समस्या प्रारम्भ हो गयी थी। ये कारण इस अर्थ में हैं कि यदि इनका सेवन न किया जाता तो व्यक्ति नशेबाज नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति अपनी सम्पत्ति शराब में नष्ट कर देते हैं और मित्रों एवं अपरिचितों से झगड़ा कर बैठते हैं, उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है, वे अपने मित्रों का ध्यान नहीं रख पाते, वे पत्नी को पीटते हैं और परस्त्रीगमन करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। वे सामाजिक अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं और सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना करते हैं। वे प्राथमिक सम्बन्ध स्थापित करने एवं सामाजिक स्थितियों से सन्तुलन बैठाने में असमर्थ होते हैं।

TOUCH 'n' PASS

7. **गरीबी** (Poverty)—नशीली दवाओं के सेवन से गरीबी और बेकारी पनपती है क्योंकि नशेबाज की अधिकांश आय नशे में ही फुंक जाती है।
8. **बेकारी** (Unemployment)—नशे की आदत बेकारी को बढ़ावा तब देती है जब व्यक्ति नशीली दवाओं का अधिक प्रयोग करने लगता है और उसकी कार्यक्षमता घट जाती है तथा वह कार्य से अनुपस्थित रहने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसे कोई भी जिम्मेदारी का काम सौंपना नहीं चाहता। कार्याभाव में उसे बेकारी के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं।
9. **पारिवारिक विघटन** (Family Disorganization)—मादक पदार्थ पारिवारिक विघटन का भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है। एक नशेबाज व्यक्ति कभी-कभी ही एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है। उसका पत्नी एवं बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति नशे के लिए अपना धन, समय, शक्ति इतना खर्च करता है कि परिवार के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। कुछ व्यक्ति जो युवा अवस्था की दहलीज पर पाँव रखते ही इनका बहुत अधिक सेवन करने लगते हैं, वे या तो शादी करते ही नहीं या विवाह के अयोग्य होते हैं। उनके स्वार्थी, आक्रामक एवं समाज-विरोधी होने से लोग उन्हें पसन्द नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों में कई ऐसे लक्षण होते हैं, जिनके कारण वे विवाह के अयोग्य होते हैं, जैसे स्वप्न लेना, अपरिपक्वता, विषम-लिंगियों से डरना, आक्रामक एवं असामाजिक होना, घनिष्ठ मित्रों का न होना, शंकालु, असम्भव आदर्शवादिता, अन्तर्मुखी, संसार से भागना एवं मानसिक रूप से बचने की प्रवृत्ति होना, आदि।
अधिक नशेबाज व्यक्ति पति या पत्नी के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए बहुत कुछ होते हैं, वे मित्र एवं साथी से लेकर गृहस्थी तक की जिम्मेदारी को सम्भालते हैं। नशेबाज व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिकाओं को उस रूप में नहीं निभा पाता जिस रूप में समाज उससे आशा करता है। नशा परिवार में झगड़ों एवं तनावों को पैदा करने वाला कारक है। नशा करने पर व्यक्ति को होश नहीं रहता और उसके अन्य व्यक्तियों से शारीरिक सम्बन्ध होने की सम्भावना रहती है। होश आने पर बेहोशी में की गयी त्रुटियों के कारण मित्रों एवं पत्नी से संघर्ष के अवसर रहते हैं।
कई माताओं को जब उनके बच्चे समाज में नशेबाज के नाम से जाने जाते हैं तो हीन भावना महसूस होती है। पिता के नशेबाज होने पर कभी-कभी बच्चों एवं पत्नी को भीख माँगनी पड़ती है। बच्चे भगोड़े और आवारा हो जाते हैं। नशा पति-पत्नी में तलाक एवं झगड़े की जड़ है। निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले लोगों को जो कानून का ज्ञान नहीं रखते तथा तलाक के बारे में नहीं जानते, नशे के कारण कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। परिवार पारस्परिक दृढ़ता तो बनाए रखता है, किन्तु उसका नैतिक सामंजस्य टूट जाता है।
10. **सामाजिक समस्या** (Social Problem)—आदिम और छोटे समाजों में नशीले पदार्थों का प्रयोग सामूहिक उत्सवों तथा त्यौहारों, आदि के समय किया जाता है। फसल काटने, बसन्त के आगमन एवं विशिष्ट अवसरों पर इन पदार्थों का सेवन सामूहिक रूप से किया जाता है। इनके प्रयोग से जब व्यक्ति अपने आपको मित्रों, परिवार के सदस्यों एवं समाज से पृथक् पाता है और असुरक्षित महसूस करने लगता है तो ऐसी दशा सामाजिक विघटन का सूचक है। इनके प्रयोग से प्राथमिक सम्बन्ध टूट जाते हैं।
जटिल समाजों में जहाँ तनाव, चिन्ता और आक्रामक स्थितियों की अधिकता होती है, वहाँ व्यक्ति इनसे मुक्त होने के लिए नशे का सहारा लेता है। जटिल समाजों में नशे पर रोक लगाना भी सरल कार्य नहीं है क्योंकि यह कई संस्थाओं के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित होता है। नशीली दवाओं का सेवन खतरे को बढ़ाता है और नियन्त्रण की संस्थाओं की शक्ति छीन लेता है।

प्र.8. मद्यपान का क्या अर्थ है? मद्यपान के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए।
What is the meaning of alcoholism? Mention the various causes of alcoholism.

उत्तर

मद्यपान का अर्थ
(Meaning of Alcoholism)

सामान्यत: मदिरा का सेवन करना ही 'मद्यपान' है और जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है वह 'मद्यसेवी' कहलाता है। **इलियट व मैरिल** का मत है कि थोड़ी मात्रा में और कभी-कभी शराब पीना मद्यपान नहीं माना जाता है। एक समस्या के रूप में अत्यधिक मात्रा में शराब पीना ही मद्यपान है।

TOUCH 'n PASS

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, "मद्यपान नशे की वह स्थिति है, जो किसी भी रूप में मादक पदार्थ के निरन्तर सेवन से उत्पन्न होती है, जिससे थोड़ी देर के लिए नशा चढ़ता है या मनुष्य सदा ही नशे में चूर रहता है और जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए हानिकारक है।"

फेयरचाइल्ड के अनुसार, "शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है।"

टेकचन्द अध्ययन दल के अनुसार, "शराब पीने अथवा किसी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह स्थिति है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके पतन की ओर ले जाती है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मद्य पीने का आदी हो जाता है, वह मद्य सेवन के बिना नहीं रह सकता। परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं और व्यक्ति का पतन होता है।

मद्यपान के विभिन्न कारण
(Various Causes of Alcoholism)

मद्यपान के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं—

1. **शराब एक दवा के रूप में** (Alcohol as a Medicine)—ग्रामीण लोग शराब का प्रयोग एक दवा के रूप में करते हैं। यह एक उत्तेजक और पौष्टिक पदार्थ माना जाता है। सर्दी के प्रभाव को खत्म करने, सर्प विष को दूर करने, प्रमेह, मलेरिया और अनेक अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
2. **अज्ञानता के कारण** (Due to Ignorance)—कुछ लोगों में एक गलत धारणा फैली हुई है कि शराब शक्ति प्रदान करती है। अत: लोग काम पर जाने से पूर्व शराब पीते हैं।
3. **आर्थिक परिस्थितियाँ** (Economic Conditions)—धनवानों की तुलना में गरीब लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहते और काम करते हैं, उसके दुख को भुलाने के लिए वे साधारणत: शराब का सहारा लेते हैं। दिवाला निकल जाने एवं आर्थिक संकट के समय भी व्यक्ति शराब पीने लगता है।
4. **फैशन** (Fashion)—शराब का प्रयोग दिनों-दिन एक फैशन बनता जा रहा है। कुछ लोग उत्सवों के अवसर पर या मेहमानों या मित्रों का साथ देने के लिए शराब का प्रयोग करते हैं।
5. **वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी** (Inherent Nervous Defects)—कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही स्नायुविक कमजोरियाँ होती हैं। वे अपने को समाज में रहने के अयोग्य समझते हैं। सामाजिक जीवन से छुटकारा पाने की मनोवृत्ति (Escapism) के कारण वे शराब का प्रयोग करने लगते हैं।
6. **मित्रता एवं आमोद-प्रमोद** (Companionship and Fun)—**डॉक्टर कालिटन** का मत है कि शराब का प्रयोग मित्रता निभाने के लिए किया जाता है। जर्मन लोगों की मान्यता है कि मित्रता, मजाक और प्रमोद जिसे वे 'जरमटलिचकेट' कहते हैं, के लिए शराब पी जाती है। प्रफुल्लता और मौज-मस्ती के लिए भी शराब पी जाती है।
7. **आपत्ति के कारण** (Misery Drinking)—डॉक्टर **बोंगर** का मत है कि व्यक्ति आपत्तियों एवं चिन्ताओं से छुटकारा पाने के लिए शराब का प्रयोग करता है। इसलिए ही शराब को 'संकट का पेय' कहते हैं।
8. **सामाजिक अपर्याप्तता** (Social Inadequacy)—मित्रों में संघर्ष, पति-पत्नी में तनाव, तलाक, मनमुटाव, प्रेम में असफलता, अधिक काम और वातावरण में अचानक परिवर्तन, आदि के कारण व्यक्ति अपने आपको दुखी एवं इन परिस्थितियों से मुकाबला करने में असमर्थता महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वह शराब का प्रयोग प्रारम्भ कर देता है।
9. **व्यवसाय और व्यापार** (Occupation and Business)—व्यापारी अपना सौदा तय करने के दौरान भी शराब पीते हैं। व्यापार में सफल होने या लाभ कमाने की खुशी में भी शराब का प्रयोग किया जाता है। **इलियट** व **मैरिल** कहते हैं कि "मुख्यत: औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त अनेक व्यक्तियों के लिए शराब 'संकट पेय' बन गयी है। काम के लम्बे घण्टे, अपर्याप्त भोजन, आर्थिक अस्थिरता, काम का भारी बोझ, आवास की बुरी स्थिति, अज्ञानता, आदि के कारण बहुत-से लोग इस संकट पेय के शिकार बनते हैं।"
10. **गन्दी बस्ती और मनोरंजन के अभाव के कारण** (Slums and Lack of Recreation)—सेमुअल स्माइल्स एवं लेडी वैल ने इंग्लैण्ड में शराब और गन्दी बस्ती के सह-सम्बन्ध का अध्ययन किया। इन अध्ययनों में यह पाया गया है कि गन्दी बस्तियों और अनुचित निवास के कारण लोग अधिक शराब पीते थे जिससे कि वे अपने दुखपूर्ण निवास को भुला सकें। मनोरंजन के अन्य सस्ते और उपयुक्त साधनों के अभाव में बोतल ही व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान करती है।

TOUCH 'n PASS

11. **शराब एक सामाजिक शान्तिदायक पदार्थ के रूप में** (Alcohol as a Social Sedative)—शराब ऊब एवं थकान से शान्ति दिलाती है। शारीरिक एवं मानसिक तनाव की स्थिति में इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं शराब पीने के बाद वे ताजगी महसूस करते हैं।
12. **संगति का प्रभाव** (Effect of Companionship)—व्यक्ति अपने जीवन में अपने संगी-साथियों से भी बहुत कुछ सीखता है। यदि किसी व्यक्ति का मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी और कक्षा का साथी शराबी है तो उसके आग्रह और अनुनय-विनय करने पर वह भी शराब पीना सीख जाता है।
13. **नगरीकरण** (Urbanization)—शराबखोरी आज दिनोंदिन नगरीय संस्कृति का अंग बनती जा रही है। नगर में औपचारिक एवं द्वैतीयक सम्बन्धों की प्रधानता के कारण व्यक्ति आत्मीयता का अभाव महसूस करता है और वह बोतल से घनिष्ठता कर लेता है। नगरों में बड़े-बड़े होटलों, क्लबों, रेस्टोरेण्ट तथा नाचघरों में शराब का प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
14. **मनोवैज्ञानिक कारक** (Psychological Factors)—मानसिक परिस्थितियाँ जैसे तनाव, संघर्ष, असुरक्षा के भाव, हीनता की भावना, आत्म-केन्द्रित होना, कार्य से भागने की प्रवृत्ति, आदि भी शराबवृत्ति को बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में कस्बों एवं नगरों में तनावपूर्ण स्थिति अधिक पायी जाती है। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए शराब का प्रयोग किया जाता है। **इलियट** एवं **मैरिल** लिखते हैं, "वे लोग जो बहुत संकोची, भावुक, सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित तथा कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थ होते हैं, मद्यपान को एक विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं।"
15. **नैतिक मूल्यों का ह्रास** (Degeneration of Values)—वर्तमान समय में चारों ओर नैतिक मूल्यों का पतन दिखायी देता है। स्वच्छन्दता, मनमानी एवं उच्छशृंखला में वृद्धि हुई है। अश्लील साहित्य, सिनेमा, पत्र-पत्रिकाओं एवं व्यापारिक मनोरंजन में नैतिक एवं परम्परात्मक मूल्यों को तिलांजलि दी गयी है, यौन स्वच्छन्दता में वृद्धि हुई है, ये सारी प्रवृत्तियाँ शराबवृत्ति को भी बढ़ावा देती हैं।
16. **राजनीतिक कारक** (Political Factors)—सरकार की आबकारी नीति यह है कि आय को बढ़ावा देने के लिए मादक पदार्थों के उपयोग की खूब छूट दी जाती है। इनके ठेकों से करोड़ों रुपयों की आय प्राप्त होती है। चुनाव के अवसर पर मत प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा खूब शराब बाँटी जाती है।
17. **वैयक्तिक कारक** (Personal Factors)—जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकारग्रस्त होते हैं वे भी शराब पीते हैं। मानसिक उद्विग्नता, चिन्ता, असफलता, संघर्ष, तनाव, थकावट, प्रेम में निराशा, माता-पिता, पत्नी या अन्य घर वालों की मृत्यु या उनकी ओर से उपेक्षा, तिरस्कार, पारिवारिक कलह, जुआ, घुड़दौड़ और सट्टे में बाजी हारना, दुकान का दिवाला निकल जाने, आदि की स्थिति में व्यक्ति शराब का उपयोग करता है। शराब का स्वाद लेने, उत्सुकता, शर्मीलापन, आदि भी व्यक्ति को शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं।
18. **अतिथि सत्कार** (Hospitability)—मेहमानों के आगमन पर उनके स्वागत एवं सम्मान में भी शराब पिलायी जाती है।
19. **सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण** (Due to Social Prestige)—वर्तमान समय में शराब पीना और पिलाना शान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक समझा जाने लगा है। विवाह, जन्मोत्सव पार्टियों एवं सांस्कृतिक समारोह, आदि के अवसर पर स्त्री, पुरुष, युवक एवं युवतियाँ शराब का आनन्द लेते हैं। शराब पीना आधुनिक एवं प्रगतिशील होने की निशानी माना जाने लगा है।
20. **सेना एवं युद्ध** (Military and War)—शराब एक उत्तेजक पदार्थ है। युद्ध के समय सैनिकों को शराब पिलाई जाती है जिससे कि वे दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सकें और अधिकारी के आदेश पर अपने को युद्ध में झोंक सकें।
21. **कठोर श्रम** (Hard Labour)—जिन लोगों को अपने व्यवसाय के दौरान कठोर श्रम करना पड़ता है वे भी शक्ति प्राप्त करने के लिए शराब का उपयोग करते हैं। ट्रक चालक, धोबी, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, टेलीफोन एवं बिजली के कर्मचारी, श्रमिक, रिक्शा चालक, मजदूरी करने वाले एवं ठेला चलाने वाले लोग स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं।
22. **एकाकीपन** (Loneliness)—कई बार व्यक्ति को अपने व्यवसाय के कारण घर से दूर अजनबी लोगों एवं स्थानों पर जाना होता है, तब वह एकाकीपन महसूस करता है, ऐसी स्थिति में बोतल ही उसकी साथी होती है। व्यापारी, एजेण्ट एवं दलाल एकाकीपन से मुक्ति के लिए शराब पीते हैं।

TOUCH 'n PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. नगद या वस्तु के रूप में घूस देना क्या कहलाता है?
(a) सदाचार (b) व्यापार (c) भ्रष्टाचार (d) प्रचार
उत्तर (c) भ्रष्टाचार

प्र.2. चरस का पेड़ कहाँ पाया जाता है?
(a) उत्तरी एशिया में (b) मध्य एशिया में (c) पूर्वी एशिया में (d) दक्षिणी एशिया में
उत्तर (b) मध्य एशिया में

प्र.3. कोकी नामक पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है—
(a) कोकीन (b) कहवा (c) चरस (d) कैफीन
उत्तर (a) कोकीन

प्र.4. भारत में कोकीन का आयात किस सन् में हुआ?
(a) सन् 1890 से (b) सन् 1830 से (c) सन् 1850 से (d) सन् 1880 से
उत्तर (a) सन् 1890 से

प्र.5. कौन-सा अपराध इन्टरनेट के माध्यम से किया जाता है?
(a) बाल अपराध (b) युवा अपराध (c) साइबर अपराध (d) राष्ट्र द्रोह
उत्तर (c) साइबर अपराध

प्र.6. आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्त्वपूर्ण मानते हैं—
(a) फ्रायड (b) दुर्खीम (c) रूथ कैवन (d) मॉवरर
उत्तर (a) फ्रायड

प्र.7. वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के कार्यों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं—
(a) तरल द्रव्य (b) तेल द्रव्य
(c) मादक द्रव्य (d) सुगन्धित द्रव्य
उत्तर (c) मादक द्रव्य

प्र.8. किन पदार्थों के सेवन व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है?
(a) उत्तेजक मादक पदार्थ (b) निश्चेतक मादक पदार्थ
(c) भ्रान्ति जनक मादक पदार्थ (d) अवसादक मादक पदार्थ
उत्तर (d) अवसादक मादक पदार्थ

प्र.9. किसके प्रयोग से व्यक्ति दिन में स्वप्न देखता है तथा वास्तविकता से दूर भागता है?
(a) अवसादक मादक पदार्थ (b) भ्रान्तिजनक या मायिक मादक पदार्थ
(c) निश्चेतक मादक पदार्थ (d) उत्तेजक मादक पदार्थ
उत्तर (b) भ्रान्तिजनक या मायिक मादक पदार्थ

प्र.10. आर्य लोग क्या मद्यपान करते थे?
(a) शराब (b) सोमरस (c) भांग (d) वोडका
उत्तर (b) सोमरस

प्र.11. दुर्खीम ने कितने प्रकार की आत्म हत्याओं का उल्लेख किया है?
(a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार
उत्तर (c) तीन

TOUCH 'n' PASS

प्र.12. नक्सली आतंकवाद का जन्म सन् 1967 में कहाँ हुआ?
(a) बिहार में (b) पश्चिम बंगाल में (c) झारखण्ड में (d) मध्य प्रदेश में
उत्तर (b) पश्चिम बंगाल में

प्र.13. नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने किसे अपना नेता घोषित किया?
(a) चाइना के माओ को (b) फ्रांस के माओ को
(c) रूस के माओ को (d) अफगानिस्तान के माओ को
उत्तर (a) चाइना के माओ को

प्र.14. उग्रवाद का जन्म हुआ—
(a) बिहार में (b) असम में (c) मेघालय में (d) मध्य प्रदेश में
उत्तर (b) असम में

प्र.15. साइबर कानूनों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं—
(a) पवन शर्मा (b) रोहित वर्मा (c) एम०वी० माथुर (d) पवन दुग्गल
उत्तर (d) पवन दुग्गल

प्र.16. किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से किसी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं—
(a) पेशेवर हैकर्स (b) संगठित हैकर्स (c) सामान्य हैकर्स (d) विदेशी हैकर्स
उत्तर (b) संगठित हैकर्स

प्र.17. सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है, किसने कहा—
(a) मैनिन्जर ने (b) इलियट ने (c) मैरिल ने (d) दुर्खीम ने
उत्तर (d) दुर्खीम ने

प्र.18. प्रेम आत्महत्या का कौन-सा कारक है?
(a) वैयक्तिक कारक (b) सामाजिक कारक
(c) आर्थिक कारक (d) पारिवारिक कारक
उत्तर (d) पारिवारिक कारक

प्र.19. किसके सेवन से गरीबी और बेकारी पनपती है?
(a) मुरब्बे के सेवन से (b) चाय के सेवन से
(c) नशीली दवाओं के सेवन से (d) फलों के सेवन से
उत्तर (c) नशीली दवाओं के सेवन से

प्र.20. शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है, किसने कहा—
(a) टेकचन्द अध्ययन दल ने (b) फेयरचाइल्ड ने
(c) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने (d) दुर्खीम ने
उत्तर (b) फेयरचाइल्ड ने

प्र.21. मद्यपान का कारण नहीं है—
(a) शराब एक दवा के रूप में (b) फैशन
(c) ज्ञान का कारण (d) अतिथि सत्कार
उत्तर (c) ज्ञान का कारण

प्र.22. चरस के पेड़ का कौन-सा भाग नशे के लिए प्रयोग किया जाता है?
(a) जड़ (b) तना (c) फल (d) फूल और पत्ते
उत्तर (d) फूल और पत्ते

TOUCH 'n PASS

प्र.23. पैसा उद्देश्य और साधन दोनों है—
(a) सदाचार में (b) भ्रष्टाचार में (c) दोनों में (d) कोई नहीं
उत्तर (b) भ्रष्टाचार में

प्र.24. उदासी और चिन्ता किस मादक पदार्थ से दूर हो जाती है?
(a) उत्तेजक मादक पदार्थ (b) निश्चेतक मादक पदार्थ
(c) अवसादक मादक पदार्थ (d) भ्रान्तिजनक पदार्थ
उत्तर (b) निश्चेतक मादक पदार्थ

प्र.25. मद्यपान निवारण का कारक हैं—
(a) सामाजिक सुरक्षा (b) आर्थिक दुर्दशा (c) अशिक्षा (d) शराब की बिक्री
उत्तर (a) सामाजिक सुरक्षा

प्र.26. वह अपराध जिसमें कम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है—
(a) बाल अपराध (b) युवा अपराध (c) साइबर अपराध (d) महिला अपराध
उत्तर (c) साइबर अपराध

प्र.27. निश्चेतक का उदाहरण है—
(a) चरस (b) कोकीन (c) कैफीन (d) शराब
उत्तर (a) चरस

प्र.28. वह मृत्यु जिसमें व्यक्ति स्वयं ही प्रयास करता है—
(a) मृत्युदण्ड (b) हत्या (c) अभिनय (d) आत्महत्या
उत्तर (d) आत्महत्या

प्र.29. अपनी माँगों को मनवाने के लिए हिंसा एवं भय का प्रयोग करना कहलाता है—
(a) भ्रष्टाचार (b) सदाचार (c) आतंकवाद (d) आत्महत्या
उत्तर (c) आतंकवाद

प्र.30. ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के बैंक खातों में गड़बड़ी करना कौन-सा अपराध है?
(a) भ्रष्टाचार (b) साइबर अपराध (c) युवा अपराध (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) साइबर अपराध

प्र.31. दाँत के दर्द के लिए प्रयोग किया जाता रहा है—
(a) चरस को (b) कोकीन को (c) कैफीन को (d) भाँग को
उत्तर (b) कोकीन को

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-III

संरचनात्मक समस्याएँ
Structural Problems

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by backward classes?

उत्तर 'पिछड़ा वर्ग' शब्द समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में उपयोग में लिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा अन्य कुछ प्रावधानों में 'पिछड़े वर्गों' या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ 'अन्य पिछड़े वर्गों' शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यत: पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों एवं छोटे किसानों, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये वे लोग हैं जो जाति–व्यवस्था में ब्राह्मणों से नीचे, किन्तु अस्पृश्य जातियों से ऊँचे हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किन्तु पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में केवल विशेष प्रावधान ही किए गए थे, आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी जो अब कर दी गई है।

प्र.2. पिछड़े वर्गों के सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए दो प्रयत्न लिखिए।
Write two efforts made by government for improvement backword classes.

उत्तर पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए दो प्रयत्न निम्नलिखित हैं—

1. **न्यूनतम मजदूरी**—1948 में बने न्यूनतम मजदूरी कानून को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया, यद्यपि इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि मूल्य सूचकांक को देखकर वर्ष में दो बार संशोधित मजदूरी की दरें घोषित की जा सकती हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि मजदूर स्वयं संगठित होकर प्रयत्न करें और सरकार उन्हें सहयोग प्रदान करे।
2. **बन्धक श्रम उन्मूलन**—1976 में बन्धक श्रम उन्मूलन अधिनियम बनाकर सरकार ने निर्धन वर्ग के लोगों के आर्थिक व शारीरिक शोषण को समाप्त कर दिया। सभी बन्धक मजदूर स्वतन्त्र घोषित कर दिए गए हैं और उनसे किसी प्रकार की बेगार नहीं ली जा सकती तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गयी है।

प्र.3. भूमिहीन श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु पाँच सुझाव लिखिए।
Write five suggestions for solving the problem landless laborers.

उत्तर भूमिहीन श्रमिकों (खेतिहर मजदूरों) की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव निम्नलिखित हैं—

1. इनके लिए काम के घण्टों का निर्धारण किया जाए व काम के दौरान खाने–पीने व विश्राम का प्रबन्ध किया जाए।
2. कार्य दशाओं में सुधार किया जाए।
3. बच्चों व स्त्रियों को भारी काम न सौंपे जाएँ।
4. न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और उसे लागू करने हेतु समुचित व्यवस्था की जाए।
5. मजदूर संघ के रूप में कृषि श्रमिकों को संगठित किया जाए जिससे वे भूस्वामी व महाजनों से अपने शोषण को रोक सकें और अपने सुधार के लिए मालिकों व सरकार पर दबाव डाल सकें।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. जनजाति को परिभाषित कीजिए।
Define of tribe.

उत्तर जनजाति को परिभाषित करते हुए **गिलिन एवं गिलिन** लिखते हैं, "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।" **डॉ० रिवर्स** के मतानुसार, "जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध, आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।"
डॉ० मजूमदार लिखते हैं, "एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्त्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।"

प्र.5. आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है?
Into how many parts have the Indian tribes been classified on economic basis?

उत्तर आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से निम्नांकित चार भागों में किया गया है—
1. शिकार करने एवं संकलनशील अर्थव्यवस्था वाली जनजातियाँ।
2. पशु-पालक जनजातियाँ।
3. कृषि करने वाली जनजातियाँ।
4. उद्योगों में लगी हुई जनजातियाँ।

प्र.6. निर्धनता की माप क्या है?
What is measurement of poverty?

उत्तर किसी भी देश में गरीबी को मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है।

प्र.7. निर्धनता निवारण के दो प्रयत्न बताइए।
Mention two efforts to eradicate poverty.

उत्तर निर्धनता निवारण के दो प्रयत्न निम्न प्रकार हैं—
1. बेकारी को दूर करना
2. जनसंख्या पर नियन्त्रण।

प्र.8. भारत में निर्धनता के कोई पाँच कारणों को लिखिए।
Write any five causes of poverty in India.

उत्तर भारत में निर्धनता के पाँच कारण निम्नलिखित हैं—
1. वैयक्तिक कारक
2. भौतिक पर्यावरण
3. आर्थिक कारक
4. सामाजिक कारक
5. राजनीतिक कारक

प्र.9. विषमता से क्या तात्पर्य है?
What is meant by inequality?

उत्तर विषमता का तात्पर्य एक समाज के लोगों के जीवन-अवसर तथा जीवन-शैली की भिन्नताओं से है जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है।

प्र.10. जाति व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।
State any three features of caste system.

उत्तर जाति व्यवस्था की तीन विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
1. जाति की सदस्यता जन्मजात होती है।
2. प्रत्येक जाति एक अन्तर्विवाही समूह है।
3. जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता क्या है?
What is absolute and relative poverty?

उत्तर

पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता
(Absolute and Relative Poverty)

शेपर्ड एवं वॉस (Shepard and Voss) ने दो प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है—(1) पूर्ण निर्धनता, तथा (2) सापेक्ष निर्धनता।

पूर्ण निर्धनता (Absolute Poverty)—यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। पूर्ण गरीबी को सामान्यत: जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अमेरिका में गरीबी की माप पूर्णता के तरीके के आधार पर ही की जाती थी। इसके अन्तर्गत गरीबी का माप वार्षिक आय स्तर होता है। इस निर्धारित वार्षिक आय से जिन लोगों की आय कम होती है उन्हें गरीब माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्ण गरीबी को प्रकट करने हेतु विभिन्न प्रकार के मापों का प्रयोग किया गया है जिसमें कृषक परिवारों एवं अन्य परिवारों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वार्षिक आय निर्धारित की गयी है।

सापेक्ष निर्धनता (Relative Poverty)—गरीबी को सापेक्ष तथ्य मानने वालों ने पूर्ण गरीबी की अवधारणा की इस आधार पर आलोचना की है कि पूर्ण गरीबी की अवधारणा स्थिर है, यह आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के बदलते मानदण्ड को सम्मिलित नहीं करती है। जो चीज आज सुविधा की मानी जाती है वही आने वाले समय में आवश्यकता बन सकती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में टेलीविजन तथा कार कभी सुविधा की वस्तुएँ समझी जाती थीं किन्तु अब उन्हें आवश्यकता में गिना जाता है। अत: देश के जीवन-स्तर में वृद्धि के साथ-साथ गरीबी का मानदण्ड भी बदलता है। सापेक्ष गरीबी की अवधारणा दो समयों, दो स्थानों एवं विभिन्न व्यक्तियों की तुलनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करती है। सापेक्ष गरीबी की माप समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों की दशा से तुलना के आधार पर की जाती है। गरीबी का निर्धारण समाज में पाए जाने वाले माप के आधार पर किया जाता है। अत: भारत में जिस स्थिति को गरीबी कहते हैं वही स्थिति अमेरिका में गरीबी नहीं कहलाएगी। इस प्रकार गरीबी एक सापेक्ष तथ्य है।

प्र.2. विषमता (असमानता) की अवधारणा समझाइए।
Explain the concept of inequality.

उत्तर

विषमता (असमानता) की अवधारणा
(Concept of Inequality)

विषमता (असमानता) समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समता या समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच किसी प्रकार भेद-भाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा सुविधाएँ, वेतन, सम्पत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हों। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं। परन्तु समता या समानता का यह अर्थ लगाना तर्क-संगत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों में कुछ असमानताएँ रखी हैं। यहाँ समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास का अर्थात् अपने व्यक्तित्व के विकास का अन्य व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हो। वे सब सुविधाएँ एक समाज के व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के निष्पक्षतापूर्वक प्राप्त हों जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में राज्य या समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं बरता जाए। समानता की अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हों, इसका तात्पर्य यह है कि जाति-प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रान्त, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेद-भाव में न तो विश्वास किया जाता है और न ही किसी भी रूप में मान्यता दी जाती है। **एच०जे० लास्की** के अनुसार समानता का अर्थ यह है कि कोई वर्ग अपना विशेष हित न रखता हो तथा सभी मनुष्यों को बराबरी के अवसर प्राप्त हों ताकि वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समानता हो, किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं पाया जाता हो।

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. विषमता की विशेषताएँ बताइए।
Describe the characteristics of inequality.

उत्तर

विषमता की विशेषताएँ
(Characteristics of Inequality)

सामाजिक विषमता को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **विषमता एक सामाजिक तथ्य है**—विषमता एक सामाजिक तथ्य है और इसकी प्रकृति सामाजिक है अर्थात् यह कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती वरन् सम्पूर्ण समाज में व्याप्त होती है। विषमता को आयु, रंग, यौन भेद एवं बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं वरन् समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों, परिस्थितियों एवं शक्तियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदण्डों को सीखता है और अचेतन रूप में विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएँ जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती हैं।
2. **विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है**—विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा है वरन् देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेद-भाव का लम्बे समय से प्रचलन रहा है। भारत में जाति के आधार पर तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त है। अमेरिकी समाज की वर्ग संरचना स्केंडिनेविया से भिन्न है। सोवियत संघ में शक्ति का वितरण इंग्लैण्ड से भिन्न है। थाईलैण्ड की तुलना में भारत में पद का वर्गीकरण भिन्न है। इस प्रकार सभी समाजों में विषमता का प्रचलन भिन्न-भिन्न रहा है।
3. **विषमता में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं**—विषमता में स्थिरता नहीं पायी जाती वरन् समय के साथ-साथ इसमें भी परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी वह वैदिक युग, मध्य युग या अंग्रेजों के समय में थी। अमेरिका की वर्ग संरचना आज वही नहीं है जो वहाँ गृह युद्ध के समय थी। सोवियत रूस में भी 1917 की क्रान्ति के बाद शक्ति वितरण में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं।
4. **विषमता में व्यक्तियों की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं हो सकता**—चूँकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभवों के कारण होती है, अत: ज्यों-ज्यों अनुभवों में परिवर्तन होगा, विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन की सम्भावनाएँ होंगी। विषमता की संरचना में मनमाने व्यक्तिगत निश्चयों से प्रभावकारी परिवर्तन नहीं लाये जा सकते।
5. **एक समय में विषमता के कई पहलू साथ-साथ रह सकते हैं**—सामाजिक विषमता के कई पहलू हैं, इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, जाति, धर्म, आदि प्रमुख हैं। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार प्रचलित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ही हम जाति, लिंग, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा और राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का प्रचलन व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं।
6. **विषमता विश्वव्यापी है**—दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी-न-किसी आधार पर विषमता न पायी जाती हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अन्तर हो सकता है, किन्तु विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। मार्क्स का मत है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन समाज व्यवस्था थी और आने वाली व्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी वर्गहीन समाज के रूप में होगी। किन्तु मार्क्स की कल्पना सही सिद्ध नहीं हुई। नवीन खोजों से आदिकालीन वर्गहीन समाज की पुष्टि नहीं होती। स्पष्ट है कि विषमता सभी मानवीय समाजों की विशेषता रही है।

प्र.4. नृजातीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by ethnic problems? Explain.

उत्तर

नृजातीय समस्याएँ
(Ethnic Problems)

नृजातिकी अथवा संजातीयता को रंग और संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। नृजातिकी समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति, आदि के आधार पर अपने को

TOUCH 'n PASS

दूसरों से अलग समझता है। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से सम्बन्धित लोगों के एक समूह को नृजातिकी की संज्ञा दी जा सकती है। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेश-भूषा, खान-पान वाला सामाजिक समूह भी एक नृजातिकी समूह है, जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूह के सदस्यों को होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाले समूह को भी संजातीय समूह कहा जा सकता है। एक नृजातिकी समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, अत: नृजातिकी एक सांस्कृतिक समूह भी है। भारत एक बहु-नृजातिकी समूहों वाला देश भी है।

एक नृजातिकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है, उनमें अहम् की भावना पायी जाती है। एक नृजातिकी के लोग दूसरी नृजातिकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी भाषा, वेश-भूषा, रीति-रिवाज एवं उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे नृजातिकी केन्द्रित प्रवृत्ति (Ethno-centrism) कहते हैं। नृजातिकी के आधार पर एक समूह दूसरे से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नृजातिकी समूह कमजोर नृजातिकी समूह का शोषण करते हैं, उसके साथ भेद-भाव बरतते हैं। इससे समाज में असमानता, संघर्ष एवं तनाव पैदा होता है। भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभेद, संजातीय समस्या के मुख्य कारण हैं। भारत में भाषा, धर्म, सम्प्रदाय एवं प्रान्तीयता की भावना के कारण समय-समय पर अनेक तनाव एवं संघर्ष हुए हैं।

कभी-कभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक संजातीय समूह के रूप में एकत्रीकरण देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वे अन्य समूहों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं। बिहार का छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के आदिवासी अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं भाषा के कारण एक अलग झारखण्ड राज्य की माँग सदैव करते रहे हैं। परिणामस्वरूप झारखण्ड राज्य बनाया गया। वे आदिवासियों के अलावा अन्य लोगों को 'दीकू' अर्थात् बाह्य शोषणकर्ता की संज्ञा देते हैं जिसमें वे जमींदारों और साहूकारों को सम्मिलित करते हैं।

कभी-कभी ऐसा ही व्यवहार एक भाषा बोलने वाले अपने प्रान्त में दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भी करते हैं। तमिलनाडु एवं असम में अन्य प्रान्तों के लोगों को बाहर निकालने हेतु आन्दोलन एवं संघर्ष तक हुए हैं। कई बार नगरीय लोग गाँव वालों के साथ एवं ग्रामीण नगर वालों के साथ भी विदेशियों जैसा व्यवहार करते हैं और उसे संजातीय रूप देने का प्रयत्न करते हैं।

प्र.5. भारत में क्षेत्रीय समस्याओं पर लेख लिखिए।

Write an essay on regional problems in India.

उत्तर

भारत में क्षेत्रीय समस्याएँ
(Regional Problems in India)

भारत एक विशाल देश है, जिसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणत: सम्भव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। यहाँ उत्तर में पहाड़ हैं तो दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में ही एक ओर गंगा-यमुना का उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं, जहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएँ इतनी अधिक हैं कि कहीं-कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासितापूर्ण जीवन। कहीं लोग पशु-पालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं तो कहीं बड़े उद्योग-धन्धों की सहायता से। स्पष्ट है कि इस देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का भी काफी योग है। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्षेत्रीय भिन्नताओं ने क्षेत्रीयता की भावना भड़काने या क्षेत्रवाद को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

यहाँ हमें क्षेत्रीय विविधता को समझने का प्रयास करना है। इसका तात्पर्य यह है कि इस देश के विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत क्षेत्रों में अनेक कारणों से समरसता का अभाव पाया जाता है। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक रहा है। प्रान्तवाद, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता शब्दों का प्रयोग सामान्यत: समान अर्थों में किया गया है जिसका अर्थ है स्थानीयतावाद, पृथक्करण और अलगाव। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता के अन्तर्गत एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधो-राष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है। भारत में क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद की भावना को पैदा करने में कई भौगोलिक, मानव पर्यावरण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का योगदान रहा है। भारत में क्षेत्रीयता अर्थात् क्षेत्रीय विसमरसता को जन्म देने में चार प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे हैं—

1. भाषा समस्या, आर्थिक विषमता और स्थानीय नेतृत्व को अधिक मजबूत बनाने, आदि विषयों को लेकर एक क्षेत्र के लोग अपने को सम्पूर्ण भारत के स्थान पर एक प्रान्त या क्षेत्र से अधिक जुड़ा मानते हैं।

TOUCH 'n PASS

2. राष्ट्रीय नेतृत्व के स्थान पर स्थानीय नेतृत्व पर अधिक बल दिया जाता है।
3. केन्द्र व राज्यों में आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को लेकर टकराव।
4. केन्द्रीय सत्ता का उल्लंघन।

क्षेत्रीय विषमताओं के कई प्रभाव पड़े हैं, जैसे राजनीतिक दलों में साम्प्रदायिकता पनपी है तथा क्षेत्रीय पक्षपात की भावना, अन्तर्क्षेत्रीय तनाव एवं संघर्ष, भाषावाद एवं आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को लेकर टकराव उत्पन्न हुए हैं। इससे क्षेत्रीय अहंमवाद अर्थात् अपने ही क्षेत्र को प्रधानता देने की प्रवृत्ति को बल मिला है। विभिन्न प्रान्तों या क्षेत्रों ने अधिकाधिक स्वायत्तता और अधिकारों की माँग की है जिसके परिणामस्वरूप पृथकतावादी विचारों ने जोर पकड़ा है। इन सबने प्रजातन्त्र और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न किया है।

प्र.6. सिख अल्पसंख्यक के बारे में संक्षेप में बताइए।
Briefly describe the sikh minority.

उत्तर

सिख अल्पसंख्यक
(Sikh Minority)

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों की जनसंख्या 2.08 करोड़ अर्थात् कुल जनसंख्या का 1.7 प्रतिशत है। स्वतन्त्रता के बाद सिखों ने पंजाबी सूबे की माँग की। अकाली दल ने आन्दोलन प्रारम्भ किया और कहा कि सिखों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक् राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। सन् 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। इस नवगठित पंजाब में सिखों की जनसंख्या 61% हो गई। सिखों को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, संसद तथा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ज्ञानी जैलसिंह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बूटासिंह भारत के गृहमन्त्री रह चुके हैं। सेना, पुलिस एवं प्रशासन में भी सिखों का प्रतिनिधित्व बहुत है। इन सबके बावजूद सिखों ने एक पृथक् राज्य खालिस्तान की माँग की। अकाली दल के कई नेताओं ने यह धमकी दी कि भारतीय संघ के अन्तर्गत यदि सिख राज्य को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो वे जन आन्दोलन का सहारा लेंगे। खालसा पंथ का कहना है कि सिखों को धोखाधड़ी से भारतीय गणतन्त्र में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया था। पंथ यह भी कहता है कि भारत के हिन्दू बहुमत ने एकजुट होकर इस पर जोर देते हुए कि सिख धर्म हिन्दू धर्म का ही अंग है, सिख धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की और उनकी पंजाबी भाषा को एक बोली मात्र घोषित करके और पंजाब को द्विभाषी प्रदेश बनाकर उनकी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश की। अत: आनन्दपुर साहिब में आयोजित शैक्षिक सम्मेलन के मंच से पृथक् राज्य की माँग की गई। इस आन्दोलन को भारतीय और विदेशों में रहने वाले अनेक सिखों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। यह माँग चिन्ता का विषय इसलिए बन गयी कि इसका नेतृत्व कुछ मुट्ठी भर उग्र तत्त्वों एवं आतंकवादियों के हाथ में था।

जैन, बौद्ध और ईसाई भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, किन्तु इन्होंने देश की एकता और राजनीतिक दृष्टि से किसी गम्भीर समस्या को जन्म नहीं दिया है।

प्र.7. जनजातीय अल्पसंख्यक कौन हैं?
Who are tribal minorities?

उत्तर

जनजातीय अल्पसंख्यक
(Tribal Minorities)

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएँ हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, सम्प्रदाय, प्रजाति, जाति एवं जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्तमान में यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 करोड़ 16 लाख जनसंख्या जनजातियों की है। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 6.78 करोड़ है। 2011 में यह संख्या 10.42 करोड़ हो चुकी है। प्राय: अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भैगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचा है। आज भी अनेक जातियाँ आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर काफी आगे बढ़ चुके हैं।

जनजाति को आदिम समाज, आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, गिरिजन तथा अनुसूचित जनजाति, आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी (Primitive or Aboriginal) इसलिए कहा जाता है कि ये भारत के प्राचीन निवासी माने जाते हैं और सम्भवत: भारत में द्रविड़ों के आगमन से पूर्व यहाँ ये ही लोग निवास करते थे। **वेरियर एल्विन** भी इन्हें आदिम जाति के नाम से सम्बोधित करते हैं। उन्होंने लिखा है, "आदिवासी भरतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी

TOUCH 'n PASS

है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं वे सबसे पहले यहाँ आये।'' आदिवासियों के मसीहा **ठक्कर बापा** और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य श्री जयपाल सिंह ने भी इन्हें आदिवासी के नाम से ही सम्बोधित किया है। **डॉ० घुरिये** इन्हें भारत के आदिवासी नहीं मानते वरन् वे इन्हें '**पिछड़े हिन्दू**' कहते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अधिकांश जनजातियाँ हिन्दू धर्म को मानती हैं। अत: वे हिन्दू समाज का ही अंग हैं। कुछ विद्वान इन्हें भाषा के आधार पर जनजातियाँ कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ जनजाति भाषा की श्रेणी में आती हैं।

भारतीय संविधान में कुछ वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी को '**अनुसूचित जनजाति**' के नाम से पुकारा जाता है। जनजाति की और अधिक स्पष्ट व्याख्या अध्याय 5 में की गई है।

प्र.8. जनजातीय समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on tribal problems.

उत्तर

जनजातीय समस्याएँ
(Tribal Problems)

वर्तमान में सम्पूर्ण जनजातीय भारत संक्रमण के दौरे से गुजर रहा है। इस संक्रमण के दौरान जनजातियों में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। इन समस्याओं की प्रकृति और कारण अलग-अलग जनजातियों में भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जनजातियों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जैसे—भील और गोंड में तो कुछ जनजातियों में, जैसे—टोडा एवं कोरबा में जनसंख्या घट रही है। कई जनजातियाँ नगरीय संस्कृति के सम्पर्क में आयी हैं जिसके फलस्वरूप उनकी मूल संस्कृति में कई परिवर्तन हुए हैं। उनमें दिशाहीनता एवं सांस्कृतिक छिन्न-भिन्नता पैदा हुई है और मानसिक असन्तोष बढ़ा है। ब्रिटिश काल में जनजातीय लोगों के सम्पर्क ईसाई मिशनरियों और राज्य कर्मचारियों के साथ बढ़े। परिणामस्वरूप उन्हें कुछ लाभ तो प्राप्त हुए, किन्तु इनसे उनके जीवन में विघटन भी प्रारम्भ हो गया। जनजातियों के निवास क्षेत्र में व्यापारी और ठेकेदार लोग पहुँच गए। उन्होंने जनजातीय लोगों का खूब आर्थिक शोषण किया और कम मजदूरी पर उनसे अधिक श्रम लेने लगे। सूदखोरों ने इन लोगों की जमीनें कम दामों में खरीद लीं और अपने घर में ही वे परायों की तरह कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगे। कभी-कभी इनसे बेगार भी ली जाने लगी। ठेकेदारों एवं व्यापारियों ने कहीं-कहीं जनजातीय स्त्रियों के साथ अनैतिक सम्बन्ध भी स्थापित किए जिसके परिणामस्वरूप अनेक जनजातीय लोग गुप्त रोगों से पीड़ित हो गए। इस सम्पर्क के फलस्वरूप जनजातियों में वेश्यावृत्ति पनपी। ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म को स्थापित कर आदिवासियों को अपने पड़ोसी समुदाय से अलग कर दिया। इससे आदिवासियों में धार्मिक और सामाजिक एकता का संकट पैदा हो गया, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याएँ खड़ी हुई, उनमें पृथक्ता की भावना पनपी और वे अपने पृथक् राज्य की माँग करने लगे। नागाओं की समस्या इसका ज्वलन्त उदाहरण है। नवीन सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण आदिवासियों में हीनता की भावना पनपी और वे अपनी मौलिक परम्पराओं को त्यागकर अनुकरण द्वारा नवीन सांस्कृतिक तत्त्वों को अपनाने लगे हैं। आज वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे कला, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं।

प्र.9. उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the condition of Dalits in uttar pradesh.

उत्तर

उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति
(Condition of Dalits in Uttar Pradesh)

विकास दर व प्रति व्यक्ति आय के मामले में भले ही उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा हो, लेकिन यहाँ के दलित समाज की स्थिति गुजरात और महाराष्ट्र जैसे धनाढ्य राज्यों से बेहतर है।

देशभर में दलित परिवारों की स्थिति

50 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाता।	40 प्रतिशत परिवारों के पास टीवी सेट।	51 प्रतिशत परिवारों के पास टेलीफोन।

कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में दलित समाज की स्थिति उन राज्यों से बेहतर है जो औद्योगिक विकास का दावा करते हैं। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई दलित उद्यमी भी सामने आए हैं। पहले ये उद्यमी निर्माण स्थलों पर ठेकेदारी जैसे काम करते थे, लेकिन अब वे अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से अपना कारोबार फैला रहे हैं।

TOUCH 'n PASS

उत्तर प्रदेश के लगभग 85 प्रतिशत दलित परिवारों के पास मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कम्प्यूटर, लैपटॉप, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार जैसे साधन हैं, वहीं इन दोनों राज्यों में अब भी 10 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास इनमें से कोई चीज नहीं है। जनगणना-2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15.44 प्रतिशत दलित परिवार ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई चीज नहीं है। जबकि गुजरात में ऐसे परिवारों की संख्या 17.66 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 25.34 प्रतिशत है। उत्तर प्रेदश के दलित समाज की स्थिति में यह सुधार बीते एक दशक में तेजी से आया है। 2001 में राज्य में 26 प्रतिशत दलित परिवार ऐसे थे जिनके पास मोबाइल, टीवी, रेडियो जैसी 13 वस्तुएँ नहीं थीं।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर आर०के० बारिक का कहना है कि गुजरात में दलित श्रमिकों की मजदूरी अब भी काफी कम है। वहाँ सिर्फ दो-तीन समुदाय हैं जिनके कारोबार की बदौलत देश में उस राज्य का नाम है। इन समुदायों का पूरा कारोबार भी विदेश पर निर्भर है अन्यथा वहाँ दलितों की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आया है। वैसे देशभर में 22 प्रतिशत दलित परिवार ऐसे हैं जिनके पास इन 13 वस्तुओं में से कोई नहीं है। 2001 में ऐसे परिवारों की तादाद 42 प्रतिशत थी।

प्र.10. जनजाति की विशेषताएँ बताइए।

Describe the characteristics of tribe.

उत्तर

जनजाति के लक्षण (विशेषताएँ)
(Characteristics of Tribe)

जनजाति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **सामान्य भू-भाग** (Common Territory)—एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में ही निवास करती है। इसके परिणामस्वरूप उसका उस भू-भाग से लगाव एवं उसके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भू-भाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएँ विकसित हो जाती हैं, किन्तु डॉ० रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भू-भाग को आवश्यक नहीं मानते।
2. **सामान्य भाषा** (Common Language)—एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही वह अपनी संस्कृति का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है, किन्तु सभ्यता के सम्पर्क के कारण कई जनजातियाँ द्विभाषी हो गयी हैं।
3. **विस्तृत आकार** (Big Size)—एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है।
4. **अन्तर्विवाह** (Endogamy)—एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं।
5. **एक नाम** (A Name)—प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। उसके सदस्य अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं।
6. **सामान्य संस्कृति** (Common Culture)—एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है, उनके रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, नियमों, कला, धर्म, जादू-संगीत, नृत्य खान-पान, भाषा, रहन-सहन, विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदि में समानता पायी जाती है।
7. **आर्थिक आत्मनिर्भरता** (Economic Self-sufficiency)—एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल-फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह-उद्योग, आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ जनजाति के सदस्य स्वयं ही जुटा लेते हैं। यद्यपि कभी-कभी वे अपने पड़ोसी समाजों से भी विनिमय करते हैं।

प्र.11. जनजातीय कल्याण-कार्यों पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on tribal welfare works.

उत्तर

जनजातीय कल्याण कार्य : संवैधानिक प्रावधान
(Tribal Welfare Works : Constitutional Provisions)

अंग्रेजों के समय से ही भारत सरकार जनजातियों के सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएँ जुटायीं जिससे उनकी मृत्यु-दर में कमी हुई। अंग्रेजों ने उनके अमानवीय रीति-रिवाजों पर भी प्रतिबन्ध

TOUCH 'n' PASS

लगाया। ब्रिटिश सरकार की नीति तुष्टिकरण की नीति थी। ब्रिटिश सरकार जनजातियों के उत्थान की अपेक्षा उन पर नियन्त्रण में अधिक रुचि रखती थी। अत: उनकी नीति से लाभ की अपेक्षा जनजातियों की हानि ही अधिक हुई। अंग्रेज सरकार की नीति नकारात्मक थी। वह तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि कोई संकट पैदा नहीं हो जाता।

संवैधानिक व्यवस्थाएँ (Constitutional Provisions)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीन भारत के संविधान में जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, मान्यता एवं धर्म की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का आश्वासन देता है। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति एवं जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इससे जनजातियों के प्रति अब तक बरते गए भेदभाव की समाप्ति होती है।

संविधान में नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है जिनमें कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा।

संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की गयी हैं—एक संरक्षी एवं दूसरी विकासी(Protective and Promotive Provisions)। संरक्षी प्रावधानों का उद्देश्य जनजाति हितों को सुरक्षा प्रदान करना है और विकासी प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें प्रगति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले संविधान के अंश इस प्रकार से हैं—

संविधान के बारहवें भाग के अनुच्छेद 275 के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी।

संविधान के पन्द्रहवें भाग के अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

संविधान के सोलहवें भाग के अनुच्छेद 330 व 332 में लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं।

अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकार नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखेगी।

अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

पाँचवीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद् नियुक्ति की व्यवस्था है जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधान-सभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनता की समाजशास्त्रीय अवधारणा दीजिए।
What do you understand by poverty? Give sociological concept of poverty.

उत्तर

निर्धनता से अभिप्राय
(Meaning of Poverty)

निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। विश्व के सम्मुख गरीबी की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है और समृद्ध देश भी इसकी चपेट से नहीं बच सके हैं। विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी है कि उन्हें 'तीसरी दुनिया' के नाम से पुकारा जाता है। तीसरी दुनिया के लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र एवं मकान उपलब्ध नहीं हैं। भारत में भी ऐसे कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। वे गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। वे सड़कों और फुटपाथों पर अपना दम तोड़ते हैं, भीख माँगकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा वे लोगों की दया पर ही जीवित रहते हैं। ऐसी गरीबी भूख और मौत को जन्म देती है। आज गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। आज भीषण विषमता को जन्म देने में औद्योगिक क्रान्ति का विशेष हाथ रहा है। औद्योगिक क्रान्ति ने समाज में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में योग दिया है। मशीनीकरण ने जहाँ एक ओर समाज में प्रचुर साधन उपलब्ध कराये हैं और समृद्धि को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर एक तीसरी दुनिया भी खड़ी कर दी है जो गरीबी और अभावों से त्रस्त है।

TOUCH 'n PASS

औद्योगीकरण और मशीनीकरण का शुभारम्भ आज के तथाकथित सभ्य और पश्चिमी देशों में हुआ। उन्होंने अपनी औद्योगिक माँगों के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि महाद्वीपों के देशों को अपना उपनिवेश बनाया, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों का शोषण किया। प्राकृतिक भण्डारों के खाली होने के साथ-साथ उन देशों में गरीबी बढ़ी। आज विश्व स्पष्टत: दो भागों में विभाजित दिखाई पड़ता है—एक तरफ वे देश हैं जो सम्पन्न हैं और दूसरी तरफ वे देश हैं जो गरीबी से त्रस्त हैं।

गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं। गरीबी के कारणों को ढूँढ़कर उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। स्वयं गरीब भी अपनी दशा के प्रति जागरूक हुए हैं और वे इस भयंकर समस्या से मुक्ति पाने के लिए सजग और प्रयत्नशील हैं। गरीबी के अनेक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। यह केवल आर्थिक समस्या ही नहीं वरन् सामाजिक समस्या भी है।

निर्धनता की अवधारणा
(The Concept of Poverty)

निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है किन्तु यह एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ सम्बन्ध सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी है। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द हैं। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना इसका संकुचित अर्थ है। गरीबी की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार से दी गयी हैं—

गिलिन और गिलिन के अनुसार, "गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन-स्तर को इतना ऊँचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रखा जा सके।" गिलिन एवं गिलिन ने गरीबी का सम्बन्ध जीवन-स्तर से जोड़ा है। जब व्यक्ति की आय अपर्याप्त हो या वह उसे उचित ढंग से खर्च नहीं करता हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन-स्तर को बनाए नहीं रख सकता। जीवन-स्तर के गिरने पर व्यक्ति की स्वयं की और उस पर निर्भर लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। निम्न जीवन-स्तर के कारण व्यक्तियों की कार्य क्षमता घट जाती है।

वीवर भी गरीबी को ऐसे जीवन-स्तर के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें व्यक्ति की शारीरिक क्षमता उचित स्तर तक नहीं बनी रहती। आप लिखते हैं, "गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर सम्बन्धी क्षमता नहीं बनी रहती है।"

डॉ० योगेश अटल ने गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है। आप लिखते हैं, "गरीबी की अवधारणा का सम्बन्ध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है।"

जब हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं तब इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वह आय देश के सभी लोगों में समान रूप से वितरित होती है। राष्ट्रीय आय में से जिन लोगों को कम हिस्सा मिलता है, गरीब और जिन्हें अधिक हिस्सा मिलता है, धनवान वर्ग में आते हैं। इस दृष्टि से भी गरीबी एक तुलनात्मक तथ्य है।

गरीबी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी एक सापेक्ष शब्द है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह गरीब है तो इसका अर्थ यह है कि वह उन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी वह इच्छा करता या पसन्द करता है। अत: वस्तुओं को चुनने एवं पसन्द करने की सीमा के रूप में भी गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है। आय की दृष्टि से गरीब लोगों की आय इतनी ही होती है कि वे अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को ही जुटा पाते हैं, सुविधाओं और ऐश्वर्य की वस्तुओं को नहीं।

गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह भी है कि एक देश जिसे हम गरीब कहेंगे, उसे दूसरे देश धनवान कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबी का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन-स्तर के आधार पर होता है। भारत में गरीबी की रेखा वह नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैण्ड में है। प्रत्येक देश में साधनों के अनुसार जीवन-स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और सभी व्यक्ति उसी आदर्श को पाने का प्रयास करते हैं। जीवन-स्तर के आदर्श से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों को गरीब और उससे ऊँचा जीवन व्यतीत करने वालों को धनवान कहा जाता है। कभी-कभी हमारे पास उस उचित स्तर को पाने के लिए पर्याप्त साधन तो होते हैं किन्तु उनका अपव्यय किया जाता है, तब भी गरीबी बनी रहती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी आय को शराब और जुआ खेलने में उड़ा देता है और अपनी भोजन, वस्त्र व मकान की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तब भी वह गरीबी की अवस्था कहलाएगी।

गरीबी दो देशों की तुलना में नहीं वरन् एक ही देश में भी विभिन्न वर्गों, समूहों, जातियों, क्षेत्रों, प्रान्तों, व्यवसायों, संस्कृतियों, आदि की दृष्टि से भी सापेक्ष शब्द है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन-स्तर का जो आधार हरिजनों का है, वही व्यापारियों का नहीं होगा, जो आधार श्रमिकों का है, वही पूँजीपतियों का नहीं होगा, जो आदिम जातियों का है, वही शहरी लोगों का नहीं होगा, जो पंजाब का है वही राजस्थान, केरल या चेन्नई का नहीं होगा। गरीबी का सम्बन्ध एक समूह में जीवन जीने के पैमाने से है। एक संस्कृति में गरीबी के माप का जो आधार है, उसे हम दूसरी संस्कृति पर लागू नहीं कर सकते। गरीबी का सम्बन्ध एक ही सांस्कृतिक समूह में तुलनात्मक है और उसी आधार पर व्यक्ति की स्थिति तय की जाती है कि वह गरीब है या अमीर है।

वस्तुत: गरीबी का सम्बन्ध जीवन-स्तर से है। यह जीवन-स्तर भी प्रत्येक समाज में अलग-अलग है। जीवन-स्तर को निर्धारित करने वाले तीन प्रमुख कारक हैं—प्रथाएँ, निर्णय और बुद्धिमत्ता तथा आय। इनमें भी आय अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि निम्न श्रेणी के परिवारों में तो आय इतनी कम होती है कि उनके सामने किसी वस्तु की पसन्दगी और निर्णय का प्रश्न नहीं उठता। वे बचत ही नहीं कर पाते। इस अर्थ में हम गरीबी को ऐसी दशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें वित्तीय बचत नहीं होती। प्रथाएँ भी समूह और समुदाय के लोगों का जीवन-स्तर तय करती हैं। भोजन की आदतों व परिवार के बजट पर भी इनका प्रभाव होता है। हम चावल, मक्का, मांस, अण्डे, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में से क्या खाएँगे, यह प्रथाएँ तय करती हैं। ब्राह्मण शाकाहारी भोजन करते हैं तो क्षत्रिय मांसाहारी। हर समाज में खान-पान से सम्बन्धित ही नहीं वरन् वस्त्रों से सम्बन्धित भी प्रथाएँ हैं। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों और दैनिक जीवन में हमारी वस्त्र शैली क्या होगी—यह भी प्रथाएँ तय करती हैं। हम सदा वस्त्र धारण शारीरिक रक्षा, सुविधा तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं करते वरन् प्रथाओं को ध्यान में रखकर भी करते हैं। डॉक्टर, दूल्हे, सिपाही, पुलिस और रेलवे कर्मचारी की पोशाक में अन्तर प्रथाओं व नियमों के कारण ही है। इनकी अवहेलना करने पर दण्ड, जुर्माने एवं निन्दा का भय रहता है।

व्यक्ति की पसन्द और नापसन्द को तय करने में उसकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का भी महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। कौन-सी वस्तुएँ खरीदी जाएँ, किसे प्राथमिकता दी जाए—यह सब निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लिए जाते हैं। अच्छी प्रैक्टिस चलने वाले डॉक्टर के लिए कार जरूरी हो सकती है। साधारण डॉक्टर के लिए स्कूटर ही पर्याप्त होता है। कुछ लोग उधार वस्तुएँ लाकर घर बसाना चाहेंगे तो कुछ नहीं। इस प्रकार उपलब्ध साधनों का उचित उपभोग ही सही निर्णय है।

आय ही जीवन-स्तर को तय करने में मुख्य कारक है। कम आय होने पर मूल आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी जबकि अधिक आय होने पर मनोरंजन, फैशन, कीमती वस्त्र, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। आय का सम्बन्ध परिवार में सदस्यों की संख्या और कमाने वालों की संख्या से भी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गरीबी एक सापेक्ष शब्द है जिसका सम्बन्ध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह तथा व्यवसाय में प्रचलित जीवन-स्तर के आदर्श से है। किसी भी समाज में जीवन-स्तर का यह आदर्श क्या होगा, यह उस समय की प्रथाओं, व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता तथा आय पर निर्भर करेगा। गरीबी के निर्धारण में धन का महत्त्व है और वे लोग जिनके पास धन का अभाव होता है, गरीब माने जाते हैं। किन्तु कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास धन की कमी होती है फिर भी उनका जीवन-स्तर ऊँचा होता है। दूसरी ओर कई व्यक्तियों के पास धन की प्रचुरता होने पर भी वे निम्न जीवन-स्तर व्यतीत करते हैं और तब हम उन्हें गरीब कह सकते हैं। अत: स्पष्ट है कि गरीबी एक आर्थिक तथ्य ही नहीं वरन् एक सामाजिक तथ्य भी है।

प्र.2. भारत में निर्धनता के कारणों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए।
Analyse in detail the causes of poverty in India.

उत्तर

निर्धनता के कारण
(Causes of Poverty)

निर्धनता का जन्म किसी एक कारण या घटना के फलस्वरूप ही नहीं होता है। यह अनेक कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। फेरिस तथा गिलिन और गिलिन ने गरीबी के लिए उत्तरदायी अनेक वैयक्तिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख किया है। हम इन कारकों का यहाँ क्रमश: उल्लेख करेंगे—

1. **वैयक्तिक कारक** (Personal Factors)—प्राचीन समय में यह धारणा थी कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता

है तब गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी पैदा करती है। यह अयोग्यता अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कई व्यक्ति वंशानुगत रोगों से पीड़ित होते हैं तो कई मानसिक बीमारियों और पागलपन आदि से। कुछ व्यक्ति कला, विज्ञान, तकनीकी तथा साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं तो कुछ को इनमें कोई रुचि नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक शरीर की अनेक त्रुटियों के लिए हमारे ग्रन्थि संस्थानों को उत्तरदायी मानते हैं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक बीमारी भी लोगों में गरीबी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से दुर्घटनाएँ घटने पर भी व्यक्ति अपंग या अंगविहीन हो जाते हैं। अन्धापन तथा बहरापन आदि भी व्यक्ति में शारीरिक अक्षमता पैदा करते हैं। इस प्रकार की बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, अपंगता, आदि के कारण व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग अर्थोपार्जन में नहीं करने की दशा में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। ये सारी स्थितियाँ गरीबी को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. **भौतिक पर्यावरण** (Physical Environment)—भौतिक पर्यावरण में हम प्राकृतिक साधनों का अभाव, प्रतिकूल जलवायु, कीड़े-मकोड़ों का उत्पात, प्राकृतिक संकट, आदि को सम्मिलित करते हैं। यदि किसी देश में प्राकृतिक भण्डारों व खनिज पदार्थों का अभाव है, भूमि में उपजाऊपन की कमी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को धनोपार्जन के लिए प्रचुर प्राकृतिक साधनों के नहीं मिलने से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ खनिजों का बाहुल्य है, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के साधनों की सुविधाएँ हैं, वहाँ समृद्धि पायी जाती है। इसके विपरीत, रेगिस्तान और वर्षा की कमी वाले स्थानों पर गरीबी पायी जाती है। खराब मौसम के कारण जैसे अत्यधिक गर्मी व सर्दी तथा ओलों के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो लोगों को अभाव एवं गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप; जैसे बाढ़, अकाल, भूचाल, महामारी, आदि भी गरीबी उत्पन्न करते हैं। बिहार, असम, बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ और तूफान के कारण अनेक बार लोगों की बस्तियाँ उजड़ जाती हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। जंगलों में निवास करने वालों के घर और गाँव आग लगने पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्री किनारे पर रहने वालों को यदाकदा तूफान नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से कई जीवाणु और कीड़े-मकोड़े भी फसलों, जानवरों और उद्योग-धन्धों को नष्ट कर देते हैं टिड्डियाँ, चूहे एवं दीमक, रेशम, ऊन एवं लकड़ी आदि को नष्ट करने वाले कीड़े प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की हानि पहुँचाते हैं। कीड़े-मकोड़े, फलों, कागजों, कपास, लकड़ी, ऊन, रेशम, जानवरों, आदि को नष्ट कर देते हैं और इससे सम्बन्धित लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है।

3. **आर्थिक कारक** (Economic Factors)—गरीबी का सम्बन्ध आर्थिक पहलुओं से भी है। आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के सन्दर्भ में ही किया जाता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार-चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मन्दी, आदि गरीबी को जन्म देते हैं। भारत में उत्पादन के लिए साधारणत: परम्परागत साधनों का प्रयोग किया जाता है। अत: यहाँ पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाना भी कठिन हो जाता है। आवश्यक उत्पादन के अभाव में गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि उत्पादन ठीक हो किन्तु उसका वितरण असमान हो तो भी गरीबी उत्पन्न होती है। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार होने पर अधिकांश मुनाफा वे हड़प जाते हैं। अत: आय की असमानता के कारण लोग बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, आदि अवसरों पर आवश्यकताओं की पूर्ति तक करने में असमर्थ रहते हैं। सम्पत्ति एवं आय का असमान वितरण, व्यापारिक मन्दी तथा बेकारी की अवस्था भी गरीबी उत्पन्न करती है। व्यापार में मन्दी आने पर कई लोग दिवालिये हो जाते हैं और उनकी जमा पूँजी खर्च हो जाती है। बेकारी की अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। बेकारी के साथ-साथ गरीबों की संख्या भी बढ़ती जाती है।

4. **सामाजिक कारक** (Social Factors)—सामाजिक कारकों के अन्तर्गत हम शैक्षणिक कमियाँ, स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और पैतृत्व के ज्ञान का अभाव तथा परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे यहाँ शिक्षितों में बेकारी पनपी है। शिक्षा उन्हें जीवन-यापन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पाती। शिक्षा में अनुशासन के अभाव के कारण छात्र-असन्तोष की समस्या पनपी है। हमारे यहाँ अन्धों, बहरों तथा अपंगों के लिए भी पर्याप्त शिक्षा और जीवन-यापन की सुविधाएँ उपलब्ध

TOUCH 'n PASS

नहीं हैं। आजकल अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा नवीन चिकित्सा पद्धति आदि के कारण कई बीमारियों को नियन्त्रित कर लिया गया है। क्षय रोग, हैजा, टाईफाइड, आदि रोगों पर काबू पा लिया गया है फिर भी हमारे यहाँ साधारण लोगों को रक्षण हेतु समुचित सुविधाएँ नहीं मिल पातीं तथा वे स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ हैं। बुरा स्वास्थ्य और बीमारी व्यक्ति की कार्यक्षमता को घटाते हैं। इन परिस्थितियों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। आवास की सुविधाओं के कारण भी लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। गन्दी बस्तियों में रहने, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश, आदि के अभाव एवं भीड़-भाड़युक्त घर होने पर भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उसका आत्मसम्मान गिर जाता है, इच्छाएँ क्षत हो जाती हैं और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी पर पड़ता है।

हमारे यहाँ विवाह और पैतृत्व की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कई लोग अपने वैवाहिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाने में असमर्थ हैं। माता-पिता और बच्चों तथा पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्धों में भी शिथिलता आयी है। औद्योगिक क्रान्ति, स्वतन्त्रता के विचार, नारी स्वतन्त्रता तथा उसके घर से बाहर अर्जन करने के कारण घर की परिस्थितियों में भी परिवर्तन आया है। **गिलिन** और **गिलिन** कहते हैं, अब घर केवल पेट भरने और रैन बसेरा करने का स्थान ही रह गया है हमारे समाज में बच्चों को विवाह और परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए कम ही तैयार किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संगठन की अपर्याप्तता वर्तमान परिस्थितियों में गरीबी और पराश्रितता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है।

संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था और धार्मिक अन्ध-विश्वास भी गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति प्रथा व्यक्ति की गतिशीलता में बाधक हैं। परिवार अपने सदस्यों को घर से बाहर जाने की सुविधाएँ प्रदान नहीं करता। जाति व्यवस्था में नवीन व्यवसायों को अपनाने की सामान्यत: स्वतन्त्रता नहीं रही है और लोग परम्परागत व्यवसायों को ही करते रहे हैं। धार्मिक अन्ध-विश्वासों तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों ने भी लोगों को भाग्यवादी बनाया है। भारतीयों में यह धारणा भी पायी जाती है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे, उसे उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा है।

5. **राजनीतिक कारक** (Political Factors)—राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असन्तोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी, आदि पनपती हैं। राजनीतिक दलों की पारस्परिक वैमनस्यता भी देश में अफवाहों को जन्म देती है और इसके फलस्वरूप व्यापार में उतार-चढ़ाव आते हैं सरकार की आर्थिक नीतियों का भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सरकार की उत्पादन नीति, टैक्स नीति, आयात-निर्यात और वितरण की व्यवस्था भी देश के लोगों की आर्थिक दशा को प्रभावित करती है। स्वतन्त्रता के दौरान अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक स्रोतों का खूब शोषण किया। इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए भारत कच्चा माल भी जुटाता था तथा बने माल के लिए बाजार भी। उन्होंने हमारे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना को महत्त्व नहीं दिया। वर्तमान में किसी भी व्यवसाय के फलने-फूलने में राज्य की सहायता और आर्थिक नीतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।
6. **युद्ध** (War)—युद्ध के दिनों में आर्थिक अपव्यय बहुत होता है, परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर गरीबी पनपती है। दो विश्वयुद्धों ने पश्चिमी देशों को दिवालिया बना दिया। युद्ध में पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है। अत: स्त्रियों को अर्जन करना होता है और कई बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं तथा समाज में आर्थिक सम्बन्ध अस्त-व्यस्त हो जाते हैं युद्ध के कारण मानसिक पीड़ा और अस्थिरता उत्पन्न होती है जिससे उत्पादन की क्रिया भी प्रभावित होती है। युद्ध के दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि होती है तथा व्यापारिक मार्ग बन्द हो जाते हैं।
7. **सांस्कृतिक कारक** (Cultural Factors)—हमारी संस्कृति में अधिक धन प्राप्ति को या धन के लिए जीवन को खपा देने को उचित नहीं माना गया है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में सादा जीवन और उच्च विचार की बात कही गयी है। अत: लोग धन के पीछे नहीं भागते वरन् जीवन की कम-से-कम आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सन्तोष महसूस करते हैं वर्तमान में भारत की गरीबी का जो उल्लेख किया जाता है, वह पश्चिमी देशों की देन है। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है। जिसे किसी देश और समाज की संस्कृति के सन्दर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

इन सामान्य कारकों के अतिरिक्त भारत में गरीबी के लिए अनेक अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं जो अग्र प्रकार हैं—

TOUCH 'n' PASS

8. **बढ़ती जनसंख्या** (Increasing Population)—भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ ने भी गरीबी को बढ़ावा दिया है। जिस गति से यहाँ जनसंख्या बढ़ती है, उसी गति से जीवन-यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती। परिणामस्वरूप लोगों को बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ता है। माल्थस ने अपने लेख 'एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन' में बढ़ती जनसंख्या को गरीबी के लिए उत्तरदायी माना है। जनसंख्या की तुलना में जब उत्पादन नहीं होता है तो आर्थिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। माँग और पूर्ति के इस असन्तुलन के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय-शक्ति घटती है। फलस्वरूप लोग अपनी आवश्यक आवश्यकताएँ भी नहीं जुटा पाते और उन्हें दीनहीन अवस्था में जीवन-यापन करना पड़ता है।
9. **बेकारी** (Unemployment)—बेकार होने पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय न होने पर वह अपना तथा अपने पर आश्रितों का भरण-पोषण नहीं कर पाता। उत्पादन के साधनों के अभाव में भी बेकार व्यक्ति अर्जन नहीं कर सकता और उसे अपनी आवश्यकताओं को घटाकर निम्न जीवन-स्तर बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कई बेकार व्यक्तियों को तो भीख माँगकर जीवन-यापन करना पड़ता है।
10. **कृषि** (Agriculture)—कृषि की गिरी हुई दशा के कारण तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में ग्रामीण को कई बार भुखमरी का सामना करना पड़ता है। उन्नत खाद, बीज एवं साधनों के अभाव एवं परम्परागत खेती के तरीकों के कारण कृषि की उपज इतनी नहीं हो पाती कि किसान वर्ष भर के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण और कुछ बचत कर सके। अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। अत: जब वर्षा अच्छी होती है तो आसानी से वर्ष भर भरण-पोषण हो पाता है अन्यथा लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है।
11. **जमींदारी प्रथा** (Zamindari System)—भारत में जमींदारी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है और सीलिंग एक्ट द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गयी है, किन्तु अब भी जमींदारी प्रथा व्यवहार में किसी-न-किसी रूप में मौजूद है। इस प्रथा के कारण कुछ लोगों के पास ही कृषि योग्य भूमि केन्द्रित है। वे कृषि मजदूरों के द्वारा उस पर खेती करवाते हैं और फसल का अधिकांश भाग फसल पैदा करने वाले को न मिलकर भू-स्वामी को मिलता है। अधिकांश कृषि-योग्य भूमि के अनुपस्थित मालिक होते हैं जो अपनी भूमि को या तो ठेके पर देते हैं या मजदूरों की सहायता से उस पर खेती करवाते हैं। इस प्रकार कृषि उपज का अधिकांश भाग जमींदारों के हाथ में चला जाता है।
12. **साहूकारी प्रथा** (Moneylending System)—गाँवों में सहकारी समितियों का अभाव है। किसान को अपनी जरूरत के समय साहूकारों के पास जाना होता है। साहूकार किसानों और ग्रामीणों की मजबूरी तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। वे जीवन भर ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाते। राजस्थान में अभी कुछ समय पूर्व तक ही सागड़ी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार उधार लेने वाले व्यक्ति को उस समय तक जब तक कि वह ऋण पुन: नहीं लौटा दे, साहूकार के घर पर मुफ्त सेवा प्रदान करनी पड़ती थी। साहूकारों के चंगुल में फंसने पर उनसे मुक्ति पाना बहुत कठिन था और गरीब सदा गरीब ही बने रहते थे।
13. **सामाजिक कुप्रथाएँ** (Social Evils)—हिन्दू समाज में दहेज, मृत्युभोज तथा विवाह से सम्बन्धित कई सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। इन रीति-रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। इसके लिए उसे ऋण लेना होता है या अपनी भूमि व मकान तथा जायदाद को गिरवी रखना या बेचना होता है, अपनी बैलगाड़ी और उत्पादन के साधनों की समाप्ति के कारण आय भी समाप्त हो जाती है और उसे मजदूरी द्वारा जीवन-यापन करना पड़ता है। ब्याज की दर भी इतनी ऊँची होती है कि एक बार ऋण के जाल में फंसने पर व्यक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक ऋण से मुक्ति पाना बड़ा कठिन होता है। अन्ध-विश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण कई लोग गरीबी को ईश्वर की देन मानते हैं।
14. **अज्ञानता और अशिक्षा** (Ignorance and Illiteracy)—भारत में बहुत कम लोग ही शिक्षित हैं और गाँवों में तो शिक्षा का नितान्त अभाव है। शिक्षा की कमी के कारण लोग अज्ञानी होते हैं, वे तार्किक दृष्टिकोण के स्थान पर भावात्मक दृष्टि से ही किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। ग्रामीणों की अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ जमींदार और साहूकार उठाते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं।
15. **प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन** (Under Exploitation of Natural Resources)—भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की प्रचुरता है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, उभ्रक, सीसा, ग्रेफाइट, समुद्री खनिजों और अनेक प्रकार के खनिज

TOUCH 'n' PASS

पदार्थों का भारत में प्रचुर भण्डार है। किन्तु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। कृषि योग्य भूमि में ही प्रति एकड़ उपज बहुत कम है जिसके बढ़ाये जाने की काफी सम्भावना है। इसलिए ही कहा जाता है कि भारत एक सम्पन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं।

16. **आलस्य और निष्क्रियता** (Laziness and Passivity)—भारत में काफी लोग आलसी और निष्क्रिय भी हैं। इस निष्क्रियता के लिए यहाँ की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ, भाग्य पर विश्वास, उदासीनता तथा बुरा स्वास्थ्य आदि उत्तरदायी हैं। भारतीयों की आलसी प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए **गुन्नार मिर्डल** लिखते हैं, "यदि आप अपनी अगली छुट्टियाँ देश के किसी भीतरी हिस्से के किसी दूर गाँव में बिताएँ तो आप देखेंगे कि लोग निरुत्साहित और भय से ग्रस्त हैं। आपको टूटे-फूटे मकान देखने को मिलेंगे, आपको ढोर (पशु) बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिलेंगे। इन सब बातों के बावजूद आप यह देखेंगे कि सर्वत्र आलस्य व्याप्त है।"
यहाँ के लोग स्वयं अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्साहित नजर नहीं आते। उन्होंने अपनी दशा को सुधारने के लिए साधारणत: संघर्ष या आन्दोलन नहीं किये हैं। वे अपनी माँगों को प्रकट करने के प्रति उदासीन रहे हैं और संगठित होकर हितों की रक्षा के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर शायद ही कभी प्रयत्नशील रहे हों।
17. **नरम राज्य** (Soft State)—गुन्नार मिर्डल सभी अविकसित राष्ट्रों में गरीबी का एक कारण 'नरम राज्य' मानते हैं। नरम राज्य का अभिप्राय उस सामाजिक अनुशासनहीनता से है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जैसे कानून की कमियाँ तथा कानून के पालन और लागू करने की खामियाँ, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अफसरों द्वारा इन नियमों और निर्देशों की व्यापक अवहेलना जिनका उन्हें पालन करना एवं करवाना होता है। अक्सर उनकी ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों और समूहों से सांठ-गांठ होती है जिनके आचरण को नियमित बनाने की जिम्मेदारी इन अफसरों पर होती है। नरम राज्य की संकल्पना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार भी आता है। नरम राज्यों में जिन लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता होती है, वे शोषण और मनमाना आचरण करते हैं।

प्र.3. निर्धनता के दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। निर्धनता समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए।
Mention the evil effects of poverty. Give suggestions to end poverty.

उत्तर

निर्धनता के दुष्प्रभाव
(Evil Effects of Poverty)

गरीबी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि धन अर्जन कर जीवन-स्तर को उन्नत किया जाए। गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ गरीबी के दुष्प्रभावों का उल्लेख करेंगे—

1. **गरीबी के शारीरिक प्रभाव** (Physical Effects of Poverty)—गरीबी शारीरिक कमियों को जन्म देती है। क्षय रोग को गरीबों की बीमारी माना गया है। गरीबों में क्षय रोग की अधिकता के कारण गरीबी व क्षय रोग का सह-सम्बन्ध बताया जाता है। लम्बी बीमारी और कार्य न करने की क्षमता भी लोगों को गरीब बनाती है। धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं जुटा पाते। लम्बे समय तक बीमारी चलती रहने पर शरीर क्षीण हो जाता है। गरीबी के कारण कई लोगों को सन्तुलित आहार तो क्या भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। पर्याप्त भोजन और चिकित्सा के अभाव में मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। अमेरिका में अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि धनवानों की अपेक्षा गरीबों में बच्चों की मृत्यु दर, गर्भपात तथा मरे हुए बच्चे पैदा होने की संख्या अधिक थी। गरीबी के कारण ही लोगों को व्यावसायिक थकान, चिकित्सा के प्रति उपेक्षा, गन्दे मकान, मनोरंजन का अभाव, बुरा स्वास्थ्य, छूत की बीमारियों एवं कुपोषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
2. **मानसिक प्रभाव** (Mental Effects)—गरीबी कुपोषण और छूत के रोगों को जन्म देती है जिनका मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। गरीबी कुपोषण के लिए और कुपोषण मानसिक कमियों के लिए उत्तरदायी है। **एल०जे० रॉबर्ट्स** ने कई गरीब बच्चों का मानसिक परीक्षण किया तो पाया कि उनका बौद्धिक स्तर निम्न था। इसके लिए कुपोषण तथा निम्न सामाजिक स्थिति उत्तरदायी है जो गरीबी की देन है। मस्तिष्क का सुजाक तथा छूत के रोगों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है

TOUCH 'n' PASS

और बीमारी का गरीबी से। गरीबी के कारण उचित शिक्षा-दीक्षा नहीं हो पाने पर बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। वर्तमान में सरकार द्वारा निम्न और पिछड़ी जातियों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सुविधाएँ दी जा रही हैं जिससे उनके मानसिक क्षितिज का भी विस्तार हुआ है।

3. **सामाजिक प्रभाव** (Social Effects)—गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को भी प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक प्रस्थिति और निम्न सामाजिक प्रस्थिति एक ऐसे समाज में जहाँ खुली वर्ग व्यवस्था है व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। अधिकांश अपराधी, बाल-अपराधी, भगोड़े, आवारा एवं मानसिक रूप से असन्तुलित व्यक्ति गरीब परिवारों के ही होते हैं। गरीबों के साथ मुख्य समस्या उनकी गरीबी है। गरीबी लोगों में हीनता की भावना पैदा करती है और ऐसे लोग दूसरों से प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ होते हैं। गरीबी को जे०वी० हरी ने उत्पादन क्षमता कम करने, निराशा पैदा करने तथा असामंजस्य उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना है।
4. **गरीबी-गरीबी को उत्पन्न करती है** (Poverty begets Poverty)—निर्धनता एक कुचक्र है। लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि वे गरीब हैं, लोग गरीब इसलिए हैं कि वे बीमार हैं। निर्धन व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। अत: उसकी कार्यक्षमता घट जाती है। कार्यक्षमता घटने पर कम आय प्राप्त होती है और व्यक्ति निर्धन रहता है। **प्रो० नर्कसे** कहते हैं कि कोई देश इसलिए निर्धन है कि वह निर्धन है।
5. **निर्धनता और अपराध** (Poverty and Crime)—गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल-अपराध के कई अध्ययन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया, वे साधारणत: गरीब परिवारों के थे तथा उनके पास खाने, पीने, रहने, शिक्षा और चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं थीं। भूख से मुक्ति पाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग चोरी, डकैती, सेंधमारी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन, मिलावट, चोरी-छिपे माल ले जाने, आदि अपराधों का सहारा लेते हैं।
6. **गरीबी और पारिवारिक विघटन** (Poverty and Family Disruption)—गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्यों को काम करना पड़ता है। माता और पिता काम पर चले जाते हैं और बच्चे भी छोटे-मोटे काम करने लगते हैं। बच्चों पर माता-पिता का नियन्त्रण शिथिल हो जाता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी-कभी स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति तक भी अपना लेती हैं। कम आयु होने पर परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में उनमें परस्पर तनाव, मनमुटाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। गरीब परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। बच्चे भगोड़े और आवारा हो जाते हैं। सदस्यों में हीनता की भावना और निराशा पैदा हो जाती है। ये सभी परिस्थितियाँ सुदृढ़ पारिवारिक संगठन के लिए खतरे के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में परिवार का सुचारु रूप से चलना असम्भव हो जाता है।
   गरीबी के कारण लोगों का जीवन-स्तर गिरता है, वे अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। गरीबी के कारण वैयक्तिक विघटन भी उत्पन्न होता है। गरीब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तित्व का होता है। वह शारीरिक व मानसिक बीमारियों तथा कुण्ठा, हीनता, निराशा, आदि की भावना से ग्रसित हो जाता है।
7. **भिक्षावृत्ति** (Beggary)—गरीबी भिक्षावृत्ति के लिए भी उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि गरीब लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा का अभाव होता है। शारीरिक क्षमता के अभाव के कारण ये लोग कठिन परिश्रम नहीं कर पाते। ऐसे लोग भीख माँगकर ही जीवन-यापन करते हैं।
8. **दुर्व्यसनों में वृद्धि** (Increase in Addictions)—गरीबी के कारण लोग मानसिक चिन्ता एवं निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए वे कई बुराइयों को पाल लेते हैं। कई लोग तनाव को कम करने के लिए शराब पीने लगते है, जुआ खेलने लगते हैं एवं वेश्यागमन करने लगते हैं।
9. **चारित्रिक पतन** (Fall of Character)—गरीबी के कारण उच्च चरित्र बनाए रखना सम्भव नहीं हो पाता। आर्थिक अभाव के कारण कभी-कभी बाध्य होकर स्त्रियाँ अपना तन बेचकर परिवार का भरण-पोषण करने लगती हैं, कुछ स्त्रियाँ तो गरीबी के कारण ही वैश्यावृत्ति अपनाती हैं।

स्पष्ट है कि गरीबी एक भयंकर सामाजिक-आर्थिक समस्या है जो लोगों में शारीरिक व मानसिक बीमारी उत्पन्न करती है, उनकी कार्यक्षमता घटाती है, भुखमरी और बेरोजगारी को जन्म देती है, पारिवारिक, वैयक्तिक और सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। इसके कारण समाज में अपराध की दर बढ़ती है, लोग कुपोषण के शिकार होते हैं और उनका जीवन-स्तर गिर जाता है।

TOUCH 'n' PASS

निर्धनता समाप्त करने हेतु सुझाव
(Suggestions to Eradicate Poverty)

निर्धनता की समस्या को हल करने हेतु यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं—

1. **बेकारी को दूर करना**—बेकारी को दूर करने के सभी सम्भव प्रयास किए जाएँ। ग्रामीण लोग वर्ष में 4-5 महीने बेकार बैठे रहते हैं, अत: ग्रामों में कुटीर व्यवसायों एवं बेकारी के समय के लिए कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों की व्यवस्था की जाए।
2. **जनसंख्या पर नियन्त्रण**—तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास की योजनाओं को शिथिल कर देती है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए भारतीय-संस्कृति एवं समाज के अनुरूप विधियों का प्रयोग किया जाए तथा परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए।
3. **कृषि व्यवस्था में सुधार**—कृषि के परम्परागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीकों, उन्नत बीज, खाद एवं नवीन सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाए। कृषि में हरित क्रान्ति (green revolution) को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष प्रयत्न किए जाएँ।
   भूमि सुधार के नियम लागू किए जाएँ और भूमिहीनों में कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। सीलिंग एक्ट को कारगर रूप में लागू किया जाए। बन्धक श्रमिकों को मुक्त किया जाए एवं किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी संस्थाएँ खोली जाएँ ताकि कृषि क्षेत्र में पूँजी विनियोग में तथा साहूकारों के चंगुल से मुक्त होने में सहायता मिल सके।
4. **तीव्र आर्थिक विकास**—भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए अधिकाधिक औद्योगीकरण किया जाए, गाँवों में छोटे उद्योगों एवं कुटीर व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए तथा साथ ही बड़े कारखाने भी स्थापित किए जाएँ। इससे बेकारी की समस्या के हल होने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ेगा। अब तक हमारे आर्थिक विकास का प्रारूप उत्पादन का रहा है। इसके स्थान पर उपभोग प्रारूप पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
5. **साधनों का उचित वितरण**—केवल मात्र राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने से ही गरीबी की समस्या का हल नहीं होगा जब तक कि उत्पादन के साधनों और लाभों का समाज के सभी लोगों में समान रूप से वितरण न किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित हैं। ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे पूँजी एवं सम्पत्ति का समान रूप से वितरण हो। किसानों को सस्ते दामों पर वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाएँ। सरकार न्यूनतम आय का निर्धारण कर दे और जिनकी आय इस स्तर से कम हो, उन्हें सहायता प्रदान की जाए। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. **ग्रामीण औद्योगीकरण**—गाँवों में ऐसे छोटे-छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जिनमें अधिक रोजगार सुविधाएँ मिलने की सम्भावनाएँ हों। इससे न तो अति भीड़, परिवहन, मकान, आदि की समस्या उत्पन्न होगी और न औद्योगिक अशान्ति।
7. **ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य**—गाँवों में सार्वजनिक कार्य तेजी से शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए सड़कें, नहरें, कुएँ, ग्रामीण मकान, बिजली, आदि के निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं। इससे ग्रामीण बेरोजगारी में कमी होगी व गरीबी को कम करने में सहायता मिलेगी।
8. **सामाजिक सेवाएँ व सुरक्षा**—राज्य को सामाजिक सेवाएँ; जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आदि का विस्तार करना चाहिए और जनता को यह बताना चाहिए कि कम आयु में वह किस प्रकार अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती है। श्रमिकों व आम जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। गरीब को अपना मकान बनाने की सुविधा देने के लिए सहायता व अनुदान दिया जाना चाहिए। जीवन बीमा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
9. **भ्रष्टाचार का उन्मूलन** किया जाए ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से प्रयत्न किए जा सकें।
10. **सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त** किया जाए। छुआछूत की समाप्ति की जाए। दहेज, मृत्यु-भोज और अन्य ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए कठोर कानून बनाए जाएँ एवं दण्ड की व्यवस्था के साथ-साथ जन-जागरण का कार्यक्रम तैयार किया जाए। इन कुप्रथाओं को निभाने के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उसे मुक्ति मिलेगी। ऐसी स्थिति में लोग उस पैसे को अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में लगा सकेंगे।

TOUCH 'n PASS

11. **शिक्षा का प्रसार**—औद्योगिक और सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाए जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर अज्ञानता, रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से भी छुटकारा मिल सकेगा। शिक्षा से मजदूर की कार्यक्षमता, दक्षता और गतिशीलता में वृद्धि होगी। शिक्षा को अधिकाधिक व्यवसाय से जोड़ा जाए तथा शिक्षा की योजना आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हो।
12. योजना की कमियों को दूर किया जाए तथा देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएँ।
13. प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, अनावृष्टि तथा कीड़े-मकोड़ों के प्रकोप, आदि से रक्षा की उचित व्यवस्था की जाए।
14. मद्य-निषेध को और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए।
15. गन्दी बस्तियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नियोजित बस्तियाँ बसायी जाएँ।
16. स्वास्थ्य-संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाए।
17. देश के उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन किया जाए।
18. देश में यातायात के साधनों का अधिकाधिक विकास किया जाए।
19. बचत की आदत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इससे पूँजी की वृद्धि होगी और पूँजी को उत्पादन कार्यों में लगाया जा सकेगा जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी।

गरीबी की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध प्रयत्न किए हैं फिर भी यह समस्या हल होने के स्थान पर दिनोंदिन और गम्भीर होती गयी है।

प्र.4. विषमता का अर्थ बताते हुए, भारत में जाति संबंधी असमानता का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Explain in detail the caste inequality in India giving the meaning of inequality.

उत्तर

विषमता का अर्थ
(Meaning of Inequality)

व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना, समाज में विशेषाधिकारों का पया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा आय व सम्पत्ति के आधार पर अन्तर पाया जाना तथा इन आधारों पर व्यक्ति-व्यक्ति तथा समूह-समूह के बीच ऊँच-नीच का भेद मानना एवं सामाजिक दूरी बरतना। शक्ति, सत्ता व प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं।

विषमता का तात्पर्य एक समाज के लोगों के जीवन-अवसर तथा जीवन-शैली की भिन्नताओं से है जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरण के रूप में भूस्वामी तथा भूमिहीन श्रमिक या ब्राह्मण व हरिजन की सामाजिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले अन्तर के कारण उन्हें प्राप्त जीवन-अवसरों तथा जीवन-शैलियों में भी अन्तर देखने को मिलता है। **आन्द्रे बिताई** ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि बिना परम्पराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और ये ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में **रूसो** आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मस्तिष्क के गुणों को सम्मिलित करते हैं। इनको प्रत्येक समाज में समान महत्त्व नहीं दिया जाता। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रकृति में सर्वत्र अन्तर पाए जाते हैं तो भी यह मानकर चलना पड़ेगा कि अन्तर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं में परिवर्तित होते हैं।

जाति सम्बन्धी असमानता
(Inequality Related to Caste)

जन्म, जाति एवं प्रजाति भी विषमता के लिए उत्तरदायी है। जो लोग उच्च समझे जाने वाले कुल, वंश, जाति एवं प्रजाति में जन्म लेते हैं, वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और इस आधार पर भी विषमता पनपती है। काले, गोरे तथा ब्राह्मण व हरिजन के बीच पाई जाने वाली विषमता का यही आधार है। ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता का एक प्रमुख आधार है।

पूर्व-औद्योगिक समाजों में जाति-व्यवस्था विशेषत: पाई जाती है। जैसे-जैसे कोई समाज औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ता है, उसके साथ-साथ वहाँ जाति विभाजन के बजाए वर्ग-विभाजन का महत्त्व बढ़ता जाता है। परम्परावादी एवं कृषि प्रधान समाजों में जाति व्यवस्था का विशेषत: प्रभाव देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में सामाजिक विषमता को धर्म के द्वारा समर्थन प्राप्त होता

TOUCH 'n' PASS

है। भारतीय जाति व्यवस्था को धर्म एवं प्रथागत कानून दोनों का समर्थन प्राप्त रहा है। यहाँ सामाजिक विषमता सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों ही रूपों में समाज द्वारा स्वीकृत रही है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन-शैली होती है। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. जाति की सदस्यता जन्मजात होती है।
2. जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है।
3. जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है।
4. प्रत्येक जाति एक अन्तर्विवाही समूह है।
5. प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है।
6. जाति के सदस्य खान-पान एवं सामाजिक सहवास सम्बन्धी नियमों का पालन करते हैं।
7. प्रत्येक जाति की स्थानीय समुदाय में एक पंचायत होती है जो सदस्यों से जाति के नियमों का पालन करवाती है।
8. जाति की सदस्यता सम्पूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न या उपलब्धि द्वारा जाति की सदस्यता नहीं बदल सकता।

जाति व्यवस्था के अन्तर्गत पाया जाने वाला ऊँच-नीच का संस्तरण तथा उच्च व निम्न जातियों के बीच अधिकारों का असमान वितरण भारतीय समाज में सामाजिक विषमता के लिए विशेषत: उत्तरदायी है। सामाजिक विषमता का चरम रूप अस्पृश्यता के रूप में वहाँ देखने को मिलता है जहाँ कुछ जातियों को जन्म से ही अछूत मान लिया जाता है तथा उच्च जातियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सब प्रकार के अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। उच्च जातियों का उत्पादन के साधनों—विशेषत: भूमि पर नियन्त्रण रहा है, जबकि निम्न जातियों या अस्पृश्य जातियों के लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा है। वे केवल अपने श्रम को बेचकर अथवा कोई घृणित या हीन समझे जाने वाले पेशे को अपनाकर ही अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। उन्हें शक्ति, सत्ता एवं प्रभुत्व प्राप्त नहीं था और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में उनका स्थान भी सबसे नीचा है। परिणामस्वरूप उच्च और निम्न व अस्पृश्य जातियों के जीवन-अवसर एवं जीवन-शैली में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे जाति-व्यवस्था वाले समाजों में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, इनमें व्यक्तिगत उपलब्धियों का महत्त्व कम होता है। **आन्द्रे बिताई** ने बताया है कि जाति व्यवस्था में संस्तरण की एक प्रणाली सदैव से रही है। आज भी संस्करात्मक दृष्टि से विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरी पाई जाती है। कुछ जातियों का सम्बन्ध पवित्र समझे जाने वाले व्यवसायों से रहा है तो कुछ जातियों को अपवित्र समझे जाने वाले पेशों से ही अपनी आजीविका कमानी पड़ी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज जाति और व्यवसाय का सम्बन्ध टूटता जा रहा है। प्रत्येक जाति में सामान्यत: ऐसे परिवार भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने शिक्षा और अच्छी नौकरियाँ प्राप्त कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने में सफलता प्राप्त की है। निम्न समझी जाने वाली जाति का भी कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता अथवा आरक्षण के कारण जब कोई उच्च अधिकारी या, आई०ए०एस० या आर०ए०एस०, डॉक्टर, इंजीनियर, आदि बन जाता है तो अन्य उच्च जातियों के लोग भी उसके सम्पर्क में आते हैं। इस प्रकार विभिन्न जातियों के कई परिवारों को जाति-प्रणाली की परम्परागत व्यवस्था में ऊपर उठने का मौका मिला है।

नगरीय क्षेत्रों में सामान्यत: जातीय आधार पर विषमता देखने को नहीं मिलती है। ग्रामीण भारत में जातीय आधार पर आज भी असमानताएँ पाई जाती हैं। यद्यपि अस्पृश्यता या छुआछूत को कानूनन समाप्त किया जा चुका है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है। समय-समय पर समाचार-पत्रों में ऐसी घटनाएँ भी पढ़ने को मिलती हैं जब उच्च जाति के लोगों ने किसी ग्राम विशेष में निम्न जातियों पर किसी-न-किसी प्रकार के कई अत्याचार किए, कहीं किसी दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया, उसकी बारात को गाँव की मुख्य सड़कों के बीच से नहीं निकलने दिया, या किसी विशेष प्रकार के आभूषण पहनने से मना किया, आदि। इस प्रकार की घटनाओं को अपवाद मात्र ही माना जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि जातीय आधार पर पाई जाने वाली विषमताएँ पिछले 58 वर्षों में अनेक कारणों से कम हुई हैं, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि अब जातियों में किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं पाई जाती। जाति व्यवस्था अपने परम्परागत रूप में अवश्य कमजोर पड़ी है, पर देश में चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं ने वोट बैंक के रूप में जातियों के महत्त्व को बढ़ा दिया है। चुनाव में जीतने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को वोट चाहिए और वोट प्राप्त करने के लिए वह अपनी जाति का सहारा लेता है। राजनीतिक दृष्टि से जातियाँ 'हित-समूहों' के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने लगी हैं। राजनीतिक दल तक भी किसी क्षेत्र से प्रत्याशी का चयन करते समय उसकी जाति के सदस्यों की संख्या का विशेषत: ध्यान रखते हैं।

TOUCH 'n' PASS

आरक्षण ने भी विभिन्न जातियों को संगठित होने का मौका दिया है। उच्च समझे जाने वाली कई जातियाँ भी अब अपने लिए आरक्षण की माँग करने लगी हैं। देश में ब्राह्मण व राजपूत जातियों के द्वारा भी आन्दोलन द्वारा आरक्षण की माँग उठाई गई है। आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों का स्वार्थ जातीय आधार पर अपने संगठनों को मजबूत करने और अपने हितों की रक्षा करने में रहा है। इससे उच्च समझे जाने वाली और आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों में विद्वेष बढ़ा है।

जातीय आधार पर पाई जाने वाली विषमता को दूर करने हेतु आवश्यक है कि देश के नेतृत्व को जातीय आधार पर पनपने वाले हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने का अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से बालकों का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जाति-पांति का भेद किसी भी रूप में पनप नहीं सके। अपने नाम के आगे जाति लगाने की व्यवस्था को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आरक्षण की नीति पर इस दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि जिन जातियों कों आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं है, उन जातियों के निर्धन व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।

प्र.5. अल्पसंख्यक से आपका क्या तात्पर्य है? भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर एक लेख लिखिए।
What do you mean by minority? Write an article on religious minorities in India.

उत्तर

अल्पसंख्यकों से अभिप्राय
(Meaning of Minorities)

सामान्यत: अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से लिया जाता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न एवं कम संख्या में हो। सन् 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षक विधेयक के सन्दर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिनकी संख्या राज्य में 50 प्रतिशत से कम है। किसी भी समूह को अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं, यह निर्णय एक राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, आदि धर्मावलम्बियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में गिना जाता है। भाषा की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत के सन्दर्भ में हिन्दी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य भाषाएँ बोलने वालों को तथा एक प्रान्त के सन्दर्भ में उस प्रान्त की प्रान्तीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएँगा। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग बहुसंख्यक और हिन्दी भाषी लोग अल्पसंख्यक कहलाएँगे।

इस प्रकार अल्पसंख्यकों की कोई सर्वमान्य परिभाषा, न होकर उन्हें प्रान्त और देश के सन्दर्भ में उनकी संख्या के आधार पर ही देखना होगा। सामान्यत: अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं।

भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ
(Categories of Minorities in India)

भारत में अल्पसंख्यकों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया है—(1) धार्मिक अल्पसंख्यक, (2) भाषायी अल्पसंख्यक, (3) जनजातीय अल्पसंख्यक। लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता प्रदान की गई है। धार्मिक, जनजातीय एवं भाषायी अल्पसंख्यक समूहों का उद्देश्य राज्य से कुछ ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करना होता है जिनके द्वारा वे अपने धर्म, संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकें, उनका प्रचार-प्रसार कर सकें जिससे कि बहुमत के साथ उनका विलय न हो और वे अपनी विशिष्टता बनाए रख सकें। हम यहाँ भारत में पाए जाने वाले धार्मिक, जनजातीय एवं भाषायी अल्पसंख्यकों, का उल्लेख करेंगे।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक
(Religious Minorities in India)

भारत में अनेक धर्मों से सम्बन्धित लोग विश्वास करते हैं। इनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, आदि धर्मों को मानने वाले लोग प्रमुख हैं। हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सर्वाधिक संख्या में हैं, शेष धर्मों के अनुयायी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में

आते हैं। सन् 1981 से 2001 तक की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को हम निम्नांकित तालिका द्वारा प्रकट कर सकते हैं—

भारत में विभिन्न धर्म एवं उनके अनुयायी
(Different Religions and Their Followers in India)

धर्म	2011		1991		2001	
	जनसंख्या (करोड़ों में)	प्रतिशत	जनसंख्या (करोड़ों में)	प्रतिशत	जनसंख्या (करोड़ों में)	प्रतिशत
हिन्दू	96.63	79.8	67.26	82.41	82.75	80.5
मुस्लिम	17.22	14.2	9.52	11.67	13.81	13.4
ईसाई	2.78	2.3	1.89	2.32	2.4	2.3
सिख	2.08	1.7	1.63	1.99	1.92	1.9
बौद्ध	0.84	0.7	0.7	0.77	0.74	0.8
जैन	0.45	0.4	0.34	0.41	0.43	0.4
अन्य (पारसीयों सहित)	0.79	0.7	0.35	0.43	0.66	0.6

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में हिन्दू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, आदि अल्पसंख्यक हैं। भारत में हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। भारतीय समाज उसी समय स्वस्थ रहता हुआ प्रगति कर सकता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता हो, वे परस्पर उदारतापूर्वक व्यवहार करें और धर्म को राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक के रूप में न आने दें।

प्र.6. मुस्लिम एवं ईसाई अल्पसंख्यकों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on Muslim and Christian minorities.

उत्तर

मुस्लिम अल्पसंख्यक
(Muslim Minority)

भारत में अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की 14.2 करोड़ है। अंग्रेजी शासन काल में भारत की 40 करोड़ जनसंख्या में 9 करोड़ मुसलमान थे। अंग्रेजों के समय मुसलमानों का सर्वप्रथम संगठित आन्दोलन वहाबी आन्दोलन था जो प्रारम्भ में एक धर्म-सुधार आन्दोलन था, किन्तु बाद में इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्त्व भी जुड़ गए। यह ब्रिटेन विरोधी आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ और बंगाल के मुसलमान किसानों में भी फैला जिसने किसान विद्रोहों को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों ने अधिक भाग लिया। अत: अंग्रेजों ने उनके प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई।

भारत में एक लम्बे समय तक मुसलमानों का शासन रहा। इस दौरान इनके संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी। किन्तु अंग्रेजों ने शासन करने के लिए 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया। अंग्रेजों से पूर्व भारत में राज-काज की भाषा अरबी और फारसी थी जिसके स्थान पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रारम्भ किया। 1906 में भारत में **'मुस्लिम लीग'** की स्थापना की गई। इसी वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्रों एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों के शासनकाल में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर स्वशासन और स्वतन्त्रता की माँग की, उन्होंने गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। अब तक हिन्दू और मुसलमान परस्पर सहयोग से रह रहे थे। 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की और 1940 में लाहौर के अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक् राज्य पाकिस्तान बनाने की घोषणा की। पाकिस्तान की माँग दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर आधारित थी अर्थात् उनका मत था कि हिन्दू और मुसलमान दो पृथक् एवं विशिष्ट राष्ट्र हैं, अत: इनके लिए पृथक्-पृथक् राज्य होने चाहिए। अन्तत: 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ और उसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ।

TOUCH 'n' PASS

पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में ही रह गए। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जब भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई और बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को यह भय पैदा हुआ कि बहुसंख्यक लोग उनके हितों की अनदेखी करेंगे, साथ ही उनमें अपनी सुरक्षा का भय पैदा हुआ जो कि निराधार एवं निर्मूल है। स्वतन्त्र भारत में मुसलमानों को भी अन्य लोगों की भाँति ही कानून द्वारा समानता, स्वतन्त्रता एवं न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। वे देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। स्वर्गीय डॉ० जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉ०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। श्री हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। श्री हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री हिदायतुल्लाह और एच०एम बेग कार्य कर चुके हैं। राज्यपाल के पद पर अलीयावरजंग, अकबर अली खां एवं सादिक अली, राजदूत के पद पर, एम०सी० छागला, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर ए०आर० किदवई, एअर चीफ मार्शल के पद पर इदरिस हसन लतीफ कार्य कर चुके हैं। केन्द्र और राज्यों के सांसद मन्त्री और विधायक के रूप में एवं न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारतीय और प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अनेक पदों पर कई मुसलमान कार्य कर चुके हैं तथा वर्तमान में भी कार्यरत हैं। फिर भी मुसलमानों की निम्नांकित शिकायतें और समस्याएँ रही हैं।

1. **विधानमण्डलों एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असन्तुष्टि**—विधानमण्डलों एवं प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मुसलमानों में असन्तोष रहा है कि इनमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है।
2. **साम्प्रदायिक दंगे**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। गुजरात, मेरठ, अहमदाबाद, बिहारशरीफ, रांची, जबलपुर, इन्दौर, भिवानी, मुरादाबाद, ब्यावर एवं अलीगढ़, आदि अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिकता की आग भड़कती रही है। इन दंगों के कारण मुसलमानों में बहुमत सम्प्रदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुई है।
3. **उर्दू भाषा का प्रश्न**—मुसलमानों ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिलाने की माँग की है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रचार किया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है अत: उर्दू भाषा का प्रश्न एक साम्प्रदायिक प्रश्न बन गया।
4. **मुस्लिम पर्सनल लॉ**—भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड होगा। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिससे कि इस समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस दृष्टि से सरकार ने मुसलमानों की बहुविवाह पद्धति एवं तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया। इस बात से अनेक रूढ़िवादी मुसलमान रुष्ट हो गए। उनका कहना है कि विवाह सम्बन्धी कानून शरीयत पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप करना धर्म विरुद्ध है।

ईसाई अल्पसंख्यक
(Christian Minority)

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक में मुसलमानों के बाद ईसाइयों का स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 2.3 तथा इनकी जनसंख्या 2.78 करोड़ है। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई लोगों का शासन रहा। भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर वे ईसाई बने हैं। ईसाइयों की संख्या केरल और दक्षिणी भारत के अनेक राज्यों में अधिक है। इनका कोई राजनीतिक दल नहीं है। ईसाइयों ने राजनीति की अपेक्षा अपने को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगा रखा है। अंग्रेजों के समय इनके संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी। अंग्रेजों के बाद भारतीय ईसाइयों ने अपनी सुरक्षा में सन्देह प्रकट किया और उन्होंने यूरोप में बसने की इच्छा प्रकट की। इधर ईसाइयों की वफादारी में शंका प्रकट की जाने लगी और उन्हें विघटनकारी तत्त्व समझा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने लालच और बल के आधार पर हिन्दुओं को ईसाई बनाया। हिन्दुओं को अपने धर्म से च्युत करने के लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों से आने लगा। मणिपुर, असम, नगालैण्ड एवं मेघालय, आदि राज्यों में ईसाइयों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने कई जनजातीय एवं अछूत व निम्न जातियों के लोगों को ईसाई बनाया। ऐसी स्थिति में 22 दिसम्बर, 1978 को ओमप्रकाश त्यागी ने लोकसभा में **'धर्म स्वतन्त्रता विधेयक'** के नाम के एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक की धारा तीन के अन्तर्गत "कोई भी प्रत्यक्षत: या बलपूर्वक या उत्प्रेरण द्वारा या प्रवंचन द्वारा या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही इस तरह के प्रयास के लिए दुष्प्रेरणा देगा, यदि ऐसा करेगा तो व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास और तीन हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा।" इस विधेयक के विरुद्ध ईसाई समाज के विरोध को देखते हुए इसे पारित नहीं किया गया।

ईसाइयों के प्रति शंका का एक कारण यह भी रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजातियों ने पृथक्तावादी आन्दोलन को जन्म दिया, साथ ही हिन्दू एवं अन्य लोगों में धर्म-परिवर्तन की शंका एवं भय को गहरा किया, इस प्रकार ईसाइयों ने भी भारतीय समाज में एकीकरण की समस्या पैदा की।

प्र.7. भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed account of language based minority in India.
***अथवा* धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं?**
***Or* Which efforts have been made by the government to solve the problems of religious and linguistic minorities?**

उत्तर

भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक
(Minorities Based On Language)

भारत में भाषायी अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न हैं। बंगाली बोलने वालों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ लगभग 1652 भाषाएँ एवं बोलियां प्रचलित हैं। हिन्दी भारत की सरकारी भाषा है और अंग्रेजी सहयोगी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं (57.09 करोड़) इसके बाद बंग्ला (8.85 करोड़) तेलुगू (7.77 करोड़), मराठी (8.18 करोड़), तमिल (6.36 करोड़), उर्दू (5.18 करोड़), गुजराती (4.99 करोड़), मलयालम (2.93 करोड़), कन्नड़ (4.84 करोड़), उड़िया (3.51 करोड़), भोजपुरी (2.31 करोड़), और पंजाबी (2.97 करोड़) बोली जाती है। शेष भाषाएँ बोलने वाले लोगों की संख्या दस लाख से लेकर दो करोड़ के बीच है। उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे-खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। संसद में सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की भी व्यवस्था है।

इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत के भाषायी अल्पसंख्यकों में असन्तोष विद्यमान रहा है। भाषायी अल्पसंख्यकों की ओर से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की गई। भाषा के आधार पर ही आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा राज्यों का निर्माण किया गया। डी०एम०के० दल ने पृथक् द्रविड़स्तान की माँग की। उर्दू बोलने वालों में भी व्यापक असन्तोष रहा है। उनकी संख्या काफी अधिक है, किन्तु वे देश के विभिन्न भाग में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी राज्य में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। असम में भाषायी आधार पर आन्दोलन हुआ और उन्होंने बंगालियों को असम से बाहर निकालने की माँग की। भाषायी अल्पसंख्यकों की शिकायत है कि राजकीय सेवाओं एवं भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी भाषी लोगों को ही अधिक लाभ मिलेगा। लिपि के प्रश्न को लेकर हिन्दी और उर्दू बोलने वालों में विशेष मतभेद पाया जाता है। भाषायी अल्पसंख्यकों की यह भी माँग है कि विश्वविद्यालयों, आदि में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन-अध्यापन किया जाना चाहिए। दक्षिण के गैर-हिन्दी राज्य हिन्दी भाषा का विरोध करते रहे हैं और वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न
(Efforts made by the Government to Solve the Problems of the Minorities)

धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, आदि के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार करने की छूट दी गयी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का

प्रबन्ध करने, अनुच्छेद 27 में धर्म का प्रचार-प्रसार हेतु कर वसूल करने तथा अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की छूट दी गई है।

अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेद-भाव न बरतने का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 30 धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।

संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने, उनका पुनरावलोकन करने के लिए सरकार ने कई विशिष्ट अधिकारियों एवं आयोगों की नियुक्ति की है। सन् 1978 में 'अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना की जिसका एक अध्यक्ष एवं सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होते हैं। यह कमीशन अन्य कार्यों के अतिरिक्त संविधान में किए गए संरक्षण प्रावधानों का मूल्यांकन करने, उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुझाव देने, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों को लागू करने, शिकायतें सुनने, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु समय-समय पर रिपोर्ट देने का कार्य करता है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् से एक कमीशन है जो संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के दिए गए प्रावधानों के बारे में जाँच-पड़ताल करता है, उनसे सम्बन्धित शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सन् 1983 में केन्द्रीय सरकार ने पृथक् से एक 'अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ' की स्थापना की जो प्रधानमन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। यह प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों के द्वारा राष्ट्रीय जीवन में पूरी तरह भाग लेने, अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करने एवं उनके कल्याण कार्यों की देख-रेख करता है कुछ राज्यों ने भी ऐसे प्रकोष्ठों की स्थापना की है। प्रधानमन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देना, सेवाओं में उनकी भर्ती के लिए प्रयत्न करना तथा 20 सूत्री कार्यक्रमों सहित अन्य विकास कार्यक्रमों के लाभों में उन्हें अपना हिस्सा दिलाना, आदि हैं।

सन् 1987 में न्यायमूर्ति एम०एच० बेग की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को अनेक सुझाव दिए हैं। उनमें से एक सुझाव धर्म को राजनीति से पृथक् रखने का है। आयोग का मत है कि सब प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक माँगों को धर्म-निरपेक्ष दलों द्वारा ही सही ढंग से उठाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के सम्बन्ध में वे सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए जो राष्ट्रीय एकीकरण समिति ने समय-समय पर दिए हैं।

प्र.8. दलित वर्ग से क्या तात्पर्य है? इन लोगों की बनावट पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
What do you mean by Dalit class? Write a short note on the composition of such people.

उत्तर

दलित वर्ग (अनुसूचित जातियाँ/अस्पृश्य लोग)
(Dalits—Scheduled Castes/Untouchables)

'अनुसूचित जाति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। इस शब्द का प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें 'भग्न पुरुष' (Broken Men) या 'बाह्य' जाति (Outcaste) माना जाता था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें दलित वर्ग (Depressed Class) कहा जाता था। 1931 की जनगणना में उन्हें 'बाहरी जाति' (Exterior Caste) के रूप में सम्बोधित किया गया। महात्मा गाँधी ने उन्हें 'हरिजन' के नाम से पुकारा। स्पष्ट है कि ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग (Depressed Class) के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के नामकरण के सम्बन्ध में शुरू से काफी विवाद रहा है। इन्हें अछूत, दलित, बाहरी जातियाँ, हरिजन एवं अनुसूचित जाति आदि नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यन्त दयनीय होने के कारण इनके लिए 'अछूत' शब्द के स्थान पर दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि यह वर्ग अछूत न होकर दलित है, क्योंकि समाज ने इन्हें दबाकर और सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा है। इनकी निम्न दशा के लिए ये स्वयं उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि समाज उत्तरदायी है। सन् 1931 की जनगणना के पूर्व तक इनके लिए 'दलित' शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय जनगणना अधीक्षक ने 'दलित' शब्द के स्थान पर 'बाहरी जातियाँ' शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग का कारण यह था कि इन जातियों का भारतीय सामाजिक संरचना में कोई स्थान नहीं था। सन् 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस अनुसूची के

TOUCH 'n' IAS

आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए 'अनुसूचित जाति' शब्द को काम में लिया गया। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया, उन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा गया। इन्हीं लोगों को 'दलित' माना जाता रहा है। अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ प्रमुख जातियाँ हैं—चुहड़ा, भंगी, चमार, डोम, पासी, रैगर, मोची, राजबन्सी, दोसड़, शानन, धियान, पेरेयाँ तथा कोरी।

सामान्यत: अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है। अत: इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गई है। साधारणत: अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिनका उल्लेख धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएँ दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियाँ, दलित वर्ग, बाहरी जातियाँ और हरिजन नामों से भी पुकारा जाता है। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधर पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती हैं, किन्तु अस्पृश्यता के निर्धारण का यह सर्वमान्य आधार नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसी जातियाँ भी हैं जो घृणित व्यवसायों में लगी हुई हैं, परन्तु फिर भी उन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। अस्पृश्यता का सम्बन्ध प्रमुखत: पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है। हिन्दू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र एवं कुछ को अपवित्र समझा जाता रहा है। यहाँ मनुष्य या पशु-पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया है। ऐसी दशा में इन पदार्थों से सम्बन्धित व्यवसाय में लगी जातियों को अपवित्र समझा गया और उन्हें अस्पृश्य कहा गया। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिन्दुओं को स्पर्श नहीं कर सकते।

हट्टन ने कुछ ऐसी निर्योग्यताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयत्न किया गया है। आपने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो (अ) उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों, (ब) सवर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हों, (स) हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हों, (द) सार्वजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सड़क तथा कुआँ) को उपयोग में लाने के अयोग्य हों, और (य) घृणित पेशे से पृथक् होने के अयोग्य हों। सारे देश में अस्पृश्यों के प्रति एकसा व्यवहार नहीं पाया जाता और न ही देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यों के सामाजिक स्तर में समानता पाई जाती है। अत: हट्टन द्वारा दिए गए उपर्युक्त आधार भी अन्तिम नहीं हैं। डॉ० डी०एन० मजूमदार के अनुसार, "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत-सी नियोग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं।"

दलितों (अनुसूचित जातियों) की संख्या (Number of Dalits/Scheduled Caste)

जहाँ सन् 1935 में दलितों या अस्पृश्य जातियों की कुछ संख्या 277 थी तथा जनसंख्या 5.01 करोड़ थी, वहीं 1981 में उनकी जनसंख्या बढ़कर 10.475 करोड़, 1991 में 13.82 करोड़ तथा 2001 में 91.55 हो गयी जो देश की कुल जनसंख्या का 15.2 प्रतिशत है। दलितों (अनुसूचित जातियों) की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.15 प्रतिशत है। इसके बाद प० बंगाल (23.02%), बिहार (15.72%), आन्ध्र प्रदेश (16.19%), तमिलनाडु (19.00%) मध्य प्रदेश (15.17%), राजस्थान (17.16%), कर्नाटक (16.20%), पंजाब (28.85%) और महाराष्ट्र (10.20%) का स्थान है। करीब 84% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जो मजदूरों, सीमान्त किसानों एवं जोतदारों के रूप में जीवनयापन करती हैं, अनुसूचित जातियों के लगभग 16% लोग नगरों में निवास करते हैं।

करीब-करीब वे सभी लोग जो सफाई करने, मैला ढोने तथा चमड़ा साफ करने के काम में लगे होते हैं, अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं। अनुसूचित जाति के करीब 45% लोग मजदूर श्रेणी के हैं। इनमें चमड़े का काम करने वाले, जुलाहे का, मछुआरे का, डोडे चुनने का, रस्सी व टोकरी बनाने का, धोबी का, भंगी का, शिल्पी का, फल व सब्जी बेचने का, जूता बनाने का, ढोल बजाने का, शराब बनाने का, बढ़ई व लुहार का तथा अन्य विविध कार्य करते हैं। करीब दो-तिहाई बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जाति के ही हैं। अन्य जातियों के लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा का प्रतिशत काफी कम है। आज देश में जबकि शिक्षा का प्रतिशत 74% हो गया है, इनमें शिक्षा का प्रतिशत काफी कम है, इनमें से अधिकतर लोग गरीबी-रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं तथा ये आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार हैं।

अस्पृश्यता का तात्पर्य है 'जो छूने योग्य नहीं है।' अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। सवर्ण हिन्दुओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई, उन पर अनेक निर्योग्यताएँ लाद दी गईं और उनके सम्पर्क से बचने के कई उपाय किए गए।

अस्पृश्यता के अन्तर्गत वे जातीय समूह आते हैं जिनके छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जाएँ और जिन्हें पुन: पवित्र होने के लिए कुछ विशेष संस्कार करने पड़ें। इस सम्बन्ध में डॉ० के एन० शर्मा ने लिखा है, "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ें।"

प्र.9. दलितों (अनुसूचित जातियों) की क्या निर्योग्यताएँ रही हैं? वर्तमान में इनकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
What are the disabilities of Dalits? What are their main problems at present?

उत्तर

दलितों (अनुसूचित जातियों/अस्पृश्यों) की निर्योग्यताएँ
(Disabilities of Dalits— Scheduled Castes/Untouchables)

दलित जातियों की स्थिति को जानने के बाद अब हम उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं एवं निर्योग्यताओं पर विचार करेंगे। निर्योग्यताओं का तात्पर्य है—किसी वर्ग अथवा समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना। भारत में दलित जातियों (अनुसूचित जातियों) की अनेक निर्योग्यताएँ रही हैं। इन निर्योग्यताओं के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया गया। ये निर्योग्यताएँ इनके लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में सिद्ध हुईं। इन्हें दासों के समान जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया और सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से वंचित रखा गया। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि दलितों या अस्पृश्यों की ये निर्योग्यताएँ 19वीं शताब्दी के अन्त तक ही मौजूद रही हैं, 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही सुधार आन्दोलनों तथा बाद में स्वतन्त्र भारत में सरकारी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इनमें काफी कमी आई है। स्मृतियों, पुराणों तथा धर्मग्रन्थों में दलितो (अस्पृश्यों) की निर्योग्यताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया—

I. दलितों की धार्मिक निर्योग्यताएँ (Religious Disabilities of Dalits)

1. दलितों (अस्पृश्यों) को अपवित्र माना गया और उन पर कई निर्योग्यताएँ लाद दी गई। इन लोगों को मन्दिर में प्रवेश, पवित्र नदी-घाटों के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों पर देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें वेदों तथा अन्य धर्मग्रन्थों के अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई।
2. दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। दलितों अर्थात् अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन तथा कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्राद्ध तथा यज्ञ कराने की आज्ञा नहीं दी गई।
3. दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिन्दुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्मग्रन्थों में सालह प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं दिया गया है।

II. दलितों की सामाजिक निर्योग्यताएँ (Social Disabilities of Dalits)

1. दलितों को सवर्ण हिन्दुओं के साथ सामाजिक सम्पर्क रखने व उनके सम्मेलनों, गोष्ठियों, पंचायतों, उत्सवों आदि में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई। उन्हें उच्च जाति के हिन्दुओं के साथ खान-पान का सम्बन्ध रखने से वंचित रखा गया।
2. दलितों (अस्पृश्यों) को अन्य हिन्दुओं के द्वारा काम में लिए जाने वाले कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, स्कूलों में पढ़ने और छात्रावासों में नहीं रहने दिया जाता। इन लोगों को उच्च जातियों द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं के उपयोग की भी आज्ञा नहीं थी। उदाहरण के रूप में ये पीतल तथा ताँबे के बर्तन काम में नहीं ले सकते थे, अच्छे वस्त्र तथा सोने के आभूषण नहीं पहन सकते थे।
3. दलितों या अस्पृश्यों को शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें चौपालों, मेलों तथा हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का अधिकार नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर रह गया।
4. आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वयं दलितों (अस्पृश्यों) में भी संस्तरण की प्रणाली अर्थात् ऊँच-नीच का भेद पाया जाता है। ये लोग तीन सौ से भी अधिक उच्च व निम्न जातीय समूहों में बंटे हुए हैं जिनमें से प्रत्येक समूह की स्थिति एक-दूसरे से ऊँची अथवा नीची है।

TOUCH 'n PASS

III. दलितों की आर्थिक निर्योग्यताएँ (Economic Disabilities of Dalits)

1. दलितों को वे सब कार्य सौंपे गए जो सवर्ण हिन्दुओं द्वारा नहीं किए जाते थे। आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण दलितों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें विवश होकर सवर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्रों तथा त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। दलितों (अस्पृश्यों) को मल-मूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने तथा उनके चमड़े से वस्तुएँ बनाने का कार्य सौंपा गया। ये लोग गाँवों में अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। इन लोगों पर यह निर्योग्यताएँ लाद दी गई कि वे अपने परम्परागत पेशे को छोड़कर किसी अन्य पेशे को नहीं अपना सकते।
2. दलितों को सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यता से भी पीड़ित रहना पड़ा है। इन्हें भूमि अधिकार तथा धन संग्रह की आज्ञा नहीं दी गई। दलितों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी, चाहे प्रतिफल के रूप में उन्हें कितना ही कम क्यों न दिया जाए।
3. दलितों का आर्थिक दृष्टि से शोषण हुआ है। उन्हें घृणित से घृणित पेशों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया, बदले में इतना भी नहीं दिया गया कि वे भरपेट भोजन कर सकें। उनकी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के बदले में समाज ने उन्हें झूठा भोजन, त्याज्य वस्तुएँ व फटे पुराने वस्त्र दिए।

IV. दलितों की राजनीतिक निर्योग्यताएँ (Political Disabilities of Dalits)

दलितों को राजनीति के क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने या राजनैतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। दलितों के लिए सामान्य अपराध के लिए भी कठोर दण्ड की व्यवस्था थी।

दलितों की उपर्युक्त निर्योग्यताएँ मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से विशेष रूप से सम्बन्धित रही हैं। वर्तमान सन्दर्भ में ये निर्योग्यताएँ इतिहास की बातें बनकर रह गई हैं। वर्तमान में दलितों (अस्पृश्य जातियों, अस्पृश्यों) की समस्या प्रमुखत: सामाजिक एवं आर्थिक है न कि धार्मिक एवं राजनीतिक। काफी लम्बे समय से सब प्रकार के अधिकारों से वंचित, निरक्षर, तथा चेतनाशून्य होने के कारण इनकी स्थिति में सुधार होने में कुछ समय लगेगा। इनके प्रति लोगों की मनोवृत्ति में धीरे-धीरे बदलाव आएगा व कालान्तर में ये सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में प्रवाहित हो सकेंगे। दलितों या अस्पृश्यों की निर्योग्यताएँ नगरों में समाप्तप्राय होती जा रही हैं, परन्तु ग्रामों में आज भी दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामों में सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी है।

यह सत्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दलित या अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों की कई निर्योग्यताएँ दूर की गईं, लेकिन यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब तक इन लोगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊँचा नहीं उठाया जाएगा तब तक ये लोग देश में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएँगे। गाँधीजी का भी यही मत था कि जब तक हम दलितों (हरिजनों) को अपने भाइयों जैसा नहीं मानते तब तक हम विश्व-बन्धुत्व की बात नहीं कर सकते। दलितों (अनुसूचित जातियों) की एक नवीन समस्या यह है कि इनमें भी वर्गभेद पनपने लगा है। जिन परिवारों के सदस्यों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर उच्च पद प्राप्त कर लिए हैं अथवा सरकार से ऋण अथवा अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली है वे स्वयं लोगों से पृथक् व उच्च समझने लगे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जाति, समाज और राष्ट्र के व्यापक दृष्टिकोण से सोचने तथा कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

दलित या अनुसूचित जातियों के अधिकतर लोग गाँवों में कृषि श्रमिकों तथा औद्योगिक क्षेत्रों एवं नगरों में कारखानों में अथवा अन्यत्र श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। कभी-कभी कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों के साथ आज भी छोटे-छोटे कारणों को लेकर अमानवीय व्यवहार तक किया जाता है, इन पर अत्याचार तक किए जाते हैं। यदि ये लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं तो गाँव में इनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएँ मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में समय-समय पर घटित हो चुकी हैं। इनके पीछे प्रमुख कारण भूमि सम्बन्धी झगड़े, न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर मजदूरी का भुगतान, ऋणग्रस्तता, बेगार, सार्वजनिक स्थानों को काम में लेने की मनाही आदि रहे हैं। अन्य शब्दों में शोषण से मुक्ति पाने की माँग ही इन घटनाओं के लिए मुख्यत: उत्तरदायी हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.10. दलित वर्ग (अनुसूचित जातियों) के सम्बन्ध में की गई संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the constitutional arrangements made with respect to the Dalit classes.

उत्तर

अनुसूचित जातियों (दलितों) का कल्याण : संवैधानिक व्यवस्थाएँ
(Welfare of Scheduled Castes (Dalits) : Constitutional Provisions)

अनुसूचित जातियों (दलितों) के कल्याण को ध्यान में रखकर ही संविधान में उनके लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गयी है जो इस प्रकार हैं—

1. **संवैधानिक प्रावधान**—संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिए बने कुओं, तालाबों, स्नान-घाटों, सड़कों, आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया जा चुका है और उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 25 में हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों क द्वारा सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों जिनमें अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ आती हैं, की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचाएगा। अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक लोकसभा, विधान सभाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रहेंगे। बाद में यह अवधि दस-दस वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। अब यह अवधि 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। **अनुच्छेद** 335 में कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। **अनुच्छेद** 146 एवं 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक्-पृथक् विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान का सरकार के द्वारा विशेष प्रयत्न किया गया है।
2. **शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ**—अन्य लोगों के समान स्तर पर लाने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया। देश की सभी सरकारी शिक्षण-संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। सन् 1944-45 से अस्पृश्य जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की योजना प्रारम्भ की गई। इन जातियों के विद्यार्थियों में शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार करने हेतु न केवल उन्हें नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा और छात्रवृत्तियाँ ही दी गईं बल्कि इनके लिए मुफ्त पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध भी किया गया। कई स्थानों पर तो इन्हें वस्त्र एवं भोजन भी स्कूल की ओर से ही दिया जाता है। अनेक राज्य सरकारों ने तो समाज-कल्याण विभागों के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चला रखे हैं। इन जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं। छात्रावासों में अन्य जातियों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर रहने को प्रोत्साहित करने के लिए इन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में इनके प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।

TOUCH 'n' PASS

संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी हेतु पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। इन जातियों के छात्रों की शिक्षा पर सरकार शुरू से काफी धनराशि खर्च कर रही है। इन सब सुविधाओं के उपलब्ध होने से अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों में शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है तथा इसकी और अधिक सम्भावना है।

3. **विधान मण्डलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व**—संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इस समय लोकसभा के 543 स्थानों में से 84 और राज्यों की विधान सभाओं के 4,072 स्थानों में से 562 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन सब व्यवस्थाओं के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों में राजनीतिक चेतना निरन्तर बढ़ती जा रही है।
4. **कल्याण एवं सलाहकार संगठन**—केन्द्र एवं राज्यों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अलग-अलग विभागों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में तो अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर पृथक् मन्त्रालय भी स्थापित किए गए हैं। केन्द्र-स्तर पर विभिन्न कल्याण-कार्यक्रमों का दायित्व गृह-मन्त्रालय का है। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए चल रहे कल्याण-कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु संसदीय समितियाँ भी गठित कीं। कुछ राज्यों ने भी राज्य-स्तर पर इसी प्रकार की समितियाँ बनायी हैं। वर्तमान में अनेक ऐच्छिक संगठन भी अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-कार्यों में अपने आपको लगाए हुए हैं।
5. **सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व**—अनुसूचित जातियों के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उच्च जाति के लोगों के सम्पर्क में आने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15 प्रतिशत तथा अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी नियुक्ति के लिए जिनमें सामान्य रूप से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं, राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा तीसरी एवं चौथी श्रेणी में चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में भी अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, बशर्ते इन श्रेणियों में सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक न होती हो। वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में भी अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई।

   सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा योग्यता मानदण्ड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों के द्वारा भी इन लोगों के लिए नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने हेतु समय-समय पर अनेक नियम बनाए गए हैं। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जाँच करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अध्ययन दलों की नियुक्ति की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अनुसूचित जातियों की कितनी प्रगति हुई है तथा उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों का कितना उपयोग हुआ है।
6. **आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास**—अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु सरकार ने उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में अस्पृश्यों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनमें से अधिकांश लोगों को भूमि बाँटी जा चुकी थी। इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए इनके लिए सहकारी समितियों की व्यवस्था भी की गई। इन्हें कुटीर उद्योग-धन्धो में लगाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का प्रबन्ध भी किया गया। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जातियों के ऋणग्रस्त व्यक्तियों को ऋण से मुक्त करने, भूमिहीनों में भूमि का वितरण करने तथा बन्धक श्रमिक प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रयास किए गए। जनवरी, 1976 में सरकार द्वारा पारित बन्धक श्रमिक उन्मूलन कानून का विशेष लाभ अनुसूचित जातियों के लोगों को ही मिला है। सरकार द्वारा इस उद्देश्य से एक उच्चाधिकार समिति का गठन भी किया गया ताकि अस्पृश्य जातियों की आर्थिक स्थिति एवं नौकरी सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सही जानकारी मिल सके।

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसान व छोटे किसान से क्या आशय है? भारत में उनकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?
What is meant by landless labourers, marginal farmers and small farmers? What are their major problems in India?

उत्तर

भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसान व छोटे किसान
(Landless Labourers, Marginal Farmers and Small Farmers)

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की बहुत ही गम्भीर समस्या खेतिहर मजदूरों, सीमान्त किसानों एवं छोटे किसानों की है। इन तीनों की संख्या गाँवों में सर्वाधिक है और ये अत्यन्त गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर एवं दयनीय है तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था का यह उपेक्षित व पिछड़ा हुआ भाग है। इनकी समस्याओं को सुलझाए बिना देश की कृषि अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार लाना सम्भव नहीं है।

भूमिहीन श्रमिक का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Landless Labourer)

खेतिहर श्रमिकों, (भूमिहीन श्रमिकों) से हमारा तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो कृषि कार्य द्वारा अपना जीवन-यापन करते हैं। 1950-51 की 'प्रथम खेतिहर श्रम जाँच समिति' (First Agricultural Labour Enquiry Committee) में उन व्यक्तियों को खेतिहर मजदूर कहा गया जो फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं। 1955-57 की द्वितीय खेतिहर श्रम जाँच समिति में इस श्रेणी में उन मजदूरों को भी शामिल कर लिया गया जो खेती के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित कार्यों में मजदूरी करते हैं, जैसे पशु पालन, बागवानी, मुर्गी-पालन आदि।

राष्ट्रीय श्रम आयोग (National Labour Commission) के अनुसार खेतिहर मजदूर वह है जो मूलत: अकुशल व अव्यवस्थित है और जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे श्रमिक की आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। 1961 की जनगणना में उन व्यक्तियों को खेतिहर मजदूर ठहराया गया जो दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं और जिन्हें नकदी या वस्तु और उत्पादन के भाग के रूप में मजदूरी मिलती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खेतिहर मजदूर वे व्यक्ति हैं जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं या जो वर्ष के अधिकांश दिन मजदूरी करते हैं और जिनकी आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। श्रम के राष्ट्रीय आयोग ने खेतिहर मजदूरों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है—1. भूमिहीन मजदूर (Landless Labourer), 2. बहुत छोटे किसान जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि जोतों के बहुत छोटे होने के कारण मजदूरी है। भूमिहीन श्रमिकों को भी दो भागों में बाँटा गया है—(i) स्थायी श्रमिक जो कृषक परिवारों से बँधे होते हैं, (ii) अस्थायी श्रमिक। अस्थायी श्रमिकों की श्रेणी में वे छोटे किसान भी सम्मिलित हैं जिनके पास बहुत थोड़ी भूमि होती है, अत: वे दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं या दूसरों की भूमि को ठेके पर लेकर खेती करते हैं या बँटाई पर खेती करते हैं।

सीमान्त किसान एवं छोटे किसान : अर्थ (Marginal Farmers and Small Farmers : Meaning)

सीमान्त किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि हैं एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्द्ध-मध्यम, 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले वृहद किसान माने जाते हैं। देश में 12 प्रतिशत सीमान्त, 14 प्रतिशत लघु, 21 प्रतिशत अर्द्ध-मध्यम, 30 प्रतिशत मध्यम और 23 प्रतिशत वृहत् जोतें (Large holdings) हैं। सीमान्त किसान देश में 2.5 करोड़ हैं। खेतिहर मजदूर, सीमान्त किसान एवं छोटे किसान मिलकर कुल ग्रामीण परिवारों के 75 प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं। ये सभी ग्रामीण लोग गरीब हैं। 1961 में देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर एवं 9.95 करोड़ किसान थे। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 4.75 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 5.6 करोड़ खेतिहर मजदूर थे जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 7.8 करोड़ है। 1990-91 में देश में कुल जोतों का 59% सीमान्त किसान, 19% लघु किसान, 13.2% अर्द्ध मध्यम किसान, 7.2% मध्यम एवं 1.6% वृहद किसान थे। इस प्रकार खेतिहर मजदूर जिनमें भूमिहीन मजदूर भी सम्मिलित हैं, सीमान्त किसान एवं छोटे किसान मिलकर ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते हैं। यहाँ हम इन सभी की कुछ समस्याओं एवं उनके सुधार के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख करेंगे।

TOUCH 'n' PASS

भूमिहीन श्रमिकों की समस्याएँ
(Problems of Landless Labourers)

भूमिहीन श्रमिकों (खेतिहर मजदूरों) सीमान्त व छोटे किसानों की प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित हैं—

1. **रोजगार की समस्या**—खेतिहर मजदूरों की एक समस्या यह है कि उन्हें नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता और बेकारी एवं अल्प-रोजगार की स्थिति में रहना पड़ता है। इनका सारा जीवन बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न और अनिश्चितता से भरा हुआ है। कुछ स्थानों पर तो खेतिहर मजदूरों की दशा गुलामों जैसी है तथा भू-स्वामी इनसे बेगार लेते और बहुत ही कम मजदूरी देते हैं। ये अपने मालिक की नौकरी छोड़कर दूसरे मालिक की नौकरी करने के लिए स्वतन्त्रत नहीं होते हैं। रोजगार की दृष्टि से अस्थायी श्रमिकों की दशा तो और भी खराब है तथा इन्हें वर्ष में 3 से 6 महीने बेकारी की स्थिति में व्यतीत करने पड़ते हैं। फलस्वरूप इनमें बेरोजगारी और बढ़ जाती है। कृषि में मशीनीकरण से भी बेकारी में वृद्धि हुई है।
2. **अल्प आय**—खेतिहर मजदूरों को वर्ष के एक बहुत बड़े भाग में बेकार रहना पड़ता है और यहाँ तक कि काम के दिनों में इन्हें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। इन्हें कुछ मजदूरी नकदी में व कुछ वस्तुओं के रूप में भी मिलती है। यद्यपि इस सन्दर्भ में वर्तमान समय में सरकार ने इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। फिर भी इसका पालन बहुत कम लोग ही कर रहे हैं। देश में खेतिहर मजदूरों की औसत आय भी बहुत कम है।
3. **कार्य की दशाएँ**—कम मजदूरी के अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों को बहुत कठिन परिस्थितियों जैसे कड़ी धूप या भारी वर्षा में कठोर परिश्रम करना होता है। इनके काम के घण्टे अनिश्चित और अनियमित होते हैं तथा इन्हें छुट्टी व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। इसका प्रतिकूल प्रभाव इनके स्वास्थ्य, कार्य-क्षमता और जीवन पर पड़ता है।
4. **निम्न जीवन-स्तर**—इन लोगों का जीवन-स्तर काफी निम्न है। कम आय के कारण ये लोग उपभोग पर बहुत कम खर्च कर पाते हैं और अपनी आवश्यक आवश्यकताएँ भी सरलता से पूरी नहीं कर पाते। ये अपनी आय का लगभग 77 प्रतिशत भाग खाद्य-पदार्थों पर, 6 प्रतिशत वस्त्रों पर, 8 प्रतिशत ईंधन व रोशनी पर तथा 9 प्रतिशत सेवाओं व अन्य मदों पर खर्च करते हैं। सामान्यत: ये लोग मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा एवं मक्का खाते हैं। पौष्टिक पदार्थ जैसे माँस, मछली, दूध, फल, सब्जी, आदि का उपभोग तो ये नहीं के बराबर ही करते हैं। तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र एवं रहने को पर्याप्त मकान भी इन्हें उपलब्ध नहीं होते। चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का तो अत्यन्त अभाव है ही।
5. **ऋणग्रस्तता**—कम आय के कारण अधिकांश खेतिहर मजदूर ऋणग्रस्त होते हैं, यहाँ तक कि अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इन्हें ऋण लेना होता है। ऋण इन्हें विरासत में मिलता है। ये लोग ऋण में जन्म लेते हैं व ऋण में ही मरते हैं। असम के चाय बागानों के मजदूरों के बारे में **प्रो० गाडगिल** ने लिखा है, "उनकी स्थिति गुलामों से बेहतर नहीं थी।"
6. **दयनीय सामाजिक स्थिति**—देश के अधिकांश खेतिहर मजदूर उपेक्षित व दलित जातियों के सदस्य हैं जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची होती है और विभिन्न प्रकार से इनका शोषण होता है तथा इन्हें कई अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।
7. **सहायक धन्धों का अभाव**—गाँवों में सहायक धन्धों का अभाव है। यदि किसी प्रकार गाँवों में बाढ़, अकाल, सूखा आदि के कारण से फसल नहीं होती है तो कृषि श्रमिकों को कोई अन्य जीवन निर्वाह का साधन नहीं मिल पाता है जिसके परिणामस्वरूप वे ऋणग्रस्तता में और डूब जाते हैं।
8. **संगठन का अभाव**—कृषि श्रमिकों की एक समस्या उनमें किसी भी प्रकार के संगठन का अभाव है। वे अशिक्षित, अज्ञानी एवं अनभिज्ञ हैं, साथ ही देश के दूर-दूर भागों में फैले हुए हैं। संगठन के अभाव में उनमें मोलभाव करने की क्षमता नहीं है, अत: वे अपनी मजदूरी बढ़वाने, कार्य के घण्टे नियमित कराने, बेगार बन्द कराने, आदि की आवाज तक नहीं उठा पाते।
9. **हरित क्रान्ति**—हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि में उत्पादन के परम्परागत साधनों एवं यन्त्रों के स्थान पर नवीन साधनों जैसे ट्रेक्टर, हल आदि का प्रयोग किया जाता है, नवीन खादों, बीजों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। हरित क्रान्ति का लाभ गाँव के बड़े भूस्वामियों एवं किसानों को हुआ है। छोटे किसान एवं खेतिहर मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला है। हरित क्रान्ति ने गाँवों की आर्थिक असमानता को और बढ़ावा दिया है। इससे भी कृषक असन्तोष बढ़ा है।

TOUCH 'n PASS

प्र.12. अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the recent problems of Scheduled Tribes.

उत्तर

अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान समस्याएँ
(Recent Problems of Scheduled Tribes)

यहाँ हम जनजातियों की वर्तमान समस्याओं का उल्लेख करेंगे—

1. **दुर्गम निवास स्थान** (Inaccessible Habitat)—लगभग सभी जनजातियाँ पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल-भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती हैं जहाँ सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि उनसे सम्पर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के मधुर फल से वे अभी अपरिचित ही हैं और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सम्बन्धी एवं राजनीतिक समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है।
2. **सांस्कृतिक सम्पर्क की समस्या** (Problem of Cultural Contact)—भौगोलिक दृष्टि से आदिवासियों का निवास-स्थान दुर्गम होने के परिणामस्वरूप उनका आधुनिक संस्कृति से सम्पर्क नहीं हो पाया और वे वर्तमान प्रगति की दौड़ में बहुत पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर कुछ आदिवासी संस्कृतियों का बाह्य संस्कृतियों से सम्पर्क बहुत हुआ। इस अत्यधिक सम्पर्क ने भी कई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। बाह्य स्वार्थी समूह जैसे व्यापारी, ठेकेदार एवं सूदखोरों ने जनजातीय लोगों में बसकर इनके बीच नवीन पारिवारिक तनावों, आर्थिक समस्याओं और शारीरिक रोगों को जन्म दिया है। नवीन प्रशासन ने उनका सम्पर्क पुलिस अधिकारियों, प्रशासन एवं वन अधिकारियों, आदि से कराया, जिन्होंने आदिवासियों को सहानुभूति से देखने की अपेक्षा हीन-भावना से देखा। वर्तमान में कई नए उद्योग-धन्धों, खानों एवं चाय बागानों का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है जहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे। इसके फलस्वरूप वे नवीन औद्योगिक एवं नगरीय संस्कृति के सम्पर्क में आए, किन्तु इस नवीनता से अनुकूलन करने में वे असमर्थ रहे, परिणामस्वरूप नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म लिया।
3. **आर्थिक समस्याएँ** (Economic Problems)—वर्तमान सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सम्बन्धी सरकार की नयी नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया, अनेक क्षेत्रों में शिकार करने व शराब बनाने पर भी नियन्त्रण लगा दिया गया, जिसके कारण आदिवासियों को जीवन-यापन के परम्परात्मक तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके अपनाने पड़े। उन्हें जंगलों से लकड़ी काटने, स्थानान्तरित खेती करने एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की मनाही कर दी गई। वे बाध्य होकर अपने मूल निवास को त्यागकर चायबागानों, खानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए चले गए। अब वे भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं औद्योगिक श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे। इन लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर ठेकेदार एवं उद्योगपति इनसे कम मजदूरी पर अधिक काम लेने लगे। इन लोगों के निवास और कार्य करने की दशाएँ भी सोचनीय हैं। इस प्रकार से इनका आर्थिक शोषण किया गया है। पहले इन लोगों की अर्थ-व्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रचलित था, अब वे मुद्रा अर्थ-व्यवस्था से परिचित हुए। इसका लाभ व्यापारियों, मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने उठाया और भोले आदिवासियों को खूब ठगा। वे ऋणग्रस्त हो गए हैं और अपनी कृषि भूमि साहूकारों के हाथों या तो बेच दी है या गिरवी रख दी है।
4. **सामाजिक समस्याएँ** (Social Problems)—नगरीय और सभ्य समाजों के सम्पर्क के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने भी जन्म लिया है। पहले इन लोगों में विवाह युवा अवस्था में ही होता था, किन्तु अब बाल-विवाह होने लगे हैं जो हिन्दुओं के सम्पर्क का परिणाम है। मुद्रा अर्थ-व्यवस्था के प्रवेश के कारण अब इनमें कन्या-मूल्य भी लिया जाने लगा है। सभ्य समाज के लोग जनजातियों में प्रचलित युवा-गृहों को हीन दृष्टि से देखते हैं। युवा-गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन एवं शिक्षा का केन्द्र था, किन्तु अब यह संस्था समाप्त हो रही है जिसके फलस्वरूप कई हानिकारक प्रभाव पड़े हैं।
5. **स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ** (Problems Related to Health)—अधिकांशत: जनजातियाँ घने जंगलों, पहाड़ी भागों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन भागों में अनेक बीमारियाँ पायी जाती हैं। गीले एवं गन्दे कपड़े पहने रहने के कारण कई चर्म रोग हो जाते हैं। इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोहे, अपचन एवं गुप्तांगों की बीमारियाँ भी पायी

TOUCH 'n' PASS

जाती हैं। बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालयों का अभाव है, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की सुविधाएँ नहीं हैं। ये लोग जंगली जड़ी-बूटियों, झाड़-फूँक एवं जादू-टोने का प्रयोग करते हैं। अधिकांश आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। वे लोग महुआ, चावल, ताड़-गुड़, आदि की शराब का प्रयोग करते रहे हैं। वे अब अंग्रेजी शराब का प्रयोग करने लगे हैं जो अधिक हानिकारक है। सन्तुलित आहार एवं विटामिनयुक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य दिनों-दिन गिरता जा रहा है।

6. **शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ** (Problems Related to Education)—जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अन्धकार में पल रही हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 29.60 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय साक्षरता का औसत 52.21 प्रतिशत था। कम शिक्षा के कारण ही जनजातीय लोग अनेक अन्धविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। आदिवासी लोग वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीन हैं क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज की शिक्षा जीवन-निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। अत: शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है।
7. **राजनीतिक चेतना की समस्या** (Problem of Political Awakening)—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान कर उन्हें शासन में हिस्सेदार बना दिया गया है। आज पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातन्त्र में राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी जिसमें अधिकांशत: वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन सम्बन्धी कार्य करते थे। उनकी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्त्व था, किन्तु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ में करने लगे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, असोम, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक जागरूकता के कटु परिणाम निकले हैं। प्रशासकों, भूस्वामियों एवं अजनजाति लोगों से उनके सम्बन्ध तनावपूर्ण हुए हैं। कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है।
8. **सबसे कमजोर कड़ी का पता लगाना** (To Find out the Weakest Link)—जनजातियाँ गरीब एवं उपेक्षित रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे अधिक गरीब एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए जो कि जनजातियों की सबसे कमजोर कड़ी है। इस कमजोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना समय की माँग है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय आदिवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित हैं। प्रजातन्त्र की सफलता उसी समय है जब बहुसंख्यकों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में जब तक इन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमारी राष्ट्रीय प्रगति की योजनाएँ अधूरी ही रहेंगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. 'पिछड़े वर्ग' शब्द का प्रयोग संविधान के किस भाग में किया गया है?

(a) भाग 18 (b) भाग 16 (c) भाग 19 (d) भाग 22

उत्तर (b) भाग 16

प्र.2. न्यूनतम मजदूरी कानून को कृषि क्षेत्र में लागू किया गया—

(a) सन् 1948 में (b) सन् 1976 में (c) सन् 1950 में (d) सन् 1952 में

उत्तर (a) सन् 1948 में

प्र.3. कौन-से अधिनियम के द्वारा सरकार ने निर्धन वर्गों के लोगों के आर्थिक व शारीरिक शोषण को समाप्त कर दिया?

(a) न्यूनतम मजदूरी (b) कृषि उन्मूलन (c) बन्धक श्रम उन्मूलन (d) कोई नहीं

उत्तर (c) बन्धक श्रम उन्मूलन

TOUCH n PASS

प्र.4. किसके अनुसार, जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है?
(a) डॉ० रिवर्स (b) डॉ० मजूमदार (c) गिलिन एवं गिलिन (d) शेपर्ड
उत्तर (b) डॉ० मजूमदार

प्र.5. आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है?
(a) एक (b) दो (c) चार (d) तीन
उत्तर (c) चार

प्र.6. निर्धनता का कारण नहीं है—
(a) आर्थिक कारक (b) सामाजिक कारक (c) पर्याप्त सुविधाएँ (d) राजनीतिक कारक
उत्तर (c) पर्याप्त सुविधाएँ

प्र.7. एक समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन-शैली की भिन्नताओं से तात्पर्य है—
(a) समता (b) विषमता (c) मध्यस्थता (d) कोई नहीं
उत्तर (b) विषमता

प्र.8. किसकी सदस्यता जन्मजात होती है?
(a) राजनीति की (b) जाति की (c) मूल्य की (d) गरीबी की
उत्तर (b) जाति की

प्र.9. कौन-सी स्थिति में व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए वस्तुओं का अभाव होता है—
(a) सापेक्ष निर्धनता (b) विषमता (c) पूर्ण निर्धनता (d) निर्धनता
उत्तर (c) पूर्ण निर्धनता

प्र.10. सभी मानवीय समाजों की विशेषता रही है—
(a) समानता (b) विषमता (c) सापेक्षता (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) विषमता

प्र.11. किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग, जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा एवं धर्म आदि के आधार पर अपने को दूसरों से अलग समझता है—
(a) धार्मिक समूह (b) सांस्कृतिक समूह (c) नृजातीय समूह (d) जातीय समूह
उत्तर (c) नृजातीय समूह

प्र.12. झारखण्ड पहले किस राज्य का हिस्सा था?
(a) बिहार (b) मध्य प्रदेश (c) गुजरात (d) महाराष्ट्र
उत्तर (a) बिहार

प्र.13. पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य कब बनाये गये?
(a) 1967 में (b) 1968 में (c) 1965 में (d) 1966 में
उत्तर (a) 1967 में

प्र.14. आदिवासियों के मसीहा थे—
(a) श्री जयपाल सिंह (b) डॉ० घुरिये (c) ठक्कर बापा (d) आन्द्रे बिताई
उत्तर (c) ठक्कर बापा

प्र.15. भील और गोंड हैं—
(a) अनुसूचित जाति (b) अनुसूचित जनजाति (c) सामान्य जाति (d) पिछड़ी जाति
उत्तर (b) अनुसूचित जनजाति

प्र.16. निम्न में जनजाति नहीं है—
(a) टोडा (b) कोरबा (c) गोंड (d) क्षत्रिय
उत्तर (d) क्षत्रिय

TOUCH 'n' PASS

प्र.17. उत्तर प्रदेश में दलित समाज की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में कैसी है?
(a) बहुत खराब (b) बेहतर (c) मध्यस्थ (d) सामान्य
उत्तर (b) बेहतर

प्र.18. किसने कहा, ''गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को सन्तुलित नहीं रख पाता है?''
(a) डॉ० योगेश अटल (b) गिलिन और गिलिन (c) आन्द्रे बिताई (d) डॉ० रिवर्स
उत्तर (b) गिलिन और गिलिन

प्र.19. निर्धनता का कारक नहीं है—
(a) आर्थिक कारक (b) भौतिक पर्यावरण (c) सांस्कृतिक कारक (d) ज्ञान और शिक्षा
उत्तर (d) ज्ञान और शिक्षा

प्र.20. भारत में अल्पसंख्यकों को कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है?
(a) चार (b) पाँच (c) तीन (d) दो
उत्तर (c) तीन

प्र.21. भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कितनी है?
(a) 16 करोड़ (b) 14.2 करोड़ (c) 12 करोड़ (d) 21 करोड़
उत्तर (b) 14.2 करोड़

प्र.22. 'मुस्लिम लीग' की स्थापना कब हुई?
(a) 1907 (b) 1908 (c) 1906 (d) 1909
उत्तर (c) 1906

प्र.23. भारत में ईसाइयों की संख्या है—
(a) 2.87 करोड़ (b) 2.78 करोड़ (c) 3.88 करोड़ (d) 3.89 करोड़
उत्तर (b) 2.78 करोड़

प्र.24. 'अनुसूचित जाति' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया?
(a) 1984 में, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम (b) 1935 में, साइमन कमीशन द्वारा
(c) 1950 में, न्यायिक अधिकारी अधिनियम (d) 1971 में, न्यायालय अवमान अधिनियम
उत्तर (b) 1935 में, साइमन कमीशन द्वारा

प्र.25. अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने स्थान हैं?
(a) 85 (b) 84 (c) 86 (d) 87
उत्तर (b) 84

प्र.26. सीमान्त किसान वह है, जिनके पास भूमि है—
(a) एक हेक्टेयर से कम (b) दो हेक्टेयर से कम (c) तीन हेक्टेयर से कम (d) चार हेक्टेयर से कम
उत्तर (a) एक हेक्टेयर से कम

प्र.27. भूमिहीन श्रमिकों की समस्याएँ नहीं है—
(a) रोजगार की समस्या (b) संगठन का अभाव (c) निम्न जीवन स्तर (d) अधिक आय
उत्तर (d) अधिक आय

प्र.28. किस क्रान्ति में किसानों द्वारा नवीन साधनों जैसे ट्रैक्टर, हल आदि का प्रयोग किया जाता है?
(a) पीली क्रान्ति (b) हरित क्रान्ति (c) सुनहरी क्रान्ति (d) ग्रीन गोल्ड क्रान्ति
उत्तर (b) हरित क्रान्ति

TOUCH 'n' PASS

❑

UNIT-IV

पारिवारिक समस्याएँ
Familial Problems

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. संघर्ष क्या है?
What is conflict?

उत्तर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरों की इच्छाओं को दबाना या उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है।

प्र.2. दहेज के पक्ष में पाँच तर्क बताइए।
Give five arguments in favour of dowry.

उत्तर दहेज के पक्ष में पाँच तर्क निम्नलिखित हैं—
(i) दहेज न जुटा पाने की स्थिति में कन्याओं का देर तक विवाह नहीं होता, इससे बाल-विवाह समाप्त हो जाते हैं। (ii) दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने पर माता-पिता उन्हें शिक्षा दिलाते रहते हैं। इससे स्त्री शिक्षा में वृद्धि होती है। (iii) दहेज से नवदम्पत्ति को घर बसाने में सहायता मिलती है। (iv) दहेज से परिवार में स्त्री का मान बढ़ता है, उसे सास-ससुर एवं पति का प्रेम मिलता है तथा परिवार के सदस्यों का कोपभाजन नहीं होना पड़ता। (v) इससे अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है।

प्र.3. वृद्ध लोगों को प्रमुखतः कौन-सी तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है?
What three things do older people need primarily?

उत्तर वृद्ध लोगों को प्रमुखतः तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है—
(i) वित्तीय सुरक्षा की (ii) स्वास्थ्य सुरक्षा की
(iii) भावनात्मक सुरक्षा की।

प्र.4. संघर्ष को परिभाषित कीजिए।
Define conflict.

उत्तर संघर्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए **मैकाइवर** तथा **पेज** (MacIver and Page) ने लिखा है, "सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रिया-कलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं।"
ए० डब्ल्यू० ग्रीन (A. W. Green) के अनुसार, "संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं।"

प्र.5. दहेज अधिनियम की असफलता के कोई चार कारण दीजिए।
Give any four reasons for the failure of the Dowry Act.

उत्तर दहेज अधिनियम की असफलता के चार कारण निम्नलिखित हैं—
(i) पुलिस या अदालत इस कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध केवल उसी समय कार्यवाही कर सकता है जब लिखित में शिकायत आए। (ii) एक वर्ष बीत जाने के बाद अदालत इस प्रकार की शिकायतों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। (iii) इसमें दण्ड की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। (iv) प्रचार-प्रसार के अभाव के कारण कई लोगों को इस अधिनियम की जानकारी नहीं है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. संघर्ष की दो विशेषताएँ लिखिए।
Write two features of conflict.

उत्तर संघर्ष की दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का होना आवश्यक है जो एक-दूसरे के हितों को हिंसा (Violence) की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
2. संघर्ष एक **चेतन प्रक्रिया** (Conscious Process) है जिसमें संघर्षरत व्यक्तियों या समूहों को एक-दूसरे की गतिविधियों का ध्यान रहता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करते हैं।

प्र.7. पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की कोई पाँच विशेषताएँ बताइए।
Give any five characteristics of the perpetrators of domestic violence.

उत्तर पारिवारिक हिंसा के अपराधकर्ता की पाँच विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं, बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं।
2. जो लोग शराब अधिक पीते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं।
3. जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं।
4. जो लोग शक्की, प्रभुता चाहने वाले एवं मालिकानापन वाली प्रकृति के होते हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं।
5. जिन लोगों में व्यक्तित्व सम्बन्धी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं।

प्र.8. हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएँ बताइए।
Describe the characteristics of women victims of violence.

उत्तर हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. जो गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त (depressed) होती हैं, जो स्वयं अपनी नजरों में गिर चुकी होती हैं तथा उनके प्रति किये गये अपराध एवं हिंसा के कारण भावात्मक रूप से विघटित हो चुकी होती हैं।
2. जो विघटित परिवारों में रहती हैं तथा जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुण्ठाएँ पायी जाती हैं।
3. उनमें मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।
4. इनके पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं।
5. इनके पति शराबी एवं नशेबाज होते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वृद्धों की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on the present condition of the elderly people.

उत्तर

वृद्धों की वर्तमान स्थिति
(Present Condition of the Elderly People)

वर्तमान में जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वृद्धों की आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यतया नहीं होता अर्थात् प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा तथा बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। करीब 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की देखभाल और इससे सम्बन्धित अन्य सुविधाएँ सीमित मात्रा में ही प्राप्त हैं। वृद्धावस्था के कारण कई महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ता है। व्यापक स्तर पर सारा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है। वृद्ध लोगों में से करीब 33 प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं जबकि अन्य 33 प्रतिशत लोग इस रेखा से थोड़ा-सा ऊपर का जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66 प्रतिशत बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति काफी

TOUCH 'n' PASS

कमजोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की असुरक्षा है। यह असुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियों, शारीरिक अक्षमताओं, लाभप्रद गतिविधियों में अवसरों की कमी तथा परिवार से सहयोग न मिलना या बहुत कम सहयोग मिलना आदि कारणों से है। वृद्ध महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक चिन्ता का विषय है। बुजुर्गों में से 48.2 प्रतिशत महिलाएँ हैं तथा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की वृद्ध आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो सकती है। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को तीन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—प्रथम, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में वे महिलाएँ हैं, द्वितीय, आर्थिक दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर हैं और बुजुर्ग हैं तथा तृतीय, अगर वे विधवा भी हैं तो उनके लिए कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं।

प्र.2. वृद्धजनों की समस्या को हल करने हेतु क्या उपाय किये गये?
What measures were taken to solve the problem of elderly people?

उत्तर

वृद्धजन-समस्या निवारण हेतु उपाय
(Ways to solve the Problems of the Elderly People)

वृद्धजनों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कई कारगर कदम उठाये गये जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

1. वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं में सबसे प्रमुख है—**इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना**—यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के लिए 19 नवम्बर, 2007 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ₹200-200 प्रतिमाह अर्थात् ₹400 प्रतिमाह लाभार्थी को दिये जाते हैं।
2. 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बेसहारा बुजुर्गों को **अन्नपूर्णा योजना** के अन्तर्गत प्रतिमाह दस किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाता है। यह खाद्यान्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है।
3. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयकर में रियायत दी जाती है।
4. अपनी बचत योजनाओं के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम भी वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
5. भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों के किराये में 30 प्रतिशत की छूट देती है।

प्र.3. 'अन्तर-पीढ़ी संघर्ष' को दूर करने के उपाय बताइए।
Suggest ways to remove Inter-generational Conflict.

उत्तर

अन्तर-पीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय
(Ways to Remove Inter-Generational Conflict)

अन्तर-पीढ़ी संघर्ष को कम करने के लिए निम्नांकित उपाय अपनाये जाने चाहिए—

1. नयी पीढ़ी का समाजीकरण इस प्रकार से किया जाए कि वे समानता एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के प्रति आस्था को रख सकें। इससे दोनों पीढ़ियों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न होगा।
2. नवीन आदर्श-नियमों, मूल्यों तथा अभिव्यक्तियों को नयी पीढ़ी में समाहित किया जाना चाहिए। चूँकि आज भी भारत में पुरानी पीढ़ी के आदर्श-नियमों, मूल्यों एवं अभिव्यक्तियों के प्रति आस्था पायी जाती है, अत: नई एवं पुरानी पीढ़ी के बीच सहयोग उत्पन्न किया जाए।
3. भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है जिसमें वयोवृद्ध लोगों के आदेशों का पालन नयी पीढ़ी के लोग भी करते रहे हैं। वर्तमान में नई पीढ़ी संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार को अधिक पसन्द करती है। अत: दोनों पीढ़ियों के बीच समन्वय कायम किये जाने पर संघर्ष भी समाप्त हो सकेगा।

पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी के प्रति उदारता रखनी होगी। जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति आदि क्षेत्रों में पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के विचारों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी चाहिए कि वह पुरानी पीढ़ी के मार्गदर्शन को स्वीकार करे।

इस प्रकार से उपर्युक्त उपायों को अपनाने पर अन्तर-पीढ़ी संघर्ष को रोका जा सकेगा।

TOUCH n PASS

प्र.4. अन्त: पीढ़ी संघर्ष पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
Write a short note on Intra-generational Conflict.

उत्तर

अन्त: पीढ़ी संघर्ष
(Intra-Generational Conflict)

जहाँ एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच किन्हीं कारणों से आपस में तनाव, वैमनस्य एवं संघर्ष की स्थिति पायी जाती है, उसे अन्त: पीढ़ी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दो राजनीतिक गुटों, दो विद्यार्थी समूहों, दो व्यावसायिक या व्यापारिक संघों के बीच पाया जाने वाला संघर्ष अन्त: पीढ़ी के अन्तर्गत ही आता है। एक ही पीढ़ी से सम्बन्धित दो धार्मिक गुटों के मध्य पाया जाने वाला संघर्ष भी अन्त: पीढ़ी संघर्ष ही है। एक ही पीढ़ी के लोगों में राजनीतिक कारणों से भी संघर्ष पाया जाता है। जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होती है, वहाँ राजनीतिक आधार पर लोग अलग-अलग विचारधाराओं में बँट जाते हैं, कुछ साम्यवादी विचारधारा में तो कुछ प्रजातान्त्रिक विचारधारा में, कुछ उदारवादी अर्थव्यवस्था में तो कुछ स्वदेशी विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु हिंसक तरीकों पर तो अन्य अहिंसक तरीकों पर विश्वास करते हैं। परिणामस्वरूप एक ही पीढ़ी के भिन्न-भिन्न मूल्यों, विचारधाराओं एवं पद्धतियों में विश्वास करने वाले लोगों में संघर्ष पाया जाता है। परिवार और जाति के क्षेत्र में भी पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण आजकल अन्त: पीढ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं। गाँवों में पंचायती राज संस्थाओं में भी विभिन्न स्तरों पर एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष पाया जाता है। राजनीतिक गुटबन्दी ने अन्त: पीढ़ी संघर्ष को बढ़ाने में विशेष योग दिया है। शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों विश्वविद्यालयों तक में अन्त: पीढ़ी संघर्ष दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

प्र.5. विवाह-विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on changing attitude towards divorce.

उत्तर

विवाह-विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण
(Changing Attitudes towards Divorce)

वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक के अधिकार प्राप्त थे। मध्य युग में पुरुषों को तो यह अधिकार प्राप्त था, किन्तु स्त्रियों को इससे वंचित कर दिया गया और उनकी सामाजिक स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती चली गई। विवाह की अविच्छेद प्रकृति के कारण स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ते गये। पति चाहे कितना ही दुष्ट स्वभाव का, दुराचारी, व्यभिचारी, रोगी एवं अपंग क्यों न हो, पत्नी को उसे परमेश्वर मानने को कहा गया एवं उसे त्यागने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 19वीं सदी में कई समाज-सुधारकों का ध्यान इस समस्या की ओर गया तथा उन्होंने स्त्री की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने हेतु अनेक प्रयत्न किये। महात्मा गाँधी ने भी इस ओर प्रयत्न किये। स्वयं स्त्रियों में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हुई और अन्तत: 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम में स्त्री-पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ।

भारत में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी अधिनियम तो पारित हो चुका है, किन्तु आज भी अधिकांश हिन्दू इसके विरुद्ध हैं क्योंकि इस अधिनियम का जन्म पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ जो विदेशी है तथा भारतीय परम्परा व संस्कृति के विपरीत है। कई पुरुष यह नहीं चाहता कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों।

किन्तु समय के साथ-साथ विचारों में परिवर्तन आ रहा है। तलाक के प्रति लोगों के बदलते दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए कई समाजशास्त्रीय अध्ययन भी हुए हैं। इन अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा के प्रसार एवं स्त्रियों में आयी जागरूकता एवं पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर किये जाने वाले अत्याचारों के कारण तलाक के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है। इस सन्दर्भ में एक बात ध्यान देने योग्य है कि तलाक की स्वीकृति केवल उसी समय दी जानी चाहिए जब यह नितान्त आवश्यक एवं स्थिति असहनीय हो जाए। इसे अन्तिम उपचार के रूप में ही चुना जाना चाहिए न कि एक सहज, सुलभ तरीके के रूप में।

प्र.6. भारतीय समाज पर दहेज प्रथा के क्या कुप्रभाव पड़े हैं?
What are the evil effects of dowry system in Indian society?

उत्तर

भारतीय समाज पर दहेज-प्रथा का कुप्रभाव या दोष
(Evil Effects of Dowry System in Indian Society)

दहेज के परिणामस्वरूप समाज में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है, इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं—

1. **बालिका वध**—दहेज की अधिक माँग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते थे। इस कुप्रथा का प्रचलन राजस्थान में विशेष रूप से रहा है, किन्तु वर्तमान में यह प्रथा समाप्त हो चुकी है।

2. **पारिवारिक विघटन**—कम दहेज पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं और पति-पत्नी का सुखी जीवन उजड़ जाता है।
3. **आत्महत्या एवं हत्या**—जिन लड़कियों को दहेज अधिक नहीं दिया जाता है, उन्हें अपनी ससुराल में साधारणतः सम्मान नहीं मिल पाता और कई बार उन्हें परेशान भी किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कई लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं।
4. **ऋणग्रस्तता**—दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी होती है या अपनी जमीन, जेवरात एवं मकान, आदि को गिरवी रखना या बेचना पड़ता है और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है।
5. **निम्न जीवन-स्तर**—कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है। बचत करने के प्रयत्न में परिवार का जीवन-स्तर गिर जाता है।
6. **बहुपत्नी विवाह**—दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है, इससे बहुपत्नीत्व का प्रचलन बढ़ता है, यद्यपि आजकल इस कुप्रथा को कानून द्वारा रोक दिया गया है।
7. **बेमेल विवाह**—दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है।
8. **विवाह की समाप्ति**—दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक सम्बन्ध कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं। कई बार तो लड़के वाले दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस तक लौटा लाते हैं और कई कन्याओं को कुँआरी तक रहना पड़ता है।
9. **अनैतिकता**—दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह न होने पर कुछ लड़कियाँ अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से करती हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।
10. **अपराध को प्रोत्साहन**—दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किये जाते हैं, रिश्वत, चोरी एवं गबन के द्वारा धन एकत्र किया जाता है, आत्महत्या एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।
11. **मानसिक बीमारियाँ**—दहेज एकत्र करने एवं योग्य वर की तलाश में माता-पिता चिन्तित रहते हैं। माता-पिता एवं लड़कियों में चिन्ता के कारण कई मानसिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
12. **स्त्रियों की निम्न स्थिति**—दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है, उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है।

प्र.7. दहेज प्रथा के निराकरण हेतु कुछ सुझाव दीजिए।
Give some suggestions for eradication of dowry system.

उत्तर

दहेज प्रथा का निराकरण : कुछ सुझाव
(Eradication of Dowry System : Some Suggestions)

डॉ० अल्टेकर ने लिखा है कि हिन्दू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दे। इसके लिए निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. **स्त्री-शिक्षा**—स्त्री-शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि लड़कियाँ पढ़-लिखकर स्वयं कमाने लगें, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो तथा इसके परिणामस्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहे।
2. **जीवन-साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता**—यदि लड़के व लड़कियों को अपना जीवन-साथी स्वयं चुनने की स्वतन्त्रता दे दी जाए तो दहेज प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. **अन्तर्जातीय विवाह**—अन्तर्जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत होगा। परिणाम यह होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी।
4. **लड़कियों को स्वावलम्बी बनाया जाए**—जब लड़कियाँ पढ़-लिखकर स्वयं कमाने लगेंगी तो योग्य वरों की कमी दूर हो जाएगी, उसके लिए प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, फलस्वरूप दहेज भी घट जाएगा।
5. **स्वस्थ जनमत**—दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए। लोगों में जागृति पैदा की जाए ताकि वे दहेज का विरोध करें। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए।

TOUCH n PASS

6. **युवा आन्दोलन**—दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवक स्वयं संगठित होकर इसका विरोध करें। इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है।
7. **दहेज विरोधी कानून**—दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाए जाएँ, उनका दृढ़ता से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में 'दहेज निरोधक अधिनियम, 1961' लागू है जिसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

प्र.8. दहेज निरोधक अधिनियम 1961 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Dowry Prohibition Act, 1961.

उत्तर

सरकारी प्रयत्न : दहेज निरोधक अधिनियम, 1961
(Governmental Efforts : Dowry Prohibition Act, 1961)

यह अधिनियम 1 जुलाई, 1961 से लागू है। इसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं—1. विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। 2. विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को 'दहेज' नहीं माना जाएगा। 3. दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को छः मास तक की जेल और पाँच हजार रुपये तक दण्ड दिया जा सकता है। 4. दहेज लेने व देने सम्बन्धी किया गया कोई भी समझौता गैर-कानूनी होगा। 5. विवाह में दहेज के रूप में दी गयी वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। 6. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज सम्बन्धी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में एक वर्ष की अवधि में ही की जानी चाहिए। किन्तु इस अधिनियम में कई कमियाँ थीं जो बाद में दूर कर दी गयीं। दहेज सम्बन्धी संशोधित कानून के अनुसार अपराधी को वर-वधू या उसके अभिभावक से दहेज माँगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और दस हजार रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर की राशि का जुर्माना किया जा सकता है।

प्र.9. भारत में विधवाओं के प्रति किये जाने वाली हिंसा की विवेचना कीजिए।
Discuss the violence against widows in India.

उत्तर

विधवाओं के प्रति हिंसा
(Violence Against Widows)

भारत में विशेष रूप से हिन्दुओं में विधवाओं की गम्भीर समस्या है क्योंकि हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है और यह पति-पत्नी का जन्म-जन्मान्तर का बन्धन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है। यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दुःख प्रारम्भ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है, वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती, शृंगार नहीं कर सकती, इत्र व तेल का प्रयोग नहीं कर सकती, सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता है। सास-ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे डायन की संज्ञा देते हैं जिसने अपने पति को ही खा लिया है। विधवाओं के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं; जैसे—बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक-दो बच्चों वाली प्रौढ़ विधवा एवं अधिक उम्र वाली विधवा, अधिकांशतः युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएँ ही अधिक हैं। अधिक उम्र वाली विधवा तो अपने बच्चों के परिवार का अंग बन जाती है, वह अपने पोते-पोतियों की देखरेख करने, खाना पकाने, घर के कार्यों में मदद करने एवं मार्गदर्शन करने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएँ गम्भीर होती हैं। उनके साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किये जाते हैं। उन्हें पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें पति की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। भारत में स्त्रियों में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति के व्यापार, सम्पत्ति, बीमे की रकम और जमापूँजी आदि की जानकारी नहीं होती है। इसका लाभ उठाकर उसके ससुराल वाले उससे कागजों पर अँगूठा लगवा कर उसकी वैधानिक सम्पत्ति को हड़पने का प्रयत्न करते हैं। विधवाओं के उत्पीड़न के तीन प्रमुख कारण होते हैं—शक्ति, सम्पत्ति और कामवासना की पूर्ति। आयु, शिक्षा और वर्ग की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दृष्टि से, वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं, और शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित विधवाओं तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना में मध्यम एवं निम्न वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारक है। यद्यपि विधवाओं का पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम', 1856 बना हुआ है, किन्तु

विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह बहुत कम ही किये जाते हैं। सास का सत्तावादी व्यक्तित्व एवं पति के भाई-बहनों का असामंजस्यपूर्ण व्यवहार विधवा उत्पीड़न के प्रमुख कारण हैं। परिवार की रचना और उसके आकार से विधवा उत्पीड़न का कोई सम्बन्ध नहीं है। हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशत: पति के परिवार के सदस्य होते हैं।

प्र.10. नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

Write short note on Femicide and Foeticide.

उत्तर

नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या
(Femicide and Foeticide)

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है तथा यहाँ लड़की की तुलना में लड़के को अधिक महत्त्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना गया है क्योंकि वही श्राद्ध एवं तर्पण द्वारा मृत पिता एवं पूर्वजों को स्वर्ग पहुँचाता है। उत्तराधिकार की दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक है, किन्तु कई बार किसी परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही इसे मार दिया जाता है (female infanticide) जो नारी हत्या का ही एक रूप है। नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट कई रूपों में देखने को मिलती है। माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार देना या जन्म के बाद उसे मार देना या दहेज के लोभ में बहू को जला देना या पीट-पीट कर मार देना, उसका उत्पीड़न करना या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देना जिनमें नारी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, जहर देकर मार देना, गला घोट देना, आदि सभी नारी हत्या के प्रत्यक्ष रूप हैं। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष रूप वह है जिसमें नारी शिशु के पालन-पोषण एवं चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं देने से वे मौत की शिकार हो जाती हैं। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को हजारों सुख-सुविधा के साधन जुटाए हैं, आज हम माता के गर्भ की जाँच जिसे 'एमनियोसेंटेसिस' (Amniocentesis) कहा जाता है, के द्वारा भ्रूण की जाँच कर यह पता लगा सकते हैं कि उत्पन्न होने वाला शिशु लड़का है या लड़की। इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया है और वह यदि भ्रूण लड़की का है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं जो भ्रूण हत्या है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। आज के युग में तो लड़का व लड़कियाँ सभी समान हैं। वास्तव में जो स्थितियाँ देखने व सुनने में आती हैं उनके अनुरूप तो लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ही माता-पिता की अधिक सेवा करती हैं और विश्वविद्यालयों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम यह बताते हैं कि योग्यता सूची में लड़कियाँ लड़कों से आगे ही हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों को दक्षता से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अत: लोगों के मन से यह भ्रम निकालना होगा कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है और उसकी चाह में किसी भी रूप में नारी हत्या अमानवीय है एवं नैतिकता व कानून के विरुद्ध अपराध है। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन है। अत: सर्वप्रथम तो नारी को ही नारी के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा।

प्र.11. बलात्कार पर एक लेख लिखिए।

Write an article on rape.

उत्तर

बलात्कार
(Rape)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्पत्ति के बिना या मृत्यु का भय दिखाकर संभोग करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है। बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पायी जाती है, किन्तु भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में ऐसी घटनाएँ अधिक घटित होती हैं। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनमें से अधिकांश उस घटना को भुला देना चाहती हैं। वे अपना मेडिकल मुआयना करवाना एवं पुलिस न्यायालय द्वारा जाँच कराना नहीं चाहतीं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया काफी समय लेने वाली व परेशानी पैदा करने वाली होती है। वकीलों द्वारा इस सन्दर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न भी नारी को पीड़ा पहुँचाने वाले होते हैं। पति द्वारा पत्नी के प्रति किये गये बलात्कार को कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जाता है क्योंकि यह विवाह का एक प्रतिफल समझा जाता है। जब तक तलाक नहीं हो जाए, स्त्री-पुरुष को पृथक्-पृथक् होने की राजाज्ञा प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता। विवाह में बलात्कार को अवैध नहीं माना जाता। बलात्कार से पीड़ित महिलाएँ उनके प्रति किये गये अपराध को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। विरोध करने पर उन्हें सामाजिक निन्दा व अपमान का डर होता है। साथ ही नौकरी छूट जाने का भय, बच्चों का भरण-पोषण करने की चिन्ता भी उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करने को मजबूर कर देती है।

TOUCH 'n PASS

सामाजिक अध्ययनकर्त्ताओं ने बलात्कार सम्बन्धी अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि—

1. यह धारणा गलत है कि यदि महिला विरोध करे तो उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता।
2. बलात्कार केवल सुन्दर स्त्रियों के साथ ही होता है, यह विचार त्रुटिपूर्ण है।
3. यह सोचना भी त्रुटिपूर्ण है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वे उसका आनन्द लेती हैं।
4. यह विचार सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते हैं।
5. यह कहना भी सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कार स्वत: होते हैं और उनकी अग्रिम योजना नहीं बनायी जाती।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. दहेज का अर्थ बताते हुए उसके प्रेरक तत्त्वों को विस्तार से बताइए।
Stating the meaning of dowry, explain its motivational elements in detail.

उत्तर

दहेज प्रथा : वास्तविक अर्थ एवं विकृत स्वरूप
(Dowry System : Meaning and Ugly Form)

सामान्यत: दहेज उस धन या सम्पत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। **फेयरचाइल्ड** के अनुसार, "दहेज वह धन या सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता या अन्य निकट सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है।" दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 के अनुसार, "दहेज का अर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान निधि है, जिसे (i) विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा (ii) विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो।" दहेज की यह परिभाषा अत्यन्त विस्तृत है जिसमें वर-मूल्य एवं कन्या-मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही इनमें उपहार एवं दहेज में अन्तर किया गया है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है, जबकि उपहार देने वाला अपनी स्वेच्छा से देता है।

कभी-कभी वर-मूल्य एवं दहेज में अन्तर किया जाता है। दहेज लड़की के माता-पिता स्नेहवश देते हैं, यह पूर्व-निर्धारित नहीं होता और कन्या पक्ष की सामर्थ्य पर निर्भर होता है, जबकि वर-मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति, आदि के आधार पर वर-पक्ष की ओर से माँगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है, किन्तु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर-मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में ही है।

उच्च शिक्षा प्राप्त, धनी, अच्छे व्यवसाय या नौकरी में लगे हुए एवं उच्च कुल के वर को प्राप्त करने के लिए आज कन्या के पिता को अच्छा-खास दहेज देना होता है। शिक्षा एवं सामाजिक चेतना की वृद्धि के साथ-साथ दहेज घटने के बजाय बढ़ा दी है। वर्तमान में दहेज-प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। अब तो विवाह-सम्बन्ध तय करते समय काफी सौदेबाजी की जाती है। यदि कहा जाए कि दहेज के रूप में लड़की के माता-पिता का शोषण किया जाता है तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्यत: सभी माता-पिता विवाह के अवसर पर अपनी लड़की को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुएँ देना चाहते हैं और देते भी हैं, परन्तु दहेज-प्रथा का स्वरूप आज इतना विकृत हो चुका है कि लड़कियों के परिवार-जनों को दहेज जुटाने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या अपनी जमीन-जायदाद तक बेचनी पड़ती है या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है अथवा उन्हें अपनी लड़कियों का विवाह अयोग्य लड़कों के साथ करने को बाध्य होना पड़ता है। आज तो जिस लड़की के माता-पिता दहेज हेतु लाख-दो-लाख, पाँच लाख रुपये खर्च कर पाने की स्थिति में हो, उन्हें ही सामान्यत: योग्य लड़के मिल पाते हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, उनके लिए लड़कियों का विवाह एक गम्भीर समस्या बन गया है। दहेज के कारण ही बहुत-सी लड़कियों एवं बहुओं को आत्महत्या तक करने को बाध्य होना पड़ता है, बहुत-सी बहुओं को जिन्दा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस वेदना को लड़की के माता-पिता ही समझ सकते हैं, अन्य नहीं। भारत में प्रतिदिन दहेज के कारण 19 महिलाओं की मृत्यु होती है।

दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्त्व
(Causes or Motivational Elements of Dowry)

दहेज प्रथा को जन्म देने के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं—

1. **जीवन-साथी चुनने का सीमित क्षेत्र**—जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ग, जाति या उप-जाति में करना होता है तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है।

2. **बाल-विवाह**—बाल-विवाह के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता-पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की माँग करते हैं।
3. **विवाह की अनिवार्यता**—हिन्दुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर-पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की माँग करते हैं।
4. **कुलीन विवाह**—कुलीन विवाह के कारण ऊँचे कुल के लड़कों की माँग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना पड़ता है।
5. **शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा**—वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्त्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है; जिसके लिए उसे दहेज देना होता है क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पायी जाती है।
6. **धन का महत्त्व**—वर्तमान समय में धन का महत्त्व बढ़ गया है और आज तो इसके आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। काले धन की वृद्धि ने भी दहेज को बढ़ावा दिया है।
7. **महँगी शिक्षा**—वर्तमान में उच्च शिक्ष प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है; जिसे जुटाने के लिए वर-पक्ष के लोग दहेज की माँग करते हैं। शिक्षा के लिए लिये गये ऋण का भुगतान भी दहेज द्वारा किया जाता है।
8. **प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा**—अपनी प्रतिष्ठा एवं शान का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते एवं देते हैं। दहेज लेने एवं देने वाले दहेज के लेन-देन में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
9. **गतिशीलता में वृद्धि**—वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण बढ़ा है, परिणामस्वरूप एक जाति एवं उप-जाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और वे दूर-दूर तक फैल गये हैं। इस कारण अपनी ही जाति या उपजाति में वर ढूँढ़ना कठिन हो गया है। फलस्वरूप दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला है।
10. **सामाजिक प्रथा**—दहेज-प्रथा का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा के रूप में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है, वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है।
11. **आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा**—आज के युग में आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गयी है और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है। अत: व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की रहती है।

प्र.2. भारत में घरेलू (पारिवारिक) हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए।
Mention the causes of domestic violence in India.

उत्तर

पारिवारिक हिंसा के कारण
(Causes of Domestic Violence)

हम यहाँ उन कारणों का उल्लेख करेंगे जो पारिवारिक हिंसा को प्रेरित करते हैं—

1. **पुरुष प्रधानता** (Male Domination)—भारत में ही नहीं वरन् विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पायी जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है।
2. **स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता** (Economic Dependence of Women on Men)—भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पायी जाती है। पति ही पत्नी का भरण-पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी एवं जीवनयापन की कठिनाई भी सामने आएगी।
3. **अशिक्षा** (Illiteracy)—भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46% है तथा पुरुषों में 82.14% है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा वे यह भी नहीं जानतीं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून बने हुए हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चारदीवारी तक ही कैद करके रख देती है और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

TOUCH 'n PASS

4. **महिलाओं के प्रति विद्वेष** (Hostility towards Women)—कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है जिसे वे उनके प्रति अत्याचार करके शान्त करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो या जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वह सम्पूर्ण नारी जगत के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य ही नारी उत्पीड़न हो जाता है और वह नारी को अपमानित करने में ही सुख की अनुभूति करता है।
5. **सामाजिक कुप्रथाएँ** (Social Evils)—भारत में अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जिनमें बाल-विवाह, परदा-प्रथा, दहेज-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे सम्बन्धित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं।
6. **पारिवारिक तनाव** (Family Tensions)—पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति-पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है तथा विचारों में अन्तर होता है तब भी पुरुष अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं।
7. **पीड़ित द्वारा भड़काना** (Provocation by Victim)—कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करती है, वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उसका पति पसन्द नहीं करता है, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराए मर्द से अनैतिक सम्बन्ध रखती है, सास-ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है या उस पर शक करती है, उसे ताने देती है या अपमानित करती है तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता है और पत्नी के प्रति मार-पीट, गाली-गलौज एवं दुर्व्यवहार करता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वे ऐसी भाव-भंगिमाएँ एवं मुद्राएँ प्रकट कर रही थीं कि पुरुष बलात्कार के लिए उत्तेजित हो गया। हत्या के मामलों में भी यह पाया गया कि महिला ने बहस के दौरान ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो गया। अध्ययनों से यह भी प्रकट हुआ कि भगा ले जाने के मामलों में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी थी, किन्तु पकड़े जाने पर पुलिस एवं माता-पिता के दबाव में आकर उन्होंने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा दिया।
8. **नशा** (Intoxication)—वे पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी पारिवारिक हिंसा एवं अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में यह पाया गया कि बलात्कारी नशे में धुत था। पति शराब पीकर जब घर आता है और पत्नी से कहासुनी हो जाती है तब भी वह पत्नी को गाली देने या पीटने का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने द्वारा किये गये कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती है जिसके लिए वह होश में आने पर पश्चाताप करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपराध करने के लिए साहस जुटाने के लिए भी शराब का सेवन करता है।
9. **अपराधी के प्रति निष्क्रियता** (Passivity towards Criminal)—कई बार अपराध की शिकार महिलाएँ अपने प्रति किये गये अपराध को बर्दाश्त करती रहती है और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरन्तर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है।

प्र.3. भारत में घरेलू (पारिवारिक) हिंसा को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए।
Describe the measures to prevent domestic violence in India.

उत्तर

पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय
(Measures to Prevent Domestic Violence)

पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए हम निम्नांकित उपाय अपना सकते हैं—

1. **आश्रय की व्यवस्था** (Arrangement for Shelter)—सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। जिन

TOUCH 'n' PASS

महिलाओं का अपहरण किया गया है या जिन्हें भगा कर ले जाया गया है वे जब पकड़ ली जाती हैं तो उनके लिए तथा जिन्हें मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं जिनके प्रति प्रतिदिन हिंसा हो रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्थायी या अस्थायी आश्रय जुटाना चाहिए।

2. **रोजगार की व्यवस्था** (Arrangement for Employment)—स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने व अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों पर निर्भर होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्था की जाए, उन्हें छोटा-मोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए और परामर्श की सुविधा प्रदान करायी जाए तो वे अपने प्रति की गयी हिंसा को सहन नहीं करेंगी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी।
3. **शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए** (Provide Educational Facilities)—स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और अपने प्रति किये जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी।
4. **दण्ड की व्यवस्था** (Punishment)—जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निन्दा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित न हों।
5. **महिला न्यायालयों की स्थापना** (Establishment of Women Courts)—महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों एवं हिंसा की सुनवायी के लिए पृथक् से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए जिसमें अनुभवी महिला न्यायाधीश हों। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने का महिलाओं में जो भय होता है वह समाप्त होगा और वे अपनी बात को इन न्यायालयों में साफ-साफ कह पाएँगी। ऐसे न्यायालयों की सुनवायी एवं कार्यवाही सार्वजनिक रूप से न हो। उनमें केवल न्यायाधीश, प्रतिवादी एवं पीड़ित महिला की मदद करने वाले लोगों एवं आरोपियों को ही आने की इजाजत हो।
6. **कानूनी सहायता एवं परामर्श** (Legal Aid and Consultancy)—पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे पुन: सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
7. **महिला संगठनों का निर्माण** (Formation of Women Organizations)—पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक सम्बल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए। ऐसे संगठन पीड़ित महिला के पति, सास-ससुर एवं ससुराल पक्ष वालों से बातचीत कर, उन पर सामाजिक व नैतिक दबाव डालकर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें। व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर यदि महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रयत्न किये जाएँगे तो वे अधिक कारगर होंगे।
8. **वैचारिक परिवर्तन** (Change in Attitude)—पारिवारिक हिंसा एवं अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता-पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। वे लड़कियों को बचपन से ही इस प्रकार का समाजीकरण करते हैं जिसमें उन्हें पति परमेश्वर की धारणा सिखायी जाती है, उन्हें कहा जाता है कि पति के घर डोली जाती है और अर्थी भी वहीं से उठती है, स्त्री को सहिष्णु होना चाहिए, आदि। ऐसे संस्कारों के कारण ही स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है और प्रतिरोध नहीं करती। वे अपनी पुत्रियों को विवाहित एवं विधवा जिन्हें उनके पति पीटते हैं या ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं, को उनकी इच्छा के विरुद्ध ससुराल में रहने को मजबूर क्यों करते हैं, वे उनको अपने घर क्यों नहीं बुला लेते, सामाजिक कलंक के डर से वे अपनी पुत्री को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं?

दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए, वे अपने दमन एवं शोषण के प्रति जागरूक हों, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून एवं अपने परिजनों से मदद माँगें। उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। अत: सर्वप्रथम तो स्वयं महिलाओं को ही उठना होगा, जागना होगा, विरोध प्रकट करना होगा तभी वे संकट की स्थितियों से मुक्त हो पाएँगी।

TOUCH 'n PASS

पारिवारिक हिंसा में यदा-कदा सौतेली माँ के द्वारा बच्चों के प्रति की गई हिंसा भी आती है। वह स्वयं बच्चों को पीट सकती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तथा उनके पिता को बहकाकर उनके साथ गलत व्यवहार तक करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यदा-कदा यह भी देखने में आता है कि पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ यौन-सम्बन्ध होने पर वह पति की हत्या तक करवा देती है। सम्पत्ति सम्बन्धी कारणों से भी परिवार के सदस्यों में कभी-कभी हिंसा देखने को मिलती है। भाई-भाई की हत्या तक करा देता है। परिवार के सदस्यों में बढ़ती हुई ईर्ष्या-द्वेष तथा मनमुटाव भी पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। पारिवारिक हिंसा को रोकने या कम करने के लिए यह आवश्यक है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किये जाएँ। इनमें भौतिक इच्छाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए दहेज जैसी सामाजिक समस्या को भी समय रहते हल करना होगा।

प्र.4. विवाह-विच्छेद (तलाक) के पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिए।
Give arguments in favour of and against divorce.

उत्तर

तलाक के विपक्ष में तर्क
(Arguments against Divorce)

आज भी अनेक हिन्दू विवाह-विच्छेद को परम्परागत भारतीय सामाजिक संगठन एवं परिवार को विघटित करने वाला मानते हैं। उनके अनुसार विवाह-विच्छेद का सिद्धान्त हिन्दुओं के सामाजिक प्रतिमान के लिए जिसमें वे सदियों से रहते आए हैं, प्रतिकूल तथा विदेशी है। वे तलाक के विरोध में निम्नांकित तर्क देते हैं—

1. **धर्म विरोधी**—हिन्दुओं में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है, यह पति-पत्नी के बीच जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।
   इस तर्क को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि विवाह को पवित्र धार्मिक संस्कार तो पति-पत्नी द्वारा निभाये जाने वाले दायित्वों द्वारा बनाया जाता है। यह संस्कार तभी तक है जब तक पति-पत्नी परस्पर सहयोग एवं प्रेम से रहें, बच्चों का लालन-पालन करें एवं सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करें। विवाह में तलाक की स्वतन्त्रता कुछ भी अनिष्टकारी अथवा संकटपूर्ण नहीं है।
2. **पारिवारिक विघटन की सम्भावना**—एक मत यह है कि तलाक से पारिवारिक विघटन की सम्भावना बढ़ जाएगी। पति-पत्नी परस्पर एक-दूसरे पर अविश्वास करने लगेंगे, तनावों एवं मनमुटावों में वृद्धि होगी। स्त्री अन्य पुरुष के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़ देगी और पुरुष भी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित होकर उस पर अत्याचार कर सकता है और तलाक के लिए उसे बाध्य कर सकता है जिससे कि उसे भरण-पोषण हेतु खर्चा न देना पड़े। पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन को भी जन्म देगा, अत: तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु इसके विरोध में यह कहा जाता है कि जब पति-पत्नी परस्पर तनावों से जूझ रहे हों, उनमें विश्वास समाप्त हो गया हो, एक-दूसरे पर अत्याचार करते हों, तब परिवार कैसे संगठित रह सकता है, ऐसी स्थिति में तो तलाक उन्हें इन संकटों से मुक्ति दिलायेगा।
3. **स्त्रियों के भरण-पोषण की समस्या**—भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहाँ अधिकांशत: स्त्रियाँ अशिक्षित हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए पति पर निर्भर हैं, तलाक होने पर वे बेघर, बेसहारा हो जाएँगी, उनके सामने जीविका का संकट पैदा हो जाएगा, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कई बार स्त्रियों को अनैतिक जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। इस तर्क के विरोध में भी लोग कहते हैं कि अब स्त्रियों में जागरूकता आयी है। वे नौकरी एवं व्यवसाय के द्वारा जीवन-यापन करने में सक्षम होती जा रही हैं।
4. **बच्चों की समस्या**—तलाक के कारण बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी और माता या पिता के अभाव में उनके व्यक्तित्व का भी समुचित विकास नहीं हो पाएगा। माता-पिता के प्रेम के अभाव में वे जीवन में खालीपन अनुभव करेंगे। कई बार ऐसी स्थितियाँ बाल-अपराध को भी जन्म देती हैं। इस तर्क के विरोध में भी यह कहा जाता है कि प्रतिदिन माता-पिता में होने वाले संघर्ष एवं मनमुटाव से वैसे ही बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तलाक के कारण तो वे इससे मुक्ति पा सकेंगे।
5. **तलाक की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन**—विवाह-विच्छेद की छूट देने से लोग इसके आदी हो जाएँगे और वे एक के बाद एक तलाक देते जाएँगे एवं पुनर्विवाह करते जाएँगे। इससे जीवन में ठहराव नहीं आयेगा और अनैतिकता में वृद्धि होगी। इस तर्क

TOUCH 'n' PASS

के विपरीत यह कहा जाता है कि तलाक की स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से यौन सम्बन्ध स्थापित करके भी अनैतिकता को बढ़ावा दे सकता है।

6. **तलाक के दुष्प्रभाव**—इनके अतिरिक्त तलाक से संवेगात्मक संकट पैदा होता है, पति-पत्नी की आशाएँ टूट जाती हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनके अहं को ठेस लगती है, उनमें हीन भावना पैदा होती है। अपने पुराने अनुभव के आधार पर जब उसकी काम वासना की तृप्ति नहीं होती है तो वह अनैतिक तरीके अपनाता है, इससे वेश्यावृत्ति में वृद्धि होती है।

इन सभी कारणों एवं प्रभावों के आधार पर ही लोगों का मत है कि तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

विवाह-विच्छेद का औचित्य अथवा तलाक के पक्ष में तर्क
(Justification of Divorce or Arguments in Favour of Divorce)

विवाह-विच्छेद (तलाक) के पक्ष में निम्नांकित तर्क हैं—

1. **समानता का अधिकार**—वर्तमान में स्त्री-पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, ऐसी स्थिति में विवाह-विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं वरन् स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्हें भी असाधारण परिस्थितियों में अपने पति को त्यागने का अधिकार होना चाहिए।
2. **पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए**—वर्तमान में एकाकी परिवारों में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पत्नी व बच्चों का कोई अन्य सहारा नहीं होता। ऐसी दशा में स्त्री व बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार को सुसंगठित बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
3. **स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए**—स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।
4. **वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए**—हिन्दू विवाह से सम्बन्धित समस्याओं; जैसे—बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध, आदि से छुटकारा पाने के लिए विवाह-विच्छेद का अधिकार स्त्री-पुरुषों को समान रूप से दिया जाना चाहिए।
5. **सामाजिक जीवन को सन्तुलित बनाने के लिए**—स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार न देने से समाज व्यवस्था में असन्तुलन पैदा होगा। इस स्थिति से बचने के लिए एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
6. स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से भारत की प्राचीन परम्परा व संस्कृति को संरक्षण ही मिलेगा। वैदिक काल और उसके काफी समय बाद तक दोनों पक्षों को तलाक देने के अधिकार थे। मध्य युग में इन अधिकारों पर रोक लगी। इस प्रकार तलाक से हमारी भारतीय परम्परा व संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। इससे तो उनका रक्षण ही होगा।
7. स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से हिन्दू विवाह पर लगाया जाने वाला यह आरोप कि वह एक तरफा व पुरुषों के पक्ष में है, मिट जायेगा। यह दोनों पक्षों का समान रूप से सुदृढ़ बनायेगा।

प्र.5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 पर एक लेख लिखिए।
Write a note on Hindu Marriage Act 1955.

उत्तर

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
(Hindu Marriage Act, 1955)

18 मई, 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में निवास करने वाले हिन्दुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, 'हिन्दू विवाह अधिनियम' लागू कर दिया गया, किन्तु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्व में पास किये गये सभी अधिनियम रद्द कर दिये गये और सभी हिन्दुओं पर एकसमान कानून लागू किया गया। इस अधिनियम में हिन्दू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गयी है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण, तलाक, विवाह की समाप्ति, आदि के प्रावधान किये गये हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किये गये हैं। इसमें दी गई विवाह-विच्छेद सम्बन्धी प्रमुख बातें अग्र प्रकार हैं—

TOUCH 'n PASS

विवाह-सम्बन्ध की समाप्ति (Void of Marriage)

निम्नांकित दशाओं में विवाह होने पर भी उसे रद्द किया जा सकता है—
(i) विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन-साथी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो। (ii) विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। (iii) विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़-बुद्धि या पागल हो। (iv) विवाह के एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी। (v) विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था।

न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation)

इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति-पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक् रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नांकित हैं—
(i) बिना कारण बताये प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना-पत्र देने के दो वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। (ii) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो। (iii) प्रार्थना-पत्र देने के बाद एक वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। (iv) दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। (v) यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना-पत्र देने के लिए एक वर्ष पूर्व से पागल हो। (vi) यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ सम्भोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद दो वर्ष के भीतर भी वे अपने सम्बन्धों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

विवाह-विच्छेद के आधार (Bases of Divorce)

न्यायालय विवाह-विच्छेद की स्वीकृति निम्नांकित आधारों पर दे सकता है—
(i) दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो। (ii) दूसरे पक्ष ने धर्म-परिवर्तन कर लिया हो और हिन्दू न रह गया हो। (iii) दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित हो। (iv) दूसरा पक्ष संन्यासी हो गया हो। (v) पिछले सात वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में न सुना गया हो। (vi) दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुन: सहवास न किया हो। (vii) दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों की पुन: स्थापना हो जाने के एक वर्ष बाद उस पर अमल न किया हो। (vii) पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी हो।
इस अधिनियम से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद दो भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। यदि फिर भी वे साथ रहने को सहमत न हों तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह-विच्छेद की सीधी अनुमति दी जा सकती है। **सामान्य धाराएँ**—(1) विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन-पत्र विवाह के एक वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। (2) यदि अदालत द्वारा विवाह-विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के एक वर्ष के अन्दर ही अपील नहीं की जाती है तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने का अधिकार होगा। (3) न्यायालय बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, देखभाल एवं रहने के सम्बन्ध में अन्तरिम और स्थायी आदेश दे सकता है। (4) इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वास धन (Alimony) की व्यवस्था भी की गयी है। यह राशि उस समय तक दी जाएगी जब तक निर्वास धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवह न कर ले। 1976 में इस विधान में संशोधन कर यह अनुमति प्रदान की गई है कि पति-पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, किन्तु उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे पिछले एक वर्ष से अलग-अलग रह रहे हैं और उनमें मेल सम्भव नहीं हो सका है। तलाक के बाद कोई भी पक्ष चाहे तो कभी भी दूसरा विवाह कर सकता है, राजाज्ञा प्राप्त होने के तुरन्त बाद भी।

क्या हिन्दू समाज में तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए (Should Divorce be permitted in Hindu Society)

सदियों से हिन्दुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है, किन्तु वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं और कई लोग विवाह को एक सामाजिक एवं वैधानिक समझौता मानते हैं। इसी सन्दर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। कुछ लोग तलाक को उचित बताते हैं तो कुछ अनुचित। क्या हिन्दुओं में तलाक की अनुमति दी जानी चाहिए, इसके पक्ष एवं विपक्ष में दो मत हैं। हम यहाँ इन दोनों ही पक्षों पर विचार करेंगे।

प्र.6. विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले अन्तर-पीढ़ी संघर्ष की विवेचना कीजिए।
Discuss the intergenerational conflict found in different regions.

उत्तर

अन्तर-पीढ़ी संघर्ष
(Intergenerational Conflict)

विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले अन्तर-पीढ़ी संघर्ष की हम यहाँ विवेचना करेंगे, जो निम्नलिखित हैं—

जातीय क्षेत्र में अन्तर-पीढ़ी संघर्ष—प्राचीन भारत में जाति-प्रथा में जजमानी प्रथा का प्रचलन था जिसमें पुरानी एवं नयी पीढ़ी में सहयोग पाया जाता था, किन्तु वर्तमान में जजमानी प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। उसके फलस्वरूप विभिन्न पीढ़ियों के बीच सहयोग के स्थान पर संघर्ष ने जन्म लिया है। प्राचीन समय में कुछ जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता था, जबकि आज की पीढ़ी ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है तथा विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष भी देखा जा सकता है। आरक्षण के कारण पुरानी और नई पीढ़ी में भी संघर्ष उत्पन्न हुआ है, हिंसक कार्य जनित गतिविधियाँ हो रही हैं तथा उच्च और निम्न जातियों में इस बात को लेकर तनाव एवं संघर्ष पाया जाता है। जातीय आधार पर पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच संघर्षों का उल्लेख कई समाजशास्त्रियों ने किया है।

धार्मिक क्षेत्र में अन्तर-पीढ़ी संघर्ष—प्राचीन काल में भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों; जैसे—हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं सिख आदि में समन्वय पाया जाता था। किन्तु भारत में मुसलमानों के आगमन और विशेष रूप से अंग्रेजों के आगमन के कारण धार्मिक संघर्षों में वृद्धि हुई। भारत में अन्य धर्मावलम्बियों की तुलना में हिन्दू मुसलमानों में संघर्ष सर्वाधिक रहे हैं जिन्हें हम साम्प्रदायिक संघर्षों के नाम से जानते हैं। मुसलमानों के काल में हिन्दुओं के प्रति बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता ने भी हिन्दू मुसलमानों में संघर्ष को जन्म दिया। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनायी जिसके कारण हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। आज भी विभिन्न धर्म के लोग राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर अपने धर्मावलम्बियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के प्रति घृणा, सन्देह तथा दुराग्रह के भाव रखते हैं जिसके फलस्वरूप धार्मिक संघर्ष पैदा हुआ।

भारत में धार्मिक संघर्ष हिन्दू एवं मुसलमानों में ही नहीं वरन् अन्य धर्मावलम्बियों; जैसे निरंकारियों एवं अकालियों, शिया एवं सुन्नियों, हिन्दू, जैनियों, बौद्धों और ईसाइयों में भी हुए हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

अन्तर-पीढ़ी संघर्ष वर्ग के सन्दर्भ में—अन्तर-पीढ़ी संघर्ष हमें विभिन्न वर्गों के बीच भी देखने को मिलता है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाये जाते हैं। गाँव में प्रमुखत: दो वर्ग हैं; एक, भूस्वामी या साहूकारों का तथा दूसरा, कृषक और खेतिहर मजदूरों का। इन दोनों के बीच आजादी से पूर्व एवं आजादी के बाद अनेक तनाव पैदा हुए। गाँव में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान किसानों में जागृति आयी। उन्होंने अपने संगठन, झंडे एवं नेताओं को तैयार किया। गाँधीजी के नेतृत्व में बिहार के चम्पारण जिले के किसानों ने, यूरोपीय भूस्वामियों से संघर्ष किया। असहयोग आन्दोलन के दौरान भी किसानों में राजनीतिक जागृति आयी। मालाबार से हिन्दू, मुस्लिम वर्गों में संघर्ष हुए। गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान संगठित हुए। उत्तर प्रदेश के कई गाँवों; जैसे—सुल्तानपुर जिले के हमीरपुर गाँव, केमा गाँव तथा बलिया जिले के शाहपुर गाँव में भी किसानों और भूस्वामियों के बीच संघर्ष हुए। इसी प्रकार के संघर्ष मालाबार, तेलंगाना, त्रिपुरा, मणिपुर एवं बंगाल में भी हुए।

नगरों में औद्योगीकरण के फलस्वरूप दो वर्ग पैदा हुए—पूँजीपति एवं श्रमिक वर्ग दोनों ही वर्गों में अपने-अपने हितों को लेकर संघर्ष पनपे। मार्क्स ने इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष का विस्तार से उल्लेख किया है। प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध में भी अनेक वर्ग संघर्ष हुए। कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर, बंगाल, मुम्बई, अहमदाबाद, कोलकाता एवं बिहार आदि क्षेत्रों में भी वर्ग-संघर्ष हुए।

आज वर्ग संघर्ष विश्व के अनेक देशों में भीषण रूप धारण करता जा रहा है। जब एक समूह अपने को श्रेष्ठ और अन्य को हीन समझ कर अपने स्वार्थ या हितों के लिए उसे अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता है तो वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के हितों में आर्थिक लाभ, राजनीतिक शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा आदि आते हैं। पूँजीवादी समाज में उद्योगपतियों और मजदूरों में आर्थिक विषमता बढ़ गई है। फलस्वरूप दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरानी एवं नई पीढ़ियों में गाँवों एवं नगरों में दोनों ही स्थानों पर अन्तर-पीढ़ी संघर्ष पाया जाता है।

प्रजातीय क्षेत्र में अन्तर-पीढ़ी संघर्ष—एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति में शारीरिक अन्तर स्पष्टत: दिखाई पड़ते हैं और जब दो भिन्न प्रजातियाँ एक-दूसरे के सम्पर्क में आती हैं तो कई बार उनमें संघर्ष भड़क उठता है। इसे ही प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार के संघर्ष अमेरिका में श्वेत और नीग्रो प्रजातियों और अफ्रीका में श्वेत और श्याम प्रजातियों के लोगों के बीच पाये जाते हैं। प्रजातीय संघर्ष का एक प्रमुख कारण अपनी प्रजाति को अन्य प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ समझने की अवैज्ञानिक धारणा है। यद्यपि प्रजातीय संघर्ष के लिए शारीरिक अन्तरों को उत्तरदायी माना जाता है परन्तु वास्तव में इसके लिए सांस्कृतिक भिन्नता और

विशेषत: आर्थिक हितों का टकराव प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। प्रजातीय संघर्ष के लिए हीन समझी जाने वाली प्रजाति का आर्थिक शोषण भी एक मुख्य कारक है। पुरानी पीढ़ी में प्रजातीय भेद की भावना अधिक पायी जाती है, जबकि नई पीढ़ी इस भेद को अवैज्ञानिक मानती है। इस प्रजातीय भेद के कारण ही पुरानी एवं नवीन पीढ़ी में अर्थात् अन्तर-पीढ़ी संघर्ष पाया जाता है।

अन्तर-पीढ़ी संघर्ष राजनीतिक सन्दर्भ में—राजनीतिक संघर्ष के दो रूप देखने को मिलते हैं; **प्रथम,** एक ही राष्ट्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाले संघर्ष और **द्वितीय,** विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला संघर्ष जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष कहा जाता है। जिन राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने और संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होती है और प्रजातन्त्रात्मक प्रकार की शासन-व्यवस्था पायी जाती है, वहाँ अनेक राजनीतिक दल बन जाते हैं। ये दल अपने सिद्धान्तों, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर शान्तिमय तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त कर अपनी-अपनी सरकार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसे राजनीतिक दलों के बीच पायी जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा कहा जाएगा। लेकिन कई बार एक राजनीतिक दल दूसरे दल या विरोधी नेताओं के विरुद्ध घृणा फैलाता है, भ्रामक प्रचार करता है, चरित्र-हनन का प्रयास करता है और जब ये बातें बढ़ जाती हैं तो अपराध होता है, मारपीट होती है, हत्या तक का सहारा लिया जाता है। यह राजनीतिक संघर्ष ही है।

प्र.7. बुजुर्गों (वृद्धों) की प्रमुख समस्या पर एक लेख लिखिए।
Write a note on the problem of elderly.

उत्तर

वृद्धों की प्रमुख समस्याएँ
(Major Problems of the Elderly)

वृद्धों की समस्याओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—(1) सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ; (2) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ; (3) आर्थिक समस्याएँ; (4) जीवन के प्रति परिवर्तित रुख।

1. **सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ**—अनेक कारणों से पारम्परिक सहयोग कार्यक्रम काफी कमजोर पड़ता जा रहा है। इसके लिए नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद और गरीबी तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे तनाव उत्तरदायी हैं। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्राय: भार-स्वरूप देखा जाने लगा है। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो गये हैं। प्रौढ़ आश्रितता के अनुपात में दिनों-दिन वृद्धि होती जा रही है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आश्रयतता अनुपात अधिक है।
2. **स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ**—वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी जो प्रमुख गड़बड़ियाँ सामने आती हैं, वे हैं—मोटापा, ओसिओ, अर्थराइटिस, चिन्ता, तनाव एवं कब्ज आदि। धूम्रपान अथवा कोई अन्य नशा करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियाँ वृद्धावस्था में आ घेरती हैं। कई बीमारियों को नियन्त्रित किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि वृद्धजनों के स्वास्थ्य को उतना महत्त्व नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं पहुँच पाते हैं। बीमार वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो वहाँ तक पहुँचना और भी कठिन है। ऐसे क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन चल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से बुजुर्ग की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में काफी योग दे सकते हैं। कई इकाइयाँ अभावग्रस्त तथा उपेक्षित उन बुजुर्गों की सहायता करती हैं जिनके पास आर्थिक साधनों का अभाव है और जो स्वयं चल-फिर नहीं सकते।
3. **आर्थिक समस्याएँ**—वृद्धों की कुल संख्या में से करीब 33 प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा के नीचे हैं तथा अन्य 33 प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा से थोड़ा ही ऊपर हैं। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। अनेक गैर-सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियों तथा पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग लोगों की सहायता करते हैं। स्थानीय स्तर पर इस कार्य में 30 से अधिक संगठन लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 'हेल्पेज इण्डिया' अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से यह कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं में लघु उद्योग, वृक्षारोपण, चारा उत्पादन, मछली उत्पादन, पशुपालन तथा मोमबत्ती व लिफाफे आदि बनाना शामिल हैं। ये ऐसी गतिविधियाँ हैं, जो बुजुर्ग लोग कम शारीरिक श्रम से भी आसानी से कर सकते हैं और इससे उनकी कुछ आमदनी भी हो सकती है।
4. **जीवन के प्रति परिवर्तित रुख**—वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं के भी कई रूप और कारण हैं। वृद्ध व्यक्तियों का जीवन के प्रति रवैया समय के साथ-साथ बदलता जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति जिस वातावरण में रहते हैं उसके प्रति उनकी काफी संवेदनशीलता पायी जाती है।

TOUCH 'n PASS

परिवारजनों से अलगाव के कारण कई वृद्धजनों में अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करते हैं और कई तो शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन और दु:ख-दर्द की उनकी बात किसी सुनने वाले के नहीं होने से अपने जीवन से ऊब जाते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति-पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी बढ़ जाती है। देशभर में गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा ऐसे वृद्धों की देखभाल के लिए 130 केन्द्र चलाये जा रहे हैं। वृद्ध लोग दिन के समय इन केन्द्रों पर रहते हैं और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कुछ पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं। इन लोगों को अन्य वृद्धों के साथ अपना दु:ख-दर्द बाँटने का भी मौका मिल जाता है।

ऐसे वृद्ध लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और जो परिवार की उपेक्षा का शिकार हैं, के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा वृद्ध-गृह (वृद्धाश्रम) चलाये जा रहे हैं। भारत में वृद्ध-गृहों की संख्या 855 है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में वृद्धों की देखभाल का प्रमुख दायित्व राज्य का है, लेकिन वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि केवल राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता। इसमें गैर-सरकारी संगठनों को ही प्रमुख भूमिका अदा करनी है। वृद्धों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में राज्य और गैर-सरकारी संगठन मिलकर परिवार की सहायता कर सकते हैं। भारत के संविधान में बुजुर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में बतलाया गया है कि राज्य वृद्धों के कल्याण की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त गोद लेने तथा भरण-पोषण सम्बन्धी 1956 के कानून में बुजुर्गों के लिए कानूनी आधार पर संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। वास्तविकता यह है कि अब तक देश में जो कल्याण योजनाएँ लागू की गयी हैं, उनमें बुजुर्गों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वृद्धों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए 1999 में राष्ट्रीय वृद्ध जन परिषद की स्थापना की गयी। यह परिषद बुजुर्गों की शिकायतों व कठिनाइयों की सुनवाई करती है और उनके सुझावों पर विचार करती है। वर्ष 2000 में परिषद ने वृद्धजनों के लिए एक कार्ययोजना तैयार की। जनसांख्यिकीय, सामाजिक तथा अन्य कारणों और समाज के परम्परागत ढाँचे में बदलाव के कारण वृद्धावस्था में बुजुर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिन्ता को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय ने ओएसिस नाम की एक परियोजना प्रारम्भ की है, जिसका अर्थ है वृद्धावस्था में सामाजिक और आमदनी सम्बन्धी सुरक्षा (ओल्ड एज सोशल एण्ड इनकम सिक्योरिटी)। इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को ऐसे उपाय सुझाना था जिनसे प्रत्येक युवक अपनी कामकाजी जिन्दगी में इतनी बचत कर ले कि उसे बुढ़ापे में गरीबी का सामना न करना पड़े और साथ ही राज्य पर भी ज्यादा बोझ न पड़े।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग करना है—
(a) संघर्ष (b) दहेज (c) विवाद (d) समस्या

उत्तर (a) संघर्ष

प्र.2. वृद्ध लोगों को प्रमुखत: कौन-सी बात की आवश्यकता नहीं पड़ती है?
(a) वित्तीय सुरक्षा की (b) स्वास्थ्य सुरक्षा की (c) भावनात्मक सुरक्षा की (d) दहेज की

उत्तर (d) दहेज की

प्र.3. किसके अनुसार, ''संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं''—
(a) मैकाइवर (b) पेज (c) ए० डब्ल्यू० ग्रीन (d) इलियट

उत्तर (c) ए० डब्ल्यू० ग्रीन

प्र.4. दहेज निरोधक अधिनियम कब से लागू हुआ?
(a) 1 जुलाई, 1962 से (b) 1 जुलाई, 1961 से (c) 3 जुलाई, 1962 से (d) 1 जुलाई, 1963 से

उत्तर (b) 1 जुलाई, 1961 से

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. वृद्ध लोगों में से लगभग कितने प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं?
(a) 60% (b) 65% (c) 33% (d) 90%
उत्तर (c) 33%

प्र.6. वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों के किराये में कितने प्रतिशत की छूट होती है?
(a) 30% (b) 20% (c) 35% (d) 40%
उत्तर (a) 30%

प्र.7. अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत कितने किलो अनाज (खाद्यान्न) बुजुर्गों को नि:शुल्क दिया जाता है?
(a) पाँच किलो (b) दस किलो (c) आठ किलो (d) बीस किलो
उत्तर (b) दस किलो

प्र.8. यहाँ एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच किन्हीं कारणों से आपस में तनाव, वैमनस्य एवं संघर्ष की स्थिति पायी जाती है, वह है—
(a) तनाव (b) अन्त: पीढ़ी संघर्ष (c) बाह्य पीढ़ी संघर्ष (d) मध्य पीढ़ी संघर्ष
उत्तर (b) अन्त: पीढ़ी संघर्ष

प्र.9. दहेज प्रथा के कुप्रभाव का कारक नहीं है—
(a) बालिका वध (b) पारिवारिक विघटन (c) स्त्रियों की निम्न स्थिति (d) नैतिकता
उत्तर (d) नैतिकता

प्र.10. दहेज प्रथा के निराकरण का उपाय नहीं है—
(a) स्त्री शिक्षा (b) अन्तर्जातीय विवाह (c) दहेज विरोधी कानून (d) दहेज देना
उत्तर (d) दहेज देना

प्र.11. 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' कब बना?
(a) सन् 1860 में (b) सन् 1861 में (c) सन् 1862 में (d) सन् 1856 में
उत्तर (d) सन् 1856 में

प्र.12. एमनियोसेंटेसिस (Amniocentesis) क्या है?
(a) गर्भ की जाँच (b) गले की जाँच (c) पेट की जाँच (d) मस्तिष्क की जाँच
उत्तर (a) गर्भ की जाँच

प्र.13. भारतीय दण्ड संहिता की किस धारा में बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है?
(a) 375 (b) 377 (c) 376 (d) 380
उत्तर (c) 376

प्र.14. वह धन या सम्पत्ति जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है—
(a) इनाम (b) दहेज (c) मदद (d) मूल्य
उत्तर (b) दहेज

प्र.15. दहेज का कारण नहीं है—
(a) बाल विवाह (b) कुलीन विवाह (c) धार्मिक प्रथा (d) सामाजिक प्रथा
उत्तर (c) धार्मिक प्रथा

प्र.16. पारिवारिक हिंसा का कारण है—
(a) आत्मनिर्भरता (b) अशिक्षा (c) शिक्षा (d) नैतिकता
उत्तर (b) अशिक्षा

TOUCH 'n' PASS

प्र.17. सरकारी संगठनों के द्वारा वृद्धों के लिए बनाये गये वृद्ध-गृह कहलाते हैं—
(a) मन्दिर (b) पार्क (c) वृद्धाश्रम (d) घर
उत्तर (c) वृद्धाश्रम

प्र.18. जिन लोगों में व्यक्तित्व सम्बन्धी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं, वे किसके प्रति घर में हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं?
(a) पुरुषों के प्रति (b) महिलाओं के प्रति (c) पशुओं के प्रति (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) महिलाओं के प्रति

प्र.19. कितने प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं?
(a) 80% (b) 90% (c) 60% (d) 70%
उत्तर (a) 80%

प्र.20. 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' कितने वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए है?
(a) 60 वर्ष (b) 65 वर्ष (c) 75 वर्ष (d) 62 वर्ष
उत्तर (b) 65 वर्ष

प्र.21. वर्तमान में तलाक का अधिकार प्राप्त है—
(a) केवल पुरुषों को (b) स्त्रियों को (c) दोनों को (d) किसी को भी नहीं
उत्तर (c) दोनों को

प्र.22. दहेज की समाप्ति के लिए कानून होना चाहिए—
(a) लचीला (b) कठोर (c) मध्यस्थ (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) कठोर

प्र.23. बाल-विवाह में वधू का चुनाव कौन करता है?
(a) वर स्यमं (b) माता (c) माता-पिता दोनों (d) पिता
उत्तर (c) माता-पिता दोनों

प्र.24. समाज में किसकी प्रधानता अधिक होती है?
(a) स्त्रियों की (b) पुरुषों की (c) बच्चों की (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) पुरुषों की

प्र.25. भारत में सन् 2011 के अनुसार स्त्रियाँ साक्षरता दर कितनी है?
(a) 65.46% (b) 64.46% (c) 65.99% (d) 62.04%
उत्तर (a) 65.46%

प्र.26. भारत में प्रतिदिन लगभग दहेज के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है?
(a) 18 (b) 17 (c) 19 (d) 16
उत्तर (a) 19

TOUCH 'n' PASS

UNIT-V

विकास की अवधारणा
Concept of Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मानव विकास से क्या आशय है?
What is meant by Human Development?

उत्तर मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ-साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊँचा करने की प्रक्रिया है।

प्र.2. मानव विकास के दो उद्देश्य लिखिए।
Write two objectives of Human Development.

उत्तर मानव विकास के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. मानव विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नेटवर्क व साझेदारियों को विकसित करना व सशक्त बनाना।
2. बेहतर मानव विकास के लिए ज्ञान व उपागमों को सुदृढ़ बनाना।

प्र.3. मानव विकास के दो महत्त्वपूर्ण कारण लिखिए।
Write two important reasons of Human Development.

उत्तर मानव विकास के दो महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं—

1. मानव विकास से सामाजिक उपद्रवों को कम करने में सहायता मिलती है और इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है।
2. गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन, लोकतन्त्र के निर्माण और सामाजिक स्थिरता में सहायता मिलती है।

प्र.4. आर्थिक विकास के कोई तीन अवरोध बताइए।
State any three hindrances to economic development.

उत्तर आर्थिक विकास के तीन अवरोध निम्नलिखित हैं—

1. स्पष्ट वैचारिकी का अभाव
2. जन सहभागिता का अभाव
3. जनसंख्या विस्फोट पर नियन्त्रण का अभाव।

प्र.5. सामाजिक विकास के चार कारक लिखिए।
Write four factors of social development.

उत्तर सामाजिक विकास के चार कारक निम्नलिखित हैं—

1. सामंजस्य 2. आविष्कार 3. प्रसार 4. ज्ञान भण्डार।

प्र.6. सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए।
Define the social development.

उत्तर **बी०एस०डिसूजा** के अनुसार, "सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है।"

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. सामाजिक विकास की दो विशेषताएँ बताइए।
State two features of social development.

उत्तर सामाजिक विकास की दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सामाजिक विकास का विषय-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।
2. सामाजिक विकास में निरन्तरता का विशेष गुण है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की व्याख्या कीजिए।
Explain social and economic development.

उत्तर

सामाजिक एवं आर्थिक विकास
(Social and Economic Development)

सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक सम्बन्धों संस्थाओं जनरीतियों, दशाओं में होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यम्भावी है समाज की आधारभूत इकाई व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव परिवर्तनशील होता है। वह नयापन चाहता है। बोझिल जीवन से पार पाने हेतु भी उसे परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता। समरूपता में विविधता की ओर उसका झुकाव होता है। इसलिए उसे सामन्जस्य स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीन ने इसलिए कहा था "परिवर्तन से सामंजस्य स्थापित करना ही हमारे जीवन का एक तरीका बन चुका है। परिवर्तन की गति तीव्र हो या धीमी बिना परिवर्तन के न विकास सम्भव है और न वृद्धि। लुम्ले ने कहा था "कई कारणों से परिवर्तन अवश्यम्भावी रहा है। और है। सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन का भाग है और सभी प्रकार के परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत नहीं आता परन्तु व्यक्ति, समाज समूह, राष्ट्र भावना पर उनसे पड़ने वाले प्रभाव, संस्थाओं पर आने वाले परिवर्तन का प्रभाव मानवजीवन, पर्यावरण और सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक परिवर्तन अवश्य कहलाएगा। गिलिन और गिलि के अनुसार "सामाजिक परिवर्तन जीवन पद्धतियों एवं स्वीकृत तरीकों में होने वाले वैभिन्य को कहते हैं। जो भले ही भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हों अथवा सांस्कृतिक उपकरणों का जनसंख्या की संरचना एवं मनोधारणाओं में परिवर्तन के कारणों से हो या प्रसार से था उस समूह में लाए गए हैं अथवा उसी समूह ने उन्हें आविष्कृत किया हो।"

प्र.2. सामाजिक विकास की अवधारणा का उल्लेख कीजिए।
Mention the concept of social development.

उत्तर

सामाजिक विकास की अवधारणा
(Concept of Social Development)

विकास ऐसे परिवर्तनों को लक्षित करता है जो प्रगति की ओर उन्मुख रहते हैं। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सम्बन्ध आर्थिक पहलू से अधिक है। लेकिन सामाजिक विकास केवल आर्थिक पहलू से ही सम्बन्धित नहीं है अपितु सांस्कृतिक तत्त्वों तथा सामाजिक संस्थाओं से भी सम्बन्धित है।

'सामाजिक विकास' विकास के समाजशास्त्र का केन्द्र बिन्दु है। अत: सामाजिक विकास की विवेचना करना आवश्यक है—

जे०ए० पान्सीओ (J.A. Ponsioen) ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि—"विकास एक आंशिक अथवा शुद्ध प्रक्रिया है जो आर्थिक पहलू में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आर्थिक जगत में विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लगाया जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन सम्बन्धों तथा ढाँचे से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके"।

वी०एस० डिसूजा (V.S. D'Souza) के अनुसार—"सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है।" सामाजिक विकास का विशेष रूप से कुछ अवधारणाओं से सम्बन्धित है, ये अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं—

1. ऐसे साधन जो एक सरल समाज को जटिल समाज में परिवर्तित कर देते हैं।

TOUCH 'n PASS

2. ऐसे साधन जो सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
3. ऐसे सम्बन्ध व ढाँचे जो किसी समाज को अधिकतम आवश्यकता पूर्ति के योग्य बनाते हैं।

प्र.3. सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the characteristics of social development.

उत्तर

सामाजिक विकास की विशेषताएँ
(Characteristics of Social Development)

सामाजिक विकास की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. सामाजिक विकास फलस्वरूप सरल सामाजिक अवस्था जटिल सामाजिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।
2. सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि।
3. धर्म के प्रभाव में ह्रास है।
4. परिवर्तन प्रगति के अनुरूप होता रहता है।
5. सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा का बोध करता है।
6. सामाजिक विकास में 'निरन्तरता' का विशेष गुण होता है।
7. इसकी अवधारणा सार्वभौमिक है।
8. सामाजिक विकास का विषय-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।
9. सामाजिक विकास का प्रमुख केन्द्र बिन्दु आर्थिक है जो प्रौद्योगिकीय विकास पर निर्भर है।
10. इसके अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों का प्रसार होता है।

प्र.4. मानव विकास के सूचक बताइए।
Mention the indicators of human development.

उत्तर

मानव विकास के सूचक
(Indicators of Human Development)

मानव विकास एक वृहद् अवधारणा है जिसके अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक तत्त्व आते हैं। किन्तु UNDP ने मानव विकास के मुख्यत: तीन सूचक बताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. जीवन प्रत्याशा अर्थात् एक विस्तृत और स्वस्थ जीवन। जिस देश के नागरिकों की औसत आयु जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित समझा जाएगा।
2. ज्ञान अर्थात् एक देश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नामांकन कराने वाले लोगों की संख्या। किसी देश में बालिग साक्षरता दर और समग्र प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च नामांकन के अनुपात के द्वारा इसको मापा जाता है।
3. आर्थिक विकास अर्थात् प्रति व्यक्ति आय। लोगों का आर्थिक विकास मानव विकास का एक अन्य सूचक है जो लोगों का अच्छा जीवन स्तर दर्शाता है। एक देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी उस देश में मानव-विकास उतना ही अधिक होगा।

प्र.5. सामाजिक विकास व मानव विकास में सम्बन्ध पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
Write a short note on the relationship between social development and human development.

उत्तर

सामाजिक विकास व मानव विकास में सम्बन्ध
(Relationship between Social Development and Human Development)

सामाजिक विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि मूलभूत सेवाओं को प्रदान करते हुए लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से सम्बन्धित है। सामाजिक विकास के अन्तर्गत नवीन अवसरों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना, जीवन गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, समाज में सुरक्षा व न्याय की व्यवस्था करना, इत्यादि आते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर मानव का इस प्रकार से विकास करना है

TOUCH 'n' PASS

जिससे वह अपनी इच्छानुसार एक उद्देश्यपूर्ण व रचनात्मक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सके। इसके अन्तर्गत व्यक्ति के ज्ञान व शैक्षणिक क्षमताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाओं का भी विकास आता है। जो किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक व सामाजिक आयामों की गवेषणा करने के लिए आवश्यक हैं।

मनुष्य समाज की सबसे छोटी इकाई है, अत: उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक व सामाजिक आदि आयामों के विकास पर निर्भर करता है। समस्त सामाजिक नीतियाँ व कार्यक्रम मानव मात्र को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रित होते हैं। जिससे मनुष्य को उसकी क्षमताओं का ज्ञान हो सके। अत: सामाजिक विकास मानवीय विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक विकास मानव-केन्द्रित विकास है। तथा मानव को विकसित करना सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न व योगदान है क्योंकि एक श्रेष्ठ मानव एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है तथा सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ माध्यम को बढ़ावा देता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मानव विकास से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
What do you understand by human development? Explain its objectives.

उत्तर

मानव विकास
(Human Development)

किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में, उस देश में उपलब्ध मानव संसाधन अथवा आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शक्ति का आकार तथा उसका गुणात्मक स्वरूप देश के विकास की दिशा एवं विकास के पथ को निर्धारित करती है। मानव ही उत्पादन का साधन बन कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन ने मानव विकास को, लोगों के सामने, विकल्प के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं विस्तृत और स्वस्थ जीवन, शिक्षा प्राप्ति और अच्छा जीवन स्तर को पाना। अन्य विकल्प हैं, राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकारों का आश्वासन और आत्म-सम्मान के विविध तत्त्व। ये सभी जरूरी विकल्प हैं जिनके अभाव में दूसरे अवसरों में बाधा पड़ती है। अत: मानव विकास, लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ-साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊँचा करने की प्रक्रिया है। पॉल स्ट्रीटन ने ठीक ही लिखा है कि मानव विकास की संकल्पना, मानव को कई दशकों के अन्तराल के बाद पुन: केन्द्रीय मंच पर प्रस्थापित करती है। इन बीते दशकों में तकनीकी संकल्पनाओं की भूल-भुलैया में यह बुनियादी दृष्टि अस्पष्ट बनी है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री **महबूब उल हक,** जिनके निर्देशन में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया था, के अनुसार, "मानव विकास में सभी मानवीय विकल्पों का विस्तार आ जाता है। ये विकल्प चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक हों।" यह कभी-कभी कहा जाता है कि आय में वृद्धि से अन्य सभी विकल्पों का विस्तार होता है, किन्तु यह सत्य नहीं हैं मानव के सामने अनेक विकल्प हैं, जो आर्थिक कल्याण से कहीं आगे जाते हैं। ज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छ भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता और जीवन के सरल आनन्द आय पर निर्भर नहीं हैं।

अत: संकुचित अर्थों में मानव विकास का अर्थ है, मानव की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय करना जबकि विस्तृत अर्थ में, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समस्त सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय से लगाया जाता है।

मानव विकास के उद्देश्य
(Objectives of Human Development)

मानव विकास के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. सामाजिक नीति, कार्यक्रम व सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत उपागम को अपनाना व क्रियान्वित करना।
2. मानव विकास व सामाजिक विकास में उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना।
3. मानव विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नेटवर्क व साझेदारियों को विकसित करना व सशक्त बनाना।
4. सामाजिक व मानव विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों व सेवाओं को बेहतर बनाना व उनमें सामन्जस्य स्थापित करना।
5. बेहतर मानव-विकास के लिए ज्ञान व उपागमों को सुदृढ़ बनाना।
6. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तर पर शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना।

TOUCH 'n' PASS

7. प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उसकी समुचित व्यवस्था करना।
8. कार्य-प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, तथा
9. ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना जो लोगों की जीवन-प्रत्याशा, शक्ति, उत्साह तथा कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकें।

प्र.2. मानव विकास के महत्त्व को समझाइए।
Explain the importance of human development.

उत्तर

मानव विकास का महत्त्व
(Importance of Human Development)

किसी देश का आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध मानव पूँजी के स्टॉक तथा संचय की दर पर निर्भर करता है। विकासशील देशों में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इन देशों में विकास के वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं तथा वहाँ विकास की दर निम्न रहती है। आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्षधर है कि मानव-पूँजी में अधिक-से-अधिक विनियोग किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके।

किसी भी देश की जनसंख्या का जितना अधिक हिस्सा शिक्षित, कुशल एवं प्रशिक्षित, होकर रोजगार में लगा हुआ है, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूँजी की अपेक्षा मानव पूँजी को कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढाँचा खड़ा किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का भी विचार था कि "सबसे मूल्यवान पूँजी वह है जो मानव-मात्र में विनियोजित की जाए।"

पॉल स्ट्रीटन के अनुसार—मानव विकास निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण है—

1. मानव विकास ऊँची उत्पादकता का साधन है। भली प्रकार से पोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्पादक परिसम्पत्ति है। अत: पोषण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में निवेश उत्पादकता के आधार पर उचित है।
2. यह मानव पुनरुत्पादन को धीमा करके परिवार के आकार को छोटा करने में सहायता पहुँचाता है। यह सभी विकसित देशों का अनुभव है कि शिक्षा के स्तर में सुधार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और बाल मृत्यु दर में कमी से जन्म दर में गिरावट आती है। शिक्षा में सुधार से लोगों में छोटे परिवार के प्रति चेतना पैदा होती है और स्वास्थ्य में सुधार व बाल मृत्यु दर में कमी से लोग ज्यादा बच्चों की जरूरत महसूस नहीं करते।
3. भौतिक पर्यावरण की दृष्टि से भी मानव विकास अच्छा है। गरीबी में वनों के विनाश, रेगिस्तान के विस्तार और क्षरण में कमी आती है।
4. गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन, लोकतन्त्र के निर्माण और सामाजिक स्थिरता में सहायता मिलती है।
5. मानव विकास से सामाजिक उपद्रवों को कम करने में सहायता मिलती है और इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है।

प्र.3. आर्थिक विकास के अवरोधों की व्याख्या कीजिए।
Explain the barriers to economic development.

उत्तर

आर्थिक विकास के अवरोध
(Barriers to Economic Development)

1. **निर्धनता, बेरोजगारी एवं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था**—देश की निर्धनता अत्यधिक कष्टकारी। प्रतिव्यक्ति आय निम्नतम् अशिक्षित जनसंख्या का आर्थिक स्तर न्यूनतम, बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्तर शोचनीय है।
2. **स्पष्ट वैचारिकी का अभाव**—कभी देश की अर्थव्यवस्था का आधार, समाजवादी प्रतिमान, कभी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कभी उदारवादी और वैश्वीकरण की नीति का समर्थन। अत: आज आवश्यकता है स्पष्ट वैचारिकी का जिसके माध्यम देश का समुचित आर्थिक विकास सम्भव हो सके।
3. **जनसंख्या विस्फोट पर नियन्त्रण का अभाव**—आज भारत की जनसंख्या विस्फोटक स्तर पर पहुँच चुकी है। जनसंख्याओं के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधन एवं अधो संरचना सक्षम नहीं दिखाई देती है। जन जागरण ही जनसंख्या विस्फोट को नियन्त्रित करने में सक्षम है।

TOUCH 'n PASS

4. **जन-सहभागिता का अभाव**—विकास कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता आवश्यक है जिनका विकास लक्ष्य है। विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन-सहभागिता सुनिश्चित कराना नितान्त आवश्यक। जन-सामान्य की समस्याएँ प्रशासन उनके सहयोग से ही हल करने में सफल हो सकेगी।
5. **अशिक्षा की वृद्धि**—चिन्तक अशिक्षा को अनेक गम्भीर सामाजिक समस्याओं की जननी मानी जाती है। अशिक्षा से पार पाए बिना देश के विकास की ओर अग्रसर होने में देश सफल होना तो दूर की बात है अपने कार्यक्रमों को उन्हें बोधगम्य कराने तक में भी सफल नहीं हो सकेगी।
6. **राष्ट्रीय एकीकरण की भावना की गिरावट का स्तर**—राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास किए बिना देश क्षेत्रीयता के दोषों पर नियन्त्रण रखने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अत: आवश्यकता है कि सम्पूर्ण देशवासियों में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सक्रिय बनाया जाए और उनमें राष्ट्रीय प्रेम की ज्योति जलायी जाए।
7. **क्षेत्रीय असमानता की स्थिति**—सम्पूर्ण देश क्षेत्रीय असमानता से तड़प रहा है किसी क्षेत्र में राजनैतिक कारणों से विकास चरम सीमा पर है तो किसी क्षेत्र में विकास पहुँचा ही नहीं के बराबर। भौगोलिक परिस्थितियों के नाते भी कई क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं जो कई क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कई क्षेत्रों में पूँजी की कमी है और कई क्षेत्रों में पूँजीनिवेशकों की। किसी क्षेत्र में कच्ची सामग्री ओर प्राकृतिक सम्पदा की भारमार तो है परन्तु संसाधनों के अभाव में उनका दोहन सम्भव नहीं हो पाता।
8. **जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद, धर्म के आधार पर जनसंख्या का विभाजित होना**—विकास के मार्ग में विशेषकर आर्थिक विकास के मार्ग में जातिवाद, धर्म, भाषा प्रान्त आदि तत्त्व चट्टान सरीखे बाधक बन कर देश के विकास और विशेषकर आर्थिक विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने में समय-समय पर अप्रत्यासित भूमिकाएँ उपस्थित कर देते हैं जिनसे पार पाना तो दूर अन्य गुणित बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए सम्बन्धित तत्त्वों द्वारा समय-समय पर आन्दोलनों के दौरान भारी राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करना आर्थिक विकास में अवरोध नहीं है तो और क्या है?
9. **भ्रष्टाचार का असीमित रूप**—देश के इस प्रकार के आचरण का आने वाली भावी पीढ़ियों पर क्या प्रभाव होगा पर विचार मात्र से ग्लानि ही हो सकती है। सरकार, प्रशासन की अक्षमता को दर्शाने वाली आए दिन की घटनाएँ भ्रष्टाचार के असीमित रूप को प्रकट करती रही है। आए दिन के घोटाले, राजनैतिक, उठापटक, क्षेत्रीय असन्तोष की विभिषिका, धार्मिक उन्माद, जातिय संरक्षण, हिंसा, घोर अपराध, बैंक डकैतियाँ, रोड होल्डपास की घटनाएँ, क्षेत्रीय तनाव की दशाएँ राष्ट्रीय क्षति को बढ़ाती है और देश का स्थान अन्य देशों से सहभागिता निभाने में पिछड़े सहायक हो रही है। आवश्यकता है आज देश को नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों को उजागर करने की ताकि देश का विकास सम्भव हो सके।
10. **नवीन सूचना तकनीकी का दुरुपयोग**—नवीन सूचना तकनीकी का उपयोग संचार साधनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए था जैसा अन्य विकसित देशों में होता है परन्तु भारत के बड़े नगरों से लेकर छोटे नगरों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में नवीन सूचना तकनीकी का दुरुपयोग यह बताता है कि देश में ऐसे तत्त्वों की कमी नहीं है जो साइबर कैफे, कम्प्यूटर, इमेल, फैक्स टेलीफोन और मोबाइल का दुरुपयोग समाजविरोधी अपराधी गतिविधियों के लिए अधिक करते हैं और अनैतिक कार्यों की वृद्धि तथा अपराध में बढ़ावा दे रहे हैं। यदि उनका आर्थिक विकास हेतु उपयोग होता तो श्रेयस्कर विकास कार्य के क्रियान्वयन में बढ़ावा मिलता।
11. **प्राकृतिक आपदाएँ**—आर्थिक विकास में बाधा के रूप में प्राकृतिक आपदाएँ; जैसे—बाढ़, सूखा, महामारी, भूचाल, समुद्री तूफान, भूस्खलन आदि महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती है। जिससे आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उत्पादन कम हो जाता है। कभी-कभी भारी जानमाल का नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। सुनामी लहरों का ताण्डव लाखों जानें ली, लाखों को घर/आवास से महरूम कर दिया, लाखों बच्चों को अनाथ और अभिभावकों को अपनों से छीन लिया और असहाय बना दिया। जंगलों में अग्नि का ताण्डव जो आर्थिक विकास को क्षतिग्रस्त करना है से सभी अवगत हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. सामाजिक विकास के कारकों की व्याख्या कीजिए।
Explain the factors of social development.

उत्तर

सामाजिक विकास के कारक
(Factors of Social Development)

सामाजिक विकास के कारकों का अध्ययन करते समय यह ज्ञात होता है कि विभिन्न सामाजिक विचारकों जैसे मिरडल, हाबहाउस तथा आगबर्न आदि ने कुछ सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। इन विचारकों ने जिन प्रमुख सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है, वे निम्नलिखित हैं—

1. **सामंजस्य** (Adjustment)—सामाजिक विकास के लिए समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य नहीं है तो सामाजिक विकास की गति तीव्र नहीं होगी।
2. **आविष्कार** (Invention)—प्रत्यक्ष रूप से आविष्कार उस समाज के व्यक्तियों की योग्यता, साधन तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों से सम्बन्धित है। जैसे-जैसे तेजी से आविष्कार हो रहे हैं, वैसे-वैसे सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन भी हो रहे हैं।
3. **प्रसार** (Diffusion)—सामाजिक विकास की प्रक्रिया आविष्कारों के प्रसार पर निर्भर है। विभिन्न आविष्कारों के प्रसार के कारण ही सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन तथा विकास हो रहा है।
4. **ज्ञान भण्डार** (Knowledge Bank)—पुराने ज्ञान के संचय के कारण नवीन आविष्कारों का जन्म हो रहा है, फलस्वरूप सामाजिक विकास में वृद्धि हो रही है।
5. **औद्योगीकरण** (Industrialisation)—औद्योगीकरण सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। औद्योगीकरण के बिना सामाजिक विकास सम्भव नहीं है। विकसित समाजों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि औद्योगीकरण के फलस्वरूप ही सम्भव हो पाई है अत: विकासशील देश भी औद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रसंघ के आर्थिक एवं सामाजिक विषय विभाग का विचार है कि—"अल्पविकसित क्षेत्रों की प्रचलित परिस्थितियों में रहन-सहन के औसत स्तरों को उठाने का उद्देश्य समुदाय के बहुसंख्यकों की आयों में सुदृढ़ वृद्धियों के स्थान पर थोड़े से अल्पसंख्यकों की आय में अधिक वृद्धि करना है। अधिकांश कम विकसित देशों में यह बहुसंख्यकों विशाल और ग्रामीण होते हैं जो ऐसे कृषि कार्य करते हैं जिनकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है। कुछ देशों में औसत उत्पादिता को बढ़ाना आर्थिक विकास का प्रधान कार्य है। प्रारम्भ में और अधिक सीमा तक यह स्वयं कृषि क्षेत्र में किया जाना चाहिए। अनेक देशों में अपूर्ण-नियुक्त ग्रामीण श्रम को अन्य व्यवसायों में लगाना विकास का अत्यन्त आवश्यक कार्य है। अधिक उन्नत देशों विकास द्वारा प्रारम्भ नए कार्यों की उत्पादिता कृषि की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। ऐसी स्थिति में गौण उद्योग विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनता है। तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक अल्पविकसित देश का सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक संगठन कुछ समय में उत्पादन के कारकों की निम्न कार्य कुशलता के साथ समायोजित हो गया है। अत: औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का कोई भी प्रयास बहुमुखी होना चाहिए जो अधिक या कम मात्रा में, देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रत्येक तत्त्व को, उसके प्रशासन को और अन्य देशों के साथ उसके सम्बन्धों को प्रभावित करें।
6. **नगरीकरण** (Urbanisation)—नगरीकरण आर्थिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और गाँवों से कस्बों की ओर स्थानान्तरण, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन के स्तर, विभिन्न आकार के कस्बों में आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए सापेक्ष व्यय, जनसंख्या के विभिन्न अंगों के लिए आवास की व्यवस्था, जलपूर्ति, सफाई परिवहन एवं शक्ति जैसी सेवाओं का प्रावधान, आर्थिक विकास का स्वरूप, उद्योगों का स्तान-निर्धारण एवं विकिरण, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतियों और भूमि उपयोग के नियोजन जैसी अनेक समस्याओं के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। इन अंगों का महत्त्व उन शहरी क्षेत्रों में जो बड़ी तेजी से विकसित हो रहे हैं, विशेष हो जाता है। भारतवर्ष में नगरीकरण की प्रक्रिया में निरन्तर वृद्धि हो रही है। नगरीकरण के कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा रहन-सहन का स्तर भी उच्च हो रहा है जो सामाजिक विकास में सहायक है।

TOUCH 'n PASS

7. **आर्थिक स्थिति** (Economic Status)—आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक विकास आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। जो समाज आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ है वे समाज विकास की ओर निरन्तर अग्रसर है। इसके विपरीत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले समाज में विकास की गति बहुत धीमी होती है।
8. **सामाजिक गतिशीलता** (Social Mobility)—सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हों। व्यावसायिक गतिशीलता के परिणामस्वरूप भी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है जो सामाजिक विकास के मार्ग में सहायक है।
9. **शिक्षा** (Education)—कोई समाज विकास के किस स्तर पर है, यह वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। शिक्षा सामाजिक-आर्थिक प्रगति की सूचक है। शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों यथा बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक आदि का समुचित विकास करना है। अत: शिक्षा को सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव सामाजिक विकास में काफी सहायक रहा है।
10. **राजनैतिक व्यवस्था** (Political System)—सामाजिक विकास तथा राजनैतिक व्यवस्था का आपस में अटूट सम्बन्ध है। उस समाज में विकास की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है जिस समाज में राजनैतिक अस्थिरता विद्यमान है। अधिकांश समाज प्रजातन्त्र के माध्यम से विकास की ओर अग्रसर है। जहाँ राजनीतिक व्यवस्था न्याय तथा समानता पर आधारित एवं शोषण के विरुद्ध हैं वहाँ सामाजिक विकास सुनिश्चित है।

प्र.5. विकास के सामाजिक ढाँचे के अध्ययन पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the study of social structure of development.

उत्तर

विकास के सामाजिक ढाँचे का अध्ययन
(Study of Social Structure of Development)

समाजशास्त्र की विषयवस्तु के अन्तर्गत जहाँ सरल से जटिल अवस्था को प्राप्त समाज का अध्ययन सम्मिलित है, वहीं पर इसके अन्तर्गत उस सामाजिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन होता है जो विकास के लिए अति आवश्यक है। सामाजिक पृष्ठभूमि को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है—

1. विचारात्मक
2. संस्थागत
3. संगठनात्मक
4. प्रेरणात्मक

1. **विचारात्मक**—मैरिन जे० लेवी ने लिखा है कि "इसके अन्तर्गत उन सामान्य झुकावों, मूल्यों, इच्छाओं को सम्मिलित किया जाता है तो विकास के लिए आवश्यक है।" सामाजिक विकास की दशा को तय करने में वैचारिक पृष्ठभूमि की एक सुनिश्चित भूमिका है। स्पेंगलर ने इस सम्बन्ध में अपने उद्‌गार रखते हुए लिखा है कि, "एक न्यूनतम मूल्य एकमत्ता सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसी नियम के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण मूल्य सम्बन्धी तत्त्व हैं—न्याय तथा समानता का पैमाना, धन की वितरण शक्ति और स्थिति तथा सांस्थानिक समन्वय।" आज सभी समाजों की एक सामान्य विशेषता आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास है।
2. **संस्थागत**—संस्थाएँ विशेष उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए साधन, तौर तरीके विधियाँ, कार्य प्रणालियाँ आदि उपयोगों को व्यक्त करती हैं। संस्थाओं के निर्देशन में ही व्यक्ति अपने व्यवहार प्रतिमान निश्चित करता है। प्राय: सभी पहलुओं से सम्बन्धित संस्थाएँ हैं; जैसे—पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि। अत: स्पष्ट है कि संस्थाओं के माध्यम से कार्य करने के व्यवस्थित तथा सुनिश्चित ढंग का ज्ञान होता है।
3. **संगठनात्मक**—नगरीकरण, नए पारिवारिक संगठन सत्ता, श्रमिकसंघ आदि आर्थिक पहलू में विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन सभी तत्त्वों का अध्ययन विकास में समाजशास्त्र के अध्ययन विकास के समाजशास्त्र के अन्तर्गत होता है। **एम०जे० लेवी** के अनुसार—"इसके अन्तर्गत उन तत्त्वों का अध्ययन सम्मिलित है जो समाज के निर्णायक हैं और जो साधारणतया मूर्त हैं।"
4. **प्रेरणात्मक**—विकास के समाजशास्त्र में उन तत्त्वों के अध्ययन की विशेष महत्ता है जो विकास के कार्य में प्रेरणात्मक हैं। विकास के समाजशास्त्र में उन तत्त्वों के अध्ययन की विशेष महत्ता है जो विकास के कार्य में प्रेरणात्मक है।
विकास के समाजशास्त्र के अन्तर्गत विकास-प्रक्रियाओं के अध्ययन के साथ-साथ उन सांस्कृतिक तथा सांस्थानिक बाधाओं का भी अध्ययन होता है जो विकास में बाधक हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. मानव विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए।
Mention the stages of human development.

उत्तर

मानव विकास की अवस्थाएँ
(Stages of Human Development)

समाज वैज्ञानिकों मानव विकास की अवस्थाओं को गर्भधारण से लेकर पूरे जीवनकाल को निम्नांकित 10 भागों में विभाजित किया है—

1. **पूर्वप्रसूतिकाल**—यह अवस्था गर्भधारण से प्रारम्भ होकर जन्म तक की होती है।
2. **शैशवावस्था**—यह अवस्था जन्म से प्रथम 10-14 दिनों तक की है।
3. **बचपनावस्था**—यह अवस्था जन्म के दो सप्ताह से प्रारम्भ होकर दो साल तक की होती है।
4. **बाल्यावस्था**—यह अवस्था 2 साल से प्रारम्भ होकर 10 या 12 साल तक की होती है। बालिकाओं में 10 वर्ष तक तथा बालकों में यह 12 वर्ष तक होती है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने निम्नांकित दो भागों में बाँटा है—
   (i) **प्रारम्भिक बाल्यावस्था**—यह अवस्था 2 साल से प्रारम्भ होकर साल तक की होती है।
   (ii) **उत्तर बाल्यावस्था**—यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारम्भ होकर बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र तक तथा बालकों में 6 वर्ष से प्रारम्भ होकर 12 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था से बालक-बालिकाओं में यौन परिपक्वता आ जाती है।
5. **तरुणावस्था या प्राकृकिशोरावस्था**—लड़कियों में यह अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष की तथा लड़कों में यह अवस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालिका का शरीर एक वयस्क के शरीर का रूप ले लेता है।
6. **प्रारम्भिक किशोरावस्था**—यह अवस्था 13-14 वर्ष से प्रारम्भ होकर 17 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है और उनमें विवेक तथा उचित-अनुचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है।
7. **परवर्त्ती किशोरावस्था**—यह अवस्था 17 वर्ष से 19-20 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक पूर्णरूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतन्त्र हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में तरह-तरह की योजनाएँ बनाना शुरू कर देता है। बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है।
8. **प्रारम्भिक वयस्कता**—यह अवस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति शादी कर अपना घर-परिवार बसाता है और किसी व्यवसाय में लग जाता है तथा अपने आत्मविकास को मजबूत कर आगे बढ़ता है।
9. **मध्यावस्था**—यह अवस्था 40-60 वर्ष की होती है। इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्वप्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को काफी सुदृढ़ किया जाता है।
10. **बुढ़ापा या सठियावस्था**—यह अवस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती है और सामाजिक कार्यों में व्यक्ति का लगाव कम होता चला जाता है।

प्र.7. मानव विकास के व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the psychoanalytical theory of personality of human development.

उत्तर

व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त
(Psychoanalytical Theory of Personality)

फ्रायड ने करीब 40 वर्ष के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त की व्याख्या निम्नांकित तीन मुख्य भागों में बाँट कर की जाती है—

1. व्यक्तित्व की संरचना। 2. व्यक्तित्व की गतिकी। 3. व्यक्तित्व का विकास।

1. **व्यक्तित्व की संरचना**—फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन करने के लिए निम्नांकित दो प्रारूपों का निर्माण किया है—
   (i) **आकारात्मक प्रारूप**—मन के आकारात्मक प्रारूप से तात्पर्य पहलू से होता है जहाँ संघर्षमय परिस्थिति की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। फ्रायड ने इसे तीन स्तरों में बाँटा है—चेतन, अर्द्धचेतन तथा अचेतन।

TOUCH 'n PASS

(ii) **गत्यात्मक या संरचनात्मक प्रारूप**—इससे तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। ऐसे साधन या प्रतिनिधि तीन हैं—

(a) **उपाहं**—यह व्यक्तित्व का जैविक तत्त्व है जिनमें प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती हैं तथा जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण तथा नियम आदि को मानने वाली नहीं होती हैं। उपाहं की प्रवृत्तियाँ "आनन्द सिद्धान्त" द्वारा निर्धारित होती हैं।

(b) **अहं**—अहं मन का वह हिस्सा है जिसका सम्बन्ध वास्तविकता से होता है तथा जो बचपन में उपाहं की प्रवृत्तियों से ही जन्म लेता है। अहं वास्तविकता सिद्धान्त द्वारा नियन्त्रित होता है तथा वातावरण की वास्तविकता के साथ इसका सम्बन्ध सीधा होता है।

(c) **पराहं**—पराहं को व्यक्तित्व की नैतिक शाखा में माना गया है जो व्यक्ति को यह बतलाता है कि कौन कार्य अनैतिक है। यह आदर्शवादी सिद्धान्त द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित होता है।

2. **व्यक्तित्व की गतिकी**—फ्रायड के अनुसार मानव जीव एक जटिल तन्त्र है जिसमें शारीरिक ऊर्जा तथा मानसिक ऊर्जा दोनों ही होते हैं। शारीरिक ऊर्जा से व्यक्ति शारीरिक क्रियाएँ जैसे—दौड़ना, साँस लेना, लिखना आदि क्रियाएँ करता है तथा मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति मानसिक कार्य जैसे—स्मरण, प्रत्यक्ष चिन्तन आदि करता है। फ्रायड के अनुसार इन दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्पर्श बिन्दु उपाहं होता है। फ्रायड ने इन ऊर्जाओं से सम्बन्धित कुछ ऐसे सम्प्रत्यय का विकास किया है जिनसे व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलुओं जैसे—मूलप्रवृत्ति, चिन्ता तथा मनोरचनाओं का वर्णन होता है।

3. **व्यक्तित्व का विकास**—फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या दो दृष्टिकोण से की है। पहला दृष्टिकोण इस बात पर बल डालता है कि वयस्क व्यक्तित्व बाल्यावस्था के भिन्न-भिन्न तरह की अनुभूतियों द्वारा नियन्त्रित होती है तथा दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार जन्म के समय लैंगिक ऊर्जा बच्चों में मौजूद होती है जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। फ्रायड के इस दूसरे दृष्टिकोण को मनोलैंगिक विकास का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त की पाँच अवस्थाएँ क्रम में निम्नांकित हैं—

(i) मुखावस्था (ii) गुदावस्था
(iii) लिंग प्रधानावस्था (iv) अव्यक्तावस्था
(v) जननेन्द्रियावस्था

मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर व्यक्ति की लैंगिक ऊर्जा का धीरे-धीरे विकास होता जाता है जिससे व्यक्ति बाल्यावस्था के निष्क्रियता को त्याग कर वयस्कावस्था में सामाजिक रूप से उपयोगी एवं सुखमय जीवन जीता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास का अवरोधक है—

(a) स्पष्ट वैचारिकी का अभाव (b) जनसहभागिता का अभाव
(c) जनसंख्या विस्फोट (d) ये सभी

उत्तर (d) ये सभी

प्र.2. "सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है।" यह कथन है—

(a) जे०ए० पान्सीओ का (b) वी०एस० डिसूजा का (c) महबूब उल हक का (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (b) वी०एस० डिसूजा का

प्र.3. सामाजिक विकास का कारक है—

(a) आविष्कार (b) प्रसार (c) (a) और (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (c) (a) और (b) दोनों

TOUCH 'n PASS

प्र.4. UNDP ने मानव विकास के मुख्यतः कितने सूचक बताये हैं—
(a) दो (b) तीन (c) चार (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) तीन

प्र.5. सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसके निर्देशन में किया गया था?
(a) वी०एस० डिसूजा (b) जे०ए० पान्सीओ (c) महबूब उल हक (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) महबूब उल हक

प्र.6. मानव विकास का उद्देश्य है—
(a) शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना (b) प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना
(c) कार्य-प्रशिक्षण को बढ़ावा देना (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.7. मानव विकास की मध्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है?
(a) 10-20 वर्ष (b) 20-30 वर्ष (c) 40-60 वर्ष (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) 40-60 वर्ष

प्र.8. फ्रायड ने मन के आकारात्मक प्रारूप को कितने स्तरों में बाँटा है—
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) 3

प्र.9. सामाजिक विकास के मुख्यतः कितने कारक बताये गये हैं—
(a) दो (b) तीन (c) चार (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) चार

प्र.10. सामाजिक विकास की विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है—
(a) सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि (b) धर्म के प्रभाव में ह्रास
(c) सामाजिक सम्बन्धों का प्रसार (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.11. ..... को दिखाना अच्छे सामाजिक विकास का एक संकेत है।
(a) अभिप्रेरणा (b) सहानुभूति (c) क्रोध (d) हास्य भाव
उत्तर (b) सहानुभूति

प्र.12. बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है—
(a) एकल परिवार में (b) संयुक्त परिवार में (c) दोनों में (d) किसी में नहीं
उत्तर (b) संयुक्त परिवार में

प्र.13. ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं, जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं?
(a) सदस्यता पूँजी (b) संरचनात्मक पूँजी (c) राजकोषीय पूँजी (d) सामाजिक पूँजी
उत्तर (d) सामाजिक पूँजी

प्र.14. सेल्मन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन-से आयु वर्ग में स्वरूप लेते हैं?
(a) 7-12 साल (b) 10-15 साल (c) 3-9 साल (d) 14 साल वयस्क
उत्तर (d) 14 साल वयस्क

प्र.15. प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल है?
(a) शारीरिक विकास (b) संज्ञात्मक विकास (c) सामाजिक विकास (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है?
(a) पूर्व-गिरोह आयु (b) अनुकरणीय आयु (c) प्रश्न करने की आयु (d) खेल की आयु
उत्तर (d) खेल की आयु

प्र.17. बच्चों में स्थायी दाँत ..... की आयु में दिखाई देने लगते हैं।
(a) 12 वर्ष (b) 6 वर्ष (c) 10 वर्ष (d) 3 वर्ष
उत्तर (b) 6 वर्ष

प्र.18. जन्म आघात क्या है?
(a) जन्म के 15 दिनों के अंदर चोट लगना (b) जन्म के 2 दिनों के अंदर चोट लगना
(c) जन्म के समय लगी चोट (d) जन्म के 5 दिनों के अंदर चोट लगना
उत्तर (c) जन्म के समय लगी चोट

प्र.19. ..... तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं।
(a) वृद्धि (b) विकास (c) शारीरिक परिवर्तन (d) मानसिक परिवर्तन
उत्तर (b) विकास

प्र.20. मानव विकास का प्रारम्भ होता है—
(a) शैशवावस्था से (b) पूर्व-बाल्यावस्था से (c) गर्भावस्था से (d) उत्तर-बाल्यावस्था से
उत्तर (c) गर्भावस्था से

प्र.21. ..... पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित करने का प्रयास किया।
(a) रूसो (b) प्लेटो (c) अरस्तू (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) रूसो

प्र.22. ''पहचान संकट'' शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था?
(a) फ्रॉयड (b) एरिक एरिक्सन (c) पियाजे (d) वायगोत्सकी
उत्तर (b) एरिक एरिक्सन

प्र.23. एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनो सामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन-सी है?
(a) प्रगाढ़ता बनाम अलगाव (b) पहचान बनाम भूमिका संभ्रान्ति
(c) परिश्रम प्रियता बनाम हीनता (d) उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता
उत्तर (c) परिश्रम प्रियता बनाम हीनता

प्र.24. चेतना का वह स्तर जिसे सहज या जीव अन्तर्नोद का भण्डार माना जाता है—
(a) अचेतन (b) अग्रचेतन
(c) सचेतन (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) अचेतन

प्र.25. फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धान्त द्वारा समझा जा सकता है?
(a) चेतन के स्तर को (b) व्यक्तित्व की संरचना को
(c) यहाँ रक्षात्मक युक्तियों को (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.26. वे भावनाएँ जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब ध्यान केन्द्रित करते हैं?
(a) चेतन (b) पूर्वचेतन
(c) अचेतन (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) पूर्वचेतन

TOUCH 'n' PASS

प्र.27. जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह स्वयं को समायोजित कर लेता है अगर ऐसा न हो तो वह कुसमायोजित हो जाता है, यह स्थिति क्या कहलाती है—

(a) मनो सामाजिक विकार (b) स्थिरण
(c) अंतरण (d) इदं का हावी हो जाना

उत्तर (b) स्थिरण

प्र.28. सिगमण्ड फ्रायड ने चेतन व अचेतन मन का अनुपात बताया है?

(a) 1/10 : 10/9 (b) 10/1 : 1/9 (c) 10/1 : 9/10 (d) 1/10 : 9/10

उत्तर (d) 1/10 : 9/10

प्र.29. एक सन्तुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें—

(a) इदम एवं परम् अहम के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाता है
(b) इदम एवं अहम् के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाता है
(c) अहम् एवं परम् अहम के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाता है
(d) मजबूत अहम् को बनाया जाता है

उत्तर (d) मजबूत अहम् को बनाया जाता है

प्र.30. फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आन्तरिकीकरण ..... में होता है।

(a) इदम् (b) अहम् (c) पराहम् (d) परिस्थितियों

उत्तर (c) पराहम्

प्र.31. मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्त्व दिया था?

(a) कमेनियस (b) हॉल (c) हॉलिंगवर्थ (d) फ्रॉयड

उत्तर (d) फ्रायड

प्र.32. इदम् का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है—

(a) अनैतिक व असामाजिक (b) दबाव
(c) दुशचिंता (d) कुण्ठित

उत्तर (a) अनैतिक व असामाजिक

प्र.33. शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन-सी युक्ति रक्षा तन्त्र में सबसे सन्तोषजनक होगी?

(a) तादात्मीकरण (b) विवेकीकरण (c) अति कल्पना (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (c) अति कल्पना

प्र.34. निम्न में से कौन-सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है?

(a) प्रक्षेपण (b) दमन (c) प्रतिगमन (d) लक्ष्यों का प्रतिस्थापन

उत्तर (d) लक्ष्यों का प्रतिस्थापन

प्र.35. 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है?

(a) पराहम् (b) इलेक्ट्रा कम्पलेक्स (c) ओडिपस कम्पलेक्स (d) नार्सीजिज्म

उत्तर (c) ओडिपस कम्पलेक्स

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

विकास के सिद्धांत
Theories of Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अल्प विकास क्या है?
What is Underdevelopment?

उत्तर योजना आयोग के अनुसार "अल्पविकसित देश वह है जिसमें एक ओर तो मानव शक्ति की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो पा रहा है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का भी पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

प्र.2. केंद्र-परिधि का क्या अर्थ है?
What is meaning of Centre-Periphery?

उत्तर केंद्र-परिधि का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। कुशल मजदूर केंद्र (Centre) कहलाते हैं तथा अकुशल मजदूर परिधि (Periphery) कहलाते हैं।

प्र.3. प्रदर्शन प्रभाव से क्या आशय है?
What is meant by Demonstration Effect?

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का अर्थ यह है कि अर्द्ध-विकसित देश, विकसित देशों की उपभोग की प्रवृत्ति को अपनाते हैं जिससे विदेशी आयातों में वृद्धि होती है।

प्र.4. वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए।
Define Globalisation.

उत्तर **मैलकम वाटर्स** के अनुसार—वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें भूगोल द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को दबाया जाता है जिससे लोग इस बात के लिए जागरूक होने लगते हैं कि उनका पश्चप्रवण हो रहा है।

प्र.5. वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है?
What is meant by Globalisation?

उत्तर सामाजिक आर्थिक संबंधों का संपूर्ण विश्व तक विस्तार वैश्वीकरण है।

प्र.6. डेनियल लर्नर की पुस्तक की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
Write any two features of Daniel Lerner Book.

उत्तर डेनियल लर्नर की पुस्तक की दो विशेषताएँ निम्न हैं—

1. बढ़ता हुआ नगरीकरण (Increasing Urbanisation)
2. बढ़ती हुई साक्षरता (Increasing Literacy).

प्र.7. असमान विकास से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by uneven Development?

उत्तर असमान विकास क्षेत्रों भौगोलिक प्रक्रियाओं, वर्गों तथा वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर क्षेत्रों के विकास के स्तर से संबंधित होते हैं। श्रम के विभाजन के व्यापक उद्‌भव में असमान विकास की भौतिक गतियाँ, समकारी एवं पूँजी के बीच के अंतर में निहित हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए।
Define social Development.

उत्तर **जे०ए० पोनसियन**—"सामाजिक विकास से तात्पर्य उन सम्बन्धों तथा संरचनाओं से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाता है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी हो सके।"

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. केन्द्र-परिधि पर समीर अमीन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
Explain Samir Amin's Theory on Centre Periphery.

उत्तर

केन्द्र-परिधि पर समीर अमीन
(Samir Amin on Centre Periphery)

अल्पविकास के सिद्धान्त को अफ्रीकी विद्वान समीर अमीन ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी पुस्तक Accumulation on a World Scale : A Critique of the Theory of Underdevelopment (1974) में अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश तथा कम विकसित देश इस प्रकार एक दूसरे से सम्बद्ध हैं कि पूँजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि वह अल्पविकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिलवाने की ऐतिहासिक भूमिका निभा सके। उसने इस बात पर बल दिया कि, साम्राज्यवादी युग के आरंभ से ही कम विकसित देश इस स्थिति में नहीं थे कि 'स्वायत्त रूप से टिकाऊ विकास' प्राप्त कर सकते, चाहे उनका प्रति व्यक्ति निर्गत (output) कितना ही रहा है। इसका एक पक्ष यह भी है कि परिधि के देश केन्द्र के साथ विकास के लिए मुकाबला करते हैं, जिसके कारण संरचना में कुरूपता (विकृति) आ जाती है, और वे अपने टिकाऊ विकास के लिए सक्षम नहीं रह पाते। इस प्रतिस्पर्द्धा से निर्यात की गतिविधियों में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति छोटे उद्योगों तथा निचले स्तर की प्रौद्योगिकी की होती है। इन सबके परिणामस्वरूप परिधि से केन्द्र की ओर बहुमुखी हस्तांतरण होता है, तथा आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है।

प्र.2. सांस्कृतिक बहुलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on Cultural Pluralism.

उत्तर

सांस्कृतिक बहुलवाद
(Cultural Pluralism)

जब किसी समाज में अधिकाधिक संस्कृतियों के लोग साथ-साथ रहते हैं तथा उनके इस प्रकार के सह-अस्तित्व का समर्थन भी किया जाता है, तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भारत है। यहाँ विभिन्न मत-मतान्तर वाले समुदायों को भारतीय समाज की महत् परम्पराओं में सहभागी रहते हुए अपनी-अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के पालन की स्वच्छंदता रहती है।

वैश्वीकरण के दौर में एक संस्कृति के व्यक्ति की दूसरी संस्कृति वाले व्यक्ति के साथ अन्तर्क्रियाएँ अपरिहार्य हैं। इन अन्तर्क्रियाओं को विश्व समुदाय की स्वीकृति होती है। इसी के साथ-साथ एक देश के व्यक्ति का दूसरे देश में आवागमन भी बढ़ा है। व्यवसाय, वाणिज्य, राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्यान्य कारणों से आवागमन बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

आज सांस्कृतिक आन्तरिक सम्बन्धता को बढ़ावा मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है जनसंचार, उत्प्रवास, पर्यटन, विदेशी कम्पनियाँ, आदि। वैश्वीकरण के कारण विकसित और विकासशील देशों के बड़े नगरों की ओर उत्प्रवास तेजी से बढ़ रहा है। इससे लोगों के समक्ष यह समस्या खड़ी हो रही है कि वे अपने ही मूल निवास स्थान पर अपनी परम्परागत तथा लोकसंस्कृति, राष्ट्रीयता, नागरिकता, तथा सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों के साथ समायोजन करके किस प्रकार से जीवन व्यतीत करें।

कुछ समाजवैज्ञानिक यह मानते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturism) को बढ़ावा मिल रहा है। खान-पान, रहन-सहन वेश-भूषा सहित जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की सामग्री तथा एक देश के उत्पादन की दूसरे देश में आज खपत हो रही है। इसके माध्यम से भी एक देश की संस्कृति दूसरे देश में पहुँच रही है। आकाशीय मार्ग से विदेशी संस्कृति हमारे घरों में प्रवेश कर रही है। विभिन्न टी०वी० चैनल्स विदेशी संस्कृति के वाहक हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक आक्रमण की संज्ञा भी प्रदान करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. वैश्वीकरण का वाहक मध्यम वर्ग की व्याख्या कीजिए।
Explain Middle Class, the Carrier of Globalisation.

उत्तर

वैश्वीकरण का वाहक : मध्यम वर्ग
(Middle Class : Carrier of Globalisation)

किसी समाज की आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का वह भाग जिसका स्तर न तो अत्यधिक निम्न होता है और न ही अत्यधिक ऊँचा। यह सामाजिक वर्ग कुलीन वर्ग तथा सर्वहारा द्वारा बने सामाजिक माप के दो छोर बिन्दुओं के मध्य में स्थिर होता है। इस वर्ग में मुख्यत:, सफेदपोश तथा निम्न प्रबंधकीय व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है।
यूरोपीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप एक नयी सामाजिक व्यवस्था सामने आयी। इसमें आधुनिकता ने बहुआयामी परिवर्तन किये। भारतीय पुनर्जागरण इसी की एक कड़ी है। रोजगार और व्यवसाय के नये अवसर उपलब्ध हुए। कर्मचारी तंत्र (Bureaucracy), तकनीकी तंत्र (Technocracy), वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, मझोले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय और प्रांतीय राजनेता, जैसे अनेकों वर्ग न सिर्फ अस्तित्व में आये वरन् ये धीरे-धीरे एक प्रभावशाली वर्ग के सदस्य बन गये। यही मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसने परिवर्तन के निर्वाहक की भूमिका अदा की है।

प्र.4. श्रम का भूमण्डलीकरण से क्या आशय है?
What is meant by Globalisation of Labour?

उत्तर

श्रम का भूमण्डलीकरण
(Globalisation of Labour)

जब से वैश्वीकरण ने दुनिया को एक बाजार के रूप में परिवर्तित किया है तब से श्रमिकों की आवाज कमजोर हो गयी है। राष्ट्रीय सरकार अपने अधिकारों से वंचित हो रही है। सामूहिक असुरक्षा तथा वित्तीय पूँजी को बढ़ावा मिल रहा है। धनी देशों में गैर विशेषज्ञ श्रमिकों के सम्मुख रोजगार की समस्या खड़ी हो गयी है। वैश्वीकरण द्वारा गैर विशेषज्ञ लोगों को रोजगार की मुख्य धारा से अलग-थलग किया जा रहा है। निजीकरण के कारण रोजगार की गारंटी समाप्त हो रही है। कम पढ़े लिखे तथा गैर विशेषज्ञों में सुरक्षित तथा उत्साहजनक भविष्य के प्रति निराशा घर कर रही है। इससे वे अपने समुदाय से परकीकृत हो रहे हैं। इससे नृजाति चेतना, सामाजिक अशांति तथा हिंसा को फलने-फूलने के लिए उर्वरा भूमि प्राप्त हो रही है।
अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तुलना में लघु तथा कुटरी उद्योग मार खा रहे हैं। लघु तथा कुटीर उद्योगों में लगे शिल्पकार तथा परम्परागत व्यवसायों के विशेषज्ञों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। श्रम संघों की भूमिका निष्प्रभावी हो रही है।

प्र.5. रोस्टो का सिद्धान्त क्या है?
What is Rostow's Principle?

उत्तर

डब्ल्यू०डब्ल्यू० रोस्टो का सिद्धान्त
(W.W. Rostow's Principle)

प्रोफेसर रोस्टो की पुस्तक 'दी स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ', 1960 में 'दी प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ' 1953 में आयी। रोस्टो ने आर्थिक विकास के पाँच स्तर स्पष्ट किये—

1. परम्परागत समाज का स्तर,
2. 'टेक ऑफ' से पूर्व का स्तर,
3. 'टेक ऑफ' का स्तर,
4. परिपक्वता का स्तर,
5. उच्च प्रकार के उपभोक्ता की स्थिति का स्तर।

पहले स्तर को न्यूटोनियम विज्ञान से पूर्व की दशा का स्तर माना जिसमें तकनीक और विज्ञान और भौतिक संसार के प्रति रूझान तो कम न था परन्तु ज्ञान का अभाव रहा तकनीक की कमी थी औजारों की कमी थी, कृषि आजीविका का प्रमुख साधन था। सामाजिक संरचना सोचानात्मक थी परिवार और वंशावली का बोलबाला था।
दूसरा स्तर 'टेक ऑफ' से पहले का था जिसमें चार शक्तियाँ-नया ज्ञान प्राप्ति जागरण की अवस्था, नये प्रकार का राजतंत्र, नया विश्व और नया धर्म अथवा सुधार की दशा की प्रमुख भुमिका रही। 'आस्था' और 'शक्ति' का स्थान 'तर्क और अविश्वास/संदेह' ने ले लिया। सामाजिक प्रवृत्ति प्रत्याशा, संरचना और मूल्यों में परिवर्तन आया और लगभग सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए।

TOUCH 'n' PASS

तीसरे 'टेक-ऑफ' के स्तर पर आधुनिकता की शक्तियों का आगमन हुआ। आदतों और संस्थाओं में भारी परिवर्तन आया। ग्रेट ब्रिटेन में यह स्तर 1780-1802 में, फ्रांस में 1830-1860 और जापान में 1878-1900 और भारत तथा चीन में 1952 में प्रारम्भ हो गया था। चौथा स्तर 'परिकल्पना' का आधुनिक तकनीक लगभग सभी संसाधनों के उद्योग में छा गयी थी और विकास धारणीय स्तर पर पहुँच गया था। ग्रेट ब्रिटेन में 1850, युनाइटेड स्टेटस में 1900 जर्मनी में 1910, स्वेडेन में 1930, जापान में 1940, रूस में 1950 और कनाडा में भी 1950 में तकनीकी परिपक्वता का स्तर आ गया था।

पाँचवा अंतिम स्तर 'उच्च उपभोक्ता' के सार्वजनिक प्रारूप का आया। नगरों की ओर प्रवास, स्वचालित, मशीनों, कारों, गृह सामग्रियों उपभोक्ता सामग्रियों का प्रचलन सामने आया। वितरण से माँग का स्तर उच्च होता गया।

प्र.6. डैनियल लर्नर की पुस्तक ''पार्सिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी'' की व्याख्या कीजिए।
Explain Daniel Lerner's Book "The Passing of Traditional Society".

उत्तर

डैनियल लर्नर की पुस्तक ''पार्सिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी''
(Daniel Lerner's Book "The Passing of Traditional Society")

स्मेलसर ने संरचनात्मक-संस्थागत अर्थों में औद्योगिक युग के आगमन की बात कही है डैनियल लर्नर ने जीवन के झुकावों में मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक झुकाव दर्शाया है जिनसे मूल्यों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन आया है। ''ग्रामीण ग्रोसर ऑफ बालगाट पर आधारित फिल्म की कहानी ग्रोसर को नये संसार की झलक देकर नये ग्रोसरी स्टोर बनाने का स्वप्न दिखा देता है और अनेक इच्छाएँ भर देता है। कल्पना और इच्छा पर आधारित एक वास्तविक ग्लोसरी स्टोर ''लोहे की शीटों की दीवार वाला, ऊपर से नीचे तक और अगल-बगल भी जैसे परेड के सिपाही हों'' इसमें भविष्य की इच्छा की पूर्ति की मनोकामना हैं। लर्नर का सिद्धान्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का आधुनिकीकरण है। मानसिक क्षितिज के आकार प्रकार में बढ़ोतरी अनुभव के क्षितिज में भी वृद्धि करता है ऐगे आने वाले कल की आवश्यकताओं से अवगत कराता है। इसी को मनो-सांस्कृतिक आधुनिकीकरण लर्नर मानते हैंजब ये इच्छाएँ संस्थागत, आर्थिक, जनांकिकीय कारकों के कारण संतोष नहीं दे पाती तो ''बढ़ते हुए असंतोष और कुण्ठा की क्रान्ति'' उत्पन्न होती है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अल्पविकास का सिद्धान्त बताइए। अल्पविकास सिद्धान्त की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए।
State the Theory of Underdevelopment. Describe the origin of the underdevelopment Therory.

उत्तर

अल्पविकास का सिद्धान्त
(Theory of Underdevelopment)

तृतीय विश्व के देशों में निर्धनता, भूख, स्वास्थ्य इत्यादि समस्याओं के समाधान में असफल विकास के पारम्परिक सिद्धान्तों से असंतुष्ट विद्वानों ने नए समीक्षात्मक और वर्णनात्मक ढाँचे की तलाश आरम्भ की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् तृतीय विश्व के देशों के पर्यवेक्षकों को यह विश्वास हो गया था कि विकसित देशों को पूँजी का हस्तांतरण वास्तविकता नहीं था। इसके विरुद्ध बुद्धिजीवियों में जो प्रतिक्रिया हुई उसने नई अल्पविकासी सोच को जन्म दिया। इस सोच के परिणामस्वरूप अंततः अल्पविकास (underdevelopment) के सिद्धान्त का जन्म हुआ। पश्चिम-केन्द्रित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध इस नए सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई। पश्चिम-केन्द्रित सिद्धान्त यह मानता है कि, अल्पविकास विकास की प्रक्रिया की आवश्यक सार्वभौमिक विशेषता थी-कम-से-कम विकास के आरंभिक चरण में। अतः यह अपने ढंग से वर्णन करता है कि विकास किस प्रकार होता है। इसके विपरीत अल्पविकास का (विप्लववादी) सिद्धान्त, इतिहास की सहायता से अल्पविकास के बने रहने को सिद्धान्त का रूप देता है। अतः अल्पविकास का वर्णन अल्पविकास के सिद्धान्त के निर्माताओं की मुख्य चिंता बनी।

अल्पविकास सिद्धान्त की उत्पत्ति
(Origin of Underdevelopment Theory)

सामान्य तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि अल्पविकास के सिद्धान्त की उत्पत्ति के दो स्रोत रहे। एक, मार्क्सवाद के अंदर सैद्धान्तिक विवाद; तथा दो, लैटिन अमेरिका के विकास का साकार अनुभव। पूँजीवाद विकास को संबंध में, गैर यूरोपीय देशों में पूँजीवाद विकास की संभावना, उसी प्रकार जैसे कि पाश्चात्य देशों में विकास हुआ, पारम्परिक मार्क्सवाद में विकास का मुख्य

TOUCH n PASS

मुद्दा बना रहा। मार्क्स से लेकर रूसी नरोद्निक्स और लेनिन तक, पूँजीवाद की बढ़ती भूमिका की संभावना का विषय 1950 के दशक के अंत तक विवाद का मुख्य मुद्दा रहा। तब पारम्परिक मार्क्सवादियों के विचारों को प्रभावशाली रचनाओं के द्वारा चुनौती दी गई। मार्क्सवाद की धारणा थी कि अल्पविकसित देशों में पूँजीवादी विकास सम्भव था, तथा यह भी कि ऐसे समाजों में पूँजीवाद की बढ़ती भूमिका हो सकती थी। इस विचार को नए उभरते विचारों ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। इस संदर्भ में प्रथम प्रमुख रचना थी पॉल बारन की *Political economy of Growth*। बारन की, अल्पविकसित देशों में पूँजीवादी विकास की संभावना से निराशा उसकी अपनी रचना से आंकी जा सकती है—

अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास, विकासशील देशों के मूल हितों के पूरी तरह विपरीत था। औद्योगिक देशों को कच्चे माल की आपूर्ति, अपने निगमों को विशाल मुनाफे और निवेश के ठिकानों की प्राप्ति, अधिक विकसित पूँजीवादी पश्चिम के लिए पिछड़ा हुआ संसार सदा ही अनिवार्य मुख्य भूमिक्षेत्र का प्रतीक रहा है। अत: संयुक्त राज्य अमेरिका (तथा अन्यत्र) शासक वर्ग, तथाकथित "स्रोत देशों" के औद्योगीकरण का, तथा औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-औपनिवेशिक विश्व में एकीकृत प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं के उदय का कठोर विरोधी रहा है।

अल्पविकास के सिद्धान्त के दूसरा स्रोत का संबंध लैटिन अमेरिका देशों के विकास का वास्तविक अनुभव, तथा इन अनुभवों के आधार पर लैटिन अमेरिका विद्वानों द्वारा लिखित रचनाएँ हैं। इन विद्वानों में प्रमुख है रॉल प्रेबिच (Raul Prebisch), फर्नेन्डो कार्डोसो (Fernando Henrigue Cardoso), ओस्वाल्डो सन्केल (Osvaldo Sunkel) तथा थ्योटोनियो सैन्टोस (Thetonio Dos Santos) जिन्होंने इस विचार का खंडन किया कि पूँजीवाद विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने स्वयं अपने अल्पविकास के नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अल्पविकास का यह सिद्धान्त आमतौर पर निर्भरता के सिद्धान्त (dependency theory) के नाम से जाना जाता है। इन विद्वानों ने विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को शोषण करने की संरचना पर बल दिया। इस व्यवस्था में, लैटिन अमेरिका अर्थव्यवस्थाओं पर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की प्रबल स्थिति थी। लैटिन अमेरिका अर्थव्यवस्थाएँ केवल पीछे चलने वाली व्यवस्थाएँ बन कर रह गई थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र के लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग (Economic Commission on Latin America–ECLA) ने, प्रेबिच की अध्यक्षता में, महत्त्वपूर्ण कार्य किया। आरंभ में इसका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को समझना था। काफी समय बाद इन्होंने केन्द्र-परिधि (centre-periphery) नामक व्यापक सिद्धान्त को प्रस्तुत किया। इस सिद्धान्त ने तृतीय विश्व के देशों के अल्पविकास पर नया प्रकाश डाला।

प्र.2. केन्द्र-परिधि के सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं? फ्रैंक के केन्द्र-परिधि सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
What do you understand by principle of Centre-Periphery? Explain Frank's Centre Periphery principle.

उत्तर

केन्द्र-परिधि (केन्द्र-बाहरी सीमा) का सिद्धान्त
[Principle of Centre-Periphery (Core Outer Limit)]

ऍडम स्मिथ, रिकॉर्डो इत्यादि (हेक्शेन, आह्लिन तथा डेम्युअसन) द्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राचीन सिद्धान्त को अस्वीकार हुए, लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विद्वानों ने तर्क प्रस्तुत किया कि विश्व व्यवस्था केन्द्र और परिधि में विभाजित हो गई है। उनका मुख्य तर्क है कि पारम्परिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि उत्पादन और सम्पत्ति का बहुत अधिक मात्रा में केन्द्र के पास जमाव हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि परिधि (के देशों) में निर्धनता और भी बढ़ गई। इस तर्क को सिद्ध करने के लिए कहा गया केन्द्र के पास जो उत्पादन की संरचना है उसकी विशेषता है कि वह समरूप (सजातीय) तथा विविधतापूर्ण है, जबकि परिधि की संरचना विभिन्नांगी (विषम) तथा विशेषज्ञ है। परिधि इसलिए विशेषज्ञ कही जाती है, क्योंकि उसका उत्पादन कुछ प्राथमिक वस्तुओं तक सीमित है, जो कुछ विशेष प्रदेशों में हैं। इनका शेष अर्थव्यवस्था के साथ सम्बन्ध लगभग नहीं के बराबर है। इसमें दोहरापान (dualism) है, इसलिए यह विभिन्नांगी है—कुछ संरचनाएँ पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित हैं, जबकि कुछ अन्य पूँजीवाद वर्ग की व्यवस्था से जुड़ी। इन विशेषताओं के कारण लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परिधि की अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई विशेष लाभ नहीं होता। साथ ही लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विद्वानों ने लैटिन अमेरिका से पर्याप्त उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि उन अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन की निचली दर, तथा व्यापार की विपरीत शर्तों के कारण असमान विकास पनपता रहा है। लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विद्वानों का गुण यह है कि उन्होंने विकास और अल्पविकास को एक ही सिक्के के दो पक्षों के रूप में देखा। इन विद्वानों ने शोषण की इस

स्थिति से उभरने के लिए जो सुझाव दिए वे थे "तुरंत औद्योगीकरण करना" "योजनाबद्ध औद्योगीकरण" तथा "प्रगतिशील अभिजनवर्ग" की आवश्यकता, ताकि लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं को उन पुरानी रुकावटों से मुक्त किया जा सके जो कि सदियों पुराने साम्राज्यवाद तथा/या नव-उपनिवेशवादी नियंत्रण का परिणाम हैं।

लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विद्वानों द्वारा विकास और अल्पविकास की गति की व्याख्या करने के प्रयास के बावजूद, इसकी यह कह कर आलोचना की गई है कि यह सुधारवादी विचार हैं। इसको सुधारवादी कहकर आलोचना करने वालों का ऐसा करने का कारण है कि इन विद्वानों ने यह धारणा स्वीकार की कि परिधि में पूँजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग तथा औद्योगिक पूँजीपतियों ने अपने राष्ट्रीय हितों का समर्थन तथा विदेशी हितों को सीमित करके, प्रगतिशील भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) की इस आधार पर भी आलोचना की गई कि वे शोषण के तरीकों का वास्तविक चित्रण करने में असमर्थ रहे।

फ्रैंक का केन्द्र-परिधि सिद्धान्त (Frank's Principle of Centre-Periphery)

बारन तथा लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग (ECLA) के विचारों का आश्रय लेकर फ्रैंक ने निर्भरता सिद्धान्त का पूर्ण विकास किया, तथा पारम्परिक मार्क्सवाद की प्रगतिशील विचारधारा को वामपंथी चुनौती दी। अपनी मुख्य रचना, Capitalism and Underdevelopment in Latin America (1967) तथा अन्य रचनाओं के माध्यम से फ्रैंक ने अपने इस विचार को व्यक्त किया कि, "अल्पविकास, जैसा हम आप समझते हैं, तथा आर्थिक विकास भी, विश्व स्तर पर और चार शताब्दियों से अधिक के इतिहास के आधार पर, उस विकास का परिणाम हैं..... जो कि एक एकीकृत अर्थव्यवस्था है—पूँजीवाद। उसका कहना था कि केन्द्र और परिधि दोनों में पूँजीवाद, प्रगतिशील रूप से, एक दूसरे से सम्बद्ध है, तथा इसकी गति दोनों छोर पर विकास की उत्पत्ति करती है। परन्तु, फ्रैंक के अनुसार, समस्या यह है कि, केन्द्र के विपरीत, जो अकेले ही विकास के सभी लाभ हड़प लेता है, परिधि के छोर पर जो होता है वह है अल्पविकास का विकास। दूसरे शब्दों में, परिधि का अल्पविकास ही केन्द्र में विकास की प्रमुख शर्त है। ऐसा, फ्रैंक के अनुसार इसलिए होता है क्योंकि पूँजीवाद परिधि (periphery) के देशों में निरंतर अल्पविकास को उत्पन्न करता रहता है। वह ऐसा जिस तरीके से करता है वह है अतिरिक्त लाभ को केन्द्र के विकसित देशों ने अपने पास जमा करते रहने की प्रक्रिया। इस प्रकार फ्रैंक ने यह परिकल्पना की कि केन्द्र की विशाल शक्तियों से लेकर परिधि के अल्पविकसित देशों तक ऐसी कड़ी बन जाती है जो कि व्यापारिक केन्द्र के पिछलग्गू ग्रामीण व्यापारियों तथा किसानों तक को अपने जाल में शामिल कर लेती हैं। फ्रैंक ने, पॉल बारन से प्रेरित होकर, कहा था कि परिधि के देशों तथा विकसित पूँजीवादी देशों के मध्य किस प्रकार परस्पर-पिरोधी संबंधों का विकास होता है। अतः, उसके अनुसार, परिधि के 'पिछलग्गू' देशों के अल्पविकास को केवल पूँजीवाद के विकास की एकमात्र ऐतिहासिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जा सकता है। उसके अनुसार, परिधि के किसी देश में विकास की उच्च दर तभी प्राप्त होती है जबकि केन्द्र के शक्तिशाली देशों के साथ उसके संबंध अत्यंत कमजोर हों। किसी देश विशेष में 'अल्पविकास के विकास' की व्याख्या करने के लिए विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था की पदसोपानीयता (hierarchy) में उस देश की स्थिति को तलाश की जा सकती है। दूसरे, यह कार्य सम्बद्ध समाज की आर्थिक संरचना की जाँच करके किया जा सकता है। विश्व की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की पदसोपानीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक ने तर्क दिया कि पूँजीवाद से संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त, अल्पविकास को समाप्त करने का और कोई मार्ग है ही नहीं।

फ्रैंक के 'अल्पविकास के विकास' (development of underdevelopmet) के सिद्धान्त की प्रायः दो आधारों पर आलोचना की गई है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लैक्लॉ (Lacklau) ने दो मौलिक प्रश्न उठाए। प्रथम यह कि क्या लैटिन अमेरिका में आरंभ में ही बाजार-आधारित पूँजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी? समस्या यह है कि पूँजी तथा उत्पादन का पूँजीवादी उपक्रम एक ही चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वास्तव में, हो सकता है कि पूँजी सदा से विद्यमान हो, परन्तु उत्पादन के पूँजीवादी उपक्रम की उत्पत्ति तभी हुई जबकि मुक्त श्रम बाजार की पहचान कर ली गई।

द्वितीय, सोलहवीं शताब्दी यूरोप में, पूँजीवाद की संरचनात्मक परिस्थितियाँ किस सीमा तक मौजूद थीं, तब जबकि लैटिन अमेरिका में पूँजीवाद का प्रमुख आरंभ हुआ? इसके अतिरिक्त, फ्रैंक यह भी मालूम करने का प्रयत्न करता है कि उत्पादन में नहीं, बल्कि परिभ्रमण (circulation) में, समाज में व्याप्त मूल विरोधाभास क्या थे? इसके फलस्वरूप फ्रैंक का सिद्धान्त इस बात का केवल आधा वर्णन कर पाता है कि विकास से अल्पविकास क्यों उत्पन्न होता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि फ्रैंक ने शायद केन्द्र के देशों तथा परिधि के देशों के बीच लम्बवत् (vertical) संबंधों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। इस प्रकार उसने उन ऐतिहासिक संबंधों की अनदेखी की जिनके बल पर निर्भरता की संरचना टिकी हुई है।

प्र.3. निर्भरता का सिद्धान्त क्या है? निर्भरता के सिद्धान्त के मूल तर्क की व्याख्या कीजिए।
What is Theory of Dependency? Explain the basic arguement of Theory of Dependency.

उत्तर

निर्भरता का सिद्धान्त
(Theory of Dependency)

एक व्यवस्था के रूप में 'निर्भरता' का अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 'वर्चस्वशील-निर्भर' संरचना के परिवेश में किया जाता है जो कि राष्ट्र-राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करती है। एक विचारधारा के रूप में, निर्भरता सिद्धान्त आर्थिक विकास और अल्पविकसित के कारणों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्भरता सिद्धान्त की उत्पत्ति 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका में हुई, तथा बाद में एशिया और अफ्रीका की कुछ रचनाओं में भी इसका विस्तार हुआ। निर्भरता सिद्धान्त लैटिन अमेरिका में विशेष रूप से प्रचलित हुआ जहाँ इसने सरकार की नीतियों पर काफी प्रभाव डाला।

व्यवस्था के विकास के सिद्धान्त, जिसे लैटिन अमेरिका में निर्भरता के नाम से जाना गया उसमें प्रमुख योगदान करने वाले विद्वान थे प्रेबिच, फरतादो, संकेल, पाज, कोर्दोसो, फलेतो, दॉस सांतोस तथा मैरिनी। यही कारण है कि अल्पविकास के सिद्धान्त को लैटिन अमेरिका के साथ सम्बद्ध किया जाता है। इसे सामाजिक विज्ञानों को लैटिन अमेरिका का योगदान माना जाता है।

लैटिन अमेरिका के अतिरिक्त, निर्भरता सिद्धान्त का न्यूनाधिक प्रभाव एशिया, अफ्रीका एवं कैरीबियन जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा। चाहे भारत जैसे देशों में निर्भरता का उपागम अधिक प्रभावी नहीं रहा, फिर भी इसकी उपस्थिति भारत में अवश्य पाई जाती है। भारत के कुछ मार्क्सवादियों, जैसे एम०एन० रॉय ने निर्भरता सिद्धान्त के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी, लैटिन अमेरिका की तुलना में निर्भरता सिद्धान्त का भारत की नीतियों पर प्रभाव नहीं के बराबर रहा। अफ्रीका में अवश्य इसका प्रभाव देखा गया। अफ्रीका के समाज विज्ञान के व्यापक संगठन "आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान के विकास की परिषद्" (Council for the Development of Economic and Social Research–CODESRIA) की प्रमुख भूमिका रही। कुछ समय बाद, यह संगठन, आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान के विकास की परिषद्, अंगोला, मोजाम्बीक, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाबवे तथा नामीबिया के नेताओं तथा विप्लववादी राष्ट्रीय तथा स्वतंत्रता आन्दोलनों का मुख्य केन्द्र बन गया। वैसे अपने-अपने साम्राज्यवादी शोषण के अनुभव के आधार पर इन देशों ने अपने पृथक् अल्पविकास के सिद्धान्तों का विकास भी किया। निर्भरता के परिवेश की विश्व के इस भाग में लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि तन्जानिया के राष्ट्रपति जूलियस नायरे ने स्वयं इसको इतना लोकप्रिय बनाया कि यह स्वतंत्र मोजाम्बीक और अंगोला की सरकारी विचारधारा का अंश बन गया।

निर्भरता के सिद्धान्त के मूल तर्क
(Basic Argument of Dependency Theory)

'निर्भरता सिद्धान्त' के नाम से जाने वाला विचारों का कोई एकीकृत तन्त्र नहीं है। और न विभिन्न विचारकों में निर्भरता सिद्धान्त के विषय में कोई आम सहमति है। निर्भरता के साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके विभिन्न समर्थक और आलोचक दोनों ही अलग-अलग दिशा ग्रहण करते हैं। कुछ आलोचक हैं जो कि निर्भरता के समर्थकों का अपने राष्ट्र की ओर झुकाव तथा बाहर के प्रभाव का विरोध, इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी ओर, कुछ विद्वान यह कहकर आलोचना करते हैं कि निर्भरता सिद्धान्त आंतरिक वर्ग संघर्ष की उपेक्षा करके बाहरी कारकों पर अधिक ध्यान देता है। कुछ और भी आलोचक हैं जो यह विश्वास करते हैं कि निर्भरता सिद्धान्त साम्राज्यवाद के विश्लेषण को धुंधला बना देता है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि निर्भरता पर साहित्य की भरमार है जिसमें अनेक धारणाएँ और उपाय समाहीत हैं। फिर भी, निर्भरता के लेखकों की एक विशेषता यह है कि वे यह मानते हैं कि वे अल्पविकसित देशों के सामाजिक आर्थिक विकास को बाहरी शक्तियों से प्रभावित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी व्यवस्था में अधिक विकसित पूँजीवादी देश अल्पविकसित देशों पर प्रभुत्व बनाए रखते हैं।

1960 और 1970 के दशकों में निर्भरता उपागम के प्रवर्तकों ने अपनी बातों पर बल देने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि तृतीय विश्व में विकास के प्रश्न को ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। निर्भरतावादियों के अनुसार विश्व अर्थ-व्यवस्था दो प्रकार के देशों में विभाजित थी। वे थे—पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के विकसित पूँजीवादी देश जो कि केन्द्र थे, तथा परिधि में शामिल एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के तृतीय विश्व के देश। निर्भरतावादियों का दावा था कि अल्पविकसित तृतीय विश्व के देश पूँजीवादी व्यवस्था के जगत में शामिल होते जा रहे थे, तथा उनकी अर्थव्यवस्थाएँ, केन्द्र के देशों से परिधि के देशों में पूँजी के निरंतर प्रवाह के कारण, तेजी से उत्पादन की पूँजीवादी प्रक्रिया को अपनाती जा रही थी। यह

TOUCH 'n' PASS

सब कुछ पिछली तीन-चार शताब्दियों में हुआ था, जिसके कारण परिधि की अर्थ-व्यवस्थाएँ मूल (केन्द्रीय) अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ गई थीं। उनके तर्क के अनुसार यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पूँजीवादी और पूर्व-पूँजीवादी दोनों संरचनाओं का सहअस्तित्व रहा क्योंकि पूँजीवादी विकास की पूरी क्षमता को समझा नहीं गया। इस प्रकार, निर्भरतावादियों ने कहा कि विकास की भाँति, अल्पविकास भी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसने मूल (केन्द्रीय) अर्थव्यवस्थाओं को परिधि की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने दिया। ऐसा होने से परिधि में विकास नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप, पूँजी निवेश, ऋण, बाजार, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए परिधि को केन्द्र पर निर्भर हो जाना पड़ा; तथा विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था में मूल (केन्द्र) के देशों की भूमिका अधिकाधिक बढ़ती गई। परिधि के देशों की बढ़ती भेद्यता (vulnerability) के कारण मूल (केन्द्र) देशों के द्वारा उनका अधिकाधिक शोषण किया गया। परिधि के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की अधीनस्थ स्थिति ने उनकी सौदेबाजी की क्षमता कर दी, विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में। इसने केन्द्र के देशों को खुली छूट दे दी कि वे कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर सकें। परिणाम यह हुआ कि मूल्यों में निरंतर उतार-चढ़ाव होता रहा और व्यापार की शर्तों की क्षति हुई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि मूल (केन्द्र) देश, संसार के अपने भाग में, परिधि के देशों के हितों की कीमत पर, पूँजी का भंडारन करते गए। केन्द्र और परिधि के देशों के यह शोषण-आधारित सम्बन्ध न केवल संरचनात्मक रूप से जुड़ गए परन्तु सम्पत्ति की विषमता भी बढ़ती गई। इन सब कारणों से परिधि की अर्थव्यवस्थाएँ, विश्व पूँजीवादी व्यवस्था में, निर्धन होती गई।

ब्राजील के जाने माने समाज वैज्ञानिक दॉस सांतौस ने लिखा था—

निर्भरता से हमारा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था, किसी अन्य अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार से प्रभावित होती है जिसने अन्य (अल्पविकसित) देशों को अपने अधीन कर लिया है। दो या अधिक अर्थव्यवस्थाओं की एक दूसरे पर निर्भरता, तथा इनके और विश्व व्यापार के मध्य निर्भरता से, निर्भरता का ऐसा रूप विकसित होता है...जिसका तात्कालिक विकास पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

चिली के अर्थशास्त्री संकेल ने तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं में, विश्व पूँजी के प्रवेश के विषय में लिखा कि, बाहरी आर्थिक और राजनीतिक तत्त्व स्थानीय विकास को प्रभावित करते हैं, तथा पिछड़े वर्गों की कीमत पर शासक वर्गों को शक्ति प्रदान करते हैं। उसके अनुसार—

विदेशी तत्त्वों को विदेशी न मानकर व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके अल्पविकसित देश के भीतर अनेक अदृश्य राजनीतिक, वित्तीय, आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक प्रभाव पाए जाते हैं.....अत: निर्भरता की अवधारणा ने पूँजीवाद के अन्तर्राष्ट्रीय युद्धोत्तर विकास को विकास की स्थानीय प्रक्रिया की भेदभाव पूर्ण प्रकृति के साथ जोड़ा। विकास के साधनों और उसकी उपलब्धियों तक पहुँच भेदभाव रहित नहीं होती, विकास सब तक पहुँचने के बजाय, विशेष हित समूहों के विशेष हित में अभिवृद्धि होती है, तथा परिधि वर्ग पिछड़ा हुआ ही रहता है।

इस इकाई की अब तक की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त पूँजी को विकसित पूँजीवादी देश संचित करते जाते हैं, जहाँ पर विकास की गति और भी तेज हो जाती है। निर्भरतावादी यह तर्क देते हैं कि विकसित देशों के द्वारा अतिरिक्त पूँजी का अधिग्रहण, असमानता उत्पन्न भी करता है, और उसे बनाए रखने में भी योगदान करता है। शोषण की गति की व्याख्या करते हुए, वे औपनिवेशिक युग में जाते हैं, तथा साम्राज्यवादी देशों द्वारा उपनिवेशों की लूट के मूल कारणों की समीक्षा करते हैं। उनका तर्क है कि जो औपनिवेशिक युग में होता था वही आज भी तृतीय विश्व के अल्पविकास के रूप में विद्यमान है। अंतर केवल यह है कि जहाँ औपनिवेशिक युग में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों और अतिरिक्त पूँजी की लूट हुआ करती थी, आज के युग में उसी प्रक्रिया को 'लाभांश का प्रत्यावर्तन' नाम दिया जाता है। निर्भरता सिद्धान्त की एक अत्यंत प्रमुख विशेषता यह है कि, मार्क्सवाद के सिद्धान्त के विपरीत, यह आज वर्गों के मध्य नहीं बल्कि राज्यों के मध्य विनिमय (लूट के नए रूप में) पर विकसित एवं अल्पविकसित देशों के संबंध पर आधारित हैं।

प्र.4. वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

What is meant by Globalisation? Describe the Theory of Globalisation.

उत्तर

वैश्वीकरण का अर्थ
(Meaning of Globalisation)

वैश्वीकरण पूर्णतया एक नयी प्रक्रिया नहीं, तथापि इसे उपनिवेशवाद और आधुनिकीकरण के सदृश्य भी नहीं माना जा सकता है। इसके अनुसार वैश्वीकरण की अवधारणा नई है। 1980 के दशक से द्विआयामी विश्व का परिदृश्य बदलने लगा। संयुक्त सोवियत

संघ के विघटन के बाद से एक ऐसे अनियंत्रित पूँजीवाद का विकास हुआ, जिसे कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा। इससे एक आयामी विश्व प्रभावी हो गया। पूँजीवाद ने विश्व के मानचित्र पर अभूतपूर्व सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों को प्रस्तुत किया। इस नवीन परिवर्तित व्यवस्था के साथ अपने को पुनर्समायोजित करने का दुनिया ने प्रयास किया।

ब्रेटन वुड्डस सम्मेलन (Bretton Woods Conference) द्वारा नयी आर्थिक नीति का परिचय (NEP) तथा उदारीकरण कार्यक्रमों (Liberalisation Programmes) का परिचय देने वाला चतुर्थ संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP) किया गया। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विशेष रूप से इण्टरनेट ने वैश्विक सम्बन्धों तथा सम्पर्कों की तीव्रता को और अधिक बढ़ा दिया। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बेहतर सम्भावना की तलाश में लोग उत्प्रवासित होने लगे। इस सबके चलते एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक बुनियादी पुनर्संरचना के निर्माण की वैश्विक परिस्थिति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रान्ति के समय से ही एक प्रकार के वैश्विक एकीकरण का विकास हुआ। यह विकास राष्ट्र-राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर हुआ है। फ्रीडमैन के अनुसार वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है। इस एकीकरण में दुनिया मध्य आकार से सूक्ष्म आकार में सिकुड़ रही है, जिससे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तत्काल तथा कम-से-कम लागत में हम सभी पहुँच सकें। पूर्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भाँति यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को स्वरूप प्रदान कर रही है।

अत: वैश्वीकरण एक बहुआयामी जटिल प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत बाजारों, वित्त और प्रौद्योगिकीयों का एकीकरण हो रहा है। विश्व का ऐसा संकुचन हो रहा है कि जिसके प्रत्येक कोने में हम इतनी जल्दी और सस्ते में पहुँच जाएँ जितने में पहले कभी सम्भव नहीं था। पूर्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भाँति यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी सम्बन्धों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि वैश्वीकरण के विविध पक्षों का मानव-जीवन में अत्यधिक महत्त्व है।

आर्थिक वैश्वीकरण के अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजारों में चलने वाले आन्दोलनों द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है। इसमें राष्ट्र-राज्य की आर्थिक स्वायत्तता में कमी आती है। वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व को एक समग्र आर्थिक इकाई के रूप में तथा बाजार को इसके एक उपकरण के रूप में स्वीकार करता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है; खुला, उदार, मुक्त बाजार तथा मुक्त व्यापार। इसे अन्तर्राष्ट्रीय निवेश और तात्कालिक पूँजी के प्रवाहों द्वारा चिह्नित किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाएँ श्रेष्ठ आर्थिक परिधियों में आ रही हैं और इनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वित्तीय बाजारों की दुनिया से एकीकरण हो रहा है, जो तत्काल कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पन्न हो रहा है। विदेशी सीधा निवेश की गति तथा इसके विस्तार तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तात्कालिक पूँजी के प्रवाह को आर्थिक वैश्वीकरण के रूप में देखा जा सकता है।

वैश्वीकरण सिद्धान्त
(Globalisation Theory)

वैश्वीकरण का सिद्धान्त एक वैश्विक सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रादुर्भाव का परीक्षण करता है। वैश्वीकरण सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के एक प्रकार द्वारा वैश्विक संस्कृति उत्पन्न की जाती है। एक विश्व सेटेलाइट सूचना व्यवस्था का अस्तित्व, उपभोग और उपभोक्तावाद का एक वैश्विक स्वरूप, सार्वभौम जीवन-पद्धति का संवर्धन, ओलम्पिक खेल, विश्वफुटबाल प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रीय टेनिस मैच जैसे सार्वभौमिक खेलों का विकास, विश्व पर्यटन का विस्तार, राष्ट्र-राज्य की प्रभुसत्ता के ह्रास, वैश्विक मिलिटरी व्यवस्था का विकास, विश्वस्तरीय परिस्थितिकीय-संकट की पहचान, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता का विकास, लीग ऑफ नेशन्स तथा संयुक्त राष्ट्र संघ (यू०एन०ओ०) जैसी विश्व राजनीतिक व्यवस्था का विकास, वैश्विक राजनीतिक आन्दोलनों का विकास, मानव अधिकारों की अवधारणा का विस्तार, दुनिया के धर्मों के बीच जटिल अन्तरपरिवर्तन। मुख्य रूप से वैश्विकता द्वारा दुनिया को एक स्थान के रूप में देखने की चेतना को बढ़ाया जाता है।

वैश्वीकरण द्वारा दुनिया को एक समग्र के रूप में देखने की दृष्टि पर बल दिया जा रहा है। जिसमें दुनिया को एक अनवरत निर्मित होते रहने वाले पर्यावरण के स्तर पर देखा जाता है।

वैश्वीकरण एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का समाजशास्त्र है। वैश्वीकरण को विश्व-व्यवस्था सिद्धान्त के रूप में भी देखा जा सकता है। वैश्विक आर्थिक अन्योन्याश्रय के विकास को विश्लेषित करने वाला विश्व व्यवस्था सिद्धान्त यह दावा करता है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण महज आर्थिक वैश्वीकरण का परिणाम है। पहले यह दलील दी जाती थी कि राष्ट्र-राज्य का अभिसरण (Convergence) सुसंगत तथा एकरूपता वाले एक औद्योगिक समाज में हो रहा है। यह अवधारणा वास्तव में वैश्वीकरण की

अवधारणा से नितान्त भिन्न है। समकालीन वैश्वीकरण सिद्धान्त की दलील है कि वैश्वीकरण वास्तव में निभेदीकरण और सजातीयताकरण जैसी दो परस्पर विरोधाभासी प्रक्रियाओं को एक साथ समेटे हुए हैं। जहाँ एक ओर क्षेत्रीयता की वैश्विकता के साथ जटिल अन्तर्क्रियाएँ चल रही हैं वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार आन्दोलन भी चल रहे हैं। यह दलीत देने वाले परम्परागत समाजशास्त्र के आलोचक हैं। ये अपनी आलोचना में कहते हैं कि "दुनिया, समाजों की एक व्यवस्था है", इस बात पर बल देने के बजाए परम्परागत समाजशास्त्र 'राष्ट्र-राज्य' पर जोर देता है।

वैश्वीकरण-सिद्धान्त के साथ अनेकों समस्याएँ हैं। कतिपय उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे-वैश्वीकरण को किस प्रकार साम्राज्यवाद के नये प्रतिमान से पृथक् किया जा सकता है? किस प्रकार से आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बीच विभाजक-रेखा खींची जाए? वैश्वीकरण और आधुनिकता के बीच के अन्तर को कैसे स्पष्ट किया जाए?

सन् 1990 से, वैश्वीकरण समाजशास्त्रियों के परम्परागत ज्ञान का हिस्सा बन चुका है। समकालीन समाजशास्त्र (Contemporary Sociology) नामक जर्नल ने सितम्बर, 1996 के अपने अंक में पुस्तकों की विषय-वस्तु पर आधारित एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। जिसका निष्कर्ष इस प्रकार है—नारी आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जीव-प्रजनन, आव्रजनन (Immigration), प्रजाति-पार्थक्य (Apartheid), प्रजातिवाद, जंगल उत्पादित उद्योग, महासागरपारीय कम्पनियाँ (Transnational Corporations), खाद्य उत्पादन एवं वितरण, केन्द्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाएँ, अमेरिकी विदेश-नीति, तीसरी दुनिया के नगरों का विकास, आधुनिक समाजों के मूल्यों में परिवर्तन आदि इन सभी के शीर्षकों में वैश्विक, वैश्वीकरण, वैश्विकता जैसे शब्द अवश्य पाये गये हैं। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज की दुनिया एक ऐसा ग्रह (Planet) बन चुकी है जिस पर देशों की सीमाओं से ऊपर उठकर फैशन के सभी सामान बनाये और बेचे जाते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया के एक कोने पर बैठा कोई व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने के सामान को ई-कामर्स द्वारा खरीद सकता है तथा ई-बैंकिंग सेवा के अन्तर्गत मास्टर कार्ड द्वारा कहीं से उसका भुगतान कर सकता है। उपयोगी वस्तुओं की शृंखला (Commodity Chains), साइबर समाज का विकास, पर्यावरण का समाजशास्त्र, लचर रोजगार (Flexible Employment), लचर कार्य (Flexible work), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, इण्टरनेट, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, नव उपनिवेशवाद आदि के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

प्र.5. वैश्वीकरण के प्रभावों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

Discuss in detail the Effects of Globalisation

उत्तर

वैश्वीकरण के प्रभाव
(Effects of Globalisation)

वैश्वीकरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा है। वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विविध क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। जबकि, इसके परिणामस्वरूप विविध क्षेत्रों में नकारात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं। जबकि, इसके परिणामस्वरूप विविध क्षेत्रों में नकारात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं। इससे हानि तथा विनाश की स्थिति भी सामने आ रही है। इन दोनों पक्षों की विवेचना द्वारा ही वैश्वीकरण के परिणामों को समझना तार्किक और वैज्ञानिक मूल्यांकन होगा।

वैज्ञानिक, चिकित्सकीय तथा इसी प्रकार के अन्य आविष्कार सभी के लिए उपलब्ध हुए हैं। आज अधिकांश क्षेत्रों में गैरदेशीय (Transational) संगठनों का तेजी से निर्माण हो रहा है। हरित शांति (Green Peace), नारीवादी आन्दोलन (Women's Movements), स्थानीय समुदायों तथा देशीय लोगों के सशक्तीकरण से सम्बन्धित (Concern for Empowerment of Local Communities and Indigenous People) आदि आन्दोलनों के माध्यमों से दुनिया भर के लोग आपस में एकता का अनुभव कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों के व्यापक जाल से एन०जी०ओ० (NGO's) के माध्यम से आज दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम भी बहुत अधिक हैं। बेरोजगारी को बढ़ावा मिल रहा है। दलील दी जाती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उत्तर उपनिवेशवादी श्रम के विभाजन को बरकरार रखे हुए हैं, जो मुख्यतया विकसित देशों द्वारा संचालित होते हैं तथा दुनिया के अविकसित देशों के सस्ते श्रम और कच्चे माल का भरपूर उपभोग करते हैं। विकसित राष्ट्रों के पास आँकड़ों का संकलन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इसका विकसित राष्ट्रों द्वारा उत्पादन और वित्तीय विनियोग में इस्तेमाल किया जाता है। लम्बी दूरी तक तत्काल सम्प्रेषण स्थापित करने, समुद्रपार के देशों की कम्पनियों की वित्तीय व्यवस्थाओं को संचालित करने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधन को अंजाम देने में इस्तेमाल किया जाता है।

TOUCH 'n PASS

सेटेलाइट, टेलीविजन, इण्टरनेट, ई-मेल जैसे दूरसंचार के माध्यमों द्वारा पर्दे पर हरपल एक नई प्रतिमा परोसी जा रही है। फैशन की एक नई दुनिया प्रस्तुत की जा रही है। इसके माध्यम से एक नई वैश्विक प्रस्थिति निर्मित की जा रही है। सांस्कृतिक वस्तुओं, खान-पान, वेश-भूषा, संगीत, स्थापत्य, कला, फिल्म आदि के माध्यम से एक नया स्वाद उत्पन्न किया जा रहा है जो नये वैश्विक व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है तथा स्थानीय पहचान को नष्ट कर रहा है।

वैश्वीकरण के प्रभावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है—

विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण (Integration of World Economy)—आज दुनिया में उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था एवं मुक्त बाजार प्रणाली लागू है। उसका सीधा अर्थ है विश्व अर्थ व्यवस्था का एकीकरण।

1. **सामान्य मुद्रा** (Common Currency)—वैश्वीकरण के दौरान मुद्रा का एकीकरण हो रहा है। वर्ष 2001 में यूरोप के सभी देशों की एक सामान्य मुद्रा (A Common Currency) हो गयी है। 'इसका नाम है यूरो'। इससे सम्पूर्ण यूरोप के देशों को मुद्रा-विनिमय में सहजता हो गयी है। मुद्रा के विनिमय (Exchange of Currency) की समस्या से छुटकारा मिल गया।

   नवम्बर, 2003 में सार्क देशों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें एशियाई देशों की एक सामान्य मुद्रा (Common Currency) बनाने की आवाज उठी। यदि भविष्य में ऐसा सम्भव हुआ तो विकासशील देशों के लिए एक नयी आशा की किरण दिखाई पड़ेगी।

   विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर होती है। विशाल मानव पूँजी इसी पर निर्भर है। विश्व हेतु कृषि क्षेत्र को मुक्त करना इन देशों के लिए आत्मघाती होगा। जबकि, ऐसा करने के लिए दबाव पड़ रहा है। यह अर्थ व्यवस्था के एकीकरण का नकारात्मक पक्ष है। इस संदर्भ में तथ्य इस प्रकार हैं। दिसम्बर, 2003 में दक्षिण एशियाई देशों के सम्पन्न कानकुन सम्मेलन में विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों पर अपने कृषि क्षेत्रों को भी मुक्त करने हेतु दबाव पड़ा। दलील दी गयी कि इससे सकल घरेलू उत्पादन (जी०डी०पी०) में बढ़ोत्तरी होगी। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र तथा रोजगार के क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों के योगदान के सकल घरेलू उत्पादन (जी०डी०पी०) की दर निर्धारित की जाती है। औद्योगिक तथा रोजगार के क्षेत्र में अधिकांश देशों ने उदारीकरण तथा खुली अर्थव्यवस्था स्वीकार कर ली है। किन्तु, भारत जैसे कृषि प्रधान देश ने अभी तक कृषि क्षेत्र को विश्व हेतु नहीं खोला है। इसके लिए लगातार आर्थिक दबाव पड़ रहे हैं।

2. **विश्व बाजार का एकीकरण** (Integration of World Market)—20वीं शताब्दी दुनिया में औपनिवेशिक शासनतंत्रों की समाप्ति की शताब्दी रही। इसमें अनेकों राष्ट्र-राज्य से औपनिवेशिक शासनतंत्र समाप्त हुए। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम चले। इसी शताब्दी ने प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध भी झेले। अत: 20वीं शताब्दी को राष्ट्र-राज्य के राष्ट्रीय संघर्षों की शताब्दी के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय संघर्षों के गर्भ से तीव्र राष्ट्रीयता ने जन्म लिया। राष्ट्रीयता, राष्ट्र-निर्माण की पूर्वगामिनी होती है। राष्ट्र-निर्माण के क्रम में तीव्र राष्ट्रीयता ने राष्ट्रीय बाजारों की पुनर्स्थापना की।

   1980 के दशक में राजनीतिक उपनिवेशवाद ने आर्थिक उपनिवेशवाद के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। इसे वैश्विक व्यवस्था का नाम दिया गया। मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, उदारीकरण की नीति, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि ने इसे पुष्पित पल्लवित होने के लिए उर्वरा भूमि उपलब्ध करायी। आज विश्वबाजार का एकीकरण हो रहा है। अधिकांश देशों के माल की खपत हेतु अधिकांश देशों के बाजार खुले हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम सामने आ रहे हैं। विश्व बाजार के एकीकरण से सबके लिए सभी बाजारों के द्वारा खुले हैं। इससे व्यापार और वाणिज्य की पर्याप्त सम्भावनाएँ उपलब्ध हुई हैं। अविकसित और विकासशील देशों की मानव पूँजी को कार्य के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई है।

   इसके नकारात्मक परिणाम भी हैं। बाजार के दबाव से राष्ट्र-राज्य की नीतियाँ निर्धारित हो रही हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में बाजार का सीधा दखल बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा ट्रांसनेशनल कम्पनियों के मजबूत आर्थिक शिकंजे में बाजार फँस चुका है। बाजार द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योग को हाशिये पर किया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की बाजार में भागीदारी महत्त्वहीन हो रही है। इससे शोषण तथा बेकारी जैसी सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। बाजारवाद हावी हो रहा है। विज्ञापन आदि के माध्यम से उत्पादन के अनुरूप बाजार पैदा किया जा रहा है। इससे उपभोक्तावाद में तेजी से वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप मानवीय चेतना सुसुप्त हो रही है।

TOUCH 'n' PASS

3. **राष्ट्रवाद बनाम वैश्विकवाद** (Nationalism Versus Globalisation)—अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह राष्ट्रवाद भी ऐतिहासिक तथ्य है। लोक जीवन के विकास-क्रम में वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तत्त्वों की परिपक्वता के पश्चात् राष्ट्रवाद का उद्‌भव हुआ। जैसा ई०एच० कार ने लिखा है, 'सही अर्थों में राष्ट्र का उदय मध्य युग की समाप्ति पर ही हुआ।' ए०आर० देसाई मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के खास दौर में राष्ट्रों का जन्म हुआ। सामाजिक अस्तित्व के पूर्ववर्ती कालों के अराष्ट्रिक जनसमुदायों से आधुनिक युग के राष्ट्र अपने निम्नलिखित गुणों के कारण भिन्न हैं—राष्ट्र के सारे सदस्य किसी निश्चित भू-भाग में एक ही अर्थतंत्र के अन्तर्गत परस्पर जैविक रूप से संपृक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें सम्मिलित आर्थिक अस्तित्व का अभाव होता है, वे प्राय: एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी एक-सी मनोवैज्ञानिक टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट, आप्टिकल फाइवर, केबल, डाटकाम, इन्टरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अर्थात् नवीनतम संचार उपकरण पुरानी तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावकारी हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र भी कई गुना अधिक विस्तृत है। आधुनिक संचार तकनीक का मूल आधार है—कम्प्यूटर। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के कोने-कोने में फैला है। इससे दुनिया के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन आ रहा है। ई-बैंकिंग, ई-लर्निंग का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में बैठकर हजारों मील दूर दूसरे कोने से धनराशि जमा कर सकता और निकाल सकता है इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एक स्थान पर बैठे-बैठे हजारों मील दूर से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

   विभिन्न टी०वी० चैनल्स द्वारा प्रतिफल हमारे घर के अन्दर दुनिया के सभी कोने के समाचारों का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इसके माध्यम से विश्व एक परिवार में सिमट-सा गया है।

4. **सेटेलाइट ने दुनिया को एक तार में पिरो दिया है। आई०टी० अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी** (Information Technology) के अधिकांश उपकरण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तथा ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आई०टी० (Information Technology) के सूचकों के प्रयोग सम्बन्धी आँकड़ों से वैश्वीकरण के बारे में एक प्रस्थापना निर्मित की जा सकती है। यह निम्नलिखित हैं—

वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सह-सम्बन्ध है। जिन देशों में वैश्वीकरण की तीव्रता की दर उच्च है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के सूचकों के प्रयोग की दर भी उच्च है।

ई-जर्नलिज्म—संचार क्रान्ति ने वैश्वीकरण को गति और ऊर्जा प्रदान की है। मीडिया विशेषज्ञ मार्शल मैक्लूहन की पुस्तक 'द मीडियम इन मैसेज' (The Medium is Massage), माध्यम ही संदेश है द्वारा स्पष्ट होता है कि सूचना की तुलना में सूचनातंत्र का विशेष महत्त्व है। सूचना आज निर्णायक ताकत के रूप में उभरी है। इसका तंत्र आज न केवल विचारधारा के नियंत्रण से मुक्त है अपितु विचारधारा ही सूचना तंत्र के जरिए नियंत्रित हो रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि हर क्षेत्र में सूचना तंत्र की निर्णायक भूमिका है। शेयर बाजार का मिजाज तीव्र सूचना माध्यम तय करते हैं, न कि गतिशील विकास-दर। सूचना तथा सूचना तंत्रों का आज वैश्विक स्तर पर एकीकरण हो रहा है।

सूचना के प्रसारक, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलेक्स अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। ई-मेल (इलेक्ट्रॉनिक डाक), ई-फैक्स, सेल्यूलर फोन, पेजर, टेलीटेक्स्ट तथा कम्प्यूटर डेटा बैंक आगे बढ़ रहे हैं। माइक्रोचिप्स, उपग्रहों, माइक्रो तरंगों, रोबेट शोध प्रचलित हैं। कम्प्यूटर नेटवर्किंग ने पैर जमाना प्रारम्भ कर दिया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर, सी-डॉट (सेंसर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स) द्वारा सूचना का प्रवाह अत्यन्त द्रुत गति से चल रहा है। इंटरनेट की बहुआयामी सक्रियता और तकनीकी कौशल को समाचारों की विशाल दुनिया से जोड़कर सूचना जगत में उस क्रान्ति का रास्ता आसान किया जा रहा है जहाँ खबर देने और लेने वाले एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, जहाँ उपभोक्ता को महज कूड़ापात्र नहीं समझा जाता बल्कि उसे उसकी रुचि के मुताबिक ठोस-सूचनाएँ पेश की जाती हैं।

सम्प्रति, ई-जर्नलिज्म जीवन और जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। इसने अपनी उपयोगिता तथा गुणवत्ता सिद्ध कर दी है। दुनिया के लिए यह एक वरदान सिद्ध हो रहा है। किन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। संचार क्रान्ति ने जिस वैश्वीकरण के शिशु को युवा बनाया है उस पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. डेनियल लर्नर की पुस्तक की विशेषता है—
(a) बढ़ता हुआ नगरीकरण (b) बढ़ती हुई साक्षरता
(c) (a) और (b) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) (a) और (b) दोनों

प्र.2. ''सामाजिक विकास से तात्पर्य उन सम्बन्धों तथा संरचनाओं से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाता है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी हो सके।'' यह कथन है—
(a) मैलकम वाटर्स का (b) जे०ए० पोनसियन का (c) डैनियल लर्नर का (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) जे०ए० पोनसियन का

प्र.3. रोस्टो ने आर्थिक विकास के कितने स्तर बताये हैं?
(a) दो (b) तीन (c) चार (d) पाँच
उत्तर (d) पाँच

प्र.4. ''पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी'' किसके द्वारा लिखी गई है?
(a) एडम स्मिथ (b) रिकॉर्डो (c) डैनियल लर्नर (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) डैनियल लर्नर

प्र.5. निम्न में से किससे 'केन्द्र-परिधि सिद्धान्त' सम्बन्धित है?
(a) डैनियल लर्नर (b) मैलकम वाटर्स (c) फ्रैंक (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) फ्रैंक

प्र.6. निर्भरता सिद्धान्त की उत्पत्ति 1960 के दशक में कहाँ हुई थी?
(a) लैटिन अमेरिका (b) ब्रिटेन (c) रूस (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) लैटिन अमेरिका

प्र.7. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं सँभालता है?
(a) विश्व बैंक (b) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (c) विश्व व्यापार संगठन (d) एशियाई बैंक
उत्तर (d) एशियाई बैंक

प्र.8. वैश्वीकरण का कारण बना—
(a) माल, पूँजी और सेवाओं की आसान आवाजाही
(b) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना
(c) विभिन्न देशों में कम्पनियाँ आसानी से काम कर रही हैं
(d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.9. एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है?
(a) विशेष आर्थिक क्षेत्र (b) विशेष शिक्षा क्षेत्र (c) सामाजिक आर्थिक क्षेत्र (d) विशेष प्रभावी क्षेत्र
उत्तर (a) विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्र.10. अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ खोलना और सुधार करना कहलाता है—
(a) निजीकरण (b) उदारीकरण (c) भूमण्डलीकरण (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) भूमण्डलीकरण

TOUCH n PASS

प्र.11. भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबन्धों को माफ करने का निर्णय कब लिया?
(a) सन् 1990 (b) सन् 1991 (c) सन् 1993 (d) सन् 1992
उत्तर (b) सन् 1991

प्र.12. वैश्वीकरण के बाद कौन-सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ?
(a) चमड़ा उद्योग (b) डेयरी उत्पादों (c) वाहन उद्योग (d) वस्त्र उद्योग
उत्तर (b) डेयरी उत्पादों

प्र.13. क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विभिन्न देशों में नये कारखाने और कार्यालय स्थापित करती हैं?
(a) उत्पादन लागत कम है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं
(b) उत्पादन लागत अधिक है और वे उच्च लाभ कमा सकते हैं
(c) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एक महत्त्वपूर्ण उपस्थिति बना सकती हैं
(d) उत्पादन लागत कम है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नुकसान हो सकता है
उत्तर (a) उत्पादन लागत कम है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं

प्र.14. वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ?
(a) औद्योगिक क्षेत्र (b) सेवा क्षेत्र (c) कृषि क्षेत्र (d) माध्यमिक क्षेत्र
उत्तर (c) कृषि क्षेत्र

प्र.15. वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं?
(a) नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग (b) कम उत्पादन लागत
(c) विभिन्न नई संस्कृतियों तक पहुँच प्राप्त करें (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है?
(a) बाहरी व्यापार (b) बड़े पैमाने पर व्यापार
(c) एक छोटे से व्यापार में व्यापार (d) आन्तरिक व्यापार
उत्तर (a) बाहरी व्यापार

प्र.17. भारत में वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?
(a) विदेशी सरकारें (b) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (c) विश्व बैंक (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (b) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

प्र.18. वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में काफी हद तक सुधार किया है?
(a) गरीब देश (b) विकासशील देश (c) विकसित देशों (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) विकसित देशों

प्र.19. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबन्ध हो सकता है?
(a) बिक्री कर (b) आयात कर (c) स्थानीय व्यापार कर (d) गुणवत्ता नियन्त्रण
उत्तर (b) आयात कर

प्र.20. विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को क्या प्रदान करके मदद करता है?
(a) व्यापार और निवेश के लिए कोष (b) विदेशी श्रम प्रदान करना
(c) विदेशी सरकारों द्वारा समर्थन (d) वस्तुएँ और सेवाएँ
उत्तर (a) व्यापार और निवेश के लिए कोष

प्र.21. वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं?
(a) विदेशी श्रमिकों का शोषण (b) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार में कठिनाई
(c) निर्यात करों में उच्च शुल्क (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

प्र.22. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में अपना संचालन शुरू किया—
(a) अप्रैल 1957 (b) दिसम्बर 1947 (c) मार्च 1947 (d) अगस्त 1957
उत्तर (c) मार्च 1947

प्र.23. विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है?
(a) आईडीए (b) आईबीआरडी (c) आईएफसी (d) ये सभी
उत्तर (b) आईबीआरडी

प्र.24. भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण के साथ एक ..... बाजार बन गया है।
(a) मोनोप्सनी मार्केट (b) विक्रेता का बाजार (c) एकाधिकार बाजार (d) क्रेता बाजार
उत्तर (d) क्रेता बाजार

प्र.25. निम्नलिखित में से कौन-सा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से सम्बन्धित है?
(a) ओपेक (b) विश्व व्यापार संगठन (c) एसटीसी (d) संयुक्त राष्ट्र संघ
उत्तर (b) विश्व व्यापार संगठन

प्र.26. निम्नलिखित में से किस संगठन को सॉफ्ट लेडिंग आर्म भी कहा जाता है?
(a) आईडीए (b) आईएमपी (c) ईदीफ (d) आईएफसी
उत्तर (a) आईडीए

प्र.27. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई?
(a) सन् 1970 (b) सन् 1990 (c) सन् 1995 (d) सन् 2000
उत्तर (c) सन् 1995

प्र.28. निम्नलिखित में से कौन-सा वृद्धि और विकास का सिद्धान्त नहीं है?
(a) व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धान्त (b) स्वत: गतिक्रम का सिद्धान्त
(c) निरन्तरता का सिद्धान्त (d) स्वरूप का सिद्धान्त
उत्तर (b) स्वत: गतिक्रम का सिद्धान्त

प्र.29. ''विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है।'' यह कथन विकास के किस सिद्धान्त से सम्बन्धित है?
(a) निरन्तरता का सिद्धान्त (b) अनुक्रमिकता का सिद्धान्त
(c) सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धान्त (d) भिन्नता का सिद्धान्त
उत्तर (b) अनुक्रमिकता का सिद्धान्त

प्र.30. निम्न में से विकास का कौन-सा सिद्धान्त गलत है?
(a) विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है (b) विकास, आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है
(c) यह एक सतत प्रक्रिया है (d) यह पूर्वानुमेय है
उत्तर (b) विकास, आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है

प्र.31. विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।'' यह कथन विकास के किस सिद्धान्त से सम्बन्धित है?
(a) निरन्तरता का सिद्धान्त (b) एकीकरण का सिद्धान्त
(c) अन्त:क्रिया का सिद्धान्त (d) अन्त: सम्बन्ध का सिद्धान्त
उत्तर (a) निरन्तरता का सिद्धान्त

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VII

विकास के मुद्दे
Issues of Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मानवीय संसाधनों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
Explain the concept of Human Resources.

उत्तर मानवीय संसाधन से आशय किसी देश की जनसंख्या और उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता तथा उत्पादकता से होता है। किसी देश की मानवीय शक्ति का अनुमान हम केवल वहाँ की जनसंख्या के आधार पर ही नहीं लगा सकते, इसके लिए जनसंख्या के गुणों पर भी विचार करना होगा। **हार्बिसन** और **मायर्स** के अनुसार, "मानवीय साधन का विकास ज्ञान, कुशलता तथा समाज के व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने वाली एक प्रक्रिया है। आर्थिक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि यह मानवीय पूँजी का ऐसा संचय है जिसको अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावशाली विनियोग के रूप में लाया जा सकता है।"

प्र.2. मानव विकास का क्या अर्थ है?
What is meant by Human Development?

उत्तर मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मानव शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है ताकि देश की जन शक्ति, प्राविधिक ज्ञान, योग्यता एवं कुशलता की दृष्टि से विशिष्टता प्राप्त कर सके।

प्र.3. मानवीय पूँजी निर्माण को परिभाषित कीजिए।
Define human capital formation.

उत्तर **प्रो० हार्बिन्सन** के अनुसार "मानवीय पूँजी निर्माण से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराना और उनकी संख्या में वृद्धि करना जो कुशल, शिक्षित व अनुभवपूर्ण हों, जिनकी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए नितान्त आवश्यकता होती है। मानव पूँजी निर्माण इस प्रकार मानव में नियोजन और उसके सृजनात्मक उत्पादन साधनों के रूप में सम्बद्ध है।"

प्र.4. मानवीय संसाधनों के विकास के चार आवश्यक तत्त्व लिखिए।
Write four essential elements of Human Resource Development.

उत्तर **प्रो० शुल्ज** ने मानवीय संसाधनों के विकास के लिए निम्नलिखित चार तरीकों का उल्लेख किया है—

(i) ऐसी नियोजित स्वास्थ्य सुविधाएँ, जिनमें वे सब व्यय सम्मिलित हों, जो लोगों की जीवन प्रत्याशा, शक्ति और तेज तथा जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं।
(ii) कार्यरत प्रशिक्षण, जिसमें फर्मों द्वारा संगठित पुराने ढंग की शिक्षुत शामिल हो।
(iii) प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्चतर स्तरों पर औपचारिक रूप से संगठित शिक्षा।
(iv) वयस्कों के लिए अध्ययन प्रोग्राम जिन्हें फार्म संगठित न करे, विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी विस्तार प्रोग्राम शामिल हो।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. कृषि संकट से क्या आशय है?
What is meant by Agrarian Crisis?

उत्तर **कृषि संकट (Agrarian Crisis)**

वी० कुमारस्वामी ने द हिन्दू (24 जून 2019) में छपे अपने लेख में विश्लेषण किया कि कृषि संकट को कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने भारत में वर्तमान कृषि संकट के लिए दो कारकों नामतः उस समय को पहचानने में

TOUCH 'n PASS

लापरवाही की जब हरित क्रान्ति कम होने लगी और सहायक विकल्पों के साथ कदमताल करने लगी और सब्सिडी के आर्थिक प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने भारत के वर्तमान कृषि संकट का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार किया—मिट्टी की उर्वरता में कमी, गिरता जलस्तर, लागतों में वृद्धि (हरित क्रान्ति के सभी प्रभाव), किसानों को कम लाभ और प्रमुख वस्तुओं की कीमतों अप्रभावी आवधिक उछाल तथा आवधिक अतिरिक्त उत्पादन, जो सड़कों पर डंप किया जाता है और इसके कारण कई किसान बर्बाद हो जाते हैं तथा सरकार पर भारी बोझ पड़ता है।

प्र.2. कृषि संकट के लक्षण बताइए।
Describe the characteristics of agrarian crisis.

उत्तर

कृषि संकट के लक्षण
(Characteristics of Agrarian Crisis)

श्रीजीत मिश्रा (2008) ने भारत में रिस्क, फार्मर्स सूइसाइड्स एण्ड एग्रेरियन क्राइसिस इन इण्डिया : इस देयर वे आउट? नामक अपने पेपर में कृषि संकट के निम्नलिखित लक्षण बताए—

1. नब्बे के दशक के मध्य एवं उत्तरार्द्ध से उत्पादन, उत्पादकता और उत्पाद के मूल्य की प्रवृत्ति वृद्धि दर में गिरावट।
2. जनसंख्या का बड़ा वर्ग कृषि पर अत्यधिक निर्भर है जो गैर ग्रामीण कृषि रोजगार की कमी को भी दर्शाता है।
3. जोत के आकार वर्ग में कमी, सीमान्त जोतों में वृद्धि और खेती से कम लाभ की वजह से कृषि परिवार की कम आय।
4. हरित क्रान्ति ने बारिश और शुष्क भूमि की स्थिति में फसलों और क्षेत्रों की अनदेखी करते हुए सिंचित अवस्था के तहत चावल और गेहूँ पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया। साथ ही नई तकनीक और सेवाओं के विस्तार के लिए संस्थान के विस्तृत नेटवर्क को भुनाने में विफलता।
5. कृषि के नियोजित संसाधन आबंटन में लापरवाही के कारण सिंचाई और अन्य सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश में गिरावट आयी।
6. ऋण आपूर्ति के औपचारिक स्रोत की अपर्याप्तता के कारण अनौपचारिक स्रोतों से बड़े ब्याज बोझ के साथ ऋण की आपूर्ति पर अधिक निर्भरता।
7. बाजार की स्थिति और तकनीक में बदलाव के कारण किसान उत्पाद की अनिश्चितता के साथ-साथ कारक बाजारों से भी आरक्षित होता है।

प्र.3. कृषि संकट के कारण, परिणाम और उपचार की व्याख्या कीजिए।
Explain the causes, consequences and remedies of agrarian crisis.

उत्तर

कृषि संकट के कारण, परिणाम और उपचार
(Causes, Consequences and Remedies of Agrarian Crisis)

अल्बर्ट क्रिस्टोफर ढास (2009) ने एग्रीकल्चर क्राइसिस इन इण्डिया : द रूट कॉज एण्ड कंसिक्वेंसेज शीर्षक से अपने पेपर में मूल कारण को परिभाषित किया क्योंकि अन्य उद्यमों की तुलना में कृषि कोई अधिक लाभदायक आर्थिक गतिविधि नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि कृषि की ऐसी गतिविधियों से प्राप्त आय कृषकों के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस संकट के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया है—वर्षा और जलवायु पर निर्भरता, कृषि उत्पादों का व्यापक आयात, कृषि सब्सिडी में कमी, कृषि के लिए आसान ऋण और अभाव और साहूकारों पर निर्भरता, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि का रूपान्तरण।

परिणामों का प्रकृति में बहुत व्यापक होने का तर्क दिया जाता है और इनसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अन्य सभी क्षेत्रों के अलग-अलग तरीकों से प्रभावित होने की सम्भावना है। विस्तार से कहें तो प्रतिकूल प्रभाव खाद्य आपूर्ति, खाद्यानों की कीमतों, जीवनयापन की लागत, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार, गरीबी, श्रम बाजार, विदेशी मुद्रा की कमाई और कृषि से भूमि हानि को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप में, जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा और समग्र रूप में अर्थव्यवस्था कृषि संकट से प्रभावित हैं। इस प्रकार, यह समग्र रूप से देश का संकट है।

एकमात्र उपाय यह है कि कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाने और किसानों को फसल उत्पादन गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु आकर्षित करने के लिए वह सब कुछ करना, जो सम्भव है। सरकार को कृषि क्षेत्र में बजट में विस्तार करना चाहिए। संचार,

TOUCH 'n PASS

परिवहन, सिंचाई, अनुसन्धान, ग्रामीण बाजार, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और खेत सहित कृषि और इसके सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में भारी वृद्धि की जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों का एकीकृत विकास सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। कृषि से सम्बन्धित वर्तमान आर्थिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन समस्या का समाधान है।

प्र.4. कृषि संकट की क्या चुनौतियाँ हैं?

What are the challenges of agrarian crisis?

उत्तर

कृषि संकट की चुनौतियाँ
(Challenges of Agrarian Crisis)

सिराज हुसैन (24 मई 2019) ने Downtoearth.org.in में प्रकाशित अपने ब्लॉग, जिसका शीर्षक था एग्रेरियन क्राइसिस में सरकार के लिए इसे सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना।

उन्होंने अनुमान लगाया कि कृषि में आवश्यक निवेश के लिए संसाधनों की खोज करना सरकार के लिए परेशानी की बात होगी। उन्होंने कहा कि अल्पकालिक कृषि कार्य के लिए तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं—

1. भारत में लगभग 40 प्रतिशत कृषि भूमि में सूखा।
2. पिछले 3 वर्षों से अधिकांश फसलों के लिए किसानों को कम कीमतों की प्राप्ति हुई।
3. खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि की सम्भावना।

दीर्घकालीन कृषि कार्य के लिए तीन प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं—

1. अनन्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी के संकट का निवारण।
2. लम्बी बहस वाले विपणन सुधारों के लिए निर्णय लेना।
3. सभी फसलों के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करने के एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (M.S.P.) की सीमा की प्राप्ति।

प्र.5. कृषि में नई तकनीक और इसके लाभ बताइए।

Explain new technology in agriculture and Its benefits.

उत्तर

कृषि में नई तकनीक और इसके लाभ
(New Technology in Agriculture and its Benefits)

देसराज (1997) ने अपने अध्ययन 'नई तकनीक और बदलते कृषि सम्बन्ध' में किसानों और खेतिहर मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को परिभाषित किया और उनके बारे में मुद्दों को उठाया। यह अध्ययन हरियाणा के दो क्षेत्रों में आयोजित किया गया और उन्हें क्रमश: ए और बी नाम दिया गया। अध्ययन ने खुलासा किया कि बी क्षेत्र में अब मजदूर और नियोक्ता पारिवारिक रूप से एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं और इस बदलाव के कारण कृषि मजदूर सभी प्रकार के संरक्षण और संस्थागत निर्भरता रिश्तों से बँधे हुए नहीं हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि नई कृषि-तकनीक से छोटे भूस्वामी किसानों (2 एकड़ तक) की तुलना में बड़े भूस्वामी किसानों को काफी लाभ मिलता है। हरियाणा की कृषि संरचना में नई कृषि-तकनीक के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की बढ़ती दर को देखा गया है। नई कृषि-तकनीक ने उत्पादकता, मजदूरी दर, श्रम रोजगार की प्रक्रिया को बढ़ाया है लेकिन लाभ काफी असमान थे।

यह माना गया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए गैर-आर्थिक व्यवसायों का सृजन करके कृषि में स्थायी विकास, व्यावसायिक विविधीकरण और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है और ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों के बीच ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका है।

प्र.6. कृषि की भावी वृद्धि से जुड़े मुद्दे कौन-से हैं?

What are the issues related to the future growth of agriculture?

उत्तर

कृषि की भावी वृद्धि से जुड़े मुद्दे
(Issues Related to the Future Growth of Agriculture)

कृषीय मुद्दों से जुड़े कुछ आयाम एवं चिन्ताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) कृषीय उत्पादन, उत्पादकता एवं उत्पाद के मूल्य में कमी आयी है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि 1980 के दशक की अपेक्षा 1990 के दशक में वृद्धि कम हो गयी है। यह एक कृषि संकट की स्थिति का संकेतक है।

TOUCH 'n' PASS

(ii) जोखिम वहन करने वाले किसानों को सुविधा प्रदान करने की बजाय राज्य उन्हें वापस ले रहे हैं। सिंचाई एवं सम्बन्धित आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक विनियोग में कमी हुई है।
(iii) सामान्य जल सतहों में कमी एक विडम्बना है।
(iv) साख के औपचारिक स्रोतों तक अपर्याप्त पहुँच एवं ऊँची ब्याज दर।
(v) शोधकार्य एवं उनके परिणामों को मूर्त रूप देने में भारी ढील।
(vi) खेती में सलाह के लिए आगतों को प्रदान करने वाले व्यापारियों पर विश्वास में वृद्धि हुई तथा इस प्रकार पूर्तिकर्ता-प्रेरित माँग उत्पन्न किया जाना। बदलती तकनीक एवं बाजार दशाओं के साथ किसान वस्तु एवं साधन बाजारों की अनिश्चितताओं में अधिकाधिक खुला होता जा रहा है। किसान अनेक जोखिमों, मौसम की अनिश्चितता, कीमत उतार-चढ़ाव एवं कृत्रिम आगतों इत्यादि का सामना करता है जो पहले से ही कम उसके प्रतिफलों को और भी कम कर देते हैं।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. मानव संसाधन निर्माण के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Describe in detail the scope of Human Resource Development.

उत्तर

मानव संसाधन निर्माण का क्षेत्र
(Scope of Human Resource Development)

प्राय: मानवीय संसाधनों में विनियोग का अर्थ शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, उपयुक्त भोजन और उचित आवास की व्यवस्था आदि पर व्यय करने से लगाया जाता है। परन्तु प्रो० टी० डब्ल्यू० शूल्ज का मत है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से कौशल निर्माण हेतु अथवा मानवीय क्षमताओं में सुधार हेतु मुख्य रूप से निम्न मदों पर व्यय/विनियोग करना अधिक आवश्यक समझा जाता है—

1. **शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ—प्रो० रिचर्ड टी० गिल** के मतानुसार, "शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक विनियोग माना जाएगा।" इसी प्रकार के विचार **प्रो० जॉन कैनेथ गैलब्रेथ** द्वारा भी रखे गये हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा उपभोग एवं विनियोग दोनों ही हैं। भौतिक सम्पत्तियों के निर्माण में किये गये विनियोजन की भाँति शिक्षा व प्रशिक्षण भी एक प्रकार का विनियोग है।

अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उनके देश में शिक्षा पर किये जाने वाले विनियोग पर वार्षिक प्रतिफल की दर लगभग 10 प्रतिशत है। **जॉन कैनेथ गैलब्रेथ** के अनुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य लोगों के साथ-साथ थियोडोर शुल्ट्ज द्वारा किये गये अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि शिक्षा पर किये गये व्ययों से उत्पादन में बहुत वृद्धि हो सकती है। जिस प्रकार की गणना से कार्लाइल को सबसे अधिक घृणा थी, उसी के द्वारा उन्होंने यह दिखा दिया है कि मानवीय प्राणियों के बौद्धिक सुधार में लगाये गये एक डॉलर या एक रुपये से प्राय: राष्ट्रीय आय में उसकी अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है, जितनी एक डॉलर या रुपये को रेलों, बाँधों, मशीन के पुर्जों या अन्य स्पष्ट दिखायी पड़ने वाली पूँजीगत वस्तुओं में लगाने से होती है।"

जब शिक्षा को इस रूप में देखा जाता है, तब वह एक प्रकार का अत्यधिक उत्पादनशील विनियोग बन जाती है। शिक्षा पर किस सीमा तक व्यय किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में **स्टोनियर एवं हेग** का विचार है, "राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय, चाहे वह स्कूल पर किया जाये या कॉलेज पर या विश्वविद्यालय पर किया जाये, उस समय तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि उस पर प्राप्त किया गया प्रतिफल अर्थव्यवस्था में अन्यत्र लोगों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बराबर न हो जाये।"

शिक्षा पर विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करने पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शैक्षणिक कार्यक्रम उसी आधार पर बनने चाहिए, जिस आधार पर औद्योगिक योजनाएँ बनायी जाती हैं। शिक्षा में किये जाने वाले विनियोग के सम्बन्ध में लागत एवं लाभ का एक युक्तिसंगत हिसाब लगाया जाना चाहिए। यह एक निश्चित उत्पादक विनियोग है। जर्मनी और जापान जैसे देशों का, जो द्वितीय महायुद्ध में युद्ध के कारण बर्बाद हो गये थे, 5 या 10 वर्षों की अवधि में लगभग पुनर्निर्माण हुआ है। वहाँ पर भौतिक दृष्टि से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आश्चर्यचकित गति से बढ़ी है। लेकिन यदि जर्मन और जापानी लोगों का संचित ज्ञान तथा चातुर्य किसी तरह से नष्ट कर दिया जाता, तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में नि:सन्देह कई

सदियाँ लग जातीं। भारत के सन्दर्भ में **डॉ० राव** ने लिखा है, "आज हमारे देश पर चरित्र संकट मँडरा रहा है और इसका मुकाबला हम केवल इस तरह की शिक्षा देकर कर सकते हैं, जो मानवता और चरित्र निर्माण की दिशा में प्रवृत्त हो। नि:सन्देह अर्थव्यवस्था की अवस्थाएँ पूरी करना शिक्षा का कर्त्तव्य है हमारे विश्वविद्यालयों में उन कौशलों और मनोवृत्तियों तथा अनुसन्धान कार्यों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए, जिनकी हमारी सुनियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा आर्थिक वृद्धि को तीव्रतर करने के लिए आवश्यकता है।" अत: आज के लिए योजनाकारों, शिक्षाविदों, अध्यापकों, माता-पिता और युवकों सभी को शिक्षा के नवीनतम् दृष्टिकोण के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। तभी सामाजिक और आर्थिक विकास सुचारु और समन्वित रूप से हो सकेगा। इस प्रकार शिक्षा के महत्त्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

2. **स्वास्थ्य, पोषण एवं आवास व्यवस्था**—मानव पूँजी निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पौष्टिक आहार की उपलब्धता तथा उचित आवास व्यवस्था हेतु उचित विनियोग किया जाना चाहिए। अत: शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण तथा आवास व्यवस्था पर व्यय मानवीय पूँजी निर्माण के क्षेत्रों में आते हैं।
व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं, सन्तुलित भोजन व उचित आवास प्राप्त होने से उनकी प्रत्याशित आयु और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। औसत आयु बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ता है जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट होता है—
   (i) औसत आयु बढ़ने से एक व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन आयु में वह अधिक वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में प्रत्याशित आयु 58 वर्ष है और अमेरिका में 78 वर्ष है।
   (ii) अल्प औसत आयु के कारण नागरिकों के पालन-पोषण, शिक्षा तथा प्रशिक्षण आदि पर किये गये व्यय का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। अधिकांश नागरिक 60 वर्ष से पूर्व ही मर जाते हैं। अत: मनुष्यों पर लगाये गये धन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि जीवनकाल में वृद्धि हो।
   (iii) राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग ऐसे शिशुओं पर व्यय होता है, जो उत्पादक आयु में पहुँचने से पूर्व ही मौत के शिकार बन जाते हैं। अत: अल्प औसत आयु से बच्चों के पालन-पोषण के लिए किये गये प्रयत्न और विनियोजन की व्यर्थता सूचित करती है। **प्रो० अल्फ्रेड बोने** के अनुसार, "आर्थिक दृष्टि से अर्द्धविकसित देशों में इन असंख्य युवा वर्ग के भरण-पोषण और शैक्षणिक विकास में भौतिक-अभौतिक दोनों तरह के विनियोग की हानि होती है, जो अपने जीवन की परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुँच पाती है। भले ही वहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति, शिक्षा, कपड़े तथा खाद्य पदार्थों में विनियोग कम हो, परन्तु फिर भी कुल व्यय की हानि अत्यधिक है। एक जीविकोपार्जक पश्चिमी देशों में सरलता से अपने भरण-पोषण, प्रशिक्षण आदि की लागत समाज को चुका देता है, क्योंकि उसे अपने जीवन के उत्पादक वर्षों तक पहुँचने के अवसर रहते हैं और इसलिए वह अपना योगदान 40 या अधिक वर्षों तक देता है।"
   (iv) अल्प औसत आयु के कारण देश में अनुभवी लोगों की कमी रहती है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में औसत जीवन अवधि कम होने के कारण कार्यशील अनुभव सिद्ध बुजुर्गों 55 से ऊपर का अनुपात 2001 में केवल 10 प्रतिशत था, जबकि अमेरिका में यही अनुपात 18.0 प्रतिशत है।

प्र.2. अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी का स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं?
What are the reasons for low level of human capital in semi-developed countries?

उत्तर

अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी का स्तर निम्न होने के कारण
(Reasons for Low Level of Human Capital in Semi-developed Countries)

भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी का स्तर निम्न होता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1. **विदेशी विनिमय कोषों की कमी**—अर्द्धविकसित देशों में विदेशी विनिमय कोषों की कमी होती है। फलस्वरूप ये देश-विदेशी आयात करने में असमर्थ होते हैं और बिना विदेशी तकनीक के ज्ञान के उनका स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है।

TOUCH 'n' PASS

2. **मानव पूँजी निर्माण—एक सतत लम्बी प्रक्रिया**—मानव पूँजी निर्माण एक सतत लम्बी प्रक्रिया है तथा इसके सुखद परिणाम भी दीर्घकाल में प्राप्त होते हैं। अर्द्धविकसित देशों के पास संसाधनों का अभाव होता है। अत: वे भौतिक विकास जो कि शीघ्रगामी तथा परिस्थितिजन्य भी होते हैं, में अधिक ध्यान देते हैं फलत: मानव पूँजी निर्माण का स्तर निम्न बना रहता है।
3. **रूढ़िवादिता**—अर्द्धविकसित देशों में व्याप्त रूढ़िवादी विचार तकनीकी ज्ञान को अपनाने व उसे लागू करने में बाधक सिद्ध होते हैं। परिणामत: मानव पूँजी निर्माण का स्तर निम्न बना रहता है।
4. **इच्छा शक्ति का अभाव**—अर्द्धविकसित देशों में व्याप्त रूढ़िवादी विचार तकनीकी ज्ञान को अपनाने व उसे लागू करने में बाधक सिद्ध होते हैं। परिणामत: मानव पूँजी निर्माण का स्तर निम्न बना रहता है।
5. **कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था**—अर्द्धविकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है तथा कृषि में नव-प्रवर्तन तथा तकनीकी के प्रयोग की सम्भावनाएँ अपेक्षाकृत सीमित होती है।
6. **मानवीय साधनों के आयोजन के अभाव**—मानवीय साधनों के उचित आयोजन के अभाव देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मानवीय साधनों की माँग तथा पूर्ति के मध्य कोई विशेष सन्तुलन स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो श्रम शक्ति नष्ट हो रही है तथा दूसरी ओर श्रम का उत्पादन में योगदान कम होता रहा है।
7. **क्षेत्रीय विषमताएँ**—जीवन प्रमाण में सुधार के लिए जिन सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया है वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलित रूप से वितरित हैं। ये विषमताएँ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की विभिन्न सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी घोर कमी है।
8. **निम्न उत्पादकता**—जीवन प्रमाण में सुधार के लिए जो विनियोग किया जाता है इसके बदले में तत्काल ही आय प्राप्त नहीं होती, बल्कि इस प्रकार के लाभों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता है। अत: इस तरह के विनियोग को अनुत्पादक विनियोग समझा जाता है और निजी उपक्रमी इस क्षेत्र में विनियोग करने के लिए प्रेरित नहीं होता।
9. **निजी क्षेत्र की उदासीनता**—मानवीय साधनों में निवेश का फल काफी समय बाद प्राप्त होता है। इसीलिए निजी क्षेत्र इसके विकास में कोई रुचि नहीं लेता। इसका सारा भार सरकार को ही सँभालना पड़ता है। सरकार के साधन सीमित होते हैं। अतएव मानवीय साधनों के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।
10. **जनसंख्या में वृद्धि**—भारत में जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तीव्र गति से हो रही है तथा जनसंख्या पहले से ही बहुत अधिक है। इतनी अधिक जनसंख्या के विकास के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। भारत जैसे निर्धन देश के लिए इतने साधनों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

प्र.3. मानव संसाधन निर्माण अथवा शिक्षा की कसौटियों का उल्लेख कीजिए।
Mention the criteria for Human Resource Formation or Education.

उत्तर

मानव संसाधन निर्माण अथवा शिक्षा की कसौटियाँ
(Criteria for Human Resource Formation or Education)

मानव पूँजी निर्माण में और विशिष्ट रूप से शिक्षा में निवेश की उत्पादकता का आगणन एक बहुत पेचीदा समस्या है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए निम्नलिखित मापदण्ड अथवा कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं—

1. **प्रतिफल की दर की कसौटी**—विनियोग के रूप में शिक्षा के दो अंश हैं—**प्रथम,** भावी उपभोग अंश; **द्वितीय,** भावी अर्जन अंश। कुशलता तथा ज्ञान में विनियोग भावी आयों या अर्जनों को बढ़ाता है जबकि शिक्षा से प्राप्त सन्तुष्टि उपभोग अंश है। चूँकि उपभोग अंश के रूप में शिक्षा राष्ट्रीय आय के योग में सम्मिलित नहीं होती इसलिए शिक्षा में विनियोजन के प्रतिफल का आगणन करते समय केवल इसके भावी अर्जन अंश पर ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक विधि यह है कि एक जैसे पेशों में लगे ऊँची शिक्षा प्राप्त लोगों की औसत जीवन कालिक कमाई की तुलना कम शिक्षा प्राप्त लोगों की औसत जीवन कालिक कमाई से की जाती है। उदाहरण के लिए, **बैक्कर** ने हिसाब लगाया था कि एक गोरे शहरी पुरुष के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉलिज शिक्षा पर विनियोग के प्रतिफल की दर सन् 1940 में 12.5 प्रतिशत और 1950 में 10 प्रतिशत थी। परन्तु कर काट लेने के बाद सन् 1940 और 1950 में वह 9 प्रतिशत थी। इस आगणन में विद्यार्थी पर पड़ने वाली प्रत्यक्ष लागत, अध्ययन काल में परिव्यक्त कमाई और कॉलिज की लागत का अंश शामिल थे।

TOUCH 'n PASS

सीमाएँ—इस मापदण्ड की निम्नलिखित सीमाएँ व कठिनाइयाँ हैं—

(i) **बाह्य मितव्ययिताएँ**—इस विधि के अन्तर्गत केवल प्रत्यक्ष भौतिक मौद्रिक लाभों को ही मापा जाता है जबकि शिक्षा की बाह्य मितव्ययिताओं जैसे—शिक्षा के स्तर में सुधार के फलस्वरूप देश को प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ की गणना नहीं हो पाती है।

(ii) **व्यक्तिगत गुण**—मनुष्य की अर्जन शक्ति पर केवल उसकी शिक्षा की डिग्रियों का ही नहीं बल्कि उसके कार्य प्रशिक्षण योग्यता, अनुभव, पारिवारिक सम्बन्धों का भी प्रभाव पड़ता है।

(iii) **सामूहिक प्रयत्न**—यह मापदण्ड विधि वर्गों के सामूहिक प्रयत्नों का सही आगणन नहीं कर पाता है।

(iv) **अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षमता**—कौशल निर्माण हेतु किये गये विनियोजन के कारण सम्बद्ध व्यक्तियों की आय ही नहीं बढ़ती बल्कि इससे कार्य व्यवस्था की कुल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है जिसका इस मापदण्ड में ध्यान नहीं दिया गया।

(v) **शिक्षा का स्वरूप**—मापदण्ड में इस बात का स्पष्ट नहीं किया गया है कि आर्थिक विकास के लिए 'कितनी और किस प्रकार' शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

2. **सकल राष्ट्रीय आय की शिक्षा के योगदान की कसौटी**—इस कसौटी के अनुसार शिक्षा में विनियोजन करने पर निश्चित अवधि में सकल राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि होती है उसका आगणन कर लिया जाता है।

प्रो० सकार पोलस—शिक्षा की योग्यता को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं—

(i) **प्रतिफल की सामाजिक दर**—

$$= \frac{\text{अपक्षय (स्थिर वार्षिक अर्जन भिन्नता)}}{\text{दो वर्ष अवसर लागत} + \text{रेकरेंट लागत} + \text{वार्षिक पूँजी लागत}}$$

= 21 प्रतिशत

(ii) **प्रतिफल की व्यक्तिगत दर**—

$$= \frac{\text{अक्षय (स्थिर वार्षिक अर्जन भिन्नता} - \text{कर भिन्नता)}}{\text{दो वर्ष (अवसर लागत} + \text{सीधी लागत)}}$$

= 50 प्रतिशत

प्रो० शुल्ज ने सन् 1900 से 1956 तक की अवधि में अमेरिका की राष्ट्रीय आय में वृद्धि में शिक्षा के योगदान का विश्लेषण किया और निष्कर्ष पर पहुँचा कि "शिक्षा को आवंटिक संसाधन डॉलरों में उपभोक्त आय की सापेक्षता में और डॉलरों में भौतिक पूँजी के सकल निर्माण की सापेक्षता में 3.5 गुणा बढ़े। दूसरे शब्दों में भौतिक पूँजी में निवेश की अपेक्षा शिक्षा में निवेश ने 3.5 गुणा अधिक योगदान दिया।

भारत में इस मापदण्ड का प्रयोग **प्रो० पंचमुखी** द्वारा शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण की दृष्टि से किया जा चुका है।

गुण—(i) शिक्षा पर प्रतिफलों के अनुमानों की अपेक्षा इस मापदण्ड के अनुमान अधिक वास्तविक हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर शिक्षागत् निवेश पर पड़ने वाले प्रभावों का भी मापन करते हैं। (ii) यह अनुमान शिक्षा की अवसर लागत पर आधारित है अर्थात् इसमें विद्याध्ययन के दौरान, यानी विद्यार्थी जीवन में परित्यक्त आय और शिक्षा पर किये गये व्यय दोनों का हिसाब लगाया जा सकता है।

अवगुण—(i) इस कसौटी की सबसे बड़ी समस्या परित्यक्त आय की गणना करने से सम्बन्धित है। परित्यक्त आय की गणना लगाना कठिन है। क्योंकि—

(अ) अर्द्धविकसित देशों में गम्भीर बेरोजगारी पायी जाती है। ऐसी परिस्थिति में परित्यक्त कमाई का आकलन मनमाना या स्वैच्छिक होगा। क्योंकि श्रम की बढ़ रही पूर्ति वास्तविक आय को घटा देती है।

(ब) अर्द्धविकसित देशों में अधिकांश युवकों को स्कूल की शिक्षा नहीं मिलती पर वे परिवार के व्यवसायों में धन अर्जित करते हैं। ऐसे युवकों की परित्यक्त आय को हिसाब लगाना कठिन है। इस कसौटी में स्कूली शिक्षा की सामाजिक लागतों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ही बेलोग ने कहा है, "शिक्षा की लाभदायकता के सम्बन्ध में किये गये आंकलन तकनीकी व आर्थिक रूप से न केवल त्रुटिपूर्ण हैं, बल्कि राजनैतिक तौर से अनैतिक भी है।"

TOUCH 'n PASS

3. **अवशेष साधन कसौटी**—कुजनेट्स, कंड्रिक, ग्रिलिचिज, जार्गेन्सन, सोजो तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह मापने का प्रयास किया है कि समय की एक अवधि के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वृद्धि का (अ) कितना अनुपात पूँजी तथा श्रम की माप योग्य आगतों के योगदान द्वारा हो सकता है तथा (ब) GNP में वृद्धि का कितना अनुपात अन्य साधनों (जिनकी अवशेष में रखा जाता है) के योगदान द्वारा हो सकता है। अवशेष साधन प्रमुख रूप से हैं—शिक्षा, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, पैमाने की बचतें तथा मानों उत्पादकता को प्रभावित करने वाले अन्य घटक।

प्रो० डेनिसन ने सन् 1929-57 के बीच अमेरिका में इस सम्बन्ध में अनुमान लगाया जिसके अनुसार कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि में शिक्षा का योगदान 23 प्रतिशत था। शिक्षा के अतिरिक्त जहाँ तक अन्य अवशेष साधन के योगदान की बात थी, डेनिस ने इसे राष्ट्रीय आय के कुल वृद्धि के 31 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी माना इसमें 20 प्रतिशत ज्ञान के उन्नत प्रभाव के कारण और 11 प्रतिशत बाजारों की वृद्धि दर के परिणामस्वरूप पैमाने की बचतों के कारण था।

इसके विपरीत सोलो सन् 1909-49 की अवधि के दौरान अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्ययन में 90 प्रतिशत प्रति व्यक्ति उत्पादन की औसत वृद्धि दर को अवशेष साधन का योगदान मानता है जो तकनीकी परिवर्तन के सामान्य शीर्षक में आता है।

अवगुण—अवशेष साधन कटौती में निम्नलिखित कमियाँ हैं—

(i) अवशेष साधन एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसमें शिक्षा, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, पैमाने की बचतें आदि को सम्मिलित किया गया है। फलतः यह कसौटी अत्यन्त जटिल है।

(ii) यह कसौटी व्यावहारिक तथा अव्यावहारिक शिक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता या विषय वस्तु में कोई भेद नहीं करती है।

(iii) यह कसौटी पैमाने की स्थिर प्रतिफल नियम पर आधारित है। जबकि एक विकासशील देश में बढ़ते प्रतिफल पाये जाते हैं।

(iv) अवशेष कसौटी में पूँजी का आर्थिक विकास में योगदान कम आँका गया है। क्योंकि यदि ज्ञान की उन्नति में लगाये गये साधनों को विनियोग के अन्तर्गत गिन लिया जाये और इस प्रकार के विनियोग को पूँजी स्टॉक की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया जाये, तो आर्थिक विकास वृद्धि दर का अधिक भाग पूँजी स्टॉक की वृद्धि का योगदान माना जायेगा और ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण आदि में वृद्धि के अवशेष वर्ग में कम योगदान रह जायेगा।

(v) सन् 1945-65 के लिए अमेरिका का अर्थव्यवस्था के अध्ययन में **जार्गेन्सन** तथा **ग्रिलिचिज** ने पाया कि पूँजी, श्रम, कीमतों आदि के लिए समूहन की अशुद्धियों को ठीक कर देने के बाद वास्तव में कोई 'अवशेष' रहता ही नहीं, जिसकी व्याख्या आपेक्षित हो। इस अशुद्धियों के लिए समायोजन कर लेने के बाद अवशेष का योगदान घटकर 0.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह जाता है।

सम्मिश्र सूचकांक कसौटी—हार्बिसन तथा **मायराज** ने कुछ मानों स्रोतों के सूचकों के आधार पर सम्मिश्र सूचकांक कसौटी विकसित किया है।

सम्मिश्र सूचकांक को 75 देशों को श्रेणीबद्ध करके तथा उनको मानों शोध विकास करके मानों शोध विकास के चार स्तरों का समूह बनाकर प्रयुक्त किया जाता है। ये चार समूह हैं—अर्द्धविकसित, आंशिक विकसित, अल्प उन्नत तथा उन्नत। इसके उपरान्त उन्होंने इस सूचकों तथा आर्थिक विकास के सूचकों के सम्बन्धों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। हार्बिसन तथा मायराज ने मानव शोध विकासों को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया है—

(i) प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्रथम तथा द्वितीय स्तर के शिक्षकों की संख्या।

(ii) प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों की संख्या।

(iii) प्रति 10,000 जनसंख्या पर इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों की संख्या।

(iv) समायोजित प्रथम तथा द्वितीय स्तरों के संयुक्त पाठशाला में दाखिल विद्यार्थियों का अनुपात।

(v) 5 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता पर प्रथम (प्राथमिक) शिक्षा स्तर पर दाखिल विद्यार्थियों की संख्या।

(vi) 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता पर तृतीय (उच्चतर) शिक्षा स्तर पर दाखिल विद्यार्थियों की संख्या।

(vii) 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता पर द्वितीय (माध्यमिक) स्तर पर दाखिल विद्यार्थियों की वह संख्या जिसे पाठशाला काल पर समायोजित किया गया है।

(viii) एक वर्तमान वर्ष में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा संकायों में दाखिल विद्यार्थियों की प्रतिशतता।

(ix) उसी वर्ष मानविकी, ललित कला एवं विधि संकायों में दाखिल विद्यार्थियों की प्रतिशतता।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. अर्द्धविकसित देशों में मानव संसाधन निर्माण के उपाय बताइए।
Mention the measures to build Human Resource in Semi-developed Countries.

उत्तर

अर्द्धविकसित देशों में मानव संसाधन निर्माण के उपाय
(Measures to build Human Resource in Semi-developed Countries)

अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी निर्माण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया है जिसके कारण यहाँ मानवीय संसाधन अधिक होते हुए भी मानव पूँजी अच्छी किस्म की नहीं है। मानव पूँजी निर्माण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. **शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन**—शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार व परिवर्तन करके ही हम अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक ओर तो हमें अर्द्धविकसित देशों में साक्षरता कार्यक्रम सक्रिय करके निरक्षरता को दूर करना चाहिए और उच्च शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो इसके योग्य हों। कारण यह है कि कॉलेजों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने से मानव पूँजी निर्माण नहीं होता। बल्कि वे शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ते हैं जिससे युवकों में काफी असन्तोष होता है।
2. **तकनीकी शिक्षा पर जोर**—तकनीकी प्रगति तथा प्रशिक्षण की सुविधा आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण निर्धारण है क्योंकि तकनीकी प्रगति तथा प्रशिक्षण की सुविधा स्वयं उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षित जन शक्ति की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अत: अर्द्धविकसित देशों में तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। अर्द्धविकसित देशों में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानव पूँजी की आवश्यकता इसलिए अधिक होती है क्योंकि वे व्यक्ति जटिल तरीके तथा उपकरण हैं। उदाहरणार्थ, उद्यमियों, व्यापार प्रबन्धकों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टर आदि की जरूरत पड़ती है। वस्तुत: अर्द्धविकसित देशों में तकनीकी शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए।
3. **अनिवार्य शिक्षा**—अर्द्धविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होती है इसलिए जहाँ तक सम्भव हो इन देशों में सभी व्यक्तियों के लिए स्कूल तक शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका व एशिया के अधिकांश देशों में प्राथमिक शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गयी है तथा प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क व अनिवार्य है। परन्तु माध्यमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है जो उपयुक्त नहीं है। अनुभव यह बताता है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोग ही वह क्रान्तिक कुशलता प्रदान करते हैं, जो विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के महत्त्व पर बल देते हुए प्रोफेसर लुईस माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अधिकारी तथा अनायुक्त अधिकारी मानता है।
4. **प्रौढ़ शिक्षा**—अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन में एक बहुत बड़ी रूकावट प्रौढ़ों का अशिक्षित होना है। इसलिए अशिक्षिता के कारण वे नयी योजनाओं का महत्त्व नहीं समझ पाते हैं फलत: उनके क्रियान्वयन में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे देशों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का सर्वथा अभाव है, अत: आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाये क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा कृषकों का दृष्टिकोण बदलने में सहायक है, उनकी निर्णयकारी कुशलता बढ़ाती है और यह आधुनिक कृषि प्रथाओं के सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक जानकारी कराती है। अधिक परिणामों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समस्त प्रोग्राम कृषि अनुसन्धान केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं से जोड़ देना चाहिए।
5. **प्रशिक्षण का विकास**—शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण भी मानव पूँजी के निर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति की योग्यता, कुशलता एवं निपुणता में ही वृद्धि नहीं होती बल्कि उनमें आत्मनिर्भरता, आदर और आत्मगौरव बढ़ाकर उन्हें जीवन के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। यही कारण है कि आजकल प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम पर किया गया व्यय एक निवेश समझा जाता है तथा लगभग सभी विकसित संस्थाओं में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जैसे अप्रेन्टिसशिप तथा रिफ्रेशर कोर्स, पुन: प्रशिक्षण, सेल्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैनेजमेन्ट प्रोग्राम, इत्यादि।
6. **स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार**—अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक विनियोग किया जाये क्योंकि मानव की सर्वांगीण उन्नति तथा विकास का आधार स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य जनता

TOUCH 'n' PASS

की कार्यक्षमता और शक्ति के मापदण्ड के साथ-ही-साथ इस बात का भी संकेतक है कि व्यक्ति कितने समय तक निर्माण कार्य में संलग्न राष्ट्रीय उन्नति में प्रवृत्त रह सकता है। रूग्ण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। "बीमारियाँ किसी समुदाय के हृष्ट-पुष्ट और शक्तिवान लोगों को मारकर और काम करने वालों की संख्या में न काम करने वालों को अधिक बढ़ाकर विनाश कर सकती हैं। दूसरे, यदि बीमारों के प्राण नहीं लेतीं, तो उन्हें आशक्त कर देती हैं और इस प्रकार श्रमिकों की संख्या ही में कमी नहीं, वरन् श्रम की शक्ति में भी कमी कर देती हैं।"

अर्द्धविकसित देशों में स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(i) जन स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं का विकास व विस्तार करना चाहिए।
(ii) चिकित्सा विज्ञान को उन्नत बनाने के साथ-ही-साथ चिकित्सा सुविधाओं का भी तीव्र विस्तार किया जाना चाहिए।
(iii) सरकार को कृत-संकल्प होकर निर्धनता का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि लोगों की आय तथा जीवन स्तर में सुधार हो सके।
(iv) देश में पौष्टिक खाद्यान्नों में तेजी से वृद्धि करके उनका समुचित वितरण किया जाना चाहिए।
(v) मादक व नुकसानदायक वस्तुओं के उपभोग व उत्पादन दोनों पर रोक लगायी जानी चाहिए।

प्र.5. आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों की भूमिका का विवेचन कीजिए।

Discuss the role of human resource or populatuion in economic development.

उत्तर

आर्थिक विकास में मानव संसाधन अथवा जनसंख्या की भूमिका
(Role of Human Resource or Population in Economic Development)

किसी देश के आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों तथा पूँजी की मात्रा की विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका है फिर भी ये आर्थिक विकास के निर्जीव साधन हैं। वास्तव में मानव ही वह शक्ति है जो इन संसाधनों को अपनी कार्यकुशलता है बौद्धिक क्षमता द्वारा वांक्षित दिशा में गतिशील कर इनका कुशलतम उपयोग करती है तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करती है कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं—

हार्बिन्सन एवं मायर्स के अनुसार, "आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण मनुष्यों के विकास एवं मानवीय क्रियाओं के संगठन पर निर्भर करता है। नि:सन्देह पूँजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, परन्तु इनमें से कोई इतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना मानव शक्ति है।"

"The building of modern nations depends upon the development of people and the organisation of human activity. Capital, natural resources, foreign aid the international trade, of course, play important role in economic growth but none is more important than manpower."

—Harbinson and Myres : Education, Manpower and Economic Growth

प्रो० हिपल (Whipple) के अनुसार, "एक राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति उसकी भूमि, जल, वनों, खानों, पशु-पक्षियों अथवा डॉलरों में निहित होती है, बल्कि उस राष्ट्र के समृद्ध तथा प्रसन्नचित पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में निहित है।"

प्रो० रिचर्ड टी० गिल (R.T. Gill) के अनुसार, "आर्थिक विकास एक यान्त्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक मानव उपक्रम है तथा अन्य समस्त मानवीय उपक्रमों की तरह है जिसका परिणाम उन व्यक्तियों की योग्यता, गुण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो इसे अपने हाथों में लेते हैं।"

इस तरह, मानव संसाधन आर्थिक विकास के अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज आर्थिक विकास के नये-नये संसाधनों की खोज, गगनचुम्बी इमारतों व विशालकाय फैक्ट्रियों का निर्माण, पर्वतों का वक्ष छेदन, सागर एवं अन्तरिक्ष विजय, वेगवती नदियों के जल को नियन्त्रित करने वाले बाँध, पृथ्वी के गर्भ से निकली गयी खनिज सम्पदा आदि सब मानवीय प्रयासों एवं संकल्प शक्ति की देन है।

स्पष्टतया, जनसंख्या आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि प्रारम्भ में आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालती है। इससे श्रमशक्ति में वृद्धि होती है जिससे प्राकृतिक संसाधन का उचित विदोहन होने लगता है। देश के कुल

TOUCH 'n PASS

उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है। जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है। इस मत को व्यक्त करने वालों में प्रमुख हैं—(प्रो० हेन्सन, आर्थर लुईस, कोलिन क्लार्क तथा ई० एफ० पेनरोज आदि) प्रो० हेन्सर के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है।" प्रो० हर्ष मेंन के अनुसार, "जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।"

किसी देश की समृद्धि में वहाँ की जनसंख्या सहायक होती है परन्तु इस तस्वीर का दूसरा रूख भी है। यदि जनसंख्या आर्थिक विकास का एक प्रभावी स्रोत है तो कुछ दशाओं में वह आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधा भी है। जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है तो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के आदर्श अनुपात से दूर हट जाती है जिससे देश में नयी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा पूर्व में छोटी-छोटी समस्या एवं वृहद् तथा जटिल हो जाती है इस तरह जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक तत्त्व के रूप में होने के सीने पर बाधक तत्त्व बन जाती है। रिचर्ड गिल के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय पर अन्तिम प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा तटस्थ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जिसके कारण देश में आश्रितों की संख्या बढ़ रही है तो इससे उत्पादक जनसंख्या की बजाय देश में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी और कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति उत्पादन पर, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि जनसंख्या की आयु संरचना अनुकूल है तो इसका आर्थिक विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। पुन: जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश में प्रौद्योगिक स्तर, विकास की अवस्था, पूँजी निर्माण की दर, जनशक्ति का स्वरूप, नवपरिवर्तन के लिए प्रेरणा और बाजार का स्वरूप क्या है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रबल बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है।

प्रो० सिंगर के अनुसार, "जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बचत की दर को कम करती है तथा विनियोजन की उत्पादकता को कम करती है।" प्रो० सिंगर यह मत व्यक्त करते हैं कि आर्थिक विकास तभी हो सकता है, जबकि उत्पादकता और जनसंख्या वृद्धि की दर जनसंख्या विकास की दर से अधिक हो। उन्होंने आर्थिक विकास की दर, बचतों की दर, विनियोग की उत्पादकता और जनसंख्या वृद्धि की दर के बीच के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए अग्र समीकरण को प्रस्तुत किया है—

$D = S.P.-r$

उपर्युक्त समीकरण में,

D = आर्थिक विकास की दर

S = शुद्ध बचतों की दर (अथवा बचत – आय अनुपात)

P = नये विनियोग की उत्पादकता

R = जनसंख्या वृद्धि की दर

इस तरह, आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि बचतें बढ़े विनियोग बढ़े उत्पादन बढ़े तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर घटे।

प्र.6. भारतीय कृषि में संकट की निरन्तरता, तकनीक एवं संस्थागत विकल्प की विवेचना कीजिए।
Discuss the continuance of crisis in Indian agriculture, technology and institutional options.

उत्तर

भारतीय कृषि में संकट की निरन्तरता
(Continuance of Crisis in Indian Agriculture)

श्री जीत मिश्र एवं **डी० नरसिम्हा रेड्डी** ने जोर दिया है कि कृषि को अपेक्षाकृत बड़े सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। जिसमें केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि उत्पादक भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं। आज दोनों ही संकट में हैं। भारतीय कृषि में वर्तमान संकट के दो आयाम हैं। कृषि सम्बन्धी तथा कृषक सम्बन्धी। पहला विकास सम्बन्धी संकट है जो कार्यक्रमों की घटिया डिजाइन तथा संसाधनों के अपर्याप्त आबंटन से उत्पन्न होने वाले इस क्षेत्र की उपेक्षा में निहित है तथा बाद वाला जीविका संकट है जो कृषि पर आधारित जनसंख्या के बहुत बड़े भाग के जीवित रहने के आधार को ही जोखिम में डाल देता है। एक ओर खेती की उपेक्षा है तो दूसरी ओर कृषक की उपेक्षा है। दोनों आयाम इस अर्थ में एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है कि अपेक्षाकृत बड़े संरचनात्मक सन्दर्भ

TOUCH 'n' PASS

की समस्या को उस समस्या से अलग नहीं किया जा सकता है जिसका सामना एक किसान को करना पड़ता है। चिन्ता का विषय है कि कृषि में यह संकट, जो लगभग दो दशकों से बना रहा, ऐसे समय पर हो रहा है जबकि सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि ऊँची हो रही है।

जोत के सीमान्तीकरण में वृद्धि हुई है। 2001 में कुल क्रियात्मक जोतों में से 3/5 भाग से अधिक 1 हेक्टेयर से कम भूमि की थीं तथा लगभग 1/5 भाग भूमियों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर के बीच था। किसानों की ऋण-ग्रस्तता के समान उनकी आत्महत्याएँ बड़े संकट के चिह्न हैं तथा उनमें बढ़ती हुई घटनाएँ दिखायी दे रही हैं तथा वे गैर-किसानों की अपेक्षा बहुत अधिक बनी हुई हैं। किसानों की चिन्ताओं एवं समस्याओं का हल करने में सहायता करने तथा उन्हें संगठित करने के लिए संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता है। इसके साथ ही संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों में बड़े किसानों से प्रारम्भ होने वाली हरितक्रान्ति तकनीक के भिन्न न्यून संसाधन वाले शुष्क एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लघु एवं सीमान्त किसानों पर संकेन्द्रित सामुदायिक प्रबन्धन द्वारा सतत् कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे समय में जबकि खेती से प्रतिफल कम होते जा रहे हैं, आगतों के लिए बाजार पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है। वर्षा पोषित/शुष्क भूमि क्षेत्रों में फसल/खेती से सम्बन्धित शोध एवं विस्तार सेवाओं की आश्चर्यजनक असफलता के परिणामस्वरूप अनियन्त्रित आगत विक्रेता पर विश्वास बढ़ता गया है जो पूर्तिकर्ता प्रेरित माँग का सृजन करता है।

ग्रामीण निर्धनता सबल रूप से कृषि की स्थिति से जुड़ी हुई है। आत्महत्या बड़े संकट का चिह्न है तथा इसकी अनुपस्थिति किसी भी प्रकार से संकट की अनुपस्थिति को सूचित नहीं करती है। किसानों की आत्महत्याओं की बढ़ती हुई घटना कृषकों के संकट के चिह्न हैं किन्तु यह कृषि सम्बन्धी संकट की भी अभिव्यक्ति है।

यह इस तथ्य को सूचित करता है कि आत्महत्या करने वाले प्रत्येक किसान के पीछे सैकड़ों-हजारों की संख्या में संकट में होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी रुग्णता या कृषक एवं कृषि सम्बन्धी संकट केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। जो अधिक हत्याएँ बता रहे हैं बल्कि यह बहुत अधिक क्षेत्र तक विस्तृत है।

तकनीक एवं संस्थागत विकल्प

वर्तमान कृषक संकट के लक्षणों में से एक खेती से न्यून प्रतिफल हैं। उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से हरित क्रान्ति जैसे तकनीकी हस्तक्षेप उत्पादन के रूप में भूमि के आकार के प्रति तटस्थ रहे हैं किन्तु संसाधनों के प्रति तटस्थ नहीं थे। जिससे सीमान्त एवं लघु किसानों के लिए यह एक महँगी आवश्यकता बन गयी थी। हाल के वर्षों में, अनिश्चितताओं के समाधान के उद्देश्य से अनेक वित्तीय साधन प्रारम्भ किये गये, किन्तु वे जोखिम को कम करने के बजाय प्राय: उसमें वृद्धि करने के रूप में समाप्त हो गये। समय की आवश्यकता लागतों में कमी करने की है। तकनीक उत्पाद केन्द्रित होने के बजाय ज्ञान केन्द्रित होती है। सीमान्त एवं लघु किसानों की बहुत बड़ी संख्या में प्रयोगों की सफलतापूर्वक पुनरावृत्ति के अन्य बातों के साथ संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. प्रो० शुल्ज ने मानवीय संसाधनों के विकास के कितने तरीकों का उल्लेख किया है?

(a) दो (b) तीन (c) चार (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (c) चार

प्र.2. "शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक सार्थक विनियोग माना जाएगा।" यह कथन है—

(a) जॉन कैनेथ गैलब्रेथ का (b) रिचर्ड टी० गिल का

(c) हार्बिन्सन का (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (b) रिचर्ड टी० गिल का

प्र.3. अर्द्धविकसित देशों में मानव पूँजी के निम्न स्तर होने का कारण है—

(a) रूढ़िवादिता (b) इच्छा शक्ति का अभाव

(c) क्षेत्रीय विषमताएँ (d) ये सभी

उत्तर (d) ये सभी

प्र.4. अर्द्धविकसित देशों में मानव संसाधन निर्माण के उपायों में सम्मिलित है—
(a) तकनीकी शिक्षा पर जोर (b) अनिवार्य शिक्षा
(c) स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.5. ''जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है।'' यह कथन है—
(a) हेन्सर का (b) जीत मिश्र का (c) रिचर्ड गिल का (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) हेन्सर का

प्र.6. HRM की रणनीतिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?
(a) प्रतिभा व्यवस्थापन (b) औद्योगिक और श्रम सम्बन्ध
(c) विविधता और समावेशन (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.7. निम्न में से कौन-से संसाधन को बनाये रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं?
(a) पूँजी (b) प्रौद्योगिकी (c) कर्मचारी (d) सम्पत्ति
उत्तर (c) कर्मचारी

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विकास की उप-प्रणाली नहीं है?
(a) संगठन विकास (b) पुरस्कार
(c) परामर्श (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (d) इनमें से कोई नहीं

प्र.9. प्रारम्भिक काल में विकास को मापने के लिए मानदण्ड का उपयोग किया गया था?
(a) औद्योगिक विकास (b) कृषि विकास (c) आर्थिक विकास (d) जनसंख्या वृद्धि
उत्तर (c) आर्थिक विकास

प्र.10. भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत ..... के दशक में हुई थी।
(a) सन् 1940 (b) सन् 1990 (c) सन् 1950 (d) सन् 1960
उत्तर (d) सन् 1960

प्र.11. लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है—
(a) परिवार (b) स्वतन्त्रता (c) आय (d) सुरक्षा
उत्तर (c) आय

प्र.12. हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं?
(a) किसी व्यक्ति की कुल आय
(b) किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके
(c) सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य
(d) देश का कुल निर्यात
उत्तर (b) किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके

प्र.13. हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं—
(a) शक्ति (b) लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रक्रिया
(c) हिंसक प्रदर्शन (d) आतंकवाद
उत्तर (b) लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रक्रिया

प्र.14. देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार क्या है?
(a) संसाधन (b) जनसंख्या
(c) औसत आय (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (c) औसत आय

TOUCH 'n' PASS

प्र.15. किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
(a) प्रति व्यक्ति आय (b) औसत साक्षरता दर (c) लोगों का स्वास्थ्य स्तर (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) प्रति व्यक्ति आय

प्र.16. यू०एन०डी०पी० के अनुसार किसी देश के विकास को आँकने का आधार निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(a) प्रति व्यक्ति आय (b) लोगों की शिक्षा का स्तर
(c) लोगों का स्वास्थ्य स्तर (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.17. मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है?
(a) यू०एन०डी०पी० (b) एम०एन०डी०पी० (c) यू०एन०डी०सी० (d) यू०एम०डी०पी०
उत्तर (a) यू०एन०डी०पी०

प्र.18. निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है?
(a) अधिक दिनों का काम पाना (b) बेहतर मजदूरी पाना
(c) अधिक बिजली प्राप्त करना (d) ये सभी
उत्तर (c) अधिक बिजली प्राप्त करना

प्र.19. भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है?
(a) 43% (b) 49% (c) 54% (d) 65%
उत्तर (c) 54%

प्र.20. भारत में अधिकतर बेरोजगारी है—
(a) तकनीकी (b) चक्रीय (c) घर्षणात्मक (d) संरचनात्मक
उत्तर (d) संरचनात्मक

प्र.21. भारत में बेरोजगारी के आँकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है—
(a) नीति आयोग (b) वित्त आयोग (c) एन०एस०एस०ओ० (d) यू०एन०ओ०
उत्तर (c) एन०एस०एस०ओ०

प्र.22. भारत में बेरोजगारी की किस्म पायी जाती है—
(a) ग्रामीण अल्प रोजगार (b) चक्रीय बेरोजगारी (c) संरचनात्मक बेरोजगारी (d) इनमें से सभी
उत्तर (d) इनमें से सभी

प्र.23. कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है?
(a) संरचनात्मक बेरोजगारी (b) खुली बेरोजगारी
(c) अदृश्य बेरोजगारी (d) घर्षणात्मक बेरोजगारी
उत्तर (c) अदृश्य बेरोजगारी

प्र.24. 'संरचनात्मक बेरोजगारी' का कारण है—
(a) अवस्फीति की अवस्था (b) भारी उद्योग की अभिनति
(c) कच्चे माल की कमी (d) अपर्याप्त उत्पादन क्षमता
उत्तर (d) अपर्याप्त उत्पादन क्षमता

प्र.25. शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखायी देती है?
(a) शिक्षित बेरोजगारी (b) मौसमी बेरोजगारी (c) प्रच्छन्न बेरोजगारी (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (a) शिक्षित बेरोजगारी

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

पारिस्थितिकी और विकास
Ecology and Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विस्थापन के तीन कारक लिखिए।
Write three causes of Displacement.

उत्तर विस्थापन के तीन कारण निम्नलिखित हैं—

1. हथियारबंद युद्ध और नागरिक विद्रोह
2. वन्यजीव प्रबन्धन और संरक्षण
3. पारम्परिक समुदायों के संघर्ष

प्र.2. विकास को परिभाषित कीजिए।
Define Development.

उत्तर 1. **ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी** (Oxford English Dictionary) के अनुसार—"विकास का अर्थ एक क्रमिक उन्मूलन, किसी वस्तु की अधिकतम जानकारी तथा उन गुणों को स्पष्ट रूप से खोलकर विकसित करना है जो किसी वस्तु या प्राणी के बीज में निहित हैं।"

2. **हॉबहाउस** (Hobhouse) के अनुसार—"विकास का अभिप्राय नए प्रकार्यों के उदय होने के परिणामस्वरूप सामान्य कार्यक्षमता में वृद्धि अथवा पुराने प्रकार्यों की एक-दूसरे के साथ समायोजन के कारण सामान्य उपलब्धि में वृद्धि है।"

प्र.3. सतत विकास के चार लक्ष्य बताइए।
Explain the four aim of Sustainable Development.

उत्तर सतत विकास के चार लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

1. समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना।
2. लिंग सम्बन्धी समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण।
3. सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
4. सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्र.4. सतत विकास के दो मापदण्ड लिखिए।
Write two criteria of Sustainable Development.

उत्तर सतत विकास के दो मापदण्ड निम्नलिखित हैं—

1. पर्यावरण स्थिरता,
2. आर्थिक स्थिरता।

प्र.5. सतत विकास क्या है?
What is Sustainable Development?

उत्तर सतत विकास मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित सिद्धान्त है, यह प्राकृतिक प्रणालियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थिति की तन्त्र सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता को बनाए रखने पर जोर देता है। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता, और सामाजिक समानता के बीच सम्बन्धों की खोज करती है। सतत विकास या साधारणीय विकास का अभिप्राय है ऐसे विकास से है जो पर्यावरण के निम्नीकरण के बिना संतोषजनक विकास करना हो दूसरे

TOUCH 'n' PASS

शब्दों में सतत विकास वह प्रक्रिया है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएँ पूरी करे। सतत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है।

प्र.6. सततशीलता की परिभाषा लिखिए।
Write the definition of Sustainibility.

उत्तर 'सततशीलता' की परिभाषा यह है कि कैसे प्राकृतिक प्रणाली कार्य करती है, विविध रहती है और संतुलन में रहने के लिए पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक सभी चीजों का उत्पादन करती है।

प्र.7. राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के तीन उद्देश्य बताइए।
Write the aims of National Rehabilitation and Resettlement Policy.

उत्तर राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के तीन उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने तथा सतत् रूप से आय मुहैया कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना;
2. पुनर्वास कार्यों को विकास आयोजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना; और
3. जहाँ पर विस्थापन भूमि अर्जन के कारण होता है, वहाँ पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।

प्र.8. सतत विकास की दो सीमाएँ बताइए।
Write any two limits of Sustainable Developmenit.

उत्तर सतत विकास की दो सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

1. गहन अनुसंधान और नियोजन की आवश्यकता है।
2. बाजारों में बुनियादी ढाँचें के विकास की आवश्यकता हो सकती है।

प्र.9. सतत विकास के दो लाभ लिखिए।
Write two benefite of Sustainable Development.

उत्तर सतत विकास के दो लाभ निम्नलिखित हैं—

1. आर्थिक लाभों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हुए प्रणाली की कार्य क्षमता और विविधता को संरक्षित करता है।
2. गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनडब्ल्यूएफपी) सहित वन उत्पादों के विविधीकरण को बढ़ावा देता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विस्थापन की समस्या को हल करने के उपाय बताइए।
Explain the suggestions to remove displacement problem.

उत्तर

विस्थापन की समस्याओं को हल करने के उपाय
(Suggestions to Remove Displacement Problems)

विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए निम्नांकित सुझाव (उपाय) अपनाए जा सकते हैं—

1. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विशेषज्ञों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए।
2. निर्धनता एवं बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, किन्तु भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद आदि के कारण ये योजनाएँ पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हैं। अत: उन्हें रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे।
3. राजनीतिक क्रान्तियों के पीछे आर्थिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी होते हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए। रूस में हुई 1917 में साम्यवादी क्रान्ति ने जार के शासन को बदलकर वहाँ साम्यवाद स्थापित कर दिया। यद्यपि साम्यवाद भी वहाँ 70 वर्षों से अधिक नहीं चला तथा रूस के अनेक प्रान्त रूसी गणराज्य के शासन से पृथक् हो गए।

TOUCH 'n' PASS

4. आतंकवाद आज सारे विश्व की समस्या बन गया है। 11 सितम्बर, 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर पर वायुयान से आक्रमण कर बहुमंजिली इमारतों को धराशायी कर दिया जिसमें अनेक लोग मारे गए। अत: विश्व के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद से निपटना होगा।
5. औद्योगिकरण ने भी नगरों में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है; जैसे—गन्दी-बस्तियाँ, पानी और बिजली की सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की समस्या तथा प्रदूषण की समस्या आदि है। अत: सरकार एवं लोगों को इन समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। वरना हमारी संस्कृति और सभ्यता को जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, खतरा हो सकता है।
6. युद्धों को रोकने के लिए भी उनके मूल कारणों को ढूँढ़ना होगा।
7. सरकार को चाहिए कि उच्च जातियों द्वारा एवं प्रभु जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों को पुलिस एवं प्रशासन की मदद से रोके। यद्यपि आज अनुसूचित जातियों, जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार ने उन्हें अनेक सुविधाएँ मुहैया कराई हैं। फिर भी आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी सरकारी उपाय ऊँट के मुँह में जीरा साबित हुए हैं। अत: इसके लिए सरकार को समुचित कदम उठाने होंगे।

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर हम विस्थापन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं।

प्र.2. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?
What is Green House Effect?

उत्तर

ग्रीन हाउस इफेक्ट
(Green House Effect?)

1. पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं।
2. ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी की चारों दिशाओं में पहुँचाती है।
3. जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठण्डी होती। मतलब साफ है कि अगर ग्रीनहाउस गैसें नहीं होतीं तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता।
4. वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैसे वातावरण में छोड़ रहे हैं (जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं), उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है।
   ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही हैं। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है।

प्र.3. ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय बताइए।
Write ways to prevent Global Warming.

उत्तर

ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय
(Ways to Prevent Global Warming)

1. वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से सी०एफ०सी० गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे सी०एफ०सी० गैसें कम निकलती हों।
2. औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे।
3. वाहनों में से निकलने वाले धुएँ का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा।

TOUCH 'n' PASS

4. अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा यानि अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियन्त्रण पाया जा सकता है तथा साथ ही जंगलों में आग लगने पर रोक लगानी होगी।

प्र.4. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
Mention the Effects of Climate Change.

उत्तर

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
(Effects of Climate Change)

जलवायु परिवर्तन से मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का सकल तापमान 03 से 06 डिग्री तक बढ़ गया है। ये तापमान में वृद्धि के आँकड़े हमें मामूली लग सकते हैं लेकिन ये आगे चलकर महाविनाश को आकार देंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है—

1. **खेती**—बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की माँग में भी वृद्धि हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनता है। जलवायु में परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ेगा क्योंकि तापमान, वर्षा आदि में बदलाव आने से मिट्टी की क्षमता, कीटाणु और फैलने वाली बीमारियाँ अपने सामान्य तरीके से अलग प्रसारित होंगी। यह भी कहा जा रहा है कि भारत में दलहन का उत्पादन कम हो रहा है। अति जलवायु परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि के परिमाणस्वरूप आने वाले बाढ़ आदि से खेती का नुकसान बढ़ेगा।
2. **मौसम**—गर्म मौसम होने से वर्षा का चक्र प्रभावित होता है, इससे बाढ़ या सूखे का खतरा भी हो सकता है, ध्रुवीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि की भी आशंका हो सकती है। पिछले वर्ष के तूफानों व बवंडरों ने अप्रत्यक्ष रूप से इसके संकेत दे दिए हैं।
3. **समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि**—जलवायु परिवर्तन का एक और प्रमुख कारक है समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि। समुद्र के गर्म होने, ग्लेशियरों के पिघलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली आधी सदी के भीतर समुद्र के जल-स्तर में लगभग आधे मीटर की वृद्धि होगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने के अनेकानेक दुष्परिणाम सामने आएँगे जैसे तटीय क्षेत्रों की बर्बादी, जमीन का पानी में जाना, बाढ़, मिट्टी का अपरदन, खारे पानी के दुष्परिणाम आदि। इससे तटीय जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा, खेती, पेय जल, मत्स्य पालन व मानव बसाव तहस नहस हो जाएगी।
4. **स्वास्थ्य**—वैश्विक ताप का मानवीय स्वास्थ्य पर भी सीधा असर होगा, इससे गर्मी से सम्बन्धित बीमारियाँ, निर्जलीकरण, संक्रामक बीमारियों का प्रसार, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होगा।
5. **जंगल और वन्य जीवन**—प्राणी व पशु, ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले हैं व ये जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। यदि जलवायु में परिवर्तन का ये दौर इसी प्रकार से चलता रहा, तो कई जानवर व पौधे समाप्ति की कगार पर पहुँच जाएँगे।

प्र.5. सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
Mention the main characteristis of Social Development.

उत्तर

सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ
(Main Characteristics of Social Development)

सामाजिक विकास प्राकृतिक तत्त्वों पर अथवा जैवकीय तत्त्वों पर आधारित सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया है जिसमें बाह्य तत्त्वों का प्रभाव अधिक पड़ता है। सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **मानवीय ज्ञान में वृद्धि**—बच्चा माता के गर्भ से बाहर आकर ही सब कुछ सीखता है। उसकी आवश्यकताएँ उसको विभिन्न प्रकार की खोज करने पर विवश कर देती हैं। इन खोजों के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। जब समाज में अधिकतम व्यक्तियों के ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तो समाज का विकास हो जाता है।
2. **प्राकृतिक शक्तियों पर मानवीय नियन्त्रण**—मनुष्य जन्म से प्रकृति का दास है। जब तक वह प्रकृति की दासता में जकड़ा रहेगा तब तक वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहेगा जिसको हम सभ्यता की अवस्था नहीं कह सकते हैं।

TOUCH 'n PASS

किन्तु जब वह प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण विभिन्न आविष्कारों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता है तो वह विकास की ओर जाता है।

3. **बाह्य तत्त्वों की प्रधानता**—विकास की प्रक्रिया में बाह्य तत्त्व मुख्य रूप से सहयोगी होते हैं। भौगोलिक पर्यावरण, प्रौद्योगिक सुविधाएँ, खनिज पदार्थ आदि की प्रचुरता हमको सामाजिक सम्बन्धों तथा सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती हैं। इसी से हम अपने को पहले से कहीं आगे पाते हैं। इसी को विकास कहा जा सकता है।
4. **समग्र मानवीय शक्तियों का विकास**—कुछ लोगों के मतानुसार आर्थिक क्षेत्र में ही उन्नति करने को सामाजिक विकास माना गया है, किन्तु सामाजिक विकास की यह धारणा अत्यन्त संकुचित है। वास्तव में, सामाजिक विकास उसी समय माना जाता है जबकि मानव जीवन के सभी पक्षों, कलात्मक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विकास हो। केवल आर्थिक पक्ष ही सामाजिक जीवन की उन्नति का आधार नहीं है।
5. **सार्वभौमिकता का अभाव**—सामाजिक विकास की प्रक्रिया पर बाह्य तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है। इनमें भौगोलिक परिस्थितियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सभी स्थानों की भौगोलिक दशाएँ समान नहीं होती हैं। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि विकास की गति सभी स्थानों पर समान हो। भारत में औद्योगिक विकास पश्चिमी जगत की अपेक्षा कम हुआ है। भारत के ही विभिन्न भागों एवं प्रदेशों में विकास की गति समान नहीं है।
6. **विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित**—किस समाज का विकास कितना होगा इसका अनुभव वैज्ञानिक आविष्कारों अथवा प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। आविष्कारों का विकास जिस तीव्र गति से होगा उसी गति से समाज का विकास भी होना सम्भव होगा। यद्यपि सांस्कृतिक विलम्बना के सिद्धान्त के अनुसार विकास को आंशिक सफलता मिलने की शंका हर समय बनी रहती है।
7. **श्रम-विभाजन में वृद्धि**—विकास की एक अन्य विशेषता श्रम विभाजन में वृद्धि है। जिस समाज में जितना अधिक श्रम-विभाजन होगा उसे उतना ही अधिक विकसित कहा जाता है। यही कारण है कि आज पश्चिमी विकसित समाजों में अत्यधिक श्रम-विभाजन पाया जाता है।
8. **संस्थाओं एवं समितियों की संख्या में वृद्धि**—विकास के साथ-साथ समाज में विभिन्न क्षेत्रों में संस्थाओं तथा समितियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही। इनकी संख्या भी सूचक के रूप में प्रयोग की जा सकती है। पश्चिमी विकसित देशों में संस्थाओं व समितियों की संख्या विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक है।
9. **संचार के साधनों में वृद्धि**—विकास की एक प्रमुख विशेषता संचार के साधनों में वृद्धि है। समाज जितना अधिक विकसित होगा उसमें उतना ही अधिक संचार का विकास होगा। बिना संचार साधनों के विकास के किसी भी समाज का सामाजिक विकास सम्भव नहीं है।

प्र.6. संसाधनों की क्षीणता से सम्बन्धित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन-कौन से हैं?
Which are the main environmental issues related to depletion of resources?

उत्तर संसाधनों की क्षीणता से सम्बन्धित पर्यावरण के अनेक प्रमुख मुद्दे हैं। इससे न केवल वन्य जीवों की अनेक किस्में खत्म हो चुकी हैं तथा अनेक अन्य खत्म होने के कगार पर हैं, अपितु आने वाले वर्ष मानव के लिए भी संघर्षमय हो सकते हैं। जैव ऊर्जा (मुख्यतः पेट्रोलियम) की कमी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इसका कोई विकल्प शीघ्र सामने नहीं आया तो पेट्रोलियम पदार्थ इतने महँगे हो जाएँगे कि सामान्य जनता की पहुँच उन तक नहीं हो पाएगी। पानी तथा भूमि में क्षीणता तेजी से बढ़ रही है। भू-जल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरे भारत में है पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। कुछ ही दशकों में कृषि, उद्योग तथा नगरीय केन्द्रों की बढ़ती माँगों के कारण पानी खत्म होने के कगार पर है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को भी क्षति पहुँची है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। भू-जल की भाँति हजारों सालों से मृदा की ऊपरी परत का होने वाला निर्माण भी पर्यावरण के कुप्रबन्धन (भू-कटाव, पानी का जमाव, पानी का खारा होना आदि) के कारण नष्ट होता जा रहा है। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जंगल, घास के मैदान तथा आर्द्रभूमि आदि अन्य मुख्य संसाधन भी समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। यदि वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरण के सन्तुलन के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता मानव के सामने सबसे गम्भीर चुनौती होगी।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्त्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है?
How is environmental system an important and complex work for the society?

उत्तर पर्यावरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती है परन्तु पर्यावरण प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। औद्योगीकरण के कारण संसाधनों के बड़े पैमाने पर दोहन ने पर्यावरण के साथ मनुष्य के सम्बन्ध और जटिल बना दिए हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि आज हम जोखिम भरे समाज में रह रहे हैं जहाँ ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विपदा (जैसे चेरनोबिल काण्ड, भोपाल गैस काण्ड, यूरोप में फैली 'मैड काऊ' बीमारी आदि) औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरों को दिखाते हैं। संसाधनों में निरन्तर होने वाली कमी, प्रदूषण, वैश्विक तापमान वृद्धि, जैनेटिकली मोडिफाइड आर्गेनिज्म, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण विनाश आदि पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं एवं जोखिमों ने पर्यावरण व्यवस्था को समाज के लिए न केवल महत्त्वपूर्ण बना दिया है, अपितु इसे ऐसी जटिल व्यवस्था बना दिया है कि इसका प्रबन्धन अधिकांश समाज उचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

प्र.8. सामाजिक विकास की दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
Write two main characteristics of Social Development

उत्तर सामाजिक विकास की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **मानवीय ज्ञान में वृद्धि**—बच्चा माता के गर्भ से बाहर आकर ही सब कुछ सीखता है। उसकी आवश्यकताएँ उसको विभिन्न प्रकार की खोज करने पर विवश कर देती हैं। इन खोजों के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। जब समाज में अधिकतम व्यक्तियों के ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तो समाज का विकास हो जाता है।
2. **प्राकृतिक शक्तियों पर मानवीय नियन्त्रण**—मनुष्य जन्म से प्रकृति का दास है। जब तक वह प्रकृति की दासता में जकड़ा रहेगा तब तक वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहेगा जिसको हम सभ्यता की अवस्था नहीं कह सकते हैं। किन्तु जब वह प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण विभिन्न आविष्कारों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता है तो वह विकास की ओर जाता है।

प्र.9. सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Social Development?
***अथवा* सामाजिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए।**
Make clear the meaning of Social Development.

उत्तर व्यक्ति, जब जन्म लेता है, तब उसमें मूलप्रवृत्तियाँ होती हैं। उनका विकास करने के लिए व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग देता है और अपना प्रभाव दूसरों पर डालता है तथा दूसरों से स्वयं भी प्रभावित होता है। इस प्रकार के पारस्परिक प्रभाव के परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना होती है। इन्हीं सम्बन्धों की वृद्धि से सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के सम्बन्ध में **टी०बी० बॉटोमोर** ने कहा है कि "सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें समाज के व्यक्तियों में ज्ञान की वृद्धि हो और व्यक्ति प्रौद्योगिकीय आविष्कारों के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर ले। साथ-ही-साथ वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए।" आधुनिक युग में विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है। इसके सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम (जैसे—जनसंख्या का स्वास्थ्य, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा इत्यादि) भी प्रमुख माने जाने लगे हैं।

प्र.10. किसी भी देश को औद्योगिक विकास की सामाजिक कीमत क्यों चुकानी पड़ती है?
Why has any country to pay a social price for industrial development?

उत्तर किसी भी देश को औद्योगिक विकास की भारी कीमत देनी पड़ती है। विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए अनेक ऐसे निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो स्थानीय लोगों के हित में नहीं होते हैं। आर्थिक विकास पर किए गए अधिकांश अध्ययन दर्शाते हैं कि इससे विस्थापन की समस्या ही जन्म नहीं लेती है, अपितु पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याओं में भी वृद्धि होने लगती है। इसी को औद्योगिक विकास की सामाजिक कीमत कहा जाता है। यह वह कीमत है जिसे प्रत्येक देश औद्योगिक विकास के बदले में न्यूनाधिक मात्रा में चुकाता है।

विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार विकास योजना के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित होते हैं जिसके फलस्वरूप विस्थापितों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा अनेक बार तो वे निर्धनता की

TOUCH 'n PASS

स्थिति की ओर धकेल दिए जाते हैं। विकास-प्रवृत्त विस्थापन ने राजनीतिक शरणार्थियों को भी संख्या की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया है तथा इस प्रकार यह एक विश्वस्तरीय मानवाधिकार एवं विकास की समस्या बन गया है।

प्र.11. भारत में विकास-प्रवृत्त विस्थापन के बारे में आप क्या जानते हैं?

What do you know about Development-oriented Displacement in India?

उत्तर विकास-प्रवृत्त विस्थापन वाले देशों में भारत सबसे ऊपर है। पिछले पचास से अधिक वर्षों में 3,300 बड़े बाँध बनाए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि इन बाँधों के परिणामस्वरूप लगभग 21 से 33 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। यद्यपि अधिकारिक रूप से विस्थापितों की संख्या उपलब्ध नहीं है तो भी सरकारी तौर पर 1993 ई० में यह घोषणा की गई कि भारत में लगभग 15.5 मिलियन विस्थापित हैं जिनमें से 11.5 मिलियन विस्थापितों का पुनर्वास किया जाना अभी बाकी है। इन विस्थापितों में नहरों अथवा कालोनियों या अधिसंरचना के निर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित सम्मिलित नहीं हैं। टिहरी बाँध तथा नर्मदा बाँध भारत में इस दृष्टि से बहुचर्चीय रहे हैं। टिहरी बाँध से तो बाँध के नीचे रहने वाले लाखों लोगों को खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़-पौधों एवं वन सम्पदा को भी खतरा पैदा हो गया है।

प्र.12. भारत में विकास-प्रवृत्त विस्थापन ने जनजातीय एवं दलित लोगों को किस प्रकार से प्रभावित किया है?

How has Development-oriented displacement affected the tribals and dalits in India?

उत्तर भारत में विकास-प्रवृत्त विस्थापन ने जनजातीय एवं दलित लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इनकी स्थिति सभी विस्थापितों में और भी दयनीय है तथा 40-50 प्रतिशत विस्थापित लोग जनजातीय समुदायों के ही हैं। यद्यपि अनेक बार इन समुदायों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया है, तथापि इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। अनेक संवैधानिक सुरक्षाओं के बावजूद पिछले कुछ दशकों में विस्थापन के परिणामस्वरूप अनेक जनजातीय समुदायों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। विस्थापन तथा जनजातियों का भूमि से बेदखल होना समानार्थक शब्द बन गए हैं।

स्वतन्त्र भारत में आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ है। राष्ट्रीय विकास के नाम से हजारों बाँधों के निर्माण ने इस समस्या को अत्यन्त गम्भीर बना दिया है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 250 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को बिजली एवं भोजन उपलब्ध नहीं है तथा लगातार सूखा पड़ने से स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा अनेक अन्य राज्यों में विस्थापितों की दयनीय स्थिति की ओर अनेक गैर-सरकारी संगठन सरकार का ध्यान आकर्षित करने की ओर लगे हुए हैं।

प्र.13. सामाजिक विकास के प्रमुख परिणाम बताइए।

Write two main consequences of Social Development.

उत्तर सामाजिक विकास की प्रक्रिया समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार हैं—

1. सामाजिक विकास के कारण प्राचीन सामाजिक मूल्यों में काफी परिवर्तन होने लगता है तथा इनका स्थान नवीन मूल्य लेने लगते हैं।
2. समाज में आर्थिक क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके परिणामस्वरूप भारत में जाति प्रथा के बन्धन टूट रहें हैं।
3. समाज का शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उससे स्त्रियों का स्थान समाज में ऊँचा हो गया है।
4. समाज में भौतिकवाद तथा पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ गया है। समाज के भौतिक विकास ने व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनाया है और समाज में औपचारिकता आई है।

प्र.14. सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले दो कारकों को स्पष्ट कीजिए।

Make clear the two factors that aid in the process of Social Development.

उत्तर सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सहयोग देने वाले दो प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं—

1. **आर्थिक विकास के साधनों की प्रचुरता**—समाज के विकास में आर्थिक परिस्थितियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यदि समाज में सभी लोगों को अवसरों की समानता दी जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करेगा और सामाजिक जीवन के स्तर को ऊँचा रखने के लिए सफल प्रयास करेगा, किन्तु उसका यह प्रयास उसी समय सम्भव है जबकि आर्थिक विकास की पूरी-पूरी सुविधाएँ व्यक्तियों को प्रदान की जाए। इस प्रकार की सुविधाएँ वही समाज प्रदान कर सकता है जो खनिज पदार्थ, लोहा, कोयला, ताँबा आदि आर्थिक साधनों से परिपूर्ण हो।

TOUCH 'n' PASS

2. **जनता का उच्च नैतिक स्तर**—जनता को नैतिक सिद्धान्तों का पालन स्वेच्छा से करना चाहिए। मानव का कल्याण दैविक गुणों का विकास करने में है। परोपकार, त्याग, सहिष्णुता, सहनशीलता, प्रेम आदि गुणों का विकास समाज के विकास का द्योतक है। जब जनता में नैतिक गुणों का विकास होगा या जनता में अधिकांश व्यक्ति नैतिक सिद्धान्तों का पालन करेंगे तो समाज में संघर्ष की भावना को घृणा से देखा जाएगा और शान्तिपूर्ण वातावरण में समाज का चहुँमुखी विकास होगा।

प्र.15. सामाजिक विकास के दो आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए।
Discuss two economic factors of Social Development

उत्तर सामाजिक विकास का अर्थ समाज में संगठनों की वृद्धि से भी लिया जाता है। विकास चाहे किसी भी दिशा में हो, वह आर्थिक कारकों से अत्यधिक प्रभावित होता है। सामाजिक विकास के दो प्रमुख आर्थिक कारक निम्नांकित हैं—

1. **यातायात के साधनों का विकास**—आर्थिक कारकों में यातायात के साधनों का प्रमुख स्थान है। यातायात के साधनों का विस्तार व विकास हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था हुई है। एक देश के लोग दूसरे देशों में अपने सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस प्रकार, सामाजिक सम्बन्धों का क्षेत्र व्यापक होता है और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
2. **वैज्ञानिक आविष्कार**—आर्थिक कारकों में वैज्ञानिक आविष्कारों का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। इन आविष्कारों के कारण समाज में उद्योग-धन्धों का विकास हुआ है। इन उद्योग-धन्धों के विकास से सामाजिक विकास की प्रक्रिया तीव्र होती हैं वास्तव में, सामाजिक विकास का प्रमुख आधार वैज्ञानिक आविष्कार ही हैं।

प्र.16. विस्थापन के प्रकार बताइए।
State the types of displacement.

उत्तर

विस्थापन के प्रकार
(Types of Displacement)

विस्थापन को मुख्यत: तीन श्रेणियों में बाँटकर देखा जा सकता है—

1. **स्वैच्छिक विस्थापन** (Voluntary Displacement)—यह ऐसी परिस्थिति है, जब कोई आबादी स्वयं अपने विस्थापन के लिए प्रयास करती है। उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है।
2. **बलात या मजबूरन विस्थापन** (Forced Displacement)—इस प्रक्रिया में किसी परिवार या समुदाय को उनकी इच्छा के विपरीत और विरोध के बावजूद विस्थापित कर दिया जाता है।
3. **प्रेरित विस्थापन** (Induced Displacement)—जब विकास एजेंसियों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों (जब मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण में आजीविका के लिहाज से रह पाना मुश्किल हो जाता है) के कारण प्रभावित समुदाय और आबादी विस्थापन की माँग करते हैं। इन परिस्थितियों के कारण सम्बन्धित लोगों के विकास एजेंसियों के उत्पीड़न, दबाव का सामना करना पड़ता है। उनकी आजीविका पर तमाम प्रतिबंध लग जाते हैं, बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं मिल पातीं और विकास परियोजनाओं के चलते संरक्षित किए गए क्षेत्र से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। हालाँकि, प्रेरित विस्थापन को हालिया दौर में कई बार गलती से स्वैच्छिक मान लिया जाता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विस्थापन क्या है? विस्थापन के कारणों का उल्लेख कीजिए।
What is displacement? Mention the causes of displacement.

उत्तर

विस्थापन
(Displacement)

विस्थापन (displacement) का अर्थ है अपने स्थान से हटाना अर्थात् जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब बड़े-बड़े बाँध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, टिहरी बाँध, सरदार सरोवर व बीसलपुर आदि तो उसमें डूब क्षेत्र में आने वाले गाँव को अन्यत्र बसाया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे—प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण आतंकवाद, नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे।

1. **प्राकृतिक कारण**—प्राकृतिक आपदाएँ भूकम्प, भू-चाल, महामारी, बाढ़ आदि के कारण लोग गाँवों से नगरों की ओर अथवा नगरों से गाँवों की ओर विस्थापन करते हैं। भूकम्प के कारण गुजरात में हजारों लोगों के घर उजड़ गए और उन्हें अन्यत्र विस्थापन करना पड़ा। कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए; कुछ वर्षों पूर्व सूरत में आए प्लेग के कारण कई लोग अन्यत्र विस्थापित हो गए। इसी प्रकार से भारत में आए दिन बिहार, उड़ीसा, असम आदि क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। इससे अनेक गाँव और घर उजड़ जाते हैं और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थानों में भेजा जाता है। इस प्रकार से समुद्री तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तूफान से बचाने के लिए अन्यत्र रहने के लिए जाना पड़ता है।
2. **आर्थिक कारण**—निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गाँव में रोजगार उपलब्ध न होने पर लोग गाँव छोड़कर नगरों की ओर गमन करते हैं। क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्रोत होते हैं, अत: उनका वहाँ गुजारा सम्भव हो जाता है।
3. **राजनीतिक कारण**—कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। राजनीतिक क्रान्ति, उथल-पुथल, सरकारों का परिवर्तित होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं।
4. आतंकवाद के कारण भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पण्डितों एवं हिन्दुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आस-पास रहने चले गए। इसी प्रकार से तालिबान उग्रवादियों के कारण कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर आस-पास के प्रान्तों में रहने के लिए चले गए।
5. **नगरीकरण एवं औद्योगीकरण**—गाँव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक-दमक, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षा की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार की वैज्ञानिक नई-नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन कर जाते हैं।

   नगरों के औद्योगीकरण के कारण भी लोग औद्योगिक केन्द्रों की ओर रोजी-रोटी की तलाश में चले जाते हैं। आज अनेक ऐसे नगर हैं जो औद्योगीकरण के कारण ही बस पाए हैं। उदाहरण के लिए, भिलाई में टाटा आइरन एवं स्टीक के कारखानों के कारण ये स्थान बड़े नगर बन गए हैं। सिन्दरी में खाद का कारखाना होने के कारण उसमें काम करने के लिए अनेक लोग निवास करने चले गए हैं। इसी प्रकार से प० बंगाल में रानीगंज एवं झारखण्ड में झारिया की कोयले एवं लोहे की खानों के कारण कई आदिवासी, जैसे—हो, संथाल एवं अन्य जनजातियों के लोग जंगलों में अपने मूल निवास को छोड़ इन स्थानों पर चले गए हैं। इस प्रकार का विस्थापन दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर आदि औद्योगिक केन्द्रों में भी हुआ है।
6. **युद्ध**—युद्ध के कारण भी प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धों में अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए, जैसे—जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पड़ा।
7. **सामाजिक कारण**—अनेक बार गाँवों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण के कारण वे गाँव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए चले जाते हैं। डॉ० एम०एन० श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के कारण भी लोगों के स्थान परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से गाँवों में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गाँवों से नगरों में विस्थापित हो जाते हैं।

संक्षेप में जो कारण विस्थापन के लिए उत्तरदायी हैं, उनमें प्रमुख निम्न हैं—

बाँधों का निर्माण, खनिज उपलब्धि क्षेत्रों का अधिग्रहण, खनन, उद्योग, नहरें, राष्ट्रीय उद्यान, औद्योगिक केन्द्रों का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विस्तार, संचार एवं यातायात के साधनों का फैलाव, सड़क निर्माण तथा आवासीय योजनाएँ आदि आदि। जहाँ-जहाँ भूमि अधिग्रहण सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है, वहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत विस्थापितों को नगद भुगतान के रूप में मुआवजा मात्र दिया जाता है, यद्यपि इससे विस्थापितों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. विकास से सम्बन्धित विस्थापन के कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on some examples of Displacement related to development.

उत्तर

विकास से सम्बन्धित विस्थापन : कुछ उदाहरण
(Displacement Related to Development : Some Examples)

भारत में पिछले 60 वर्षों में विकास की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह एक अलग प्रश्न है कि देश का कितना विकास हुआ, किसको कितना लाभ मिला, किसकी कितनी हानि हुई और क्या विकास का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुँच पाया। विकास की दृष्टि से देश में अनेक नदी-बाँध योजनाएँ चलाई गईं, देश में अनेक विशालकाय बाँध भी निर्मित किए गए और इनकी सहायता से विद्युत उत्पादन भी किया गया, लेकिन हमें यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि विशालकाय बाँध बनाने से पर्यावरण पर भी कहीं-कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा है और हजारों, लाखों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। उन्हें अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाकर बसने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार का एक प्रमुख उदाहरण **टिहरी बाँध** है। उत्तराखण्ड राज्य के टिहरी जिले के निकट भागीरथी नदी पर निर्मित यह बाँध एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाँध है। 260.5 मीटर की ऊँचाई वाली टिहरी बाँध परियोजना से टिहरी एवं आस-पास के 125 गाँव विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। बाँध के पूरी ऊँचाई तक बन जाने के बाद टिहरी शहर डूब गया है। इसके अलावा भागीरथी एवं भिलंगना नदियों की घाटियों में स्थित 100 से अधिक गाँव इसके डूब क्षेत्र में हैं। 5 दिसम्बर, 2001 से इन गाँवों से विस्थापितों का पलायन शुरू हो गया। इस बाँध के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुर्नवास का मुद्दा प्रमुख है। टिहरी बाँध के लिए 80 किमी क्षेत्र का जो जल भण्डार तैयार किया गया है, वह एक पुरानी सभ्यता के ऊपर है। वह सभ्यता जिसमें मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, खेत-खलिहान, अस्पताल एवं स्कूल सभी कुछ था। कैसी विडम्बना है कि सम्पूर्ण सभ्यता को अपने में समाहित किए जल भण्डार पर एक अन्य सभ्यता के लोग नौका-विहार करेंगे। इस योजना से करीब एक लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होंगे। लगभग तीन दशकों के आश्वासनों एवं वादों के बावजूद आज भी अनेक विस्थापितों की स्थिति अनिश्चित है। पुनर्वास के काम में साधारणत: सामान्य लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। फिर ऐसे बाँधों से भूकम्प की सम्भावना भी बढ़ जाती है ऐसा अनेक विशेषज्ञों का मानना है।

गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहा **सरदार सरोवर बाँध** विवादग्रस्त बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। जहाँ तक पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक विवादों का सम्बन्ध है, सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी बाँध परियोजना से अधिक जटिल एवं विवादग्रस्त है। सरदार सरोवर के निर्माण के कारण विस्तृत क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण भारी संख्या में जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा है तथा आदिवासियों को उनके आवासीय पर्यावरण से सर्वथा भिन्न पर्यावरण में बसाने से उनकी पुरातन सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ गई है। सरदार सरोवर बाँध के कारण कुल 237 गाँव तथा करीब 67 हजार व्यक्ति प्रभावित होंगे तथा 26,465 एकड़ वन भूमि व 27,849 एकड़ सिंचित क्षेत्र जलमग्न हो जाएँगे।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना का नाम है—**कोतलीमेल परियोजना** जिसका निचला सिरा प्रसिद्ध तीर्थस्थल लक्ष्मण झूले के काफी निकट होगा। कुल मिलाकर तो गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों पर हिमालय में लगभग 21 नई बाँध परियोजनाओं का निर्माण या नियोजन का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। इसके अलावा यमुना, टौंस व इनकी सहायक नदियों पर भी उत्तरांचल में लगभग इतनी ही योजनाएँ प्रस्तावित, निर्माणाधीन या पूर्ण-निर्मित हैं, इनमें लखवाड़ व किशऊ जैसी बड़ी परियोजनाएँ भी हैं, यदि यह सभी परियोजनाएँ अगले लगभग तीन-चार दशकों में पूर्ण की जाती हैं तो हिमालय की गंगा-यमुना घाटी में विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही यहाँ की प्रकृति पर मात्र तीन-चार दशकों में इतना बड़ा बदलाव होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ है। यदि इन परियोजनाओं को समग्र रूप में देखा जाए तो विस्थापन तथा जलाशय जनित भूकम्प-मिता जैसी समस्याएँ उससे कहीं अधिक गम्भीर नजर आएँगी, जितनी की केवल एक परियोजना को अलग से देखने से नजर आती है।

उपर्युक्त विकास सम्बन्धी कुछ उदाहरणों से हम विस्थापन की समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। भारत में बाँधों की संख्या 4,291 है। आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण के इस दौर में वैज्ञानिकों तथा राजनीतिज्ञों में बड़े बाँधों के निर्माण को ही विकास का संकेत समझा है। वर्तमान में विश्व में बड़े बाँधों की कुल संख्या 45,000 है। छोटे बाँधों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। विश्व के बड़े बाँधों के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। विस्थापन की समस्या तथा पर्यावरण असन्तुलन की समस्या से अधिक है। विस्थापन की समस्या तथा पर्यावरण असन्तुलन की समस्या की भयावहता को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में बाँधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। अमेरिका में लगभग तीन वर्ष पूर्व 100 वर्ष पुराने एक बाँध को पर्यावरण असन्तुलन के कारण तोड़ दिया गया जबकि चीन में यांगत्सी नदी पर बने दो बांध 1975 में टूट गए थे। इस दुर्घटना में दो लाख व्यक्तियों की मौत हुई थी। भारत में बाँध की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश

तथा हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। पर्यावरणविदों द्वारा देश में बड़े बाँधों का विरोध मुख्यत: पर्यावरण असन्तुलन एवं अतिरिक्त दबाव के कारण होने वाले भूकम्पन के आधार पर किया जा रहा है। समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणा के अनुसार सम्पूर्ण हिमालय पर्वतमाला के शैशवावस्था में होने के कारण यह अभी अतिरिक्त दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। अतिरिक्त जल भण्डारण के कारण होने वाले दबाव से इस क्षेत्र में भूकम्प का खतरा बढ़ सकता है। विश्व बाँध आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बाँधों से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सुन्दरलाल बहुगुणा के अनुसार हमें भूटान जैसे देश से सीख लेनी चाहिए जहाँ विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बाँधों के स्थान पर छोटे बाँधों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया।

स्पष्ट है कि विकास के नाम पर बन रहे बड़े-बड़े बाँध एक ओर विस्थापन की समस्या पैदा करते हैं और दूसरी और पर्यावरण असन्तुलन की। इतने बड़े बाँधों के निर्माण से आस-पास के क्षेत्रों में भूकम्पों के आने की सम्भावना भी बढ़ जाती है।

नदी घाटी योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों के विकास, नई-नई सड़कों, रेलमार्गों के बनने तथा खनिज सम्पदा के दोहन, आदि ने भी देश के कई भागों में विस्थापन की समस्या पैदा कर दी है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया के कारण कल-कारखानों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्यत्र जाकर बसना पड़ा है। उन क्षेत्रों के आस-पास का वायुमण्डल भी इतना प्रदूषित हो जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को अपने रहने के स्थानों को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना पड़ता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि विकास की गति को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय असन्तुलन को प्रभावशाली कदम उठाकर कम किया जा सकता है। विकास के कारण विस्थापन भी होगा ही, लेकिन पुर्नवास के काम को भी अधिक गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों को मुआवजा देते व बसाते समय किसी भी प्रकार के पक्षपात या भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया जाना चाहिए।

प्र.3. पुनर्वास पर एक लेख लिखिए।

Write a note on Rehabilitation.

उत्तर

पुनर्वास (Rehabilitation)

विकास परियोजनाएँ जैसे सिंचाई, power, खदान आदि आर्थिक उन्नति एवं मानवीय कल्याण में योग देती हैं। ये परियोजनाएँ नौकरी के अवसर बढ़ाने तथा कृषि, औद्योगिक एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में वृद्धि (Growth) में योग देते हैं। विस्थापन की सामाजिक कीमत को कम करके आंका जाता है और उस पर कम ध्यान दिया जाता है। कई विकास परियोजनाओं के लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक कीमत को घटाकर देखा जाता है। विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। भारत में विस्थापन का यह उपेक्षित पहलू हैं। आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा भी विस्थापन से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा पुनर्वास के मुद्दे की ओर कम ही स्थान दिया जाता है।

भारत में 1950 के बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं से करीब 50 लाख से अधिक व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। इनमें से अनुमानत: 40 प्रतिशत से अधिक लोग जनजातीय हैं, जो घने जंगलों में निवास करते हैं। ये जनजातीय लोग जंगल-क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण या खनन कार्यों से प्रभावित हुए हैं। यद्यपि ये लोग जंगल-स्रोतों के सही हकदार या मालिक हैं, परन्तु विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं ने इन्हें अपने क्षेत्र—जंगल से दूर धकेल दिया है। इससे इनके सम्मुख आजीविका की समस्या उठ खड़ी हुई है। दूरस्थ जंगलों में धकेले गये इन लोगों को जीवन की मौलिक सुविधाएँ जैसे पीने का स्वच्छ पानी बिजली तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं है। उनका जीवन और आजीविका अधिकतर वनों पर ही निर्भर है। ये लोग अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परम्परा, जीवन जीने का ढंग आदि की दृष्टि से पृथक्करण में ही रह रहे हैं।

वर्ष 2004 तक राज्यों द्वारा प्रायोजित सिंचाई, बिजली तथा खनन आदि से संबंधित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप राज्यों के पुनर्वास प्रयासों को निर्देशित करने वाली कोई विस्तृत नीति नहीं थी। राज्य सरकारों ने पुनर्वास हेतु अपने तरीके की भिन्न-भिन्न योजनाएँ चालू कीं। विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित पुनर्वास कार्यक्रम किसी भी दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते कि भिन्न परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित हुए लोग दयनीय दशा में गरीबी से जूझ रहे थे, उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं थे। उन्हें निश्चित क्षेत्र में बसाने के प्रयत्नों के 25 साल पश्चात भी वे जीवन की मौलिक सुविधाओं से वंचित थे। आन्ध्र प्रदेश में येलेरू (Yeleru) सिंचाई परियोजना के कारण डूबे क्षेत्र में आने वाले 12 गाँवों के 20,000 लोगों की दयनीय दशा भारत में इस प्रकार के अनेक मामलों में से एक उदाहरण मात्र है। जीने (Life) के संवैधानिक अधिकार के बावजदू विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को अक्सर विस्थापित होने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यद्यपि इस अवधि में उन्हें पुनर्वास हेतु समय पर भूमि एवं न्यूनतम सुविधाएँ भी उपलबध नहीं करायी जाती।

सन् 2004 तक भारत में पुनर्वास से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर की कोई नीति नहीं थी। इसी वर्ष केन्द्र सरकार ने परियोजना पुनर्स्थापन के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के लिए 2004 में बनायी गयी राष्ट्रीय नीति के अनुसार विस्थापित होने वाले मैदानी इलाकों के 500 परिवारों या इससे अधिक के समूहों एवं पर्वतीय इलाकों के 250 परिवारों या इससे अधिक के समूहों, निर्जन भूमि विकास कार्यक्रम खण्डों एवं भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठीं सूची में समाहित क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले लोगों पर लागू होती है। 31-7-2007 से लागू पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति में समानता, निष्पक्षता तथा न्याय पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें नकद मुआवजों पर ज्यादा जोर दिया गया है।

प्र.4. भारत में सतत विकास पर एक लेख लिखिए।

Write an article on Sustainable Development in India.

उत्तर

भारत में सतत विकास
(India in Sustainable Development)

पर्यावरण के प्रति सोच-विचार के बगैर आर्थिक विकास के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं और इससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों का जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण के ऐसे अवक्रमण की समाज को कीमत चुकानी पड़ती है तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय शामिल करते हुए आर्थिक योजना में इसका स्पष्ट ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरह सतत्म विकास की चुनौती के लिए पर्यावरण की चिंताओं के साथ-साथ देश की आर्थिक विकास की जरूरतों का एकीकरण आवश्यक है। भारत ने पर्यावरण प्रबंधन में पिछले कुछ वर्षों में सतत विकास की इन चिंताओं को समझा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 ने हमारे सभी विकास क्रियाकलापों में पर्यावरण की चिंताओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। यह रेखांकित करती है कि सभी की आजीविका की सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण का सर्वाधिक सुरक्षित आधार यह सुनिश्चित करना है कि किसी विशेष संसाधन पर आश्रित व्यक्ति संसाधनों के अवक्रमण के बजाए संरक्षण से बेहतर आजीविका प्राप्त करे।

भारत सरकार ने अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से पारिस्थितिकी चिंताओं को विकास प्रक्रिया में समाहित किया है ताकि पर्यावरण को अधिक क्षति पहुँचाए बगैर आर्थिक विकास किया जा सके। भारत द्वारा अपनाई गई दृढ़ विकास कार्यसूची में अवसंरचना परियोजना के लिए कठोर पर्यावरण रक्षोपाय, पर्यावरण संबंधी शासन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, विनियामक संस्थाओं का पुनर्जीवन, नदियों के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना तथा वायु एवं जल की गुणवत्ता में नियमित आधार पर सुधार के प्रयास शामिल हैं।

भारत के विशिष्ट संदर्भ में सतत विकास प्राप्त करने के लिए पर्यावरण क्यों महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरण संबंधी हमारे मानक विकास प्रक्रिया के लिए निर्देशित सरकारी नीतियों के माध्यम से ऐसे निर्धारित किए जाते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक हों और जनता की समृद्धि में सहायक हों। हमारी पर्यावरण संबंधी नीतियों और कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. वनस्पति, जीव-जन्तुओं, वनों और वन्य प्राणियों का संरक्षण
2. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
3. वानिकीकरण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना
4. पर्यावरण सुरक्षा।

एक देश के रूप में भारत जैव-विविधता के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन, अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन मात्रा में कमी लाने और सतत खपत और उत्पादन पद्धति अपनाने में अग्रणी रहा है। भारत विशेष रूप से एक ऐसे विकास पथ पर चल रहा है जिसमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक जीवनतंत्रों और संसाधनों और अमूल्य प्राकृतिक तथा मानव-निखमत विरासत जो जीवनयापन, आजीविकाओं, आर्थिक वृद्धि, तथा मानव कल्याण की व्यापक संकल्पना के लिए आवश्यक है, को सुरक्षित करने और उनका संरक्षण करने के लिए समुचित ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, पर्यावरणीय संसाधनों तक न्यायोजित पहुँच तथा समाज के सभी वर्गों के लिए गुणता सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है, विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्धन समुदाय जो अपने जीवनयापन के लिए पर्यावरणीय संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं उनकी इन संसाधनों तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित की जाए।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. सतत विकास के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।
Throw light on the main theories of Sustainable Development.

उत्तर

सतत विकास के मुख्य सिद्धांत
(Main Theories of Sustainable Development)

सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें समान रूप से संसाधनों का शोषण, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन का अभिविन्यास सुनिश्चित करना है और मानव की दोनों वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाना है। सततशीलता एक आदर्श और गुणात्मक अवधारणा है, जो विकासशील लक्ष्यों में सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक आयामों को एकीकृत करती है ताकि बेहतर आजीविका की पूर्ति के लिए सद्भावया संतुलन प्राप्त किया जा सके। मौलिक रूप से यह एक स्थानीय प्रयास है क्योंकि प्रत्येक समुदाय की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकताएँ और चिंताएँ हैं। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के सही एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

सततशीलता गतिशील मानव आर्थिक प्रणालियों और धीमी पारिस्थिति की प्रणालियों के बीच एक संबंध है, जिसमें—(i) मानव जीवन विकसित हो सकता है, (ii) मानव का विकास हो सकता है, (iii) संस्कृति विकसित कर सकती है और (iv) मानव गतिविधियों के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है ताकि जीवन-समर्थन प्रणाली की विविधता, जटिलता और कामकाज को प्रभावित नहीं। पारिस्थिति की प्रणालियों की क्षमता के भीतर मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक प्रणाली लक्ष्यों (आनुवंशिकविविधता, प्रतिरोध, जैविक उत्पादकता) के साथ-साथ आर्थिक प्रणाली के लक्ष्यों (मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि, न्याय परस्ता में वृद्धि, उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में बढ़ोतरी) और सामाजिक प्रणाली लक्ष्यों (सांस्कृतिक विविधता, संस्थागत सततशीलता, सामाजिक न्याय, भागीदारी) को बढ़ावा देना आवश्यक है। सतत विकास के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं—

1. **पारिस्थिति की तंत्र के संरक्षण का सिद्धांत**—पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, अर्थात् पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने निर्जीव पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करके एक सम्पूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण का मुख्य कार्य प्रणाली के भीतर संरचना, कार्य और प्रजातियों के संकलन की रक्षा या पुनर्स्थापना करना है सतत विकास का अंतिम उद्देश्य धरती को संरक्षण देना है। यह पारिस्थितिक तंत्र को सततशील बनाने के लिए है। इस प्रयोजन के लिए स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए; राष्ट्रों को अपने संसाधनों का फायदा उठाने का सार्वभौम अधिकार है, लेकिन उनके सीमाओं से परे पर्यावरणीय क्षति पहुचाए बिना। आज के विकास को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के विकास और पर्यावरण की जरूरतों को कमजोर नहीं करना चाहिए। मानव गतिविधियों को पारिस्थितिक तंत्र की समर्थन क्षमता का सम्मान करना चाहिए। धरती की क्षमता बढ़ाने में शामिल विकास कार्य पृथ्वी की वहन क्षमता के भीतर होना चाहिए। पृथ्वी के सीमित संसाधन हैं पृथ्वी पर सीमित साधन और संसाधन असीमित साधनों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं संसाधनों का अधिक-से-अधिक शोषण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग उन सारी चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें उन्हें पृथ्वी से तुरंत आवश्यकता है।
2. **समाज के सतत विकास का सिद्धांत**—समाज पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित हो इसके लिए समाज का स्थिर होना आवश्यक है और समाज की सततशीलता स्वस्थ निवास, संतुलित आहार, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और श्रेष्ठ शिक्षा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यदि ये तत्त्व विकसित होते हैं और समाज में लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, तो यह एक सतत समाज बन जाता है। यह प्रकृति और प्राणियों के प्रति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता करता है। मानव स्वास्थ्य और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सतत विकास की चिंताओं के केंद्र में हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य में लोग स्वस्थ्य और गुणवत्ता के साथ जीवन के हकदार हैं। पूरे विश्व से गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में असमानताओं को कम करने और अधिकांश लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत विकास आवश्यक है।
3. **जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत**—जैव-विविधता (जैविक-विविधता) जीवों के बीच पायी जाने वाली विभिन्नता है जोकि प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। सतत विकास जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है तथा इसका संरक्षण जरूरी है। जैव विविधता से मिलने वाली सेवाओं और जैविक

संसाधनों के लाभ को निरंतर प्राप्त करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, जो कि पृथ्वी पर हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं। यह दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को संरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए तथा कार्यक्रमों में समन्वय होना चाहिए। जैविक विविधता अतुलनीय लाभ प्रदान करती है और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित होना चाहिए। अगर मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो प्रजातियों की सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र और जीवन को बनाए रखने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं।

4. **जनसंख्या नियंत्रण का सिद्धांत**—लोग पृथ्वी पर पाए गए सीमित साधनों और संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को बनाए रखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण, भोजन, कपड़े, आवास आदि की जरूरतें बढ़ जाती हैं, दुनिया में उपलब्ध साधनों और संसाधनों को बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ायी नहीं जा सकती। इसलिए, स्थायी विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन आवश्यक हैं। यह पर्यावरण संतुलन में सहायक होगा।
5. **मानव संसाधन संरक्षण का सिद्धांत**—पर्यावरण की रक्षा करना और सतत विकास को प्राप्त करना न केवल तकनीकी और आर्थिक मामलों पर निर्भर करता है, बल्कि विचारों, दृष्टिकोणों और व्यक्तिगत व्यवहार में बदलावों पर भी निर्भर करता है। व्यक्तियों और समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक है। सभी को अपने पर्यावरण के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए, इसकी माँगों और सीमाओं को जानना चाहिए और तदनुसार अपनी आदतों और व्यवहार को बदलना चाहिए। पृथ्वी की देखभाल करने के लिए मनुष्य के ज्ञान और कौशल को विकसित करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रशिक्षण प्रदान करके मानव संसाधन विकसित किया जाना है। मानव संसाधन स्थायी विकास के सिद्धांतों को अपनाने के लिए योगदान देता है।
6. **सार्वजनिक भागीदारी का सिद्धांत**—सतत विकास को व्यक्तिगत तौर पर नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक संयुक्त प्रयास अनिवार्य है। सतत विकास की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, स्थायी विकास के हर कार्यक्रम में जनता के सकारात्मक व्यवहार को विकसित किया जाना चाहिए। अधिकार और जिम्मेदारियों को अधिकार के उचित स्तर तक सौंप दिया जाना चाहिए। केंद्रों को निर्णय लेने की क्षमता पर्याप्त रूप से संबंधित नागरिकों और समुदायों को जितना संभव हो सके सौंप देना चाहिए।
   सामाजिक/आर्थिक जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली जानकारी तक पर्याप्त पहुँच सभी को प्रदान की जानी चाहिए। सतत विकास की स्पष्ट नीतियाँ होनी चाहिए और इसके सामाजिक/आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में लोगों का ज्ञान, सतत समाधान और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए।
7. **सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का सिद्धांत**—संपत्ति, स्थल, परिदृश्य, परंपराओं और ज्ञान से बना सांस्कृतिक विरासत, एक समाज की पहचान को दर्शाती है। यह पीढ़ी से पीढ़ी तक समाज के मूल्यों से गुजरता है, और इस विरासत के संरक्षण से विकास की सततशीलता को बढ़ावा मिलता है। सतत विकास सामाजिक परंपराओं, धार्मिक स्थानों और लोगों के सांस्कृतिक पहलुओं के संरक्षण पर बल देता है। विविध सांस्कृतिक विरासत समाज का अमूल्य योगदान है, लेकिन अंधविश्वास से बचा जाना चाहिए।
   सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना हमारा कर्त्तव्य है इसका संरक्षण सतत विकास का बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक विरासत घटकों को पहचाना, संरक्षित और बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी आंतरिक दुर्लभता और नाजुकता को ध्यान में रखना चाहिए।
8. **सामाजिक न्याय और एकजुटता**—सामाजिक न्याय (social justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास अंतर पीढ़ीगत न्यायपरस्ता, सामाजिक नैतिकता और एकता की भावना में किया जाना चाहिए।
9. **आर्थिक दक्षता**—अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्र प्रभावी होने चाहिए, जो कि नवाचार और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो एवं सामाजिक प्रगति और पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो। राष्ट्रों को एक खुले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए जिससे आर्थिक विकास और सभी देशों में सतत विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को सीमित करने के एक अनुचित साधन के रूप में पर्यावरणीय नीतियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

TOUCH 'n PASS

10. **भागीदारी और प्रतिबद्धता**—नागरिकों और नागरिकों के समूहों की भागीदारी और प्रतिबद्धता को विकास की एक ठोस दृष्टि को परिभाषित करने और इसके पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक सततशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरणीय मुद्दों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका संबंधित नागरिकों की भागीदारी है। व्यापक रूप से पर्यावरण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के द्वारा राष्ट्र जागरूकता और सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकता है।
11. **ज्ञानतक पहुँच**—शिक्षा के लिए अनुकूल उपाय, सूचना और अनुसंधान तक पहुँच को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके, जागरूकता पैदा की जा सके और स्थायी विकास के कार्यान्वयन में लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सततविकास के लिए समस्याओं की बेहतर वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता है। सततशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को ज्ञान और नवीन तकनीकों को साझा करना चाहिए। देशों को पर्यावरणीय मामलों और सतत विकास पर अपनी आबादी को बेहतर शिक्षित, सूचित और संवेदनशील बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित करना होगा।
12. **अंतर-सरकारी साझेदारी और सहयोग**—सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए कि विकास पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्थायी है। किसी दिए गए क्षेत्र में कार्यों के बाहरी प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्रों को प्राकृतिक आपदाओं या गतिविधियों के बारे में चेतावनी साझा करनी चाहिए।
13. **जिम्मेदार उत्पादन और खपत**—उत्पादन और खपत के स्वरूप को विशेष रूप से संसाधनों के उपयोग को अपशिष्ट और अनुकूलन करने वाले एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पादन और खपत को अधिक व्यवहार्य और अधिक सामाजिक और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए बदलना चाहिए और उचित जनसांख्यिच की नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोग के साथ व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत किया जाना चाहिए।
14. **प्रदूषक भुगतान करें**—ऐसे उपक्रम या संस्थाएँ जो प्रदूषण फैलाते हैं या पर्यावरण को किसी अन्य तरह से नुकसान पहुँचाते है। उन्हें पर्यावरणीय क्षति को रोकने, कम करने और नियंत्रण के उपायों की लागत का अपना हिस्सा उठाना चाहिए। राष्ट्रों द्वारा अपने नियंत्रण के तहत गतिविधियों के कारण अपनी सीमाओं से परे क्षेत्रों में हुए नुकसान के लिए मुआवजे प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास होना चाहिए। पूरे विश्व में राष्ट्र स्तर पर प्रभावी पर्यावरणीय कानूनों के निर्माण और प्रदूषण के शिकार लोगों और अन्य पर्यावरणीय क्षतियों के लिए देयता के संबंध में राष्ट्रीय कानून विकसित होने चाहिए। सभी राष्ट्रों को प्रस्तावित गतिविधियों के पर्यावरणीय संभावित प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करना चाहिए।
प्रदूषण को प्रदूषण की लागत को सहन करना सिद्धांत रूप में होना चाहिए। कीमतें उपभोग और उत्पादन में शामिल गतिविधियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की लागत सहित उनके प्रभावों के लिए समाज द्वारा भुगतान की जाने वाली वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। पर्यावरण में हानिकारक/प्रदूषण की गतिविधियों में लगे लोगों को मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के कारण होने वाले नुकसान के लिए भुगतान करना होगा।
15. **लैंगिक समानता**—लैंगिक समानता न केवल दुनिया की आधी आवादी हेतु चिंता का विषय है, यह मानव अधिकारों से भी जुड़ा है। जब किसी समाज की आबादी का आधार हिस्सा आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर होता है तो समाज विकसित नहीं हो सकता है। स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रों को पहचान, संस्कृति और स्वदेशी लोगों के हितों को पहचानना और समर्थन करना चाहिए।
16. **पारम्परिक ज्ञान प्रणाली का सम्मान एवं उपयोग**—पारंपरिक ज्ञान विकास का एक सक्षम घटक है। मानव कल्याण और सतत विकास हेतु पारम्परिक ज्ञान एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है तथा आज विश्व को लोगों के पारम्परिक ज्ञान की भी जरूरत है। पारम्परिक ज्ञान प्रणाली वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक एवं लैंगिक असमानता आदि में सुधार हेतु योगदान दे सकते हैं। सभी राष्ट्रों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में पारम्परिक ज्ञान का अभिलेखीकरण कराना चाहिए ताकि इस ज्ञान का सार्वभौमिक उपयोग रचनात्मक कार्यों हेतु किया जा सके तथा भविष्य के लिए भी संरक्षित किया जा सके।
17. **सावधानी, रोकथाम और मूल्यांकन का सिद्धांत**—सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण का अर्थ है कि जहाँ भी गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति की संभावना महसूस की जाती है, वहाँ बिना विलम्ब के उस क्षति की रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए तथा निरंतर मूल्यांकन की पद्धति का सहारा लेना चाहिए ताकि पर्यावरण, पारिस्थिकी तंत्रों एवं मानव स्वास्थ्य को कोई हानि न हो; यानी कथित खतरे की प्रबलता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्र.6. विकास की समस्या के रूप में विस्थापन की विवेचना कीजिए।
Discuss displacement as a problem of development.

उत्तर

विकास की समस्या के रूप में विस्थापन
(Displacement as a Problem of Development)

विस्थापन को विकास से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या माना जाता है। यह वह सामाजिक कीमत है जो प्रत्येक समाज को विकास के बदले में चुकानी पड़ती है। चूँकि विकास अनिवार्य है इसलिए सभी देश इसकी कीमत भी चुका रहे हैं। विस्थापन से तात्पर्य किसी विकास योजना के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों का उनकी भूमि अथवा गाँव से उजड़ जाना है अर्थात् उन्हें किसी अन्य बाहरी क्षेत्र की ओर जाने हेतु विवश कर देना है। यह समस्या स्थानीय लोगों के पुनर्वास से जुड़ी हुई है। सरकार द्वारा विस्थापन का जो मुआवजा दिया जाता है, वह इतना कम होता है कि उससे इन लोगों का पुनर्वास सम्भव नहीं हो पाता है। इससे उनमें निराशा एवं कुण्ठा विकसित होती है तथा सरकार के प्रति आक्रोश की भावना जन्म लेती है।

वस्तुत: स्वतन्त्रता के बाद आर्थिक विकास को सर्वोपरि मानकर ऐसी भूलें की जाती रही हैं कि पच्चीस-तीस वर्ष बाद ही पर्यावरणीय कठिनाइयों ने सामाजिक वैज्ञानिकों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। विकास के नाम पर लिए गये कुछ निर्णय खतरनाक प्रमाणित हुए हैं; जैसे—नदियों के किनारे उद्योगों की स्थापना नगरों के नजदीक खतरनाक उद्योगों (कीटनाशक, रसायन आयुध, कागज आदि) तथा वन आधारित कागज और फर्नीचर उद्योगों की स्थापना, अनुपयुक्त स्थलों पर बाँधों और जलाशयों का निर्माण, वन्य जीवों का विनाश, हरित क्रान्ति के नाम पर मुद्रा का दुरुपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा के अभाव में ग्रामीणों द्वारा वन विनाश और गोबर का उपयोग, जीवनदायी तत्त्वों—जल और वायु का प्रदूषण और प्रतिबन्ध के अभाव में संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन ऐसे ही उदाहरण है। अब पर्यावरणीय कठिनाइयों ने इन पर सोचने और उचित प्रबन्धन के लिए बाध्य किया है। भारत की ऐसी अनेक बहुउद्देशीय योजनाएँ विवाद के घेरे में रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में नर्मदा घाटी परियोजना और टिहरी बाँध योजना के विवाद ने सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया था। जब ये परियोजनाएँ निर्माणाधीन थी, तब इनको लेकर हुए विवाद के कारण कुछ अवधि के लिए इनका नाम भी रोकना पड़ा था।

विकास-प्रवृत्त विस्थापन वाले देशों में भारत सबसे ऊपर है। पिछले पचास से अधिक वर्षों में 3,300 बड़े बाँध बनाये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि इन बाँधों के परिणामस्वरूप लगभग 21 से 33 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। भारत में विस्थापन को प्रोत्साहन देने वाली निम्नलिखित दो प्रमुख विवादग्रस्त परियोजनाएँ मानी जाती हैं—

(अ) **नर्मदा घाटी परियोजना**—नर्मदा घाटी परियोजना मध्य भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लाभ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को प्राप्त होता है। नर्मदा नदी जो अमर कंटक (मध्य प्रदेश) से निकलकर 1312 किमी यात्रा कर गुजरात में अरब सागर में गिरती है, एक विस्तृत भाग (98796 वर्ग किमी) का जल अप्रवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 87 प्रतिशत मध्य प्रदेश में, 11.5 प्रतिशत गुजरात में तथा मात्र 1.5 प्रतिशत महाराष्ट्र में पड़ता है।

इस परियोजना के तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 10 बड़े और 31 छोटे बाँध और जलाशय बनाने का प्रस्ताव है जिनसे सिंचाई, बिजली, पेयजल और मत्स्य पालन की सुविधा से इन राज्यों का आर्थिक-सामाजिक विकास करना है। लेकिन पर्यावरणवादियों का कहना था कि प्रस्तावित बाँधों में सरदार सरोवर और नर्मदा सागर इतने विशाल हैं कि उनसे इस समस्त क्षेत्र में पर्यावरण का महा विनाश हो जाएगा। इन बाँधों के कारण 42 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में जल भराव के कारण जैविक विविधता नष्ट होगी। लाखों लोग विस्थापित होंगे। भूकम्प का खतरा बढ़ेगा, कृषि भूमि जलमग्न होगी और अनेक कस्बों और गाँवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक आकलन के अनुसार केवल नर्मदा सागर का जलाशय 910 वर्ग किमी क्षेत्र पर फैलेगा जिससे 40 हजार हेक्टेयर कृषिगत भूमि डूब जाएगी। 1.2 लाख लोग, जो 326 गाँवों में बसे है, विस्थापित हो जाएँगे। हरसुद कस्बा भी डूब जाएगा। इस प्रकार, अरबों रुपये खर्च होंगे क्योंकि निर्माण के साथ विस्थापितों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसी भाँति सरदार सरोवर बाँध भी पर्यावरणीय कठिनाइयाँ बढ़ाएगा जिसको लेकर जन-आन्दोलन चल रहा है। अनुमान है कि इससे 26 हजार हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी तथा 237 गाँवों में बसे 67 हजार लोग बेघर हो जाएँगे। इनके पुनर्वास पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेगें। यह भी अनुमान है कि इस बाँध से भूकम्प की सम्भावना बढ़ेगी, मृदा में क्षार की मात्रा बढ़ने से कृषि भूमि बेकार होगी तथा वन्य जीवों का नाश होगा।

नर्मदा घाटी परियोजना का विरोध इसके निम्नलिखित दुष्परिणामों के कारण किया गया है—

1. **पर्यावरण सम्बन्धी समस्या**—पर्यावरणवादियों, स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, समाज-सेवियों तथा सक्रिय कार्यकर्त्ताओं का मत है कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक पारिस्थितिकतन्त्र के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण पर्यावरण में अवनयन तथा प्रदूषण एवं पारिस्थितिकीय असन्तुलन उत्पन्न हो जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से अग्रलिखित पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याएँ उत्पन्न होंगी—
   (i) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में जलमग्नता के कारण लगभग 42,061 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो जाएगी। इससे पौधों की कई महत्त्वपूर्ण जातियाँ विलुप्त हो जाएँगी।
   (ii) प्राकृतिक वन क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण पारिस्थितिकीय विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि जन्तुओं की कई क्षेत्रीय जातियाँ विनष्ट हो जाएँगी। वास्तव में, जलमग्नता के कारण जन्तुओं के प्राकृतिक आवासों के विनष्ट होने के कारण जन्तुओं की कई जातियों का विलोपन हो जाएगा।
   (iii) गुजरात के दक्षिणी तटीय भागों में नहर द्वारा सिंचाई के कारण जलभराव होने से पहले से स्थित क्षारीयकरण की समस्या और अधिक विकट हो जाएगी।
   (iv) जलभण्डारों के स्थायी जल तथा जलभराव के क्षेत्रों के स्थिर जल के कारण जल से उत्पन्न होने वाले रोगों (यथा—मलेरिया) में वृद्धि तथा प्रसार होगा।
2. **सुरक्षा सम्बन्धी समस्या**—सरदार सरोवर में स्थित अपार जलराशि के द्रवस्थैतिक दाब के कारण नीचे स्थित शैली में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण प्रचण्ड भूकम्पों का आविर्भाव होगा। इन भूकम्पीय झटकों से बाँध की संरचनाओं को भारी क्षति होगी। यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि यह क्षेत्र पहले से ही भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है।
3. **आर्थिक उपादेयता**—आर्थिक दृष्टि से नर्मदा घाटी परियोजना (तथा नर्मदा सागर परियोजना—SSP) उपयोगी तथा लाभप्रद नहीं है क्योंकि इस परियोजना के अन्तर्गत विस्तृत वन क्षेत्र के जलमग्न हो जाने से 40,000 करोड़ रुपये की क्षति होगी (नर्मदा सागर परियोजना से 33,000 करोड़ रुपये की क्षति तथा सरदार सरोवर परियोजना से 7,000 करोड़ रुपये की क्षति)। इसके अलावा जलभण्डारों का तेजी से अवसादन होने से शीघ्र भराव हो जाएगा। परिणामस्वरूप इनकी क्षमता तथा उपयोगिता घट जाएगी।
4. **पुनर्वास की समस्या**—सरदार सरोवर के निर्माण के कारण विस्तृत क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण भारी संख्या में जनजातियों को विस्थापित होना पड़ेगा। लोगों को यह आशंका है कि भ्रष्ट अधिकारियों के कारण विस्थापित लोगों का समुचित पुनर्वास नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जब आदिवासियों को उनके आवासीय पर्यावरण से सर्वथा भिन्न पर्यावरण में बसाया जाएगा तो उनकी पुरातन सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाएगी।
5. **वैकल्पिक योजनाएँ**—पर्यावरणवादी तथा सक्रिय कार्यकर्त्ता बड़े बाँधों के विरोधी हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि भूकम्पीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में सरदार सरोवर बाँध तथा टिहरी बाँध जैसे बड़े बाँधों के निर्माण के लिए सुलभ प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी ज्ञान सक्षम तथा पर्याप्त नहीं है। इन लोगों का मत है कि नर्मदा घाटी परियोजना (नर्मदा सागर परियोजना—SSP) को शीघ्र बन्द कर देना चाहिए तथा कई छोटे-छोटे बाँधों का निर्माण किया जाना चाहिए।

(ब) **टिहरी बाँध परियोजना**—उत्तराखण्ड में टिहरी जनपद (गढ़वाल) में गंगा नदी पर यह बाँध बनाया गया जो 260.5 मीटर ऊँचा है तथा जिसके जलाशय में 3450 लाख घन मीटर जल का संग्रह है। इस जल से 2400 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन तथा 270 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके अतिरिक्त पेयजल की सुविधा की जाएगी। इससे दिल्ली को भी पेयजल प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के जल विस्तार के कारण 467 वर्ग किमी क्षेत्र जलमग्न होगा जिसके फलस्वरूप 112 गाँव और पुराना टिहरी कस्बा भी डूब जाएँगे। इसका प्रभाव 1.3 लाख लोगों पर पड़ेगा जिनके पुनर्वास पर करोड़ों रुपये खर्च आएगा। परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन से निष्कर्ष निकाला गया है कि जलाशय के भार से भूकम्प की सम्भावना बढ़ सकती है क्योंकि यह हिमालय के कमजोर क्षेत्र में स्थित है। इस विपदा से भयानक बरबादी हो सकती है जिसे विकास के नाम पर विनाश कहा जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में नदी जल में अधिक मलबा आने के कारण 40 से 50 वर्ष में जलाशय भर जाएगा और सारी परियोजना बेकार हो जाएगी। इन तथ्यों को उजागर करते हुए पर्यावरणवादियों एवं जनता ने मिलकर आन्दोलन छेड़ दिया है जिसके कारण निर्माण कार्य रुक गया है। यहाँ भी पर्यावरण की कठिनाइयों की तुलना में आर्थिक लाभ को अधिक महत्त्व दिया गया है। इस समस्या से निबटने के लिए जहाँ शासन जिद्द पकड़े है वहीं आन्दोलनकारी कमर कसे तैयार हैं।

TOUCH 'n' PASS

पर्यावरणवादियों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गयी है टिहरी जलभण्डार के कारण विस्थापित होने वाले पहाड़ी लोगों के पूर्णतया विभिन्न मैदानी पर्यावरण में पुनर्वास के कारण उनकी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाएगी तथा इन विस्थापित पहाड़ी लोगों की संस्कृति तथा जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन होंगे। इसके उत्तर में योजना के अधिकारियों का दावा है कि विस्थापित लोगों का मैदानी तथा नगरीय लोगों के साथ बसना उनके लिए वरदान सिद्ध होगा।

टिहरी बाँध परियोजना के स्थानीय लोगों के पुनर्वास की गम्भीर समस्या निम्न तथ्यों से स्पष्ट होती है—

1. प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक को मुफ्त 2 एकड़ कृषि भूमि।
2. प्रत्येक विस्थापित परिवार को 40,000 रुपये का नकद मुआवजा।
3. प्रत्येक एकड़ सिंचित कृषि भूमि के नुकसान के लिए 10,000 रुपये का नकद भुगतान।
4. मकानों के मुआवजा के लिए प्रत्येक परिवार के लिए 20,000 रुपये की व्यवस्था।
5. बीज तथा खाद के लिए प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपये का नकद भुगतान।
6. घरेलू सामानों के स्थानान्तरण के लिए प्रत्येक परिवार को 3,000 रुपये की व्यवस्था।
7. प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर आवासीय भूखण्ड की व्यवस्था।

टिहरी बाँध परियोजना ने विस्थापित नगरवासियों के लिए पुनर्वास की गम्भीर समस्या निम्न दो तथ्यों से स्पष्ट होती है—

1. प्रत्येक विस्थापित परिवार को नये टिहरी शहर में मकान बनाने के लिए कम-से-कम 60 वर्ग मीटर आवासीय भूखण्ड की व्यवस्था।
2. घरेलू वस्तुओं के स्थानान्तरण के लिए 1,000 से 1,500 रुपये की व्यवस्था।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में वनों के धुआँधार समस्या के कारण तथा उससे जनित तीव्र मृदा-अपरदन के कारण पर्यावरण अवनयन का स्तर पहले से ही बहुत बढ़ गया है। परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्रीय पर्यावरण को कोई भारी क्षति नहीं होगी। हाँ 467 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अवश्य जलमग्न हो जाएगा। इस जलप्लावन से प्रभावित होने वाले पौधों तथा जन्तुओं की जातियों के परीक्षण के लिए बोटैनिकल गार्डेन बनाने की व्यवस्था की गयी है। इस क्षेत्र में बृहद्स्तरीय वनरोपण की व्यवस्था की गयी है ताकि यहाँ के पारिस्थितिकीय सन्तुलन तथा पारिस्थितिक स्थिरता को कायम रखा जा सके। हिमनदों के सम्भावित पिघलाव के सन्दर्भ में परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक स्तर पर यह गलत धारणा है। टिहरी जलभण्डार के कारण वर्तमान हिमनदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वे टिहरी बाँध से काफी दूरी पर स्थित हैं।

टिहरी बाँध परियोजना के पक्ष में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणों एवं तर्कों तथा पर्यावरणवादियों एवं परियोजना के विरोधियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं समस्याओं के विवेचन के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इससे सम्बन्धित एक सन्तुलित विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश की प्रगति तथा खुशहाली के लिए देश की अपार जलशक्ति संसाधन का भरपूर उपयोग किया जाए परन्तु साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जल संसाधनों के विदोहन तथा उपयोग करते समय प्राकृतिक पर्यावरण को भारी क्षति न होने पाये। सुन्दरलाल बहुगुणा के निम्न वक्तव्य में कुछ सत्यता का अवलोकन होता है—"बार-बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या समस्त देश के हित के लिए हिमालय के जल संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, इनका उपयोग किया जाना चाहिए परन्तु यह उपयोग टिकाऊ होना चाहिए न कि टिहरी जैसे अस्थायी तथा विनाशी बाँधों के निर्माण द्वारा किया जाना चाहिए। जल संसाधनों का उपयोग स्थायी एवं समृद्ध बाँधों के निर्माण द्वारा किया जाना चाहिए।"

निष्कर्ष—यदि विकास सम्बन्धी आर्थिक नीतियाँ सोच-समझकर बनायी जाएँ तथा स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जाए तो शायद यह समस्या इतनी गम्भीर न हो। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 46 वर्ष बाद विस्थापित लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनायी। यह नीति विश्व बैंक के दबाव के कारण बनायी गयी। इस नीति का घोषणा-पत्र बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। 1998 ई० तक न तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया गया है और न ही इसे पूरी तरह से लागू किया गया है। विस्थापन के खतरों को कम-से-कम करने हेतु एक व्यावहारिक नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित चार नियमों को सामने रखे जाने की आवश्यकता है—

1. धन के रूप में मुआवजे का दृष्टिकोण;
2. जमीन के बदले जमीन देने का दृष्टिकोण;
3. जीवन स्तर का दृष्टिकोण; तथा
4. सौदेबाजी का दृष्टिकोण।

TOUCH 'n' PASS

भारत में कानून विस्थापितों की सुरक्षा करने में अधिक सक्षम नहीं है। इसलिए विस्थापितों के हितों की सुरक्षा हेतु ऐसे नियम बनाये जाने आवश्यक हैं जो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक प्रबन्ध से उन्हें सन्तुष्टि प्रदान कर सकें। विकास के नाम पर लाखों आदिवासियों एवं ग्रामवासियों का विस्थापन किसी भी मापदण्ड के अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

प्र.7. पारिस्थितिकी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी एवं समाज में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
Elucidate the concepts of Ecology. Discuss the relationship between Ecology and Society.

उत्तर प्रत्येक जीव इस संसार में जन्म लेने के पश्चात् अपने आस-पास की वस्तुओं, विषयों एवं व्यक्तियों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का हर प्रकार का विकास इन सब पर निर्भर करता है। इन सब प्रभाव डालने वाले कारकों को 'पर्यावरण' कहा जाता है। इसके साथ ही किसी समुदाय के निर्जीव पर्यावरण तथा उसमें पाये जाने वाले जीवधारियों की समग्र व्यवस्था को पारिस्थितिकी कहते हैं। समाजशास्त्र में मानव का अध्ययन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सन्दर्भ में ही किया जाता है। अत: सामाजिक मानव के विषय में पूर्ण अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उसके पर्यावरण के साथ-साथ पारिस्थितिकी का भी अध्ययन किया जाए।

पारिस्थितिकी का अर्थ
(Meaning of Ecology)

पारिस्थितिकी को प्रत्येक समाज का आधार माना जाता है। वस्तुत: पारिस्थितिकी एवं समाज में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमण्डल की अन्त:क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ—मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव-जन्तु न्यून वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि पारिस्थितिकीय कारक यह भी निर्धारित करते हैं किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। मरुस्थलीय प्रदेशों, पहाड़ी प्रदेशों, समुद्रतटीय क्षेत्रों, मैदानी प्रदेशों, बर्फीले प्रदेशों आदि में इसीलिए मानवीय जीवन में अन्तर देखा जा सकता है। यह अन्तर न केवल रहन-सहन, खान-पान एवं पहनावे में ही देखा जा सकता है अपितु परम्पराओं में भी भिन्नताएँ विकसित हो जाती हैं। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में होने वाले परिवर्तन से मानव समाज में भी परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जैव भौतिकी पारिस्थितिकी सामाजिक पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। एक तरफ प्रकृति समाज को आकार देती है तो दूसरी ओर समाज भी प्रकृति को आकार देता है।

पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक **अर्नेस्ट हैकल** ने 1869 ई० में किया था। इसमें अभिप्राय किसी समुदाय के निर्जीव पर्यावरण तथा उसमें पाये जाने वाले जीवधारियों की समग्र व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। इस प्रकार, पारिस्थितिकी का अर्थ एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएँ तथा प्रक्रियाएँ गठित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत, नदियाँ, मैदान, सागर और जीव-जन्तु सभी पारिस्थितिकी के अंग हैं। सन्तुलित पर्यावरण को पारिस्थितिक तन्त्र कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम **ए० जी० टैन्सले** नामक वैज्ञानिक ने 1935 ई० में किया था। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक, सभी कारकों के परस्पर सम्बन्धों के पारिस्थितिक तन्त्र कहा जाता है। जब इसमें मानवीय प्रयासों के परिणामस्वरूप अवक्रमण होता है तो उसे **पारिस्थितिकीय अवक्रमण** कहा जाता है।

पारिस्थितिकीय एवं समाज में सम्बन्ध
(Relationship between Ecology and Society)

पारिस्थितिकी एवं समाज में गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमण्डल की अन्त:क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ—मरूस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव-जन्तु अपने आप को न्यून वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान के अनुरूप ढाल लेते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि पारिस्थितिकीय कारक यह भी निर्धारित करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। मरूस्थलीय प्रदेशों, पहाड़ी प्रदेशों, समुद्रतटीय क्षेत्रों, मैदानी प्रदेशों, बर्फीले प्रदेशों आदि में इसीलिए मानवीय जीवन में अन्तर देखा जा सकता है। यह अन्तर न केवल रहन-सहन, खान-पान एवं पहनावे में ही देखा जा सकता है अपितु परम्पराओं में भी भिन्नताएँ विकसित हो जाती हैं। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में होने वाले परिवर्तन से मानव समाज में भी परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जैवभौतिक पारिस्थितिकी सामाजिक पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। एक तरफ प्रकृति समाज को आकार देती है तो दूसरी ओर समाज भी प्रकृति को आकार देता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.8. पारिस्थितिक अवक्रमण के प्रमुख कारण तथा इसे रोकने के उपाय बताइए।
Discuss main causes of ecological degradation and measures to prevent it.

उत्तर

पारिस्थितिकीय अवक्रमण के कारण
(Causes of Ecological Degradation)

सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक विकास की जो कीमत चुकानी पड़ी है उसमें विस्थापन के अतिरिक्त पारिस्थितिकीय अवक्रमण (जिसे अधोगति अथवा निम्नीकरण भी कहा जा सकता है) की समस्या भी प्रमुख मानी जाती है। पारिस्थितिकीय अवक्रमण वन क्षेत्र में होने वाली कमी, पानी की सतह नीची होने तथा भूमि कटाव के रूप में देखा जा सकता है। प्राकृतिक साधनों का अवक्रमण एक विश्व स्तर की समस्या बन गयी है। तीव्र औद्योगीकरण व नगरीकरण, गहन कृषि, जनसंख्या विस्फोट, खनन तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के परिणामस्वरूप भूमि तथा पानी के स्रोतों का अवक्रमण हुआ है।

भारत का आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्र किसी-न-किसी प्रकार के पारिस्थितिकीय अवक्रमण से प्रभावित हुआ है। वनों का बड़ी तेजी से विनाश हुआ है तथा पानी के स्रोत (नदियों, झीलों तथा जमीन के नीचे पानी) सूखते जा रहे हैं तथा पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती जा रही है। प्राकृतिक साधनों का अवक्रमण आर्थिक विकास का परिणाम तो है ही यह भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक-आर्थिक विकास तथा विश्व पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है।

पारिस्थितिकीय अवक्रमण के निम्नलिखित कारण हैं—

1. **वनों का विनाश**—वनों की लकड़ी के व्यावसायिक प्रयोग तथा जड़ी-बूटियों हेतु किये जाने वाले वनों के कटाव के परिणामस्वरूप भारत में वन क्षेत्र बड़ी तेजी से घटता जा रहा है। जितने पेड़ लगाये जाते हैं उससे कहीं अधिक संख्या में काटे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में वन गाँवों से दूर होते जा रहे हैं। अनेक बार तो निहित स्वार्थों द्वारा बड़े पैमाने पर वनों में आग लगा दी जाती है। गर्मियों में ग्रामवासी वनों में आग इसलिए भी लगा देते हैं कि बरसात के बाद अच्छी घास उपलब्ध हो पाएगी। अनेक बार तो विभागीय स्तर पर भी वन के कुछ हिस्से में आग इसलिए लगा दी जाती है ताकि उसे कृषि योग्य बनाया जा सके और आग के पूरे वन क्षेत्र में फैलने से बचा जा सके। इससे मूल्यवान पेड़ नष्ट हो जाते हैं। विकास के नाम पर बनाये जाने वाले बड़े-बड़े बाँध भी पारिस्थितिकीय अवक्रमण विकसित करते हैं।
2. **भूमि या मृदा कटाव**—भूमि एक मूल्यवान भौतिक सम्पदा मानी जाती है। जब तक पारिस्थितिक तन्त्र में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं की जाती या यह कम-से-कम की जाती है तो भूमि का निरन्तर परिष्करण एवं सम्पन्नीकरण होता रहता है। जब इस पर पेड़-पौधों का प्राकृतिक आवरण कम हो जाता है तो भूमि कटान प्रारम्भ हो जाता है। भूस्खलन (Landslides) एवं गाद भरने (Siltation) के परिणामस्वरूप भी भूमि कटाव से पारिस्थितिकीय अवक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है।
3. **जल स्रोतों की कमी**—पानी जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है। भारत में जल स्रोतों की भी निरन्तर कमी होती जा रही है तथा भूमि के नीचे पानी का स्तर और नीचा होता जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दशकों में पानी की अत्यधिक कमी हो जाएगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु खादों के प्रयोग से पानी प्रदूषित होता जा रहा है तथा कम वर्षा के परिणामस्वरूप नदियों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। मरूस्थल का निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। यह पारिस्थितिकीय अवक्रमण का ही द्योतक है।
4. **खतरनाक उद्योग**—अनेक बार औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप भी पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ—दून घाटी में चूने के उद्योग के परिणामस्वरूप पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचा है। इससे पानी का स्तर काफी नीचे पहुँच गया है, पेड़ धूल से भरे हुए रहते हैं तथा चूने की भट्टियों से हानिकारक गैसों का स्राव होता रहता है। इसी प्रकार, टिहरी बाँध के परिणामस्वरूप भी उपजाऊ भूमि के बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया गया है।

पारिस्थितिकीय अवक्रमण को रोकने के उपाय
(Measures to Prevent Ecological Degradation)

सरकार ने भारत में बढ़ते हुए पारिस्थितिकीय अवक्रमण को देखते हुए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की दीर्घकालिक नीति बनायी है। इसके अन्तर्गत पारिस्थितिकीय अवक्रमण को रोकने एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु चरणबद्ध ढंग से अनेक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। अनेक गैर-सरकारी संगठनों को भी इस कार्य में सहयोग देने हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है। 2002 ई० में

TOUCH 'n' PASS

'नवीन राष्ट्रीय जल नीति' को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत देश के जल संसाधनों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्, केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण तथा सम्बन्धित जल संसाधन विकास योजना द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं जिनसे आंशिक सफलता ही मिल पायी है। पर्यावरणीय शिक्षा एवं सामान्य जागरूकता द्वारा जन-जागृति आने पर मिलने वाला नागरिकों का सहयोग ही इस समस्या के समाधान में सार्थक सिद्ध हो सकता है।

पारिस्थितिकीय अवक्रमण आज एक अत्यन्त ज्वलन्त समस्या है; अत: केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इसके नियन्त्रण तथा पर्यावरण के संरक्षणों के लिए अनेक उपाय किये हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने लगभग 30 कानून बनाये हैं। इनमें से प्रमुख कानून हैं—जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण और निवारण) अधिनियम, 1981; फैक्ट्री अधिनियम; कीटनाशक अधिनियम आदि। इन अधिनियमों के क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कारखानों के मुख्य निरीक्षक और कृषि विभागों के कीटनाशक निरीक्षकों पर है।

पारिस्थितिकीय अवक्रमण के सम्बन्ध में सरकारी प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

1. **पर्यावरण संगठनों का गठन**—सबसे पहले चौथी योजना के प्रारम्भ में सरकार का ध्यान पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। इस दृष्टि से सरकार ने सर्वप्रथम 1972 ई० में एक पर्यावरण समन्वय समिति का गठन किया। जनवरी 1980 ई० में एक अन्य समिति का गठन किया गया जिसे विभिन्न कानूनों तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले प्रशासनिक तन्त्र की विवेचना करने और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें देने का कार्य सौंपा गया। इस समिति की सिफारिश पर 1980 ई० में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गयी। परिणामस्वरूप पर्यावरण के कार्यक्रमों के आयोजन, प्रोत्साहन और समन्वय के लिए 1985 ई० में 'पर्यावरण और वन्य जीवन मन्त्रालय' की स्थापना की गयी।
2. **पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986**—यह अधिनियम 19 नवम्बर, 1986 ई० से लागू हो गया है। इस अधिनियम की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नांकित हैं—

(अ) इससे केन्द्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गये हैं—

(i) पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना,
(ii) पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों, अधिकारियों और प्राधिकारियों के काम में समन्वय स्थापित करना,
(iii) पर्यावरणीय प्रदूषण के नि:सरण के लिए मानक निर्धारित करना,
(iv) पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना,
(v) किसी भी अधिकारी को प्रवेश, निरीक्षण, नमूना लेने और जाँच करने की शक्ति प्रदान करना,
(vi) पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करना या उन्हें मान्यता प्रदान करना,
(vii) सरकारी विश्लेषकों को नियुक्त करना या उन्हें मान्यता प्रदान करना,
(viii) पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना,
(ix) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रक्षोपाय निर्धारित करना और दुर्घटनाएँ होने पर उपचारात्मक कदम उठाना,
(x) खतरनाक पदार्थों के रखरखाव/सँभालने आदि की प्रक्रियाएँ और रक्षोपाय निर्धारित करना, तथा
(xi) कुछ ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना जहाँ किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित न की जा सकें।

(ब) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि निर्धारित प्राधिकरणों को 60 दिन की सूचना देने के बाद इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत कर दे।

(स) अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्थान का प्रभारी व्यक्ति किसी दुर्घटना आदि के फलस्वरूप प्रदूषकों का रिसाव निर्धारित मानक से अधिक होने या अधिक रिसाव होने की आशंका पर उसकी सूचना निर्धारित प्राधिकरण को देने के लिए बाध्य होगा।

(द) अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए अधिनियम में कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है।

(य) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामले दीवानी अदालतों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते।

TOUCH 'n' PASS

3. **जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड**—केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड, जल और वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियन्त्रण की शीर्षस्थ संस्था है। जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण कानूनों तथा जल उपकर अधिनियम (1977) को लागू करने का उत्तरदायित्व बोर्ड पर और इन अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यों में गठित इसी प्रकार के बोर्डों पर है।
4. **केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण**—सरकार ने 1985 ई० में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की थी। गंगा सफाई कार्य योजना का लक्ष्य नदी में बहने वाली मौजूदा गन्दगी की निकासी करके उसे अन्य किन्हीं स्थानों पर एकत्र करना और उपयोगी ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करने का है। इस योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं—
   (i) दूषित पदार्थों की निकासी हेतु बने नालों और नालियों का नवीनीकरण,
   (ii) अनुपयोगी पदार्थों तथा अन्य दूषित द्रव्यों को गंगा में जाने से रोकने के लिए नये रोधक नालों का निर्माण तथा वर्तमान पम्पिंग स्टेशनों और जल-मल संयन्त्रों का नवीनीकरण,
   (iii) सामूहिक शौचालय बनाना, पुराने शौचालयों को फ्लश में बदलना, विद्युत शवदाह गृह बनवाना तथा गंगा के घाटों का विकास करना, तथा
   (iv) जल-मल प्रबन्ध योजना का आधुनिकीकरण।
5. **अन्य योजनाएँ**—पारिस्थितिकीय अवक्रमण के नियन्त्रण हेतु जो योजनाएँ बनायी गयी हैं, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—
   (i) राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड (1981) की स्थापना,
   (ii) विभिन्न राज्यों में जीव मण्डल भण्डारों की स्थापना,
   (iii) सिंचाई भूमि स्थलों के लिए राज्यवार नोडल एकेडेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना,
   (iv) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (1985) की स्थापना,
   (v) वन नीति में संशोधन,
   (vi) राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्य योजनाओं का आरम्भ,
   (vii) अनुसन्धान कार्यों के लिए निरन्तर प्रोत्साहन,
   (viii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, तथा
   (ix) प्रदूषण निवारण पुरस्कारों की घोषणा।

पारिस्थितिकीय अवक्रमण के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में जन सहभागिता की कमी रही है। इसी कारण इन उपायों के वांछित परिणाम अभी हमारे सामने नहीं आये हैं। इनके निराकरण हेतु एक ओर जहाँ सन्तुलित औद्योगिक विकास को बनाये रखा जाना जरूरी है तो दूसरी ओर जनसंख्या विस्फोट जैसे सामाजिक कारकों पर नियन्त्रण रखना भी जरूरी है। वनों तथा वृक्षों को काटने से रोकने के लिए भी अधिक कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

प्र.9. प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ का विस्तृत वर्णन कीजिए।
Give a detailed description of rehabilitation and resettlement benefit for Affected families.

उत्तर

प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ
(Rehabilitation and Resettlement Benefits for Affected Families)

1. पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों, जो पैरा 6.1 के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन की तारीख को प्रभावित परिवार के रूप में पात्र हों, को दिये जाएँगे और उक्त तारीख के पश्चात् परिवार में परिसम्पत्तियों के किसी बँटवारे पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार, जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिगृहीत कर लिया गया हो या वह अपना घर खो चुका हो, को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किये गये या क्षति हो चुके वास्तविक क्षेत्र की सीमा तक, परन्तु यह भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में दो सौ पचास वर्ग मीटर या शहरी क्षेत्रों में एक सौ पचास वर्ग मीटर, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी, आवास के लिए बिना किसी लागत के आबंटित की जाएगी।
   परन्तु यह कि शहरी क्षेत्रों में उपर्युक्त के बदले एक सौ वर्ग मी० के विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) में घर उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे घर यदि आवश्यक हो, के लिए बहुमंजिला भवन कॉम्प्लेक्सों में प्रस्ताव किया जा सकता है।

TOUCH 'n' PASS

3. गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसके पास वासभूमि नहीं हो और जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की तारीख से पहले तीन वर्षों से अन्यून अवधि से लगातार प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और जो इस क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ हो, को पुनर्स्थापन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम एक सौ वर्ग मीटर के विस्तार क्षेत्र (कारपेट एरिया) वाला, या शहरी क्षेत्रों में पचास वर्ग मीटर विस्तार क्षेत्र वाला, (जिसका प्रस्ताव, जहाँ लागू हो, बहु मंजिले भवन कॉम्प्लेक्सों में किया जा सकता है) जैसा भी मामला हो, घर मुहैया कराया जा सकता है।
परन्तु यह कि ऐसा कोई परिवार जो प्रस्तावित घर नहीं लेने के विकल्प का चयन करता है, गृह निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली उपयुक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा और यह राशि भारत सरकार द्वारा गृह निर्माण के किसी भी कार्यक्रम के तहत दी गयी वित्तीय सहायता से कम नहीं होगी।
4. ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रही हो और जिसकी पूरी भूमि अर्जित कर ली गयी हो या खो चुकी हो, को प्रभावित परिवार में खातेदार (खातेदारों) के नाम से प्रभावित परिवार में खातेदार (खातेदारों) को हुई भूमि की वास्तविक क्षति के बराबर कृषि भूमि या कृषि योग्य बंजरभूमि आबंटित की जाएगी परन्तु यह भूमि अधिकतम एक हेक्टेयर सिंचित भूमि या दो हेक्टेयर असिंचित भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि होगी, बशर्ते कि पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध हो। यह लाभ उन प्रभावित परिवारों को भी दिया जाएगा, जो भूमि के अर्जन या क्षति के कारण सीमान्त किसान बन गये हों।
5. सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जहाँ तक सम्भव हो प्रभावित परिवारों को परियोजना के कमांड क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि के आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी भूमि की चकबन्दी की जाएगी तथा ऐसे प्रभावित परिवारों को उपयुक्त आकार के भू-खण्ड आबंटित किये जाएँगे जो वहाँ पर समूहों में स्थापित हो सकते हैं। यदि किसी प्रभावित परिवार को परियोजना के कमांड क्षेत्र में भूमि नहीं दी जा सकती हो या परिवार वहाँ भूमि न लेने का विकल्प देता है तो ऐसे परिवार को अन्यत्र उपयुक्त भूमि खरीदने हेतु उनकी भूमि की क्षति के लिए प्रतिस्थापन की लागत के आधार पर मौद्रिक रूप में प्रतिकर दिया जाएगा।
6. सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकारें प्रभावित परिवारों को परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में उपलब्ध भूमि अथवा ऐसी परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा सकने वाली भूमि को एकीकृत करके, भूमि मुहैया कराने हेतु उपयुक्त योजनाएँ तैयार कर सकती हैं।
7. (क) सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों को जलाशयों में मछली पकड़ने के अधिकार दिये जाएँ, यदि प्रभावित क्षेत्र में ऐसे अधिकार उन्हें प्राप्त थे; (ख) अन्य मामलों में भी, जब तक कोई विशेष कारण न हों, प्रभावित परिवारों को मछली पकड़ने के अधिकार प्राथमिकता आधार पर दिये जाएँगे।
8. ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो, के मामले में प्रभावित परिवारों को आबंटित की गयी भूमि अथवा घर के पंजीकरण के लिए अदा की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों का वहन अर्जनकारी निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. इस नीति के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण भारों से मुक्त होंगे।
10. इस नीति के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को आबंटित भूमि या घर प्रभावित परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होंगे।
11. अर्जित भूमि के बदले में बंजरभूमि अथवा अवक्रमित भूमि के आबंटन के मामले में प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को, एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, दी जाएगी परन्तु यह राशि प्रति हेक्टेयर भूमि विकास के लिए पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगी।
12. अर्जित भूमि के बदले में कृषि भूमि के आबंटन के मामले में प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, दी जाएगी, परन्तु यह राशि कृषि उत्पादन के लिए दस हजार रुपये से कम नहीं होगी।
13. ऐसे प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, तथा जिसके पास पशु हों, वित्तीय सहायता की ऐसी राशि प्राप्त करेगा जैसाकि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए; परन्तु यह राशि पशु-शाला के निर्माण के लिए पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगी।

TOUCH 'n' PASS

14. ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार जो विस्थापित हुआ हो, अपने परिवार, भवन निर्माण सामग्री, अपने सामान तथा पशुओं के स्थानान्तरण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसा कि समुचित सरकार निर्धारित करे, प्राप्त करेगा, परन्तु यह राशि दस हजार रुपये से कम नहीं होगी।
15. ऐसा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्व-नियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है, कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिए एक बार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ऐसी राशि, जैसा कि समुचित सरकार निर्धारित करे, प्राप्त करेगा, परन्तु यह राशि पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगी।
16. ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन शामिल हो, के मामले में—
    (क) अर्जनकारी निकाय परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रति एकल परिवार कम-से-कम एक व्यक्ति की दर से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देगा, बशर्ते कि रिक्तियाँ उपलब्ध हों और रोजगार के लिए प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त हो।
    (ख) जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अर्जनकारी निकाय प्रभावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य के लिए सक्षम बनाया जा सके।
    (ग) अर्जनकारी निकाय प्रभावित परिवारों से पात्र व्यक्तियों को सहायता वृत्तियाँ और अन्य कौशल विकास सुविधाएँ समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्ड के अनुसार उपलब्ध कराएगा।
    (घ) अर्जनकारी निकाय बाहरी संविदाओं, दुकानों के आबंटन में अथवा परियोजना स्थल के भीतर या आस-पास उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों में प्रभावित व्यक्तियों या उनके समूहों या सहकारिताओं को प्राथमिकता देगा।
    (ङ) अर्जनकारी निकाय निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिकों को लगाने के समय पर इच्छुक भूमि हीन श्रमिकों तथा बेरोजगार प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा।
17. प्रभावित व्यक्तियों को स्व-रोजगार के लिए उद्यमशीलता, तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता के विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया करायी जाएँगी।
18. ऐसी परियोजना, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, के मामले में वे प्रभावित परिवार, जिन्हें कृषि भूमि या रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है, सात सौ पचास दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी अथवा अन्य ऐसी अधिक राशि, जिसे समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, के बराबर पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

    परन्तु यह कि यदि अर्जनकारी निकाय एक ऐसी कम्पनी है, जिसे शेयर तथा डिवेन्चर जारी करने का प्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसे प्रभावित परिवारों को अपने पुनर्वास अनुदान की राशि के बीस प्रतिशत तक की राशि अर्जनकारी निकाय के शेयरों अथवा डिवेन्चरों के रूप में, जैसाकि निर्धारित किया जाए, प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

    परन्तु यह और कि समुचित सरकार अपने विवेकानुसार इस अनुपात को पुनर्वास अनुदान की राशि के पचास प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।
19. ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि विकास परियोजनाओं के कारण कृषि भूमि का अर्जन होता है अथवा अनैच्छिक विस्थापन होता है, भूमि के बदले भूमि अथवा रोजगार के स्थान पर प्रभावित परिवारों को विकास परियोजना के भीतर उनकी भूमि की क्षति के समानुपात में समुचित सरकार द्वारा परिभाषित की जाने वाली सीमाओं के अध्यधीन वास-स्थल अथवा फ्लैट दिये जाएँगे।
20. ऐसी परियोजना के मामले में, जिसमें अर्जनकारी निकाय की ओर से भूमि अर्जन करना शामिल है, ऐसा प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसका अनैच्छिक विस्थापन हुआ है, विस्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमास पच्चीस दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता प्राप्त करेगा।
21. परियोजना प्राधिकारी, अपनी लागत पर ऐसी वार्षिक पॉलिसियों की व्यवस्था करेंगे, जिससे पैरा 6.4 (v) में उल्लेख किये गये अनुसार भेद्य प्रभावित व्यक्तियों को उतनी राशि में जीवनभर पेन्शन प्राप्त होगी जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, परन्तु पेन्शन की यह राशि प्रतिमास ₹ 500 से कम नहीं होगी।
22. यदि अत्यावश्यकता के मामलों में भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अथवा संघ तथा किसी राज्य के उस समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के ऐसे ही उपबन्धों के अन्तर्गत उल्लेख किये गये अनुसार

TOUCH 'n PASS

किया जाता है तो विस्थापित हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार को इस नीति के अन्तर्गत उनको प्राप्य मासिक जीविका भत्ते तथा अन्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभों के अलावा, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्कीम या योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक मध्यावधिक तथा अस्थायी आवास मुहैया कराया जाएगा।

23. अनुरेखी रूप में भूमि अर्जन के मामले में, रेलवे लाइनों, राजमार्गों, पारेषण लाइनों, पाइपलाइनें बिछाने सम्बन्धी परियोजनाओं तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं में जिनमें परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन केवल कम चौड़ाई की पट्टियों में किया जाता है अथवा भूमि का उपयोग सीधे मार्गों के लिए किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अधिनियम अथवा कार्यक्रम अथवा स्कीम, जिसके अन्तर्गत भूमि, घर या अन्य सम्पत्ति अधिगृहीत की जाती है, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रतिकर और अन्य किसी लाभों के अलावा अर्जनकारी निकाय द्वारा उतनी राशि का अनुग्रह अनुदान मुहैया कराया जाएगा। जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विनिर्धारित किया जाए, परन्तु यह अनुग्रह अनुदान बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

प्र.10. विकास प्रेरित विस्थापन के परिणामों का उल्लेख कीजिए।
Mention the consequences of development induced displacement.

उत्तर

विकास प्रेरित विस्थापन के परिणाम
(Consequences of Development Induced Displacement)

विश्व बैंक से सम्बद्ध समाजशास्त्री मिशेल सर्निया ने दो दशक तक विकास प्रेरित विस्थापन का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विस्थापित किये जाने वाले लोगों को उनकी सम्पत्तियों के बदले मुआवजा और स्वयं को नये स्थान पर बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए सहयोग करने की व्यवस्था तो है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। उन्होंने विस्थापन के आठ सामाजिक-आर्थिक परिणामों को स्पष्ट किया है। इसके अलावा दो अन्य परिणाम Terminski (2013) से लिये गये हैं।

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम

1. **भूमिहीनता**—भूमि वह संसाधन है, जिस पर लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियाँ स्थापित होती हैं। विस्थापित होने वाले लोगों के पूँजीहीन हो जाने का यह बड़ा कारण है कि उन्हें अपनी पारम्परिक जमीन और इसके जरिये निर्मित पूँजी से अलग होना पड़ता है। उदाहरण के लिए—भारत में भूमि के बदले दिया जाने वाला नगद मुआवजा (यानी अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि नहीं देना) देने से कई जगह वनवासी और अन्य अशिक्षित उपेक्षित समुदायों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ।
2. **रोजगार का अभाव**—रोजगार का अभाव शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के विस्थापन की बड़ी चुनौती है। लोग अपने मूल स्थान पर विभिन्न तरह के रोजगार, सेवाओं, कृषि आदि से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन नयी जगह पर विस्थापित होते ही उनके लिए रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए—विंध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए कुल 2330 परिवार विस्थापित किये गये। लेकिन, विस्थापन के बाद इनमें से 1298 ही चिह्नित किये जा सके और इनमें भी 272 ही परिवारों को नौकरी या स्वरोजगार के जरिये पुनर्वासित किया जा सका।
3. **आवासहीनता**—आवास का अभाव विस्थापित होने वाले कम ही लोगों के लिए समस्या बनता है, लेकिन आवासीय मानकों की कमी उनके लिए परेशानी का बड़ा सबक रहता है। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो किसी परिवार का अपने वर्षों पुराने घर, किसी समूह का वर्षों पुराने सांस्कृतिक स्थान को छोड़कर आना उन्हें अकेलेपन की ओर धकेल देता है।
4. **उपेक्षा**—यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब सम्बन्धित परिवार अपनी आर्थिक शक्ति गँवा देते हैं और स्वयं के विकास के लिहाज से बेहद निचले पायदान पर जा पहुँचते हैं। नयी जगह पर जाने के बाद अधिकतर लोग बहुत तेजी से आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते। इसके चलते उनकी पूँजी कमाने की क्षमता निष्क्रिय होती जाती है और वे सामाजिक-मनोवैज्ञानिक रूप से उपेक्षा का शिकार होने लगते हैं। उनमें आत्मविश्वास का अभाव स्पष्ट होने लगता है, कई बार उन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि अपने मूल स्थान से एक बिल्कुल नयी, अनजानी जगह पर भेजकर उनके साथ नाइंसाफी की गयी है।
5. **खाद्य असुरक्षा**—बलात विस्थापन लोगों को कई बार पोषण की अस्थायी अथवा गम्भीर जोखिम में डाल देता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन कैलोरी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती या अगर मिल भी जाए तो यह इतनी अधिक नहीं होती कि उनका सामान्य शारीरिक विकास सम्भव हो सके।

TOUCH 'n PASS

6. **रुग्णदर एवं मृत्युदर में वृद्धि**—आबादी का भारी पलायन स्वास्थ्य के स्तर में गिरावट का कारण बनता है। विस्थापन के कारण मानसिक-मनोवैज्ञानिक तनाव, चिन्ता, अवसाद जैसी बीमारियाँ आदि सामने आती हैं। इसके अलावा मलेरिया जैसे रोगों का भी खतरा रहता है। असुरक्षित पेयजल सप्लाई, खराब सीवेज व्यवस्था, डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। इसके चलते जनसंख्या की सबसे कमजोर कड़ियाँ यानी नवजात, बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
7. **सार्वजनिक सम्पत्ति तक पहुँच का अभाव**—निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे वन, जलस्रोत आदि तक पहुँच मुश्किल हो जाती है। इसका उनकी आय और आजीविका के स्तर पर बेहद नकारात्मक असर पड़ता है।
8. **सामाजिक पृथक्कीकरण**—बलात विस्थापन का बुनियादी गुण यह है कि यह मौजूदा सामाजिक ढाँचे को पूरी तरह छिन्न-भिन्न कर देता है। यह कई स्तर पर देखा जा सकता है। लोगों को विस्थापित किये जाने पर पारम्परिक उत्पादन व्यवस्था खत्म हो जाती है। दशकों—सदियों से चली आ रही आवासीय व्यवस्था ढह जाती है। परिवार, आस-पड़ोस और सामाजिक परिवेश छितर-बितर हो जाता है। ग्राहक-उपभोक्ता के पुराने सम्बन्ध खत्म हो जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक समन्वय, स्थानीय प्रबन्धन, प्राचीन बाजार, स्थानिक महत्त्व के प्रतीक आदि सभी अचानक से समाप्त हो जाते हैं। नये स्थान पर विस्थापित लोगों के लिए अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान बना पाना बेहद जटिल हो जाता है। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का असर यह होता है कि सामाजिक ताना-बाना बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाता है।
9. **सामुदायिक सुविधाओं तक पहुँच का अभाव**—इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। विस्थापन के चलते बच्चों की शिक्षा में या तो विलम्ब होने लगता है अथवा इस पर होने वाला खर्चा पहले से अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए ओडिशा में सालंदी सिंचाई परियोजना के चलते विस्थापित हुए परिवारों के लिए बसायी गयी कॉलोनियों में बच्चों के लिए सरकार की ओर से करीब दस साल बाद भी स्कूल नहीं बनाये गये थे।
10. **मानवाधिकारों का उल्लंघन**—किसी व्यक्ति को उसके मूल स्थान से विस्थापित करना और पर्याप्त मुआवजा दिये बिना उसका घर-जमीन ले लेना अपने आप में मानवाधिकार का उल्लंघन है। इनके अलावा उपरोक्त वर्णित बिन्दु भी नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के उल्लंघन का ही स्वरूप माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर विस्थापन की प्रक्रिया मानवाधिकारों को खतरे में डालती है और कई बार यह पहले से अवस्थित आबादी समूह में विस्थापित समूह को शामिल करने के दौरान हिंसा का भी कारण बन जाती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. सामाजिक विकास की विशेषता में सम्मिलित है—

(a) श्रम-विभाजन में वृद्धि (b) संचार के साधनों में वृद्धि
(c) बाह्य तत्त्वों की प्रधानता (d) ये सभी

उत्तर (d) ये सभी

प्र.2. विस्थापन को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बाँटा जाता है?

(a) दो (b) तीन (c) चार (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (b) तीन

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन-सी गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है?

(a) हाइड्रोजन (b) मेथेन (c) कार्बन डाइऑक्साइड (d) कार्बन मोनोऑक्साइड

उत्तर (d) कार्बन मोनोऑक्साइड

प्र.4. ऑक्सीजन का कौन-सा संरचनात्मक रूपान्तरण निचले वायुमण्डल में वायु प्रदूषक है लेकिन ऊपरी वायुमण्डल में लाभदायक है?

(a) ओजोन (b) आर्गन (c) नियॉन (d) जेनॉन

उत्तर (a) ओजोन

TOUCH 'n PASS

प्र.5. शुद्ध-शून्य में भारत के योगदान के सन्दर्भ में, भारत ने किस वर्ष तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोतों से 50% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की घोषणा की है?

(a) 2025 (b) 2050 (c) 2030 (d) 2040

उत्तर (c) 2030

प्र.6. ब्रुंडलैण्ड रिपोर्ट किससे सम्बन्धित है?

(a) आर्थिक विकास (b) सतत विकास (c) मानव विकास (d) भू-स्खलन नियन्त्रण

उत्तर (b) सतत विकास

प्र.7. निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है?

(a) लैंगिक समानता (b) शून्य भुखमरी
(c) अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (d) अन्तरिक्ष अनुसन्धान

उत्तर (d) अन्तरिक्ष अनुसन्धान

प्र.8. सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस एक पत्र में हुई थी?

(a) हमारा साझा भविष्य (b) हमारा भविष्य
(c) सबका विकास (d) सतत विकास एवं भविष्य

उत्तर (a) हमारा साझा भविष्य

प्र.9. सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था?

(a) नार्वे के प्रधानमंत्री ने (b) ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने
(c) स्वीडन के प्रधानमंत्री ने (d) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने

उत्तर (a)नार्वे के प्रधानमंत्री ने

प्र.10. सतत विकास की कितनी प्रमुख अवधारणा हैं?

(a) दो अवधारणाएँ (b) तीन अवधारणाएँ (c) चार अवधारणाएँ (d) पाँच अवधारणाएँ

उत्तर (a) दो अवधारणाएँ

प्र.11. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन अथवा "रियो सममेलन (IRO Conference)" कब आयोजित किया गया था?

(a) सन् 1987 (b) सन् 1990
(c) सन् 1992 (d) सन् 1997

उत्तर (c) सन् 1992

प्र.12. सतत विकासात्मक के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है?

(a) पारिस्थितिकी (b) आर्थिक
(c) सामाजिक और सांस्कृतिक (d) ये सभी

उत्तर (d) ये सभी

प्र.13. पारिस्थितिकी सूचकांक में किन को सम्मिलित नहीं किया जाता?

(a) वनस्पति (b) जल की मात्रा एवं गुणवत्ता
(c) जैविक मात्रा (d) लागत एवं उत्पादन विश्लेषण

उत्तर (d) लागत एवं उत्पादन विश्लेषण

प्र.14. टिकाऊ विकास के अन्तर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है?

(a) आर्थिक विकास पर (b) ऊर्जा पर
(c) खनिज पर (d) संसाधन पर

उत्तर (b) ऊर्जा पर

TOUCH 'n PASS

प्र.15. सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था?
(a) सन् 1985 (b) सन् 1986 (c) सन् 1987 (d) सन् 1988
उत्तर (c) सन् 1987

प्र.16. सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का सम्बन्ध है—
(a) संसाधनों के अधिकतम उपयोग से (b) संसाधनों के संरक्षण से
(c) संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से (d) ऊर्जा संसाधनों के विकास से
उत्तर (b) संसाधनों के संरक्षण से

प्र.17. पोषणीय विकास क्या है?
(a) आर्थिक विकास (b) सामाजिक विकास (c) पर्यावरणीय विकास (d) ये सभी
उत्तर (d) ये सभी

प्र.18. पोषणीय विकास का भाग नहीं है?
(a) पर्यावरण प्रदूषण (b) जैव विविधता में कमी
(c) खनिज एवं संसाधनों की कमी (d) वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी
उत्तर (d) वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी

प्र.19. "ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान) में ..... के तापमान में वृद्धि होती है।
(a) क्षोभमण्डल (b) आयन मण्डल (c) मध्य मण्डल (d) समताप मण्डल
उत्तर (a) क्षोभमण्डल

प्र.20. निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रीन हाउस प्रभाव गैस नहीं है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) ओजोन (c) मीथेन (d) नाइट्रोजन
उत्तर (d) नाइट्रोजन

प्र.21. वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
(a) सन् 1986 (b) सन् 1990 (c) सन् 1980 (d) सन् 1988
उत्तर (c) सन् 1980

प्र.22. निम्नलिखित में से किसको वायुमण्डल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है?
(a) ओजोन (b) सल्फर डाइऑक्साइड (c) नाइट्रोजन (d) कार्बन मोनोऑक्साइड
उत्तर (a) ओजोन

प्र.23. पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तन्त्र है—
(a) जीवमण्डल (b) जलमण्डल (c) स्थलमण्डल (d) बायोम
उत्तर (a) जीवमण्डल

प्र.24. एक खाद्य शृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है?
(a) 1-2 (b) 3-4 (c) 9-10 (d) 4-5
उत्तर (d) 4-5

प्र.25. पारिस्थितिकी तन्त्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाये जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी?
(a) त्रिभुज (b) पिरामिड (c) स्तम्भ (d) षट्कोण
उत्तर (b) पिरामिड

प्र.26. पारिस्थितिक तन्त्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है?
(a) सदैव सीधा (b) सदैव उल्टा (c) कभी सीधा कभी उल्टा (d) अनियमित
उत्तर (a) सदैव सीधा

TOUCH 'n' PASS

प्र.27. समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं?
(a) प्राथमिक उपभोक्ता (b) द्वितीयक उपभोक्ता (c) तृतीयक उपभोक्ता (d) उत्पादक
उत्तर (a) प्राथमिक उपभोक्ता

प्र.28. एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है?
(a) सीधा (b) उल्टा (c) त्रिकोणीय (d) स्तम्भ
उत्तर (a) सीधा

प्र.29. एक खाद्य शृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी?
(a) शेर (b) भेड़िया (c) हिरण (d) पादप
उत्तर (d) पादप

प्र.30. पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य शृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी?
(a) शेर (b) भेड़िया (c) हिरण (d) पादप
उत्तर (a) शेर

प्र.31. द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है?
(a) शेर (b) मेंढक (c) टिड्डा (d) हिरण
उत्तर (b) मेंढक

प्र.32. प्रत्येक खाद्य शृंखला कहाँ समाप्त होती है?
(a) उत्पादक पर (b) प्राथमिक उपभोक्ता पर
(c) द्वितीयक उपभोक्ता पर (d) अपघटक पर
उत्तर (d) अपघटक पर

प्र.33. विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं?
(a) उत्पादक (b) उपभोक्ता (c) अपघटक (d) अजैविक
उत्तर (c) अपघटक

प्र.34. पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यत: कितने प्रकार के होते हैं?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
उत्तर (b) 3

प्र.35. धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण हैं?
(a) आनुवंशिक विविधता (b) जातिगत विविधता (c) भौगोलिक विविधता (d) पारिस्थितिक विविधता
उत्तर (a) आनुवंशिक विविधता

❑

TOUCH 'n PASS

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अत: कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।